



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268944
CG-DL-E-31122025-268944

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 848]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 848]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 934(अ).— जबकि, संसद द्वारा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) (उक्त संहिता) के अधिनियमन के पश्चात, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2020 का मसौदा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 19 नवंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 729 (अ), और दिनांक 15 अप्रैल 2021 की जी.एस.आर. 261 (अ) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और उक्त संहिता की धारा 133 और 134 के तहत अपेक्षित अनुसार आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि, दिनांक 21 नवंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5321 (अ), के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित किए गए, उक्त संहिता के सभी प्रावधानों को लागू किया गया है।

अब इस प्रकार निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केंद्र सरकार ने साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 133 और 134 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित के अधिक्रमण में बनाने का प्रस्ताव किया है-

- डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) नियम, 1990;
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन), नियम, 1998;
- आदर्श कारखाना नियम;

4. खान नियम, 1955;
5. खान बचाव नियम, 1985;
6. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966;
7. खदान स्थल स्नान नियम, 1959;
8. खान शिशुगृह नियम, 1966;
9. ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उत्पादन) केंद्रीय नियम, 1971;
10. अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन और सेवा शर्तों) केंद्रीय नियम, 1979
11. श्रमजीवी पत्रकार (सेवा शर्तों) और प्रकीर्ण प्रावधान नियम, 1957;
12. सिनेमा-कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन विनियमन) नियम, 1984;
13. बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तों) नियम, 1976

गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 का 54), भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27), कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63), खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37), अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 (1979 का 30), श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, 1958 (1958 का 29), 12. सिनेमा-कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 50), बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तों) अधिनियम, 1976 (1976 का 11), जैसा भी मामला हो, जिसे उक्त उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020, की धारा 143 द्वारा निरस्त कर दिया गया है, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व उन संबंधित बातों के सिवाय जिन्हें किया गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त धारा 133 की उपधारा (1) और उपधारा 134 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से 45 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस तारीख को उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं; आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, श्री रविशंकर निराला, अवर सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कमरा संख्या: 17, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को संबोधित किए जा सकते हैं या ईमेल (fasli@dgfasli.nic.in और ravis.nirala@nic.in) के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। आपत्तियां और सुझाव एक प्रोफार्मा में भेजे जाने चाहिए जिसमें कॉलम (i) में व्यक्तियों और संगठनों के नाम और पते का उल्लेख हो और कॉलम (ii) में संशोधित किए जाने वाले नियम या उप-नियम का उल्लेख हो और कॉलम (iii) में प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधित नियम या उप-नियम और उसके कारणों का उल्लेख हो;

उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से ऊपर निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. **लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियमावली, 2025 है।
2. इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
3. ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो -
- (क) "संहिता" से उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) अभिप्रेत है।
- (ख) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है।
- (ग) "प्रपत्र" से इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है।
- (घ) "पंजीकरण अधिकारी" से संहिता के अंतर्गत इन नियमों के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त पंजीकरण अधिकारी अभिप्रेत है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो इनमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु संहिता में परिभाषित हैं, उनका अर्थ क्रमशः संहिता में उनके लिए निर्धारित अर्थ से होगा।

अध्याय II

पंजीकरण

3. धारा 3 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन - (1) (i) कोई नियोक्ता किसी ऐसे प्रतिष्ठान के लिए, जो पहले से पंजीकृत नहीं है, पंजीकरण हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल अथवा नामोद्दिष्ट पोर्टल पर प्रपत्र-I में इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा जिसमें प्रतिष्ठान के बारे में जानकारी दी जाएगी और प्रतिष्ठान के पंजीकरण, पहचान का प्रमाण और नियोक्ता के पते जैसा कि प्रपत्र में निर्दिष्ट है, से संबंधित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। प्रपत्र में डिजिटल रूप से या पोर्टल पर यथा अपेक्षित किसी अन्य रीति से हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा आवेदक आवेदन में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए जिम्मेदार होगा।
- (ii) आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) के अंतर्गत आबंटित आवेदक अथवा प्रतिष्ठान के स्थायी खाता संख्या (पैन) अथवा उस समय के लिए लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापन को आबंटित किसी अन्य विशिष्ट संख्या अथवा प्रपत्र में दिए गए अन्य किसी विवरण का सत्यापन ऑन लाइन किया जा सकता है।
- (iii) यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तो पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्रपत्र-II में डिजिटल रूप से तत्काल किन्तु पूर्ण आवेदन जमा किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा, ऐसा न करने पर ऐसे स्थापन को पंजीकृत मान लिया जाएगा और पंजीकरण का प्रमाण-पत्र स्वतः सृजित हो जाएगा।
- परन्तु यह आपवादिक परिस्थितियों में केन्द्र सरकार ऐसी अवधि के लिए अधिसूचना द्वारा भारत के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण देश को प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की किसी श्रेणी के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है और इस प्रकार उपलब्ध कराए गए प्रपत्र-I में आवेदन भेजने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
- (iv) पंजीकरण प्रमाण-पत्र अहस्तांतरणीय होगा और पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रतिष्ठान के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर हार्ड कॉपी के रूप में या इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी।
- (2) संहिता के अंतर्गत पंजीकरण अधिकारी उप-नियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करने वाले नियोक्ता को उसमें उल्लिखित समय के भीतर इसका अनुपालन करने का निदेश दे सकता है और ऐसे नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अधिकारी द्वारा जारी निदेश का अनुपालन किया जाएगा।
- (3) किसी प्रतिष्ठान के संबंध में कोई कर्मचारी जो तत्समय लागू किसी अन्य केन्द्रीय श्रम कानून के अंतर्गत पहले से पंजीकृत है, उसका नियोक्ता संहिता के लागू होने की तारीख से छह माह के भीतर पंजीकरण संबंधी विवरणों को श्रम सुविधा पोर्टल पर या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नामोद्दिष्ट पोर्टल पर अद्यतित करेगा।
- (4) गलत जानकारी देकर प्राप्त किया गया कोई पंजीकरण रद्द किया जा सकता है: परन्तु यह कि प्रतिष्ठान को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा 30 दिन की अवधि के भीतर यह कारण बताने का एक अवसर दिया गया हो कि उसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र क्यों न रद्द किया जाए।
- (5) नियोक्ता द्वारा संहिता अथवा नियमों अथवा विनियमों अथवा योजना, जैसा भी मामला हो, के संबंध में उसके द्वारा तैयार अथवा पूर्ण किए गए सभी दस्तावेजों पर और संबंधित कार्यालय के साथ सभी पत्राचार में पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाएगा।
- (6) स्वामित्व, प्रबंधन अथवा विशिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण प्रपत्र में दिए गए किसी विवरण में बदलाव को नियोक्ता द्वारा ऐसे परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर अद्यतित किया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रतिष्ठान का नियोक्ता, जिस पर संहिता के प्रावधान लागू होते हैं और जिसके कारोबार से संबंधित कार्यकलाप बंद होने की प्रक्रिया में हैं, तत्समय लागू केन्द्रीय श्रम संहिताओं के अंतर्गत देय बकायों का पूरा ब्यौरा देने के पश्चात श्रम सुविधा पोर्टल अथवा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नामोद्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण को रद्द करने के लिए विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

परन्तु यह कि जब तक नियोक्ता द्वारा सभी सांविधिक विवरणियां जमा न कर दी जाएं, तत्समय लागू केन्द्रीय श्रम संहिताओं और किसी अन्य केन्द्रीय श्रम कानून के अंतर्गत सभी सांविधिक बकायों का भुगतान न कर दिया जाए और उस आशय से संबंधित एक स्व-प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ जमा न किया जाए, तब तक पंजीकरण के रद्द किए जाने संबंधी ऐसे किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. पंजीकरण अधिकारी प्रपत्र-III में इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिष्ठान का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रतिष्ठान के ब्यौरे दर्शाए जाएंगे जिसके संबंध में उसके द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

9. नियोक्ता द्वारा उस क्षेत्र में जहां प्रस्तावित प्रतिष्ठान स्थित है, वहां के क्षेत्राधिकार में आने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को अथवा जहां पर कार्य निष्पादित किया जाना अथवा जैसी भी स्थिति हो, किसी कार्य के आरंभ अथवा पूर्ण होने के 30 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा, जिसमें कार्य के आरंभ होने, पूर्ण होने और प्रतिष्ठान के बंद होने की, जैसा भी स्थिति हो, वास्तविक तिथि की सूचना इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र IV में इलैक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के साथ स्वतः साझा हो जाएगी।

4. धारा 4 के अंतर्गत अपील-(1) पंजीकरण अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट नियोक्ता ऐसे आदेश के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के निहितार्थ नियुक्त अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से अपील भेज सकता है।

(2) जिस मामले में अपील का ज्ञापन उपयुक्त हो उसमें अपीलीय अधिकारी अपील स्वीकार करेगा, उसकी पावती भेजेगा और ऐसी अपील को स्वीकार किए जाने के संबंध में सूचित करेगा सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यथानिर्दिष्ट रूप में अपील को इलैक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकृत करेगा।

(3) अपील स्वीकार कर लिए जाने पर अपीलीय अधिकारी पंजीकरण अधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, को अपील का नोटिस भेजेगा और पंजीकरण अधिकारी अपीलीय अधिकारी को उस मामले के अभिलेख इलैक्ट्रॉनिक रूप में अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से ऑनलाइन भेजेगा।

(4) अपील प्राप्त होने पर अपीलीय अधिकारी अपीलकर्ता को इलैक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजेगा कि वह अपील की सुनवाई के लिए नोटिस में निर्धारित की गई तारीख और समय पर उसके समक्ष उपस्थित हो और अपीलीय अधिकारी अपीलकर्ता या उसके प्राधिकृत एजेंट या उसके द्वारा सम्मन किए गए अन्य किसी व्यक्ति को सुनवाई करने के बाद की गई अपील के विरुद्ध आदेश की पुष्टि, उलटने या भिन्न आदेश के लिए आदेश पारित करेगा।

(5) यदि सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो आवेदक को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से आदेश की प्रति भेज कर अपीलीय अधिकारी अपीलकर्ताओं के उपस्थित होने में विफल रहने के कारण अपील को खारिज कर सकता है।

(6) यदि कोई अपील उप-नियम (5) के अंतर्गत खारिज कर दी गई है तो अपीलकर्ता आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील को बहाल करने के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से आवेदन कर सकता है और यदि अपीलीय अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता समुचित कारण से उपस्थित नहीं हो पाया तो अपीलीय अधिकारी उस अपील को पुनः बहाल करेगा।

(7) अपीलीय अधिकारी का उप-नियम (6) के तहत आदेश अपीलकर्ता को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति पंजीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है और इस अपील को निष्पादन अपील के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(8) इस नियम के अंतर्गत अपील का निपटान उप-नियम (4) में उल्लिखित नोटिस की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर किया जाएगा।

5. धारा 5 के तहत कार्य आरंभ और समाप्त करने की सूचना- प्रत्येक प्रतिष्ठान चाहे वह कारखाना या खान हो या अनुबंध ठेका श्रम या भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्यों से संबंधित प्रतिष्ठान, का नियोक्ता, कार्य शुरू होने या समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर, पंजीकरण अधिकारी को प्रपत्र-IV में इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा और कार्य समाप्त होने की सूचना के साथ यह प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा कि प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों के सभी बकायों का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भण्डारण से मुक्त कर दिया गया है।

अध्याय-III

नियोक्ता और कर्मचारी के कार्य

6. धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत कर्मचारी का वार्षिक स्वास्थ्य जांच - किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता, प्रत्येक कर्मचारी, जिसने 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, के लिए वार्षिक रूप से निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण कराने की व्यवस्था करेगा। चिकित्सा परीक्षण, प्रपत्र-V में प्रफॉर्मा के अनुसार एक योग्य चिकित्सक द्वारा किया जाएगा। योग्य चिकित्सक द्वारा संबंधित नियोक्ता और कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

परन्तु नियोक्ता कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम, 2025 के प्रासंगिक नियम के तहत कर्मचारी (कर्मचारियों) की चिकित्सा जांच की सुविधा का लाभ उठा सकता है।

परन्तु कि खानों के मामले में कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा परीक्षाओं के अतिरिक्त परीक्षण और शर्तें नियम 98 के तहत शासित होंगी।

7. धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन कर्मचारी को नियुक्ति पत्र- किसी भी कर्मचारी को किसी भी स्थापना में तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे नीचे दिए गए प्रारूप में नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया हो:

परन्तु कि, किसी कर्मचारी को, जिसे अपेक्षित विवरण वाला नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है, इस नियम के लागू होने के तीन महीने के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

प्रारूप

कर्मचारी का नाम:

जन्म तिथि :

पिता/माता का नाम:

आधार संख्या:

प्रतिष्ठान की श्रमिक पहचान संख्या (एलआईएन):

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) या बीमा संख्या (ईएसआईसी) (यदि उपलब्ध हो):

पदनाम:

कौशल की श्रेणी:

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि:

वेतन/मूल वेतन और महंगाई भत्ता:

आवास सहित अन्य भत्ते, जो भी लागू हों:

उच्च वेतन या उच्च पद प्राप्त करने का अवसर:

सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) लाभों की प्रयोज्यता:

निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की व्यापक प्रकृति:

कोई अन्य जानकारी:

हस्ताक्षर

अधिभोगी या नियोक्ता या मालिक या एजेंट या प्रबंधक

8. धारा 10 की उप-धारा (1) और धारा 11 के अंतर्गत दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की सूचना – (1) किसी प्रतिष्ठान में, कारखाना, गोदी कार्य, खान, भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य में किसी स्थान पर किसी दुर्घटना के घटित होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस प्रतिष्ठान का नियोक्ता अथवा प्रबंधक अथवा अधिष्ठाता इसकी सूचना प्रपत्र VI में इलैक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को देगा और जिला अधिकारी अथवा उप मंडल अधिकारी, नजदीकी थाने के प्रभारी अधिकारी और घायल अथवा मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों को दूरभाष पर सूचित करेगा।

(2) किसी प्रतिष्ठान में, जो गोदी कार्य, खान, भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य हो सकता है, किसी स्थान पर किसी दुर्घटना के घटित होने, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है जिसके कारण दुर्घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति अड़तालीस घंटे अथवा उससे अधिक समय के लिए कार्य करने से रोक दिया जाता है तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता अथवा अधिष्ठाता अथवा प्रबंधक अड़तालीस घंटे की अवधि पूर्ण होने पर के बारह घंटों के भीतर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को प्रपत्र VI में इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचना देगा।

(3) किसी प्रतिष्ठान में संलग्न अनुसूची में यथानिर्दिष्ट किसी खतरनाक घटना जिसके कारण कोई शारीरिक चोट अथवा अपंगता आती है या नहीं, बारह घंटे के भीतर प्रपत्र VI में सूचना निम्नलिखित को भेजी जाए:

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता;

जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप मंडल अधिकारी

परन्तु यदि उक्त उप नियमों के अंतर्गत सूचनाएं और रिपोर्ट भेजने के बाद ऐसी दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना में घायल किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता अथवा अधिभोगी अथवा प्रबंधक उप नियम (1) और (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों और व्यक्तियों को इसकी सूचना दूरभाष से और इलैक्ट्रॉनिक रूप से देगा और मृत्यु के बारह घंटे के भीतर लिखित में इस सूचना की पुष्टि भी करेगा।

परन्तु आगे यह भी यदि उप नियम (2) में उल्लिखित 48 घंटे अथवा उससे अधिक समय के लिए कार्य करने की अयोग्यता की अवधि दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के तुरंत बाद नहीं आती है किन्तु बाद में आती है अथवा एक से अधिक बार आती है तो संदर्भित रिपोर्ट निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता प्रपत्र-VI में दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के परिणामस्वरूप कार्य करने में अशक्तता की वास्तविक कुल अवधि 48 घंटे पूर्ण होने के 24 घंटे के भीतर भेजी जाएगी।

अनुसूची

खतरनाक घटनाओं के वर्ग, चाहे उनसे व्यक्तिगत चोट लगे या अशक्तता न हो, निम्नलिखित होंगे, नामतः-

- (i) वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव में किसी भी संयंत्र या पाइपलाइन या पेट्रोलियम, भाप, संपीड़ित हवा या अन्य पदार्थ युक्त उपकरणों का विस्फोट;
- (ii) एक क्रेन, डेरिक, विंच, उत्तोलक या अन्य उपकरणों या उनके किसी भाग का खराब होना या बंद होना जिसे व्यक्तियों या सामानों को ऊपर चढाने या नीचे उतारने के लिए उपयोग में लाया जाता है या क्रेन का पलटना; या
- (iii) विस्फोट, विस्फोटक से होने वाले विस्फोट, आग, हानिकारक जहरीली गैसों का रिसाव, किसी भी पिघले हुए धातु अथवा गर्म द्रव अथवा गैस का रिसाव जिनके कारण उस कमरे या स्थान, जिसमें व्यक्ति नियोजित है, को अथवा उसे शारीरिक नुकसान पहुंचता है; या
- (iv) किसी गैस या गैसों (वायु सहित) या किसी भी तरल या ठोस के गैस के संपीड़न से उत्पन्न वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव में भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले रिसीवर या कंटेनर का विस्फोट।
- (v) भवन या निर्माण सामग्री के संचालन से संबंधित उत्तोलक उपकरणों या उत्तोलक या कन्वेयर्स के खराब या बंद होना अथवा रज्जु, चेन या लूज गियरों का टूटना या खराब होना; भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले क्रेन का पलटना; ऊंचाई से वस्तुओं का गिरना;
- (vi) निरंतर ताप या आग लगना अथवा धुंआ दिखाई देना या भूमिगत खानों में ताप अथवा आग लगने का अन्य कोई संकेत; अथवा
- (vi) किसी भी दीवार, फर्श, गैलरी, रूफ ब्रिज, सुरंग, चिमनी, दीवार, या मिट्टी के ढेर या किसी अन्य संरचना, प्लेटफार्म, स्टेजिंग, मंचान या ढांचे सहित पहुंच के किसी साधन का गिरना; संपर्क कार्य, उत्खनन और संचरण में खराबी आना; या
- (vii) खतरनाक पदार्थों का रिसाव या बहाव और उनके कंटेनर को नुकसान;
- (viii) खानों में रूकावट या पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ का बहाव; अथवा
- (ix) प्रतिष्ठान के भीतर परिवहन उपकरणों का खराब होना, गिरना, ढहना या टकराना; अथवा
- (x) किसी उत्खनन, लोडिंग या परिवहन मशीनरी का ऊंचाई से गिरना; अथवा
- (xi) जमीन के नीचे काम करते समय कोयले के किसी पिलर, पिलर या कई पिलरों के किसी भाग का अचानक खराब होना; अथवा
- (xii) जमीन के नीचे कार्य करते समय चट्टान विस्फोट; प्रचालन के किसी भाग का असमय गिरना; अथवा
- (xiii) किसी भी यंत्र या उपकरण के आवश्यक पुर्जों का टूटना, फ्रैक्चर या खराब होना जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है; अथवा

- (xiv) स्लाइड जिसके कारण किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है, किसी मशीनरी को क्षति हो सकती है या सामान्य खनन कार्यों में रुकावट हो सकती है; अथवा
- (xv) ओपन कास्ट वर्किंग में डंप या साइड का खराब होना; एक दरार; अथवा

किसी संरचना या संस्थापना का खराब होना, जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है; या बिजली के फ्लैश से उत्पन्न स्पार्क जिससे कोई व्यक्ति जल सकता है; अथवा

(xviii) पेट्रोलियम या रासायनिक रिसाव का एक बड़ा अनियंत्रित उत्सर्जन।

9. धारा 12 की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत रोग की सूचना- (1) किसी प्रतिष्ठान के नियोक्ता, अधिभोगी या प्रबंधक द्वारा, जिसमें संहिता की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित कोई रोग होता है, निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को निम्नलिखित प्रारूप में एक सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

रोग की सूचना

- (1) नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक का नाम और पता
- (1) प्रतिष्ठान का नाम और पता:
- (2) प्रतिष्ठान की प्रकृति:
- (3) खान के मामले में खनिज का नाम:
- (4) रोगी का विवरण:

(क) रोगी का नाम:

(ख) रोगी की कामगार संख्या:

(ग) रोगी का पता:

(घ) रोगी का सटीक व्यवसाय:

- (5) रोगी किस रोग से पीड़ित है:
- (6) रोग का पता लगने की तिथि:
- (7) चिकित्सक का विवरण:
- (8) क्या मामले की सूचना चिकित्सा अधिकारी को दी गई है:

तारीख:

नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक के हस्ताक्षर

(2) यदि कोई अर्हताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायी किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करता है जो किसी प्रतिष्ठान में नियोजित है या रहा है और जो अर्हताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी रोग से पीड़ित माना जाता है, तो अर्हताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायी बिना किसी विलम्ब के मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के कार्यालय को लिखित में रिपोर्ट भेजेगा जिसमें यह कहा जाएगा कि-

(क) रोगी का नाम और पूरा डाक पता,

(ख) वह रोग जिससे वह रोगी को पीड़ित मानता है, और

(ग) उस प्रतिष्ठान का नाम और पता जिसमें रोगी कार्यरत है या अंतिम बार कार्यरत था।

10. धारा 13 के खंड (घ) और (छ) के अंतर्गत कर्मचारी के दायित्व- खान के मामले में यदि किसी कर्मचारी को प्रतिष्ठान में किसी असुरक्षित अथवा अस्वास्थ्यकर स्थिति की जानकारी मिलती है तो वह नियोक्ता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रतिनिधि अथवा सुरक्षा अधिकारी अथवा एजेंट अथवा प्रबंधक को जितनी जल्दी संभव हो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा लिखित में अथवा दूरभाष से सूचित करेगा और ऐसा प्रतिनिधि या अधिकारी या एजेंट अथवा प्रबंधक, जैसी भी स्थिति हो, नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा सूचित करेगा।

11. धारा 14 की उप धारा (3) अंतर्गत कर्मचारी के अधिकार— कर्मचारी से उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के आसन्न खतरे की मौजूदगी के संबंध में सूचना मिलने पर नियोक्ता इस संबंध में तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करेगा। नियोक्ता चाहे वह संतुष्ट हो अथवा न हो, इस प्रकार किए गए कार्यों की एक रिपोर्ट निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेगा।

अध्याय IV

व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

12. धारा 16 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड से संबंधित उपबंध.—

(1) धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (छ), (ज), (ट), (ठ), (ड) और (डू) में यथा निर्दिष्ट राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नामित और अनुमोदित किए जाएंगे।

(2) राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक संहिता की धारा 16 की उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए जब कभी आवश्यक हो की जा सकती है।

13. त्याग पत्र — (1) राष्ट्रीय बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, राष्ट्रीय बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा लिखित में अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है।

(2) ऐसे सदस्य का पद, जिस तिथि को उसका त्याग पत्र केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है अथवा केन्द्र सरकार द्वारा त्याग पत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, रिक्त माना जाएगा।

14. सदस्यता की समाप्ति.— राष्ट्रीय बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में ऐसे राष्ट्रीय बोर्ड के अध्यक्ष से अनुपस्थिति का अवकाश स्वीकृत कराए बिना भाग न लेने पर राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

परन्तु केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा सदस्य लगातार तीन बैठकों में किसी उपयुक्त कारण के फलस्वरूप उपस्थित नहीं हो सका तो यह निदेश दे सकती है कि इस प्रकार की सदस्यता समाप्ति न की जाए और ऐसा निदेश दिए जाने पर वह सदस्य राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य बना रहेगा।

15. सदस्यता के लिए अयोग्यता.— कोई व्यक्ति राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं होगा यदि —

उसकी विक्षिप्त मनोदशा हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;

वह दायित्वयुक्त दिवालिया हो; अथवा

उसे किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया हो और उसे तीन महीने अथवा उससे अधिक समय के लिए जेल की सजा हुई हो;

16. सदस्यता से हटाना.— केन्द्र सरकार राष्ट्रीय बोर्ड के किसी सदस्य को हटा सकती है यदि उसकी राय में ऐसा सदस्य राष्ट्रीय बोर्ड में जिस प्रयोजन हेतु प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा गया था, उस कार्य को नहीं कर रहा है:

परन्तु ऐसा कोई सदस्य तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस नियम के अंतर्गत प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का औचित्यपूर्ण अवसर नहीं दिया जाता है।

17. सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता.— (1) किसी सरकारी सदस्य का यात्रा भत्ता उसके द्वारा सरकारी कार्यों के लिए की गई यात्रा के लिए उस पर लागू नियमों द्वारा संचालित होगा और उसके वेतन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी द्वारा यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(2) राष्ट्रीय बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को ऐसे स्थानों पर राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

18. धारा 16 की उपधारा (5) के अंतर्गत तकनीकी समितियों का गठन

(i) केंद्र सरकार, संहिता की धारा 16 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपने कार्यों के निर्वहन में केंद्र सरकार या राष्ट्रीय बोर्ड की सहायता के उद्देश्य से एक या एक से अधिक तकनीकी समितियों का गठन कर सकती है।

(ii) तकनीकी समितियाँ बहु-सदस्यीय समिति हो सकती हैं और इनमें सरकारी, सार्वजनिक, स्वायत्त या निजी संस्थानों/उद्योगों के सदस्य शामिल हो सकते हैं।

(iii) समिति के सदस्यों के पास इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के साथ औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा या (भौतिकी/रसायन विज्ञान) में मास्टर डिग्री/एमबीबीएस के साथ औद्योगिक स्वास्थ्य के एसोसिएट फेलो (एफआईएच) की डिग्री होनी

चाहिए, साथ ही संबंधित क्षेत्र/उद्योग में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

(iv) खानों के मामले में, एक सदस्य के पास खनन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के साथ कोयला या धातु खान के प्रबंधन के लिए प्रथम श्रेणी प्रबंधक का योग्यता प्रमाणपत्र या एम.ई/एम.टेक/पीएच.डी. खनन अनुशासन में एम.डी./एम.बी.बी.एस., नियामक निकाय या उद्योग या अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों या व्यावसायिक स्वास्थ्य में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को तकनीकी समिति में नामित किया जा सकता है।

(v) तकनीकी समिति का अध्यक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा नामित पदेन सदस्य हो सकता है।

(vi) तकनीकी समिति विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उप-समितियों का गठन कर सकती है।

(vii) तकनीकी समिति अपने कार्य संचालन सहित ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो समय-समय पर केन्द्र सरकार या राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा आदेश द्वारा जारी किए जाए।

(viii) तकनीकी समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होगा।

19. तकनीकी समितियों के कार्य।

(i) तकनीकी समितियाँ ओएसएचएंडब्ल्यूसी संहिता, 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं पर मानकों, नियमों और विनियमों का निर्माण, प्रतिपादन और समीक्षा करेंगी।

(ii) तकनीकी समिति आवश्यकतानुसार नियमित रूप से और तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

20. त्यागपत्र

क. तकनीकी समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य न हो, तकनीकी समिति के अध्यक्ष के माध्यम से केन्द्र सरकार को लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

ख. तकनीकी समिति का अध्यक्ष, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव के माध्यम से केन्द्र सरकार को लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

ग. ऐसे सदस्य या अध्यक्ष का पद, जैसा भी मामला हो, उस तारीख से रिक्त हो जाएगा जिस दिन केन्द्र सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है, या केन्द्र सरकार द्वारा त्यागपत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो।

21. सदस्यता की समाप्ति

यदि तकनीकी समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य न हो, ऐसी अनुपस्थिति के लिए समिति के अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किए बिना, ऐसी समिति की लगातार दो बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं रहेगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे सदस्य को लगातार दो बैठकों में उपस्थित होने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह निदेश दे सकेगी कि ऐसी सदस्यता समाप्ति नहीं होगी और ऐसा निदेश दिए जाने पर, ऐसा सदस्य ऐसी समिति का सदस्य बना रहेगा।

22. सदस्यता के लिए निरर्हता

(i) कोई व्यक्ति तकनीकी समिति का सदस्य होने के लिए निरर्ह होगा -

(क) यदि वह विकृतचित्त है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

(ख) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जो, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता से संबंधित है।

(ii) जहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या उप-नियम (1) के अधीन निरर्हता हुई है, तो केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रश्न का निर्णय करेगी, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए।

23. सदस्यता से हटाना

केन्द्रीय सरकार तकनीकी समिति के किसी सदस्य या अध्यक्ष को हटा सकती है, यदि उसकी राय में ऐसा सदस्य उस हित का प्रतिनिधित्व करना बंद कर चुका है जिसका वह ऐसी समिति में प्रतिनिधित्व करने का अभिप्राय रखता है:

परन्तु ऐसे किसी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दे दिया जाए।

24 धारा 21 की उपधारा (1) और (2) के अधीन अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सांख्यिकी का संग्रहण और पोर्टल - नियोक्ता अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों और उनकी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के विस्तृत आंकड़े केन्द्रीय सरकार या श्रमिकों के ऐसे सदस्य द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा, जिसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

25. धारा 22 के अंतर्गत सुरक्षा समिति.- (1) धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित प्रतिष्ठान को छोड़कर 500 या उससे अधिक कामगारों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान द्वारा एक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें नियोक्ताओं और कामगारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(2) सुरक्षा समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा और सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी। परन्तु खानों के मामले में सुरक्षा समिति की बैठक कम से कम एक महीने में एक बार आयोजित की जाएगी।

(3) सुरक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त रूप से सूचित किए जाने का अधिकार होगा -

(क) कार्यस्थल पर कामगारों के लिए संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम; तथा

(ख) दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों के साथ-साथ ऐसे प्रतिष्ठानों में संचालित किए गए कर्मचारियों के कार्य वातावरण और स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण से प्राप्त ब्यौरे।

(4) प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता, नियोक्ता, मालिक, एजेंट अथवा प्रबंधक द्वारा सुरक्षा समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इन्हें कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

26. सुरक्षा समिति का संघटन- (1) खान के अलावा, सुरक्षा समिति में प्रबंधन के प्रतिनिधियों में निम्नलिखित शामिल होंगे -

कोई वरिष्ठ अधिकारी जो संगठन में अपने पद से समिति के कार्यकरण में प्रभावपूर्ण योगदान कर सकता है, अध्यक्ष होगा।

एक सुरक्षा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी जहां उपलब्ध हो, तथा ऐसे मामले में सुरक्षा अधिकारी, समिति का सचिव होगा; और उत्पादन, अनुरक्षण और खरीद विभागों से एक-एक प्रतिनिधि।

(2) (i) सुरक्षा समिति में नियोक्ता और कामगारों के प्रतिनिधियों की संख्या समान होगी, जो बीस से अधिक नहीं होगी।

(ii) सुरक्षा समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा, और यथा संभव वे अधिकारी, अधिमानतः प्रतिष्ठान के प्रमुख विभागों के प्रमुख होंगे, जो प्रतिष्ठान के कार्यकरण से सीधे सम्पर्क में हैं या जुड़े हैं।

(iii) सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा, नामतः-

(क) जहां पर एकल वार्ताकारी या औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 की 35) की धारा 14 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अंतर्गत वार्ताकारी यूनियन या उप-धारा (4) के अंतर्गत वार्ताकारी परिषद है, वहां पर एकल वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद, जैसी भी स्थिति हो, सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों को नामित करेगी और वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस रूप में होगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाली प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन सुरक्षा समिति में औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगारों की संख्या के अनुपात में, जो ऐसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं, प्रतिनिधित्व करेगी;

(ख) जहां पर खंड (क) में उल्लिखित कोई भी एकल वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां पर औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगार सुरक्षा समिति में अपने बीच में से कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करेगी:

परन्तु नियोक्ता कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करने की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ऑनलाइन प्लेटफार्म या इसी प्रकार के अन्य प्लेटफार्म पर इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती है:

परन्तु आगे यह कि सुरक्षा समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और यह प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों की कुल संख्या में महिला कामगारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

सुरक्षा समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

परन्तु जहां पर कोई भी मान्यताप्राप्त वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद दोनों नहीं है और जहां पर सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है, वहां पर मामले को संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) के पास भेजा जाएगा, जो पक्षों को सुनकर मामले में निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(3) उप-नियम (1) में यथानिर्दिष्ट सुरक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड किया जाएगा।

(4) सुरक्षा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(क) 'सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति' में उल्लिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता करना और सहयोग प्रदान करना;

(ख) स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवेश से संबंधित सभी मामलों का निपटान करना और आने वाली समस्याओं का व्यवहार्य समाधान निकालना;

(ग) सभी कामगारों के बीच सुरक्षा संबंधी जागरूकता का सृजन करना;

(घ) शैक्षिक, प्रशिक्षण और पदोन्नति संबंधी कार्यक्रमों का संचालन;

(ङ.) सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणों, सुरक्षा अंकेक्षणों, जोखिम आकलन, आपातकालीन एवं आपदा प्रबंधन योजनाओं से संबंधित रिपोर्टों पर चर्चा करना और रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन;

(च) उन मामलों की देख-रेख करना जो कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं और सुधारात्मक उपाय सुझाना; और

(छ) इसके द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

27. खानों के मामले में सुरक्षा समिति की संरचना.- खानों के मामले में सुरक्षा समिति में नियोक्ता और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी, जो बीस से अधिक नहीं होगी।

(1) सुरक्षा समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा, और यथा संभव वे अधिकारी, अधिमानतः खान के प्रमुख विभागों के प्रमुख होंगे, जो खान के कार्यकरण से सीधे सम्पर्क में हैं या जुड़े हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे;

(i) संहिता की धारा 67 में उल्लिखित प्रबंधक अध्यक्ष होगा;

(ii) अध्यक्ष द्वारा नामित खान के पांच कर्मचारी या सक्षम व्यक्ति;

(iii) सुरक्षा अधिकारी अथवा जहां सुरक्षा अधिकारी न हो वहां प्रबंधक के बाद सबसे वरिष्ठ खान अधिकारी समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा;

(2) सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा, नामतः-

(i) जहां पर एकल वार्ताकारी यूनियन या औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 की 35) की धारा 14 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अंतर्गत वार्ताकारी यूनियन या धारा 14 की उप-धारा (4) के अंतर्गत वार्ताकारी परिषद है या वार्ताकारी यूनियन या उक्त उपधारा (3) के अंतर्गत वार्ताकारी परिषद है, जैसी भी स्थिति हो, सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों को नामित करेगी और वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस रूप में होगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाली प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन सुरक्षा समिति में औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगारों की संख्या के अनुपात में, जो ऐसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं, प्रतिनिधित्व करेगी;

(ii) जहां पर खंड (क) में उल्लिखित कोई भी एकल वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां पर औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगार सुरक्षा समिति में अपने बीच में से कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करेगी:

परन्तु नियोक्ता कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करने की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ऑनलाइन प्लेटफार्म या इसी प्रकार के अन्य प्लेटफार्म पर इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती है:

परन्तु यह भी कि सुरक्षा समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और यह प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों की कुल संख्या में महिला कामगारों के समानुपात से कम नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि सुरक्षा समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

परन्तु यह भी कि जहां पर कोई भी मान्यताप्राप्त वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद दोनों नहीं है और जहां पर सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है, वहां पर मामले को संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त(केंद्रीय) के पास भेजा जाएगा, जो पक्षों को सुनकर मामले में निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

परन्तु यह भी कि कामगारों के प्रतिनिधियों में खनन, इलैक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल संकाय प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि को, जैसा भी मामला हो, नामित/चयनित किया जाएगा।

28. सुरक्षा समिति के कार्य- सुरक्षा समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे -

(क) समिति की जानकारी में कामगारों के प्रतिनिधि द्वारा लाई गई रिपोर्टों के उल्लेखानुसार खान में असुरक्षित स्थितियों और प्रक्रियाओं के विरुद्ध उपचारात्मक उपायों पर चर्चा करना और उपयुक्त सिफारिशें करना;

(ख) खान के किसी नये क्षेत्र में प्रचालनों के आरंभ करने अथवा तेल की खान के संस्थापनों अथवा नये विद्युत अथवा यंत्रिक संस्थापना की कमीशनिंग अथवा नई खनन तकनीक लागू करने से पहले संबंधित प्रक्रिया संहिता सहित प्रस्तावित सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों पर विचार करना और उपयुक्त सिफारिशें करना;

(ग) दुर्घटना, खतरनाक घटनाओं आदि की जांच रिपोर्ट पर चर्चा करना और उपयुक्त सिफारिशें करना;

(घ) दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर समुचित सुरक्षा अभियान तैयार और कार्यान्वित करना;

(ङ) सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर संपर्क के एक मंच के रूप में कार्य करना; और

(च) खान में विभिन्न संयंत्रों, उपकरणों, संस्थापनाओं और प्रणालियों के लिए तैयार की गई मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर चर्चा करना और उपयुक्त सिफारिशें करना।

29. सुरक्षा अधिकारी के दायित्व- (1) खान में सुरक्षा से संबंधित अन्य किसी भी मामले में प्रबंधक को सहायता प्रदान करना सुरक्षा अधिकारी का कर्तव्य होगा; और

(2) यह सुनिश्चित करना कि इन विनियमों के अंतर्गत यथा अपेक्षित समुचित आपातकालीन योजना तैयार की जाए और उसकी अपेक्षाओं को कार्यान्वित किया जाए।

(3) आपात स्थिति को छोड़कर उप-नियम (1) में उल्लिखित कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य सुरक्षा अधिकारी को नहीं सौंपे जाएंगे।

(4) सुरक्षा अधिकारी अपने द्वारा निष्पादित कार्य का विस्तृत अभिलेख जिल्दसाजी की गई पृष्ठयुक्त पुस्तिका में रखेगा।

30. गोदी कार्यों तथा भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षा अधिकारी.- गोदी कार्य के प्रत्येक प्रतिष्ठान में जहां पर 500 या अधिक कामगार हैं, और भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्यों में जहां 250 या अधिक कामगार सामान्य रूप से नियोजित किए जाते हैं वहां पर कोई भी नियोक्ता निम्नलिखित वेतनमानों के अनुसार सुरक्षा अधिकारी नियोजित करेगा:-

(i) गोदी कार्य के लिए-

(क) 1000 तक गोदी कामगारों के लिए - एक सुरक्षा अधिकारी,

(ख) 2000 तक गोदी कामगारों के लिए - दो सुरक्षा अधिकारी,

(ग) 5000 तक गोदी कामगारों के लिए - तीन सुरक्षा अधिकारी,

(घ) 10,000 तक गोदी कामगारों के लिए - चार सुरक्षा अधिकारी,

(ङ) प्रत्येक अतिरिक्त 5000 गोदी कामगारों या उसके भाग के लिए - एक सुरक्षा अधिकारी,

(ii) भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों के लिए-

(क) 500 तक भवन कामगारों के लिए - एक सुरक्षा अधिकारी,

(ख) 1000 तक भवन कामगारों के लिए - दो सुरक्षा अधिकारी,

(ग) 2000 तक भवन कामगारों के लिए - तीन सुरक्षा अधिकारी,

(घ) 5000 तक भवन कामगारों के लिए - चार सुरक्षा अधिकारी,

(ङ) प्रत्येक अतिरिक्त 2000 भवन कामगारों या उसके भाग के लिए - एक सुरक्षा अधिकारी।

(2) कोई भी व्यक्ति गोदी कार्य अथवा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्यों में सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह निम्नलिखित धारित न करता हो -

- (i) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त उपाधि और न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए पर्यवेक्षक के रूप में व्यावहारिक अनुभव; अथवा
- (ii) भौतिकी अथवा रसायन विज्ञान में मान्यता प्राप्त उपाधि और न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए पर्यवेक्षक के रूप में व्यावहारिक अनुभव; अथवा
- (iii) इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा और पर्यवेक्षीय हैसियत के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव; अथवा
- (iv) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।

(3) उप-नियम (1) और (2) में निहित बातों के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो –

(i) इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा रखता है और उसके पास केन्द्र या राज्य सरकार के किसी ऐसे विभाग में न्यूनतम पांच वर्षों तक कार्य करने का अनुभव है जो कारखानों, भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्यों तथा गोदी कार्य का संचालन करता है; अथवा

(ii) इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा रखता है और उसके पास उद्योग या किसी अन्य संस्थान में दुर्घटना से बचाव के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षण, परामर्शी अथवा अनुसंधान में पूर्णकालिक रूप से न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव है; भी सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

31. गोदी कार्य तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों के मामलों में सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व- सुरक्षा अधिकारी का कार्य चोट लगने की व्यक्तिगत घटनाओं को रोकने से संबंधित अपने सांविधिक दायित्वों को पूरा करने और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने हेतु परामर्श और सहायता देनी होगी और ऐसे कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे अर्थात् –

- (i) चोट लगने की वैयक्तिक घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक उपायों की आयोजना और ऐसे आयोजन में संबंधित विभागों को परामर्श देना;
- (ii) सभी रोजगार अध्ययनों में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना और चयनित रोजगारों में विस्तृत रोजगार सुरक्षा अध्ययनों का संचालन करना;
- (iii) चोट लगने की वैयक्तिक घटनाओं को रोकने के लिए की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई की प्रभावकारिता की जांच और मूल्यांकन करना;
- (iv) संयंत्र सुरक्षा संबंधी निरीक्षण कार्यों के संचालन से संबंधित मामलों पर सलाह देना;
- (v) कार्य की वास्तविक स्थितियों तथा कामगारों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करने हेतु संयंत्र सुरक्षा निरीक्षण करना और असुरक्षित वास्तविक स्थितियों को समाप्त करने और कामगारों द्वारा किए जाने वाले असुरक्षित कार्यों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के संबंध में सलाह देना;
- (vi) औद्योगिक दुर्घटनाओं एवं बीमारियों की रिपोर्टिंग और जांच से संबंधित मामलों पर सलाह देना;
- (vii) चयनित दुर्घटनाओं की जांच करना;
- (viii) संहिता की तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध अधिसूचित किए जाने योग्य बीमारियों के मामलों की जांच करना;
- (ix) संबंधित विभागों के साथ मिलकर अभियानों, प्रतिस्पर्धाओं, प्रतियोगिताओं और अन्य कार्यक्रमों, जो कार्य की सुरक्षित दशाओं और प्रक्रियाओं की स्थापना करने और बनाए रखने में कामगारों के हित का संवर्धन और अनुरक्षण करेंगे, का आयोजन करना; और
- (x) प्रशिक्षण विभाग के साथ मिलकर या स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति को लगने वाली चोट से बचाव के लिए समुचित प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम तैयार और संचालित करना।

32. **खानों के मामलों में सुरक्षा अधिकारी.**— प्रत्येक खान, जिसमें 100 या उससे अधिक व्यक्ति सामान्य रूप से नियोजित हैं, में 500 व्यक्तियों की कुल संख्या तक एक सुरक्षा अधिकारी और प्रत्येक अतिरिक्त 500 व्यक्तियों की संख्या या उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी(यों) की नियुक्ति की जाएगी जो निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो अर्थात्-

(क) कोयला खान के मामले में -

(i) भूमिगत खदानों के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (कोयला) धारित करने वाला व्यक्ति;

(ii) ओपन कास्ट खदानों के लिए ऐसा व्यक्ति, जो खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (कोयला) अथवा केवल ओपन कास्ट खदानों तक प्रतिबंधित प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (कोयला) धारित करता हो;

(ख) लौह धातु (मेटेलिफेरस) खानों के मामले में -

(i) भूमिगत खानों के लिए ऐसा व्यक्ति, जिसके पास खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (धातु) हो,

(ii) ओपन कास्ट खानों के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (धातु) अथवा केवल ओपन कास्ट खानों के लिए सीमित प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (धातु)।

(ग) तेल की खानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्थान से इंजीनियरी अथवा औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री अथवा केन्द्रीय श्रम संस्थान अथवा क्षेत्रीय श्रम संस्थानों से औद्योगिक सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और कम से कम 5 वर्षों की अवधि के लिए तेल की खानों में कार्यों के प्रबंधन अथवा पर्यवेक्षण का अनुभव।

33. **खानों के मामले में सुरक्षा अधिकारी के दायित्व.**— (1) खानों के मामले में सुरक्षा अधिकारी के दायित्व निम्नलिखित होंगे -

(क) कर्मचारियों से यथास्थल मिलने और उनसे सुरक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा करने और इस संबंध में उनके सुझाव मांगने के उद्देश्य से खान की सतह, जमीन से ऊपर, भूमिगत भागों, तेल की खान में लगे हुए तेल खानों का दौरा करना;

(ख) नये भर्ती किए गए कर्मचारियों का प्रभार लेना और उन्हें खान के आस-पास की जगह दिखाना तथा उनके द्वारा खान में कार्य किए जाने के दौरान सुरक्षित और असुरक्षित कार्यों की जानकारी देना;

(ग) छोटी दुर्घटनाओं सहित खान में सभी प्रकार की दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच करना और उनका विश्लेषण करना ताकि खान में दुर्घटनाओं की प्रकृति एवं सामान्य कारणों का पता लगाया जा सके;

(घ) खान दुर्घटनाओं से संबंधित विस्तृत ब्यौरे रखना और खान में दुर्घटनाओं की प्रकृति एवं सामान्य कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से उनका विश्लेषण करना;

(ङ.) खतरे के सभी संभावित स्रोतों जैसे, आप्लावन, आग, कोयले की राख, तेल की खानों में विस्फोट तथा अन्य कारणों का अध्ययन करना और संहिता की धारा 67 में संदर्भित प्रबंधक को अवगत कराना;

(च) पर्यवेक्षण कार्य से जुड़े कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी कक्षाओं का आयोजन करना और उन्हें सुरक्षा संबंधी बातें बताना और व्याख्यान देना;

(छ) खान में सुरक्षा सप्ताहों एवं अन्य सुरक्षा संबंधी शिक्षण एवं प्रचार कार्यक्रम आयोजित करना;

(ज) इस बात का ध्यान रखना कि सभी संबंधित खान कर्मचारी विभिन्न स्थायी आदेशों, प्रक्रिया संबंधी संहिताओं, सहयोग योजना और इसी प्रकार के अन्य मामलों से पूर्णतः अवगत हैं;

(झ) व्यावसायिक प्रशिक्षण, गैस परीक्षण में प्रशिक्षण, अग्निशमन तथा प्राथमिक उपचार आदि सहित खान स्तर पर प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार करने में सहायता प्रदान करना;

(ञ) उसके द्वारा खान के विभिन्न भागों का दौरा करने के पश्चात संहिता की धारा 67 में संदर्भित प्रबंधक को यह रिपोर्ट देना कि खान में संहिता के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन हो रहा है या नहीं;

(ट) आमतौर पर सुरक्षित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और खान में सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किए जाने वाले सभी उपायों को सक्रिय सहयोग देना और अनुपालन हेतु इन उपायों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

अध्याय-V

काम के घंटों और सवेतन वार्षिक अवकाश

34. धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत अंतराल और विस्तार के साथ दैनिक और साप्ताहिक घंटे- (1) किसी भी कामगार को किसी भी प्रतिष्ठान में एक सप्ताह में 48 घंटों से अधिक कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा अथवा इसकी अनुमति नहीं होगी।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रत्येक दिन अंतराल और स्प्रेड ओवर (विस्तार) के साथ कार्य की अवधि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार होगी।

35. धारा 25 की उपधारा (2) की व्याख्या (क) के अंतर्गत रनिंग टाइम में अनुमत अंतराल अवधि - (1) किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रनिंग टाइम में अंतराल के दौरान किसी भी समय अधिकतम रूप से 15 मिनट के अंतराल की अनुमति होगी।

36. धारा 25 की उपधारा (2) के अंतर्गत श्रमजीवी पत्रकारों के कार्य घंटे.- (1) इस नियम के प्रावधान श्रमजीवी पत्रकारों पर लागू होंगे, परंतु संपादकों, संवाददाताओं, रिपोर्टरों या समाचार फोटोग्राफरों पर लागू नहीं होंगे।

(2) उप-नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित प्रावधान उस स्थान पर तैनात प्रत्येक संवाददाता, रिपोर्टर या समाचार फोटोग्राफर पर लागू होंगे जहाँ समाचार पत्र प्रतिष्ठान (जिसके संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति कार्यरत है) स्थित है, अर्थात्:

(क) संबंधित पक्षों के बीच सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से हुई सहमति के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संवाददाता, रिपोर्टर या समाचार फोटोग्राफर, एक बार किसी दिन झूटी पर आने के बाद, उस दिन उसे सौंपे गए सभी कार्य पूरे होने तक पूरे दिन झूटी पर माना जाएगा:

परंतु यदि ऐसे संवाददाता, रिपोर्टर या समाचार फोटोग्राफर को किन्हीं दो या अधिक कार्यों के बीच कुल दो घंटे या उससे कम अवधि के लिए विश्राम का कोई अंतराल या अंतराल मिला हो, तो उसे ऐसी अवधि के दौरान झूटी पर नहीं माना जाएगा:

इसके अतिरिक्त, जहां ऐसे अंतराल या अंतरालों की कुल अवधि दो घंटे से अधिक हो, वहां उसे उक्त दो घंटे की अवधि से अधिक अवधि के दौरान झूटी पर माना जाएगा।

(ख) किसी भी सप्ताह के दौरान छत्तीस घंटे से अधिक कार्य करने की अवधि, जिसे इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए कार्य की एक इकाई माना जाएगा, की प्रतिपूर्ति आगामी सप्ताह के दौरान विश्राम द्वारा की जाएगी और यह विश्राम कम से कम तीन घंटे की एक या अधिक अवधियों में दिया जाएगा:

परन्तु जहां अतिरिक्त कार्य किए गए घंटों का योग तीन घंटे से कम हो, वहां विश्राम की अवधि केवल ऐसे अतिरिक्त कार्य तक ही सीमित होगी।

37. श्रमजीवी पत्रकार के लिए सामान्य कार्य दिवस- भोजन के समय को छोड़कर, श्रमजीवी पत्रकार के लिए सामान्य कार्य दिवस के घंटों की संख्या दिन की पाली में प्रतिदिन छह घंटे से अधिक नहीं होगी और रात्रि पाली में प्रतिदिन साढ़े पांच घंटे से अधिक नहीं होगी तथा किसी भी श्रमजीवी पत्रकार को सामान्य कार्य दिवस के घंटों की संख्या से अधिक समय तक काम करने की सामान्यतः अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

38. श्रमजीवी पत्रकार के लिए विश्राम हेतु अंतराल- किसी समाचार-पत्र प्रतिष्ठान और उस प्रतिष्ठान में नियोजित श्रमजीवी पत्रकारों के बीच हुए समझौते के अध्यक्षीन श्रमजीवी पत्रकार के लिए कार्य की अवधि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि कोई भी श्रमजीवी पत्रकार दिन की पाली के मामले में एक घंटा और रात की पाली के मामले में आधा घंटा विश्राम के अंतराल के पहले, दिन की पाली के मामले में चार घंटे से अधिक और रात की पाली के मामले में तीन घंटे से अधिक समय के लिए कार्य नहीं करेगा।

39. समयोपरि कार्य के लिए प्रतिपूर्ति- जब कोई श्रमजीवी पत्रकार दिन की पाली में किसी दिन छह घंटे से अधिक कार्य करता है तथा रात की पाली में साढ़े पांच घंटे से अधिक कार्य करता है, तो उसे, उस समयोपरि कार्य के घंटों की संख्या के समान विश्राम के घंटों के रूप में अथवा वेतन द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो मजदूरी की दर का दोगुना होगा।

40. रात की पालियों को शासित करने वाली शर्तें- किसी भी श्रमजीवी पत्रकार को लगातार रात्रि पाली में एक बार में एक सप्ताह से अधिक अथवा चौदह दिन की अवधि में एक सप्ताह से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

41. पाली बदलने से पूर्व अंतराल- रात्रि से दिन अथवा दिन से रात्रि में पाली बदलने के लिए दोनों पालियों के बीच में लगातार न्यूनतम चौबीस घंटे का अंतराल होना चाहिए तथा एक दिन की पाली से दूसरे दिन की पाली अथवा एक रात की पाली से दूसरी रात की पाली में परिवर्तन करने पर लगातार न्यूनतम बारह घंटे का अंतराल होना चाहिए।

परन्तु यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार द्वारा संहिता की धारा 25 की उप-धारा (2) के अंतर्गत लिए गए अंतराल से ऐसा अंतराल जुड़ता है अथवा इसके दायरे में आता है, तो ऐसे किसी अंतराल की अनुमति नहीं दी जाए।

42. **बिक्री संवर्धन कर्मचारी अथवा श्रमजीवी पत्रकार के लिए एक वर्ष में अवकाश के दिनों की संख्या-** कोई भी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष में दस दिन के अवकाश का पात्र होगा।

43. **बिक्री संवर्धन कर्मचारी अथवा श्रमजीवी पत्रकार के लिए प्रतिपूर्ति अवकाश-** यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को किसी अवकाश के दिन कार्य करना अपेक्षित होता है तो उसे उस अवकाश के दिन के पश्चात तत्काल तीस दिनों के अंदर उसकी और उसके नियोक्ता की पारस्परिक सहमति से एक प्रतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा।

44. **अवकाश के दिनों के लिए वेतन -** श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी अवकाश के सभी दिनों के लिए वैसे ही वेतन का पात्र होगा जैसे कि वह झूटी पर होता है।

45. **साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए वेतन-** श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए वैसे ही वेतन का पात्र होगा जैसे कि वह झूटी पर होता है।

46. **सक्षम अधिकारी-** प्रत्येक प्रतिष्ठान अपने प्रतिष्ठान में इस अध्याय के अंतर्गत नियमों के प्रयोजनार्थ एक अथवा अधिक अधिकारियों को सक्षम अधिकारियों के रूप में पदनामित कर सकता है।

47. **श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी द्वारा अवकाश लेने की प्रक्रिया-** (1) कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी जो अवकाश लेना चाहता है, वह प्रतिष्ठान के सक्षम अधिकारी को लिखित में आवेदन करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत अवकाश के लिए आवेदन, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश तथा क्वारेन्टाइन अवकाश के अतिरिक्त, अत्यावश्यक अथवा असंभावित परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख से न्यूनतम एक माह पहले किया जाएगा।

(3) यदि अवकाश के लिए मना किया जाता है अथवा स्थगित किया जाता है, तो प्रतिष्ठान का सक्षम अधिकारी ऐसी मनाही अथवा स्थगन, जैसा भी मामला हो, के कारणों का रिकार्ड रखेगा तथा आदेश की एक प्रति श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, को भेजेगा।

(4) साप्ताहिक विश्राम दिवस के अतिरिक्त अवकाश प्रतिष्ठान के सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अवकाश के पूर्व अथवा बाद में नहीं जोड़ा जाएगा।

(5) इस नियम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए किसी अवकाश के दौरान बीच में आने वाले साप्ताहिक विश्राम दिवस सहित कोई अवकाश, अवकाश की अवधि का भाग होगा।

48. **किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को अवकाश की समाप्ति से पहले वापस बुलाना-** (1) कोई समाचार पत्र प्रतिष्ठान अवकाश पर किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को वापिस बुला सकता है, यदि वह प्रतिष्ठान ऐसा करना आवश्यक समझता हो। इस प्रकार वापिस बुलाने के मामले में ऐसा श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी यात्रा भत्ते के लिए पात्र होगा, यदि वापिस बुलाने के समय वह अपना अवकाश अपने मुख्यालय से अलग किसी स्थान पर बिता रहा हो।

(2) यात्रा भत्ता, जिसका भुगतान उप-नियम (1) के अंतर्गत किसी श्रमजीवी पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को किया जाएगा, का निर्धारण श्रमजीवी पत्रकारों अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य के दौरान की गई यात्राओं के यात्रा भत्ते को शासित करने वाले उस प्रतिष्ठान के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

49. **कार्यभार ग्रहण करने से पहले फिटनेस चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना-** कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी जो स्वास्थ्य कारणों के कारण अवकाश ले चुका है, उसके द्वारा अपने नियोक्ता को कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक अथवा चिकित्सा अधिकारी जो चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करता है, से फिटनेस चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

50. **चिकित्सा अधिकारी का पदनाम-** श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को नियोजित करने वाला प्रत्येक प्रतिष्ठान संहिता की धारा 42 के अनुसार एक अथवा अधिक योग्य चिकित्सक को पदनामित कर सकता है।

51. **अर्जित छुट्टी-** (1) श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी झूटी पर बिताए गए प्रत्येक ग्यारह माह के लिए न्यूनतम एक माह की अवधि के पूर्ण वेतन के साथ अर्जित अवकाश का पात्र होगा।

परन्तु अर्जित अवकाश की संख्या एक सौ बीस दिन होने पर वह और अधिक ऐसा अवकाश अर्जित नहीं कर पाएगा।

(2) झूटी पर बिताई गई अवधि में साप्ताहिक विश्राम दिवस, अवकाश के दिन, आकस्मिक अवकाश एवं क्वारेन्टाइन अवकाश शामिल होंगे।

52. **अर्जित अवकाश के दौरान वेतन-** अर्जित अवकाश पर कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी झूटी पर बिताए गए बारह पूर्ण महीनों की अवधि के दौरान अर्जित औसत मासिक वेतन के समान अथवा यदि यह अवधि बारह पूर्ण माह से कम है, तो अवकाश प्रारम्भ होने से तत्काल पूर्व, ऐसी सम्पूर्ण अवधि के दौरान, वेतन प्राप्त करेगा।

53. नहीं लिए गए अर्जित अवकाश के लिए नकद प्रतिपूर्ति- (1) जब कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी स्वेच्छा से अपना पद छोड़ देता है अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वह उसके द्वारा नहीं लिए गए अधिकतम एक सौ बीस दिन तक के अर्जित अवकाश के लिए नकद प्रतिपूर्ति का पात्र होगा:

परन्तु श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी जिसके बकाया अर्जित अवकाश को मना किया गया है तो वह इस प्रकार से मना किए अर्जित अवकाश के लिए नकद प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का पात्र होगा:

इसके अतिरिक्त, यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तथा जिसने अपनी मृत्यु की तारीख से तत्काल पहले अपना बकाया अर्जित अवकाश नहीं लिया है, तो इस मामले में, उसके उत्तराधिकारी इस प्रकार से नहीं लिए गए अवकाश के लिए नकद प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

(2) जब किसी कारण से, किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी की सेवाएं अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से दिए गए दंड के अतिरिक्त, समाप्त की जाती हैं तो वह अधिकतम एक सौ बीस दिनों तक के नहीं लिए गए अर्जित अवकाश हेतु नकद प्रतिपूर्ति का पात्र होगा।

(3) ऐसी नकद प्रतिपूर्ति किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को उसके द्वारा नहीं लिए गए अवकाश की अवधि के लिए देय वेतन की राशि से कम नहीं होगी, यहां प्रासंगिक वेतन वहीं होगा जो उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (2), जैसी भी स्थिति हो, में विनिर्दिष्ट किन्हीं घटनाओं के होने से तत्काल पूर्व किसी दिन वास्तव में उसके अवकाश पर जाने पर उसे देय होता।

54. चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश-

(1) कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी प्रत्येक अठारह माह की सेवा के लिए न्यूनतम एक माह की दर से आधे वेतन पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश का पात्र होगा:

परन्तु चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश की संख्या नब्बे दिन होने पर वह ऐसा और अधिक अवकाश अर्जित नहीं कर सकेगा।

(2) ऐसा चिकित्सा प्रमाण पत्र किसी चिकित्सा अधिकारी से लेना होगा :

परन्तु जब कोई श्रमजीवी पत्रकार अपने नियोक्ता की अनुमति से अपने मुख्यालय से अलग किसी स्थान पर चला जाता है और वहां बीमार पड़ जाता है, तो वह किसी भी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकता है:

इसके अतिरिक्त, जब सक्षम चिकित्सक सरकार की सेवा में न हो, तो नियोक्ता अपने स्वयं के खर्च पर किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी की चिकित्सा जांच की व्यवस्था कर सकता है।

(3) चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश अर्जित अवकाश की निरंतरता में लिया जा सकता है बशर्ते कि अर्जित अवकाश तथा साथ में लिए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश की कुल अवधि कभी भी एक बार में एक सौ बीस दिन से अधिक नहीं होगी:

परन्तु चिकित्सा बोर्ड एक सौ बीस दिन से अधिक के अवकाश की सिफारिश कर सकता है।

(4) कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी आधे वेतन पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश को पूर्ण वेतन के साथ आधे अवकाश में बदलने के अपने विकल्प का पात्र होगा।

(5) तपेदिक जैसी दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रसित श्रमजीवी पत्रकारों अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के मामले में संग्रह करने तथा अवकाश की कुल अवधि से संबंधित उप-नियम (1) तथा उप-नियम (3) के उपबंध में निर्धारित अधिकतम सीमा में सक्षम अधिकारी द्वारा छूट दी जा सकती है।

(6) उप-नियम (1) एवं (4) में संदर्भित चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर परिवर्तित अवकाश किसी श्रमजीवी पत्रकार को अर्जित अवकाश उसके पास बकाया होने पर भी उसके अनुरोध पर स्वीकृत किया जा सकता है।

55. क्वारंटाइन लीव- प्रतिष्ठान द्वारा धारा 42 के अंतर्गत पदनामित प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र पर अधिकतम इक्कीस दिन अथवा अपवादिक परिस्थितियों में तीस दिन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन सहित क्वारंटाइन अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। उक्त अवधि से अधिक के लिए क्वारंटाइन प्रयोजन हेतु अनिवार्य कोई अवकाश को उस श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को देय अन्य अवकाश में समायोजित किया जाएगा।

56. असाधारण अवकाश - किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को, जिसके पास कोई अवकाश शेष नहीं है, प्रतिष्ठान के विशेषाधिकार से जिसमें वह श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी नियोजित है, बिना वेतन के असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

57. अवकाश का न होना- किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को, जिसके पास कोई अवकाश शेष नहीं है, प्रतिष्ठान के विवेकाधिकार से जिसमें वह श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी नियोजित है, अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

58. अध्ययन अवकाश - किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को प्रतिष्ठान के विवेकाधिकार से जिसमें वह श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी नियोजित है, वेतन के साथ अथवा बिना वेतन के अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

59. आकस्मिक अवकाश - (1) कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी प्रतिष्ठान के विवेकाधिकार से एक कैलेंडर वर्ष में पंद्रह दिन के आकस्मिक छुट्टी का पात्र होगा।

परन्तु एक बार में पांच दिन से अधिक का आकस्मिक छुट्टी नहीं लिया जाएगा तथा ऐसा अवकाश अन्य किसी अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

(2) एक कैलेंडर वर्ष के दौरान नहीं लिए गए आकस्मिक अवकाश को अगले वर्ष में नहीं जोड़ा जाएगा।

60. धारा 26 की उप-धारा (2) के अंतर्गत साप्ताहिक विश्राम दिवस— संहिता की धारा 26 के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक प्रतिष्ठान के कार्यालय के बाहर किसी विशिष्ट स्थान पर साप्ताहिक विश्राम दिवस को दर्शाने वाला नोटिस चिपकाया जाएगा। जहां पर अवकाश का दिन प्रतिष्ठान में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए एक नहीं है, वहां पर नोटिस में प्रत्येक अभिचलन या व्यक्तियों के समूह अथवा व्यक्ति के लिए अनुमत अवकाश को हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में दर्शाया जाएगा।

61. प्रतिपूर्ति अवकाश-(1) ऐसे किसी कार्य में लगे कामगार के मामले को छोड़कर जिसमें किसी कार्य को तकनीकी कारणों से लगातार दिन भर किया जाए, इस संहिता की धारा 26 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अनुमेय किए जाने वाले प्रतिपूर्ति अवकाशों को इस तरह से दिया जाएगा कि एक सप्ताह में दो से अधिक प्रतिपूर्ति अवकाश नहीं दिए जाएं।

(2) प्रतिष्ठान का प्रबंधक, जिस माह में कार्य दिवसों का नुकसान हुआ है, की समाप्ति पर अथवा उससे पहले आगामी माह के दौरान दिए गए प्रतिपूर्ति अवकाशों वाले कामगारों तथा उनकी तारीखों से संबंधित एक नोटिस उस स्थान पर जिस पर धारा 26 के अंतर्गत निर्धारित कार्यावधियों का नोटिस प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करेगा। किसी प्रतिपूर्ति अवकाश के संबंध में नोटिस में किसी पश्चातवर्ती परिवर्तन उस अवकाश की तारीख से न्यूनतम तीन दिन पहले किया जाएगा।

(3) किसी प्रतिपूर्ति अवकाश अथवा अवकाशों को, जिसका कोई कामगार पात्र है, उसे कार्यमुक्त अथवा बर्खास्त करने से पहले दिए जाएंगे तथा इन्हें कार्यमुक्त अथवा बर्खास्तगी से पहले दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी नोटिस अवधि का भाग नहीं माना जाएगा।

62. धारा 27 के अंतर्गत समयोपरि कार्य हेतु वेतन- (1) जहां किसी प्रतिष्ठान में कोई कामगार दिहाड़ी कामगार के रूप में किसी दिन आठ घंटों से अधिक काम करता है अथवा किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटों से अधिक काम करता है, जैसा भी मामला हो, तो वह ऐसे समयोपरि कार्य के लिए उसकी मजदूरी की सामान्य दर की दुगुनी दर पर मजदूरी हकदार होगा और प्रत्येक मजदूरी अवधि के अंत में इसका भुगतान किया जाएगा:

(2) उजरती दर आधार काम करता है, तब समय दर, उस सप्ताह, जिसमें उसने समयोपरि काम किया है, से तुरंत पहले सप्ताह के दौरान जितने दिन वास्तविक रूप में काम किया है, उतने दिन की उसकी पूरे समय की कमाई के दैनिक औसत के बराबर होगी, जो किसी समयोपरि के अलावा होगी तथा यह समय दर ऐसे कामगार के समयोपरि की दर मानी जाएगी।

(3) किसी भी दिन के समयोपरि की गणना में किसी घंटे के 15 से 30 मिनट के अंश को 30 मिनट गिना जाएगा तथा 30 मिनट से अधिक समय के मामले में इसे पूर्णांक करके वास्तविक आधार पर एक घंटा गिना जाएगा।

(4) यदि किसी कामगार को माह के आधार पर भुगतान किया जाता है तो उसका वेतन अथवा आय की गणना करने में, दैनिक वेतन उसके मासिक वेतन का 1/26वां भाग होगा; तथा अन्य किसी कामगार के मामले में वह दैनिक वेतन अथवा आय, जैसा भी मामला हो, होगी।

(5) गोदी कार्यों, खानों तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कार्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत किसी एक दिन में कामगारों के लिए समयावधि 12 घंटे से अधिक होगी, नामतः

(क) तत्काल मरम्मत;

(ख) प्रारम्भिक अथवा अनुपूरक प्रकृति के कार्य;

(ग) कार्य जो अनिवार्य रूप से इतने सविराम प्रकृति के है कि अंतराल जिनके दौरान वे ड्यूटी पर होते समय कार्य नहीं करते हैं सामान्यतः विश्राम के अंतरालों से अधिक हो जाते हैं;

(घ) ऐसे कार्य जो तकनीकी कारणों से सतत रूप से किए जाने अनिवार्य होते हैं;

(ङ) अत्याधिक आवश्यकता वाली वस्तुओं के बनाने अथवा आपूर्ति में लगे कामगार जिन्हें प्रतिदिन बनाया अथवा आपूर्ति किया जाता है;

(च) ऐसी प्रक्रिया में लगे कामगार जिसे निर्धारित मौसमों को छोड़कर अन्य समय में नहीं किया जा सकता है;

(छ) ऐसी प्रक्रिया में लगे कामगार जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित कार्रवाई पर आश्रित समय को छोड़कर अन्य समय नहीं किया जा सकता है;

- (ज) इंजन कक्ष अथवा बायलर हाउस अथवा पावर प्लांट की देखभाल अथवा संचारण मशीनरी में लगे कामगार;
- (झ) मशीनरी के खराब होने के कारण प्रक्रिया में लगे कामगार;
- (ञ) रेल वैगन अथवा लोरी अथवा ट्रकों की लोडिंग अथवा अनलोडिंग में लगे कामगार;
- (ट) कार्य की अपवादिक अधिकता और
- (ठ) ऐसे किसी कार्य में लगे कामगार जिसे केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व का कार्य अधिसूचित किया जाता है। परन्तु किसी भी कामगार को किसी वर्ष की किसी तिमाही में एक सौ पच्चीस घंटों से अधिक समयोपरि कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्याय-VI

रजिस्ट्रों, रिकार्ड तथा विवरणियों का रख-रखाव

63. धारा 31 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कार्य अवधियों का नोटिस- (1) धारा 31 की उप-धारा (2) में संदर्भित नोटिस को प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड अथवा इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रमुख स्थानों पर दर्शाया जाएगा तथा प्रपत्र-VII में इसका रखरखाव किया जाएगा और ऐसे नोटिस की प्रति इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा निरीक्षण-सह- सुविधाप्रदाता को भेजी जाएगी।

64. धारा 33 के अंतर्गत रिपोर्टों, रजिस्ट्रों तथा अन्य अभिलेखों का रख-रखाव एवं प्रस्तुत करना- (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोक्ता रख-रखाव करेगा -

कर्मचारियों का रजिस्टर प्रपत्र-VIII में

उपस्थिति-सह-मस्टर रोल प्रपत्र-VIIIक में

वेतन, समयोपरि तथा कटौती का रजिस्टर प्रपत्र-VIIIख में

इस अध्याय के अंतर्गत रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा भौतिक रूप में रखे जाएंगे।

रजिस्ट्रों में, प्रविष्टियां अंग्रेजी, हिन्दी अथवा नियोजित व्यक्तियों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में की जाएंगी।

प्रत्येक नियोक्ता, निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता अथवा केन्द्र सरकार की ओर से इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर उनके समक्ष अभिलेखों और रजिस्ट्रों को प्रस्तुत करेगा।

सभी रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों को, उनमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तिथि से पांच कैलेंडर वर्षों की अवधि के लिए मूल रूप में संरक्षित किया जाएगा;

1. प्रत्येक नियोक्ता वेतन संहिता (केंद्रीय) नियम, 202.... के नियम 52 और वेतन संहिता, 2019 की धारा 50 की उप-धारा (3) के अंतर्गत यथा निर्धारित प्रपत्र-VIIIग में कर्मचारियों को वेतन भुगतान के एक दिन पहले वेतन पर्ची इलेक्ट्रॉनिक रूप में या हस्तगत जारी करेगा;

2. जिन प्रतिष्ठानों को वेतन संहिता 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्टर रखना अपेक्षित है, ऐसे प्रतिष्ठानों के नियोक्ता को उन संहिताओं और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन निम्नलिखित रजिस्ट्रों और वेतन पर्चियों को रखना अपेक्षित होगा, जिसे इन नियमों के अधीन उस नियोक्ता के द्वारा रखा जाना समझा जाएगा, नामतः-

(क) कर्मचारियों का रजिस्टर;

(ख) उपस्थिति-सह-मस्टर रोल रजिस्टर;

(ग) वेतन, समयोपरि तथा कटौती का रजिस्टर;

(घ) वेतन पर्ची

3. इस संहिता और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत रखे जाने वाले अपेक्षित सभी रजिस्ट्रों, और अन्य अभिलेखों को सम्पूर्ण रूप में तथा अद्यतन रूप में तथा जब तक कि अन्यथा उपबंध न किया जाए, कार्यालय में या कार्य स्थल के अहाते के भीतर निकटतम सुविधाजनक भवन में अथवा तीन किलोमीटर की परिधि में किसी स्थान में रखा जाएगा।

4. वार्षिक विवरणी –

(क) जिस नियोक्ता पर इस संहिता के नियम लागू होते हैं, वे हर वर्ष 28 या 29 फरवरी को या उससे पहले व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता 2020 (2020 का 37) में बनाए गए नियमों के तहत प्रपत्र-IX और IXक में वार्षिक विवरणी केन्द्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करें जिसमें पिछले साल के बारे में जानकारी हो, बशर्ते कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या किसी अन्य तरह से रखे गए लेखे, बहियां, रजिस्टर और दस्तावेज दिखाने के लिए मांग कर सकता है।

स्पष्टीकरण:- इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, “इलेक्ट्रॉनिक रूप” की अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000(2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में दिया गया है।

ख. यदि नियोक्ता, जिस पर इस संहिता के उपबंध लागू होते हैं, प्रतिष्ठान को बेच देता है, उसका अधित्याग कर देता है या काम बंद कर देता है, तब वह ऐसी बिक्री, अधित्याग की तारीख से एक महीने के अंदर या काम बंद कर देने की तारीख से चार महीने के अंदर, जैसी भी स्थिति हो, केन्द्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेब पोर्टल पर पूर्व वर्ष के अंत में और बिक्री, अधित्याग या काम बंद करने की तिथि के बीच की अवधि के संबंध में खंड-क में उल्लिखित प्रपत्र-IX तथा IXक में एकीकृत विवरणी अपलोड करेगा।

हस्त रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों के मामले में उनमें प्रविष्टियां स्याही में स्पष्ट रूप में अंग्रेजी और हिंदी या अधिकांश नियोजित व्यक्तियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में दर्ज की जाएंगी।

हस्त रजिस्टर और अन्य अभिलेख उनमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए मूल रूप में संरक्षित किए जाएंगे।

परन्तु जब मूल अभिलेख पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तब उनकी सत्य प्रतिलिपियों को, अगर उपलब्ध हैं तो, विहित अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

ऐसे रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों को मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या केंद्रीय सरकार की ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष मांगने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

65. नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन— प्रत्येक नियोक्ता अपने नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठान के कार्य स्थल के विशिष्ट स्थान पर, प्रतिष्ठान का नाम एवं पता, कार्य घंटे, वेतन अवधि, ऐसे वेतन के भुगतान की तारीख, गत 5 वर्षों के दौरान प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना तथा खतरनाक घटना का विवरण, ऐसे प्रतिष्ठान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-सुरक्षाप्रदाता का नाम एवं पता तथा कामगारों के बकाया वेतन के भुगतान की तारीख का नोटिस अंग्रेजी, हिन्दी तथा अधिकतर कामगारों द्वारा समझे जाने वाली स्थानीय भाषा में प्रदर्शित करेगा अथवा प्रदर्शित कराएगा।

66. विवरणी- किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता अपने क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक-सह-सुरक्षा प्रदाता को प्रपत्र IX में अपने प्रतिष्ठान से संबंधित विवरणी प्रतिवर्ष भेजेगा ताकि यह उसके पास प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के पश्चात 1 फरवरी तक पहुंच जाएं, साथ ही इसकी एक प्रति महानिदेशक, श्रम ब्यूरो को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाए।

67. दुर्घटना एवं जोखिमकारी घटनाओं का रजिस्टर- संहिता की धारा 33 के खंड (क) के उप-खंड (v) द्वारा अपेक्षित दुर्घटना एवं जोखिमकारी घटनाओं का रजिस्टर प्रपत्र-X में रखा जाएगा।

68. धारा 33 के खंड (क) के अंतर्गत सवेतन अवकाश का रजिस्टर- (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान का अधिष्ठाता, एजेंट अथवा प्रबंधक प्रपत्र XI में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा मैनुअली अपने प्रत्येक कर्मचारी के सवेतन अवकाश का रिकार्ड रखेगा।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित रजिस्टर इसमें की गई अंतिम प्रविष्टि के पश्चात पांच वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा तथा उक्त अवधि की समाप्ति पर भी उसे नष्ट नहीं किया जाएगा जब तक की इसे समुचित ढंग से नए रजिस्टर में अंतरित नहीं किया गया हो।

अध्याय-VII

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता एवं अन्य प्राधिकारी

69. धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (x) के अंतर्गत किन्हीं वस्तुओं अथवा पदार्थों के सैंपल लेने की शक्ति— (1) कोई निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता प्रतिष्ठान के नियोक्ता को सूचित करके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल या नामोद्दिष्ट पोर्टल के अंतर्गत अधिदेशित निरीक्षण योजना के अनुसार किसी प्रतिष्ठान में सैंपल या पदार्थ लेगा तथा इस प्रकार लिए गए सैंपल, प्रतिष्ठान में प्रयुक्त अथवा प्रयोग किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी वस्तु या पदार्थ का पर्याप्त प्रतिदर्श होंगे, ऐसा प्रयोग होने पर -

(क) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता का यह मानना हो कि यह इस संहिता के किसी उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में है, अथवा

(ख) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के मत में प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी को शारीरिक चोट अथवा उसके स्वास्थ्य पर जोखिम आने की संभावना हो।

(2) जब निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता उप-नियम (1) के अंतर्गत सैंपल लेता है, तो वह उस उप-धारा के अंतर्गत सूचित व्यक्ति की उपस्थिति में जब तक कि ऐसा व्यक्ति जानबूझकर अपने आपको अनुपस्थित नहीं रखता है, सैंपल लेगा, सैंपल को तीन भागों में बांटेगा, प्रभावी ढंग से सील लगाएगा एवं समुचित ढंग से उन्हें मार्क करेगा, तथा उस व्यक्ति को भी अपनी सील एवं मार्क उस पर लगाने की अनुमति देगा।

(3) उपर्युक्तानुसार सूचित व्यक्ति, यदि निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता ऐसी अपेक्षा रखता है, तो इस नियम के अंतर्गत लिए गए सैंपल को बांटने, सील करने तथा मार्क करने हेतु उपकरण उपलब्ध कराएगा।

(4) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता -

(क) उपनियम (1) के अंतर्गत सूचित व्यक्ति को सैंपल का एक भाग तुरन्त देगा;

(ख) दूसरे भाग को विश्लेषण एवं उस पर रिपोर्ट हेतु किसी सरकारी विश्लेषक अथवा नेशनल एक्सीडिटेन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) को तुरन्त भेजेगा।

(ग) तीसरे भाग को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु रखेगा जिसके समक्ष उस पदार्थ के संबंध में कार्यवाहियां, यदि कोई हों, चलाई जाती हैं।

(5) इस नियम के अंतर्गत विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए उसे सौंपे गये किसी पदार्थ से किसी सरकारी विश्लेषक अथवा नेशनल एक्सीडिटेन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के अंतर्गत रिपोर्ट के लिए तात्पर्यित कोई दस्तावेज उस पदार्थ के संबंध में प्रारम्भ की गई किसी कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

70. धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (xiv) के अंतर्गत निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता की शक्तियां एवं कार्य - (1) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात्, जैसा आवश्यक माना जाए, जहाज के नियोक्ता अथवा अधिष्ठाता अथवा स्वामी अथवा मालिक अथवा प्रभारी अधिकारी अथवा उनके एजेंट को संहिता तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं विनियमों के तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी दशाओं के उपबंधों की अनुपालना नहीं करने का उल्लेख करते हुए प्रपत्र XII में प्रतिषेध अथवा सुधार नोटिस जारी करेगा।

(2) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, प्रत्येक निरीक्षण में यह पता लगाएगा कि किस सीमा तक पूर्ववर्ती निरीक्षण में अधिसूचित कमियों को दूर किया गया है तथा पूर्व में जारी किए गए नोटिसों का पालन किया गया है तथा उसके निष्कर्ष तथा निरीक्षण के दौरान सामने आयी कमियों के साथ-साथ संहिता अथवा इसके अंतर्गत निर्मित विनियमों के तहत उसके द्वारा पारित किए गए किसी आदेश को रिकार्ड किया जाएगा तथा उनका रख-रखाव किया जाएगा।

71. धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति- (1) चिकित्सा अधिकारी वह चिकित्सक होगा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) में दी गई परिभाषानुसार मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सा योग्यता रखता हो तथा जो इस अधिनियम की धारा 35, 36, 37 तथा 40 के खंड (ड) के अनुसार भारतीय चिकित्सा रजिस्टर तथा खंड (1) में दी गई परिभाषा के अनुसार राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित हो।

(2) चिकित्सा अधिकारी को केंद्र सरकार से विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त चैस्ट रेडियोग्राफ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) वर्गीकरण सहित व्यावसायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

72. धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के कार्य - (1) संहिता की धारा 42 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत संदर्भ प्राप्त होने पर, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा जांच हेतु तारीख, समय एवं स्थान से संबंधित पूर्व में नोटिस देकर तथा ऐसे परीक्षण हेतु भेजे गए कामगार की जांच करने पर, आयु एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति अपने पास रखकर उसे संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधक और कामगार को भेजेगा।

(2) चिकित्सा अधिकारी आयु निर्धारण के प्रयोजनार्थ रेडियोलोजिस्ट, दंत चिकित्सक, आर्थोपेडिक सर्जन जैसा भी मामला हो, जैसे विशेषज्ञों की राय ले सकता है।

(3) चिकित्सा अधिकारी केन्द्र सरकार के निदेशानुसार ऐसी जांच करेगा तथा निम्नलिखित रिपोर्ट देगा -

(क) संहिता की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्टानुसार ऐसे खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में प्रतिष्ठान के कामगारों की जांच एवं प्रमाणन;

(ख) की गई किसी प्रक्रिया की जोखिमकारी प्रकृति अथवा कार्य की जोखिमकारी दशा के कारण किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी का चिकित्सकीय पर्यवेक्षण हेतु जहां चिरकालिक व्यावसायिक बीमारी के मामले घटित हो चुके हैं;

(ग) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी अथवा प्रतिष्ठान के विवरण के संबंध में जिनमें कार्य संचालन में जिनमें नियोजित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के स्वास्थ्य पर हानि होने का जोखिम शामिल है; या

(घ) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी, जहां बीमारी के मामले सामने आ चुके हैं अथवा इस संहिता की तृतीय अनुसूची में यथानिर्धारित बीमारियां प्रचलित हैं, का व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना; या

(ङ) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी में नियोजन के लिए किशोर की आयु का पता लगाना तथा फिटनेस जारी करना।

73. धारा 43 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में महिलाओं का नियोजन – रात्रि के दौरान अथवा पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्व तथा अपराह्न 7 बजे के बाद महिलाओं के नियोजन हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा, नामतः

(क) महिला कर्मचारी की सहमति लिखित में ली जाएगी;

(ख) किसी भी महिला को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अंतर्गत निर्धारित प्रसूति लाभ के उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा;

(ग) महिला कर्मचारी को उसके आवास से लाने और ले जाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी;

(घ) शौचालय, बाँशरूम, पेयजल, प्रवेश एवं बाहर जाने के रास्ते जैसी सुविधाओं या सुविधा-केन्द्रों सहित कार्य स्थल पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए;

(ङ) शौचालय, बाँशरूम तथा पेयजल सुविधाएं ऐसे कार्य स्थल के पास ही होनी चाहिए जहां महिला कर्मचारी नियोजित हैं तथा इन सुविधाओं के रास्ते में क्लोज़्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) चौकसी की उपयुक्त व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराएंगी;

(च) सुरक्षित, संरक्षित एवं स्वस्थ कार्य दशाएं उपलब्ध करायी जाएं ताकि किसी भी महिला कर्मचारी को अपने नियोजन के संबंध में कोई हानि न हो;

(छ) प्रतिष्ठान में और साथ ही वाहनों के भीतर, दोनों स्थलों में प्रमुख स्थानों पर समर्पित दूरभाष संख्याएं प्रदर्शित की जाएंगी, ताकि कोई भी महिला कर्मचारी किसी आकस्मिकता या आपातस्थिति में उनका उपयोग कर सके।

(ज) भूमिगत खानों के मामले में, किसी स्थान पर न्यूनतम 3 महिला कर्मचारी झूटी पर होंगी।

(झ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं निराकरण) अधिनियम, 2013 (2013 का 14), जो प्रतिष्ठानों पर लागू हो, के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।

74. धारा 44 के अंतर्गत खतरनाक संचालनों में महिलाओं के नियोजन की पर्याप्त सुरक्षा – केन्द्र सरकार जोखिमकारी एवं खतरनाक प्रक्रियाओं में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठानों की श्रेणी एवं योजना, तथा मानकों को समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है।

अध्याय VIII

ठेका श्रम

75. धारा 47 की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत ठेकेदार की योग्यता एवं मानदंड – लाइसेंस प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु ठेकेदार को एक कंपनी के रूप में अथवा व्यक्तिगत रूप में अनुन्मुक्त दिवालिया अथवा गत दो वर्षों के दौरान किसी समय ऐसे अपराध का दोषी नहीं माना जाए जो तीन माह से अधिक के कारावास से दंडनीय हो।

76. धारा 47 की उप-धारा (3) के अंतर्गत लाइसेंस की शर्तें – (1) ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि:

(क) कार्य के घंटे धारा 25 से संबंधित इन नियमों के अनुरूप होंगे।

(ख) वेतन का भुगतान वेतन संहिता, 2019 (2020 का 29) के अनुसार किया जाएगा।

(ग) यदि ठेकेदार का ठेका कामगार प्रधान नियोक्ता के परिसर में कार्य कर रहा है तो शौचालय, बाँशरूम, पेयजल, नहाने की सुविधा यदि अपेक्षित हो, कपड़े बदलने का कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, कैंटीन एवं शिशुगृह जैसी सुविधाएं या सुख-साधन उपलब्ध कराना प्रधान नियोक्ता का उत्तरदायित्व होगा।

(घ) अन्य सभी सुविधाएं एवं पात्रताएं ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

(2) यदि ठेकेदार ठेका कामगार को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने में असफल रहता है, तो मुख्य श्रमायुक्त (कें.) अथवा उसका प्रतिनिधि बैंक गारंटी देकर ठेका कामगारों, जिन्हें भुगतान नहीं किया गया है, को नियम 76 के अंतर्गत जमा किए गए सुरक्षा जमा में से ऐसा भुगतान करवाएगा।

(3) ठेकेदार, ठेका कार्य ऑर्डर मिलने के 15 दिन के अंदर उस ठेका कार्य आर्डर के ब्यौरे के बारे में नियम 78 में विनिर्दिष्ट ढंग से सूचित करेगा।

77. धारा 48 की उपधारा (1) के अंतर्गत ठेकेदार लाइसेंस के लिए आवेदन का प्रपत्र एवं तरीका - किसी राज्य के भीतर ठेकेदार द्वारा लाइसेंस की स्वीकृति हेतु प्रत्येक आवेदन संहिता की धारा 119 में संदर्भित प्राधिकारी (एतदुपरांत इस अध्याय में प्राधिकारी के रूप में

संदर्भित) को प्रपत्र XII में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल या नामोद्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन ढंग से किया जाएगा।

78. धारा 47 की उप धारा (1) या उपधारा (2) अथवा धारा 119 की उपधारा (1) के अंतर्गत एक से अधिक राज्य अथवा सम्पूर्ण भारत के लिए ठेकेदार हेतु एकल लाइसेंस - (1) यदि कोई ठेकेदार निम्नलिखित के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का इच्छुक है:-

(i) ठेका श्रमिकों की आपूर्ति अथवा नियुक्ति; अथवा

(ii) एक से अधिक राज्य अथवा सम्पूर्ण भारत में धारा 47 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अंतर्गत ठेका कार्य लेता है या निष्पादित करता है, तो वह नामोद्दिष्ट प्राधिकारी को प्रपत्र-XII में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल या नामोद्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन करेगा।

(2) इस नियम के अंतर्गत एकल लाइसेंस के लिए आवेदन प्राधिकारी के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाएगा।

(3) प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य सरकार से इलैक्ट्रॉनिक रूप से परामर्श किया जाएगा, और यदि ऐसे पत्राचार के जारी होने की तारीख से तीस दिन के अंदर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो इस परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन किया गया मान लिया जाएगा।

(4) इस नियम के अंतर्गत सभी आवेदनों को ठेकेदार से आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर या तो अनुमोदित या अस्वीकृत किया जाएगा, जिस अवधि के बीतने पर यह मान लिया जाएगा कि इस पर कोई आपत्ति नहीं है और लाइसेंस उप-नियम (1) में संदर्भित पोर्टल पर स्वतः जारी हो जाएगा।

(5) इस प्रकार से जारी लाइसेंस की प्रति या प्रतियां उस राज्य सरकार को भेजी जाएंगी जिसके क्षेत्राधिकार में वह ठेका कार्य आता है और जिस कार्य के लिए लाइसेंस जारी किया गया है।

(6) इस नियम के अंतर्गत जारी लाइसेंस पांच वर्ष के लिए मान्य होगा।

79. लाइसेंस के प्रपत्र, निबंधन एवं शर्तें - (1) इस अध्याय के अंतर्गत प्रदान किया गया प्रत्येक लाइसेंस प्रपत्र-XIII में होगा।

(2) प्रदान किया गया अथवा नवीकृत प्रत्येक लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है, नामतः-

(i) यह लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा;

(ii) ठेकेदार द्वारा, किसी भी दिन, ठेका श्रमिकों के रूप में नियोजित कामगारों की संख्या लाइसेंस में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;

(iii) इन नियमों में यथा उपबंधित प्रावधानों को छोड़कर, लाइसेंस जारी करने एवं नवीकरण हेतु जमा की गई फीस, जैसा भी मामला हो, वापस नहीं होगी;

(iv) ठेकेदार द्वारा कामगारों को देय वेतन की दरें वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी तथा जहां समझौते, निपटान अथवा पंचाट द्वारा दरें निर्धारित की गई हैं, वहां ये दरें इस प्रकार निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी।

80. धारा 48 की उप-धारा (2) के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया -(1) इन नियमों में से किसी नियम के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने से पहले, ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक कामगार के लिए 1000/- रुपये की दर से गणना की गई राशि की बैंक गारंटी, जिनके संबंध में लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया है, लाइसेंस की शर्तों के निष्पादन हेतु प्राधिकार के साथ तथा संहिता के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन में ठेकेदार द्वारा जमा की जाएगी।

यदि ठेकेदार एक लाख अथवा अधिक किन्तु एक लाख पचास हजार से कम ठेका श्रमिकों को नियोजित करने का प्रस्ताव करता है तो सुरक्षा राशि 10 करोड़ रुपये होगी, एक लाख पचास हजार किन्तु दो लाख से कम ठेका श्रमिक नियोजित करने पर यह राशि 15 करोड़ रुपये होगी, दो लाख अथवा अधिक ठेका श्रमिक होने पर सुरक्षा राशि 20 करोड़ रुपये होगी।

(2) जहां जारी किये गए ठेका लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गयी है, उस मामले में प्रपत्र-XIII में आवेदक के अनुरोध के आधार पर प्राधिकारी नए लाइसेंस हेतु उसके आवेदन के लिए सुरक्षा जमा को उप नियम (1) के अंतर्गत समायोजित कर सकता है।

(3) लाइसेंस जारी करने के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क नीचे तालिका में यथा विनिर्दिष्टानुसार होगा, नामतः-

	49 ठेका श्रमिकों तक के लिए लाइसेंस अपेक्षित नहीं	शून्य
	50 तथा अधिक किन्तु 100 ठेका श्रमिकों से कम के लिए	1000 रुपये

	101 तथा अधिक किन्तु 300 ठेका श्रमिकों से कम के लिए	2000 रूपये
	301 तथा अधिक किन्तु 500 ठेका श्रमिकों से कम के लिए	3000 रूपये
	501 तथा अधिक किन्तु 1000 ठेका श्रमिकों से कम के लिए	5000 रूपये
	1001 तथा अधिक किन्तु 5000 ठेका श्रमिकों से कम के लिए	10000 रूपये
	5001 तथा अधिक किन्तु 10000 ठेका श्रमिकों से कम के लिए	20000 रूपये
	10001 तथा अधिक किन्तु 20000 ठेका श्रमिकों से कम के लिए	30000 रूपये
	20001 से अधिक ठेका श्रमिकों के लिए	40000 रूपये

81. धारा 48 के अंतर्गत लाइसेंस का नवीनीकरण – (1) प्रत्येक ठेकेदार लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु लाइसेंस प्राधिकारी को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल या अधिकृत पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन उप-नियम (1) में उल्लिखित पोर्टल पर लाइसेंस अवधि के समाप्त होने से कम से कम 30 दिन पहले जमा किया जाएगा, परन्तु यह आवेदन लाइसेंस के समाप्त होने के 90 दिन से पहले नहीं किया जाएगा।

(3) लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु देय शुल्क वही होगा जो नियम 74 के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए है।

परन्तु यदि लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन उप-नियम (2) में निर्दिष्ट समय के अंदर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे नवीनीकरण हेतु 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(4) संबंधित प्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह 7 दिनों के भीतर लाइसेंस का इलेक्ट्रॉनिक रूप से नवीनीकरण करे, ऐसा न होने पर लाइसेंस जारी किया हुआ और स्वसृजित माना जाएगा तथा इस असफलता की जिम्मेदारी ऐसे प्राधिकारी की होगी।

82. सुरक्षा जमा की वापसी- (1) लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर, यदि ठेकेदार अपने लाइसेंस को आगे नवीनीकृत नहीं करना चाहता, तो वह लाइसेंस और काम के पूरा होने की सूचना और बैंक विवरण जिसमें राशि वापस करना अपेक्षित है, उसकी प्रति के साथ उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा (बैंक गारंटी के रूप में) की वापसी के लिए प्राधिकरण को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन करे।

(2) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट है कि लाइसेंस की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है या सुरक्षा जमा या उसके किसी भी भाग को जब्त करने के लिए कोई आदेश नहीं है, तो वह आवेदक को सुरक्षा जमा की वापसी का निर्देश देगा।

(3) यदि ठेकेदार के सुरक्षा जमा के किसी भी हिस्से को जब्त करने का निर्देश देने वाला कोई आदेश है, तो जब्त की जाने वाली राशि को ठेकेदार के सुरक्षा जमा में से काट लिया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, ठेकेदार को उप नियम (1) के अंतर्गत आवेदन करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

(4) वापसी के लिए कोई भी आवेदन, जहां तक संभव हो, आवेदन करने के तीस दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।

83. धारा 48 की उप-धारा (4) के तहत ठेकेदार का दायित्व - (1) ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को देय मजदूरी की दरें वेतन संहिता 2019 (2019 का 29) के तहत निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी और जहां दरें समझौते, निपटान या पंचाट द्वारा तय की गई हैं, वहां इस प्रकार से निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी।

(2) उस स्थिति में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिक वाला अथवा उसी प्रकार का कार्य करते हैं, वहां ठेकेदार के कामगारों के लिए छुट्टियां, काम के घंटे और अन्य सेवा शर्तें प्रतिष्ठान के प्रमुख नियोक्ता द्वारा उसी अथवा समान कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम पर रखे गए श्रमिकों के समान होंगी। समान प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, इस मामले को संबंधित उप-मुख्य श्रमायुक्त (कें.) को संदर्भित किया जाए, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(3) अन्य मामलों में, ठेकेदार के ठेका श्रमिकों की मजदूरी की दरें, छुट्टियां, कार्य के घंटे और सेवा की शर्तें संहिता और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों में विनिर्दिष्टानुसार होंगी।

(4) सभी ठेका श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के संबंधित उपबंधों के अंतर्गत अनुप्रयोज्यता के अध्यक्षीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का सदस्य बनाया जाएगा।

(5) ठेकेदार इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइसेंसिंग प्राधिकारी को श्रमिकों की संख्या या काम की शर्तों में किसी भी बदलाव की सूचना देगा।

84. धारा 50 के तहत कार्य आदेश की सूचना और सूचना के लिए समय-सीमा - (1) प्रत्येक ठेकेदार अनुबंध कार्य आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अनुबंध के कार्य आदेश के बारे में प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसमें विवरण जैसे कि प्रधान नियोक्ता का नाम, उस परिसर का पता जहां काम किया जा रहा है, अनुबंध कार्य की शुरुआत की तारीख, उस कार्य आदेश के तहत नियोजित अनुबंध श्रमिकों की संख्या, कार्य आदेशों की अवधि शामिल होंगे।

(2) कार्य आदेश का विवरण ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उप-नियम (1) के अंतर्गत भेजा जाएगा।

(3) उप-नियम (1) के अंतर्गत सूचना मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) या उनके प्रतिनिधि को मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) की वेबसाइट पर यथाअधिसूचित श्रम सुविधा पोर्टल या नामोद्दिष्ट पोर्टल या ई-मेल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी भेजी जाएगी।

85. धारा 51 के तहत लाइसेंस का निरसन अथवा निलम्बन-(1) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट है कि लाइसेंस किसी महत्वपूर्ण तथ्य को बदल कर अथवा छिपाकर प्राप्त किया गया है अथवा यदि ठेकेदार उन शर्तों का अनुपालन करने में असफल हो गया है जिनके अध्यक्षीन लाइसेंस प्रदान किया गया अथवा ठेकेदार ने संहिता के अध्याय-XI के भाग-I के किसी उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी ठेकेदार को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ठेकेदार से उत्तर, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी उसकी जांच करेगा और यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लगता है कि ठेकेदार द्वारा इस ठेका व्यवसाय को जारी रखने से कामगारों का काफी नुकसान होगा, तो वह लाइसेंस के निरसन अथवा निलम्बन अथवा अन्यथा कार्रवाई के लिए कारणों को रिकार्ड करते हुए सकारण आदेश पारित कर सकता है तथा वह इलेक्ट्रॉनिक ढंग से या पंजीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा ठेकेदार को सूचित करेगा और इस आदेश की एक प्रति मुख्य श्रमायुक्त (कें.), संबंधित श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) तथा संबंधित राज्य प्राधिकारियों को पृष्ठांकित की जाएगी।

(2) यदि ठेकेदार ने निर्धारित समयावधि के अंदर संहिता के संबंधित उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी सकारण आदेश जारी करते हुए निलंबन को वापिस ले लेगा या अन्यथा निलंबन जारी रखा जाएगा।

(3) यदि ठेकेदार उप-नियम (1) में दिए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी इसके कारणों को रिकार्ड करते हुए तत्काल लाइसेंस के निरसन का आदेश पारित करेगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से या पंजीकृत डाक द्वारा या स्वीड पोस्ट द्वारा देगा। इस आदेश की प्रति इलेक्ट्रॉनिक ढंग से मुख्य श्रमायुक्त (कें.), संबंधित श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) तथा संबंधित राज्य प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी।

86. धारा 52 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपील: संहिता की धारा 52 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) होंगे।

87. धारा 55 के तहत वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी - (1) ठेकेदार वेतन की अवधि तय करेगा जिसके संबंध में वेतन देय होगा और कोई वेतन अवधि एक महीने से अधिक नहीं होगी।

(2) किसी प्रतिष्ठान में या किसी ठेकेदार द्वारा ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, जिसके संबंध में वेतन देय है, के वेतन का भुगतान वेतन अवधि के अंतिम दिन के बाद सातवें दिन की समाप्ति से पहले किया जाएगा।

(3) वेतन केवल बैंक अंतरण या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संवितरित किया जाएगा।

(4) ठेका श्रमिकों के वेतन का भुगतान किसी भी प्रकार की कटौती के बिना किया जाएगा, सिवाय इसके कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो या ठेकेदारों द्वारा ठेका श्रमिकों को मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के अंतर्गत अनुमत हो।

(5) ठेका श्रमिकों के वेतन के भुगतान के संबंध में मजदूरी की अवधि, तारीख और समय को दर्शाने वाला एक नोटिस कार्य-स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी एक प्रति ठेकेदार द्वारा मुख्य नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से पावती के तहत भेजी जाएगी।

(6) प्रत्येक ठेकेदार (पचास से कम ठेका श्रमिकों को नियोजित करने वाले ठेकेदारों सहित) अर्ध-वार्षिक विवरणी प्रपत्र-IX में भेजेगा ताकि यह संबंधित उप-मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अर्ध-वर्ष की समाप्ति के अर्थात् जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक 30 दिनों के भीतर पहुंच जाए।

(7) यदि ठेकेदार वेतन अवधि पूरी होने के 7 दिनों के भीतर ठेका श्रमिक को वेतन का भुगतान करने में विफल रहता है, प्रधान नियोक्ता आवश्यक कार्रवाई करेगा और 15 दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा नियोजित संबंधित ठेका श्रमिक को पूरी मजदूरी या अदत्त शेष राशि, जैसा भी मामला हो, का भुगतान करेगा एवं ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई राशि या तो किसी भी अनुबंध के तहत ठेकेदार को

देय किसी भी राशि से या ठेकेदार द्वारा देय ऋण के रूप में या प्रमुख नियोक्ता के पास पड़ी सुरक्षा जमा से कटौती करके वसूल की जाएगी।

(8) किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक प्रधान नियोक्ता अनुबंध के मामलों को छोड़कर दिए गए परिणाम को प्राप्त करने के लिए वार्षिक विवरणी को प्रपत्र-IX (भाग-III) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा ताकि प्राधिकरण और संबंधित उप-मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) तक वह प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में फरवरी माह के पहले दिन तक अवश्य पहुंच जाए।

88. धारा 55 की उपधारा (4) के अंतर्गत सुरक्षा जमा राशि से मजदूरी का भुगतान -(1) यदि ठेकेदार या प्रधान नियोक्ता उसके द्वारा नियोजित ठेका श्रमिक को मजदूरी का भुगतान नहीं करता है, तो संबंधित मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या उसके प्रतिनिधि या केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सक्षम अधिकारी इसकी जांच करेगा अथवा करवाएगा तथा ठेकेदार का पक्ष जानने के पश्चात ऐसी राशि का, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा सुरक्षा जमा के रूप में जमा की गई राशि से भुगतान करने का आदेश पारित करेगा। ठेकेदार ऐसे श्रम आयुक्त या प्रतिनिधि या सक्षम अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा पारित आदेश में विनिर्दिष्ट सुरक्षा जमा को पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर फिर से प्रस्तुत करेगा, अथवा अन्यथा उसका लाइसेंस निलंबित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

89. धारा 56 के अंतर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र - प्रत्येक संबंधित ठेकेदार मांग पर, ऐसे ठेका श्रमिक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अवधि, किए गए कार्य और अनुभव का विवरण देते हुए ठेका श्रमिक को फॉर्म-XIV में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा।

90. धारा 57 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत ठेका श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिषेध - यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी प्रतिष्ठान की कोई गतिविधि एक मुख्य गतिविधि अथवा अन्यथा है, तो पीड़ित पक्ष संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय को संबंधित दस्तावेजों के साथ कारण का उल्लेख करते हुए एक आवेदन कर सकता है एवं संयुक्त सचिव संबंधित पक्ष को सुनने के बाद आदेश पारित करेगा।

अध्याय-IX

अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार

91. धारा 61 के अंतर्गत अंतरराज्यिक प्रवासी कामगार को यात्रा भत्ता- नियोक्ता अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार को ट्रेन से (द्वितीय श्रेणी स्लीपर से कम नहीं) या बस से या किसी अन्य यात्री परिवहन के माध्यम से रोजगार के स्थान से गृह राज्य में उसके निवास स्थान तक आने एवं जाने की यात्रा के लिए किराए के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान करेगा, यदि उसने पूर्ववर्ती बारह महीनों में संबंधित प्रतिष्ठान में कम से कम एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए काम किया है;

परन्तु यात्रा भत्ता अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार को बारह महीनों में एक बार दिया जाएगा। यदि रोजगार की अवधि के बीच में अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार द्वारा अपना नियोक्ता बदल लिया जाता है और उसने अपने पिछले नियोक्ता से यात्रा भत्ता का लाभ नहीं उठाया है, तो अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर, नियोक्ता जहां अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार अब काम कर रहा है और ऐसे कामगार ने पूर्ववर्ती नियोक्ता के साथ बितायी अवधि सहित पिछले बारह महीनों में एक सौ अस्सी दिन पूरे कर लिए हैं, तो यात्रा भत्ता का भुगतान वर्तमान नियोक्ता करेगा।

92. धारा 63 के अंतर्गत अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की शुरूआत करना- श्रम और रोजगार मंत्रालय के महानिदेशक श्रम कल्याण संगठन द्वारा अंतर-राज्यीक प्रवासी कामगारों के प्रश्नों के समाधान और सुरक्षा के लिए एक टोल-फ्री हेल्प-लाइन नंबर प्रदान किया जाएगा।

93. धारा 64 के अंतर्गत अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों का अध्ययन- केंद्र सरकार अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले अध्ययनों की पहचान कर सकती है। जहां कहीं भी आवश्यक हो, केंद्र सरकार अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण में शामिल राज्य सरकार या विशेषज्ञ संगठनों से परामर्श कर सकती है।

अध्याय X

श्रव्य-दृश्य कामगार

94. धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अंतर्गत श्रव्य-दृश्य कामगारों के लिए समझौता- (1) निर्माता के साथ श्रव्य-दृश्य कामगारों के लिए समझौते का प्रारूप प्रपत्र-XV में विनिर्दिष्ट है। इस समझौते को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत किया जाएगा।

95. धारा 66 की उप-धारा (1) के अंतर्गत विवादों को सुलह अधिकारी या किसी न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए प्रक्रिया- इस विवाद को सुलह अधिकारी या किसी न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए प्रक्रिया औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुरूप होगी।

अध्याय -XI

खान

96. धारा 67 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रबंधक की योग्यता और नियुक्ति - कोई भी खान तब तक नहीं खोली जा सकती फिर से खोली जा सकती या काम नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास एक विधिवत रूप में नियुक्त प्रबंधक न हो, जिसके पास नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित योग्यताएँ हों, अर्थात्:-

तालिका

खान के प्रकार	हैन्डल की गई औसत सामग्री या आउटपुट या खान का उत्पादन	प्रबंधक के लिए अनिवार्य योग्यता
(1)	(2)	(3)
भूमिगत कोयला खान	(क) प्रतिमाह 2,500 टन से अधिक उत्पादन	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण-पत्र (कोयला)
	(ख) प्रतिमाह 2,500 टन तक उत्पादन	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र (कोयला) अथवा द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण-पत्र (कोयला)
ओपनकास्ट कोयला खान:	(क) प्रति माह 20,000 क्यूबिक मीटर से अधिक सामग्री का उपयोग	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (कोयला) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता का प्रमाण पत्र, केवल ऑपनकास्ट (कोयला) वाली खानों तक ही सीमित है।
	(ख) प्रति माह 20,000 क्यूबिक मीटर तक सामग्री का उपयोग	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (कोयला) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र, जो केवल ऑपनकास्ट (कोयला) वाली खानों तक ही सीमित है या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (कोयला) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र, जो केवल ऑपनकास्ट (कोयला) खानों तक ही सीमित है।
भूमिगत लौह धातु की खाने	(क) 1,250 टन से अधिक औसत उत्पादन।	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (धातु)।
	(ख) 1,250 टन तक औसत उत्पादन।	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (धातु) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (धातु)।
ओपनकास्ट लौह धातु की खाने	(क) प्रति माह 20,000 क्यूबिक मीटर से अधिक सामग्री का उपयोग	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (धातु) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र जो केवल ऑपनकास्ट (धातु) खानों तक ही सीमित है।
	(ख) प्रति माह 20,000 क्यूबिक मीटर तक सामग्री का उपयोग	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (धातु) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र जो केवल ऑपनकास्ट (धातु) वाली खानों तक ही सीमित है या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (धातु) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण पत्र जो केवल ऑपनकास्ट (धातु) वाली खानों तक ही सीमित है।
खान जिसमें ओपनकास्ट और भूमिगत दोनों कार्य किए जाते हैं	सभी कोयला और धातु की खाने	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (कोयला या धातु जैसा भी मामला हो)।
तेल की खाने	सभी तेल की खाने	केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्थान से भौतिकी या भू-भौतिकी या भू-विज्ञान या रसायन विज्ञान में इंजीनियरिंग या स्नातकोत्तर की डिग्री या

		डिप्लोमा और तेल की खानों में संचालन के प्रबंधन और पर्यवेक्षण में अनुभव है, यदि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो पंद्रह वर्षों तक की अवधि का और अन्य मामलों में दस वर्ष तक की अवधि का अनुभव हो।
--	--	--

97. धारा 68 के अंतर्गत कतिपय खानों में संहिता का लागू न होना.- धारा 35, 38, 40, 41 और 44 में शामिल उपबंधों को छोड़कर, संहिता के उपबंध इन खानों पर लागू नहीं होंगे -

(i) कोई खान या उसका कोई भाग जिसमें उत्खनन केवल भावी प्रयोजनों के लिए और न कि खनिज प्राप्त करने और उसके उपयोग और बिक्री के उद्देश्य से किया जा रहा है:

परंतु कि-

(क) इस तरह के किसी भी उत्खनन के संबंध में किसी भी दिन 20 से अधिक व्यक्ति नियोजित नहीं है;

(ख) उत्खनन की गहराई कहीं से भी उसके उच्चतम बिंदु से उसके निचले बिंदु तक छः मीटर से अधिक न हो या, कोयला उत्खनन के मामले में, पंद्रह मीटर से अधिक न हो; और

(ग) ऐसे उत्खनन का कोई भी भाग उपरिवर्ती सतह के नीचे न हो; या

(ii) कोई खान जिसमें कंकड़, मुर्रम, लेटराइट, बोल्टर, बजरी, शिंगल, साधारण रेत (माउल्लिंग रेत, कांच रेत या अन्य खनिज रेत को छोड़कर), सामान्य मिट्टी (केओलिन, चाइना मिट्टी, व्हाइट मिट्टी या फायर क्ले को छोड़कर) निर्माण पत्थर, स्लेट, रोड मेटल, भूमि, फुलर्स अर्थ, मार्ल, चाक और चूना-पत्थर का उत्खनन होता है:

परंतु कि-

(क) इस कार्य का विस्तार आस-पास के भूमिगत कार्यों के लिए नहीं होता है।

(ख) जहां यह एक ओपन कास्ट कार्य हो -

(i) उत्खनन के गहराई को उच्चतम बिन्दु से निम्नतम बिन्दु तक मापने पर यह छः मीटर से अधिक न हो।

(ii) किसी दिन नियोजित व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक न हो; और

(iii) उत्खनन के कार्यों में विस्फोटक का उपयोग न किया गया हो।

(2) जैसे ही कोई प्रतिष्ठान खान बन जाता है तो खान का नियोजित खान के रूप में परिवर्तित होने की तिथि के सात दिनों के भीतर निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस देगा।

(3) उप नियम (1) में उल्लिखित अन्य बातों के होते हुए, केंद्र सरकार को ऐसे खान अथवा उसके किसी भाग पर ऐसी शर्तों को लागू करने के लिए संहिता के सभी प्रावधानों को विनिर्दिष्ट करने के लिए लिखित आदेश की अपेक्षा हो सकती है।

98. धारा 70 की उपधारा (3) के तहत आरंभिक और आवधिक चिकित्सीय जांच:(1) प्रत्येक खान का अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक इसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था करेगा -

(क) एक खान में रोजगार पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्रारंभिक चिकित्सा जांच; और

(ख) एक खान में वार्षिक रूप से कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति की आवधिक चिकित्सीय जांच।

(2) यदि चिकित्सा जांच प्राधिकारी धूल से संबंधित बीमारी के एक संदिग्ध मामले की पुष्टि करना आवश्यक समझे तो आवधिक चिकित्सा परीक्षण या एक्स-रे परीक्षा या दोनों, और लगातार अंतराल पर आयोजित की जाएंगी।

99. जांच प्राधिकारी - (1) नियम 92 में संदर्भित चिकित्सा परीक्षण, खान के अधिष्ठाता के रोजगार में एक योग्य चिकित्सक द्वारा या खानों के समूह के अधिष्ठाताओं द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामोदित या किसी भी सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) केंद्र सरकार द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त चेस्ट रेडियोग्राफ़ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) वर्गीकरण सहित व्यावसायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में परीक्षा प्राधिकरण को प्रशिक्षित किया जाएगा।

100. **चिकित्सा जांच की सूचना -** (1) प्रारंभिक चिकित्सा जांच के संबंध में, अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक को मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (केन्द्रीय) द्वारा ऐसे प्रपत्र में अधिसूचित किए जाने वाले परीक्षणाधीन व्यक्ति को लिखित में कम से कम सात दिन पूर्व सूचना दी जाएगी एवं जारी किए गए ऐसे प्रत्येक नोटिस की एक प्रति अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक द्वारा परीक्षण प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

(2) समय-समय पर आवधिक चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में प्रबंधक को मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले व्यक्ति को लिखित में कम से कम बीस दिन पूर्व सूचना देगा एवं जारी किए गए ऐसे प्रत्येक नोटिस की एक प्रति, अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक द्वारा परीक्षण प्राधिकारी को पिछले मेडिकल प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ ही संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाएगी।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी उचित कारण के लिए, उसे जारी किए गए नोटिस के अनुसार चिकित्सा जांच के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे प्रपत्र में दस दिनों की न्यूनतम अवधि का दूसरा नोटिस दिया जाएगा, प्रबंधक द्वारा ऐसे नोटिस की एक प्रति प्रत्येक परीक्षण प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

(4) जांच प्राधिकारी दूसरी सूचना में चिकित्सा जांच के लिए निर्धारित तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्रबंधक को सूचित करेगा कि संबंधित व्यक्ति चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित हुआ है या नहीं।

101. **चिकित्सीय जांच कराने में विफलता—** जो व्यक्ति बिना उचित कारण के स्वयं को चिकित्सा जांच के लिए प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उसे जारी किए गए नोटिस के अनुसार सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा;

यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति जो स्वयं को चिकित्सा जांच के लिए प्रस्तुत करने में विफल होने पर इस आरोप से मुक्त होने के लिए उसे यह दिखाने की आवश्यकता होगी कि वह उस समय के भीतर नोटिस का अनुपालन क्यों नहीं कर सका और यदि उसका स्पष्टीकरण प्रबंधन द्वारा संतोषजनक पाया जाता है तो उसे चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित होने का एक और मौका दिया जाएगा। यदि प्रबंधन द्वारा उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो प्रबंधन द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी;

102. **चिकित्सा परीक्षण की मानक और रिपोर्ट-** (1) प्रारंभिक चिकित्सा जांच का आयोजन करने वाले प्राधिकारी मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले प्रपत्र -Vक में निर्धारित मानकों के अनुसार किसी व्यक्ति की जांच करेंगे।

(2) समय-समय पर चिकित्सा परीक्षण करने वाला जांच प्राधिकारी प्रपत्र- Vक में दिए गए मानकों के अनुसार किसी व्यक्ति की जांच करेगा।

(3) परीक्षणों के बाद, जितनी जल्दी हो सके, चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट की प्रति मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले प्रपत्र में संबंधित व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा जारी की जाएगी या पावती के तहत वितरित की जाएगी और दूसरी प्रति स्वामी, एजेंट या संबंधित खान के प्रबंधक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा जारी या पावती के तहत वितरित की जाएगी।

(4) जांच प्राधिकारी वास्तविक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में चिकित्सा प्रमाण-पत्र की तीसरी प्रति को अपने पास रखेगा।

(5) व्यक्ति की आवधिक चिकित्सीय जांच के मामले में, जांच प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति के चिकित्सा जांच की पिछली रिपोर्टों की प्रति संबंधित खान के प्रबंधक को वापस भेज देगा।

103. **चिकित्सा प्रमाण- पत्रों का प्रतिधारण और हस्तांतरण-** (1) सभी चिकित्सा जांच की रिपोर्टों जिसमें पूर्व चिकित्सा संबंधी विवरण और नौकरी के विवरण के साथ सभी मेडिकल जांच रिकॉर्ड शामिल हैं, जो एक खान में नियोजित या नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की व्यवसायजनित धूल से प्रभावित होने के जोखिम प्रोफ़ाइल को दर्शाती हैं, उसे खान के प्रबंधक द्वारा, जब तक वह व्यक्ति खान में कार्यरत है और उसके बाद भी पांच साल की अवधि तक अपने पास प्रतिधारित करेगा:

परंतु कि किसी खान का प्रबंधक, जहां ऐसा कोई व्यक्ति कार्यरत है अथवा था, तो किसी अन्य खान के प्रबंधक द्वारा अनुरोध किए जाने पर जहां व्यक्ति को नियोजित किया जाना है, ऐसे व्यक्ति के संबंध में उसे चिकित्सा जांच की सभी रिपोर्टों को भेजेगा।

(2) यदि किसी खान में नियोजित या नियोजित होने वाले व्यक्तियों की चिकित्सा जांच करने वाले जांच प्राधिकारी को चिकित्सा जांच के संबंध में अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसा जांच प्राधिकारी अपने कब्जे में चिकित्सा परीक्षण के सभी रिकॉर्ड संबंधित खान के प्रबंधक को हस्तांतरण कर देगा।

104. उम्मीदवारों की पहचान- जांच प्राधिकारी, चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रतियों पर चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के आधार नंबर और हस्ताक्षर को रिकॉर्ड करेगा।

105. **महिलाओं की चिकित्सा जांच-** किसी महिला कर्मचारी की जांच अधिमानतः महिला चिकित्सक द्वारा की जाएगी और यदि कोई योग्य महिला चिकित्सा व्यवसायी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी महिला कर्मचारी का किसी अन्य महिला की उपस्थिति में योग्य पुरुष चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय जांच किया जाएगा।

106. **पुनः जांच हेतु अपील -** (1) जहां प्रारंभिक चिकित्सा जांच या आवधिक चिकित्सा जांच के परिणामस्वरूप, किसी व्यक्ति को खानों में या विशेष श्रेणी की खानों में या किसी विनिर्दिष्ट कार्य में रोजगार के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो तो वह प्रमाण-पत्र की एक प्रति के द्वारा रसीद प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, प्रारंभिक चिकित्सा जांच के मामले में अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक के पास एवं आवधिक चिकित्सा जांच के मामले में खान के प्रबंधक के पास पूर्वोक्त घोषणा के विरुद्ध अपील कर सकता है और नियम 100 के अंतर्गत गठित अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पुनःचिकित्सा परीक्षा के लिए अनुरोध कर सकता है।

(2) (क) प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण के मामले में अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक, और आवधिक चिकित्सा परीक्षण के मामले में खान प्रबंधक अपील प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपीलीय चिकित्सा बोर्ड के संयोजक को अपील अग्रेषित करेंगे।

(ख) अपीलीय चिकित्सा बोर्ड के संयोजक, यदि अपीलकर्ता को पुनः चिकित्सा परीक्षा के लिए फिट घोषित किया जाता है, तो चिकित्सा पुनः परीक्षा के अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक और अपीलकर्ता को भी कम से कम पंद्रह दिन पूर्व सूचना देनी होगी।

(ग) कोई व्यक्ति जो किसी भी उचित कारण के लिए अपने आप को एक चिकित्सा जांच के लिए प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उसे कम से कम सात दिन पहले एक और नोटिस दिया जाएगा।

(3) अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रत्येक मेडिकल की पुनः जांच के संबंध में अपीलकर्ता ऐसे शुल्क का भुगतान करेगा और मेडिकल जांच अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित विधि से आयोजित की जाएगी। यदि अपीलीय मेडिकल बोर्ड उसे खानों में रोजगार के लिए उपयुक्त पाता है, तो खान के अधिष्ठाता द्वारा उल्लिखित अपीलकर्ता के पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जहां वह कार्यरत है।

107. **अपीलीय मेडिकल बोर्ड का गठन -** अपील पर पुनःचिकित्सा जांच के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित तरीके से अपीलीय चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाएगा, अर्थात्: -

(क) एक निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता (व्यावसायिक स्वास्थ्य), जो अपीलीय चिकित्सा बोर्ड के संयोजक के रूप में भी कार्य करेगा।

(ख) चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में विधिवत रूप से अर्हता प्राप्त दो योग्य चिकित्सक और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सरकारी उपक्रम के नियोजन में मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा यथानामित।

परंतु कि यदि अपीलीय चिकित्सा बोर्ड की राय है कि विशिष्ट मुद्दों के लिए ऐसे विशेषज्ञ से परामर्श करना आवश्यक है, तो संयोजक किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक का सह-चयन कर सकता है।

108. **अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पुनः चिकित्सा जांच का मानक और रिपोर्ट -** (1) अपीलीय चिकित्सा बोर्ड, निम्नलिखित अधिसूचित मानकों के अनुसार अपीलकर्ता की चिकित्सकीय जांच करेगा, -

(क) प्रारंभिक चिकित्सा जांच के लिए प्रपत्र-Vक में निर्धारित मानकों के अनुसार और

(ख) आवधिक चिकित्सा जांच के लिए प्रपत्र-Vक में निर्धारित मानकों के अनुसार

(2) पुनःचिकित्सा जांच का प्रमाण पत्र निम्नलिखित को जारी किया जाएगा -

(क) आवधिक चिकित्सा जांच के मामले में खान के प्रबंधक को;

(ख) प्रारंभिक चिकित्सा जांच के मामले में अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक को; और

(ग) अपीलकर्ता को;

(3) चिकित्सा प्रमाण पत्र की एक प्रति संयोजक के पास रखी जाएगी।

109. **अयोग्य व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जाना** - (1) जहां, एक प्रारंभिक चिकित्सा जांच या आवधिक चिकित्सा जांच के परिणामस्वरूप, खानों में या उसकी किसी विशेष श्रेणी में या उसकी किसी भी विनिर्दिष्ट श्रेणी में रोजगार के लिए अयोग्य घोषित किए गए किसी व्यक्ति को, उसकी चिकित्सा जांच की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के बाद ऐसे व्यक्ति को खान में नियोजित नहीं किया जाएगा या नियोजन जारी नहीं रखा जाएगा या खानों की श्रेणी में या विनिर्दिष्ट कार्यों पर नियोजित नहीं रहेगा जब तक कि उसने घोषणा के विरुद्ध अपील दायर नहीं की हो।

(2) जहां संबंधित व्यक्ति ने अपील दायर की है, लेकिन अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा, पुनः चिकित्सा जांच के बाद, उसे खानों में या खानों की किसी विशेष श्रेणी में या खदानों में किसी विशेष संचालन के लिए अयोग्य घोषित किया गया है तो वह अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसकी पुनः चिकित्सा जांच की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति के बाद, खान में या खदानों की श्रेणी में या व्यक्ति, नियोजित नहीं होगा या खान में या खानों की श्रेणी में या निर्दिष्ट कार्यों पर नियोजित नहीं रहेगा विनिर्दिष्ट किए गए कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा या रखा नहीं जाएगा:

परंतु कि, यदि प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण या आवधिक चिकित्सा परीक्षण करने वाले योग्य चिकित्सक या रोजगार में पहले से ही व्यक्तियों की पुनः चिकित्सा जांच कर रहे अपीलीय चिकित्सा बोर्ड की राय में यदि जांच किए गया व्यक्ति की दिव्यांगता इस प्रकृति और प्रभाव का है कि उसके कारण उसके कर्तव्यों के सामान्य निर्वहन को गंभीरता से प्रभावित या बाधित नहीं करेगा, तो उसे खान में छह महीने तक की अवधि के लिए रोजगार में बने रहने की सिफारिश कर सकता है, इस अवधि के दौरान ऐसा व्यक्ति अपनी निःशक्तता को ठीक कर सकता है या नियंत्रित कर सकता है और स्वयं को दूसरी चिकित्सा परीक्षण के लिए प्रस्तुत कर सकता है और उसे फिट घोषित किया जा सकता है।

110. **चिकित्सा परीक्षण की लागत**- अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण के बाद व्यक्ति को खानों में रोजगार के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के मामले को छोड़कर, इन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक चिकित्सा जांच का पूरा खर्च संबंधित खान के मालिक द्वारा वहन किया जाएगा।

111. **धारा 71 के तहत नियोजन की अवधि और सीमा से छूट**-(1) संहिता की धारा 71 के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित व्यक्तियों को धारा 25 की उप-धारा (1), धारा 26 की उप-धारा (1), धारा 30 और धारा 31 की उप-धारा (1) के उपबंधों से छूट दी जाएगी। अर्थात्-

(क) किसी गोपनीय क्षमता में नियोजित पर्यवेक्षण या प्रबंधन या जैसे अन्य पद की स्थिति धारण करने वाला व्यक्ति;

(ख) प्रबंधक, उप-प्रबंधक, स्थापना प्रबंधक, अग्निशमन अधिकारी, भूमिगत प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, वेंटिलेशन अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रुमेंटेशन और संचार अधिकारी;

(ग) खनन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर;

(घ) तेल खानों में ओवरमैन, फोरमैन, सरदार, सहयोगी और पर्यवेक्षक;

(ङ.) मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फोरमैन और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर;

(च) सर्वेक्षक और सहायक सर्वेक्षक;

(छ) योग्य चिकित्सक, ड्रेसर, कंपाउंडर, केमिस्ट, पारखी, धातुकर्मी और कल्याण या कार्मिक अधिकारी; तथा

(ज) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (केन्द्रीय) की राय में कोई अन्य व्यक्ति जो पर्यवेक्षण या प्रबंधन की क्षमता रखता हो।

112. धारा 72 के तहत बचाव स्टेशन की स्थापना और स्थान: (1) मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता (कें.) भूमिगत खान या भूमिगत खदानों के समूह के मालिक को ऐसे डिजाइन और विशिष्टताओं के साथ और अधिष्ठाता के परामर्श से यथा सुविचारित आवश्यक ऐसे स्थान या स्थानों पर बचाव स्टेशन स्थापित करने और उनका रख-रखाव करने की अनुमति दे सकता है या अपेक्षा कर सकता है।

परंतु कि जहाँ एक से अधिक अधिष्ठाताओं से संबंधित भूमिगत खान हों, वहाँ मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता संयुक्त रूप से एक सामान्य बचाव स्टेशन स्थापित करने के लिए दो या अधिक अधिष्ठाताओं को अनुमति दे सकते हैं या अपेक्षित है: बशर्ते कि इस नियम के लागू होने की तिथि तक सभी मौजूदा बचाव स्टेशन, उस तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्य करना जारी रखेंगे।

(2) प्रत्येक बचाव स्टेशन पर एक अधीक्षक और कम-से-कम दो प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और अठारह बचाव प्रशिक्षितों के बचाव ब्रिगेड को भी रखा जाएगा।

(3) यदि बचाव स्टेशन पर अधीक्षक की अनुपस्थिति 60 दिन से अधिक हो जाती है, तो अधिष्ठाता किसी अन्य अधीक्षक की नियुक्ति करेगा।

(4) अधिष्ठाता, अधीक्षक द्वारा पदभार संभालने या त्यागने के दिन ही, जहां खान स्थित है वहां के मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (कें.) और क्षेत्र के निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट से या पंजीकृत डाक से सूचित करेंगे।

113. **बचाव स्टेशनों के कार्य-** बचाव स्टेशन के कार्यों में शामिल होंगे: -

- (i) राहत और बचाव कार्य में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करना;
- (ii) प्रशिक्षित व्यक्तियों को बचाने के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना;
- (iii) प्रमुख दुर्घटनाओं या लंबे समय तक चलने वाले बचाव और वसूली कार्यों के मामले में अपनी बचाव टीमों और उपकरणों द्वारा सहायता प्रदान करना; तथा
- (iv) इन भूमिगत खानों के संबंध में जहाँ बचाव कक्ष नहीं है वहाँ बचाव कक्ष के कार्यों को निष्पादित करना।

114. **बचाव कक्षों की स्थापना और स्थान -** (1) प्रत्येक भूमिगत खान में, जहां 100 से अधिक व्यक्तियों को सामान्य रूप से भूमिगत कार्य में लगाया जाता है और इसके 35 किलोमीटर के दायरे में कोई बचाव स्टेशन नहीं है तो अधिष्ठाता प्रवेश द्वार के समीप एक बचाव कक्ष स्थापित करेगा और बनाए रखेगा।

परंतु कि जहां एक ही अधिष्ठाता से संबंधित कई खानों के लिए एक ही बचाव कक्ष उपलब्ध कराना पर्याप्त है: -

(क) ऐसी सभी खानों के भूमिगत कार्य में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या 5,000 से अधिक न हो; तथा

(ख) खदानें 35 किलोमीटर के दायरे में स्थित हो और बचाव-कक्ष सड़क के साथ जुड़ी हुई हो:

आगे यह उपबंध किया गया है कि मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता (कें.) खानों के किसी समूह के अधिष्ठाता को जहां भूमिगत कार्य में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या 5,000 से अधिक है वहां बचाव कार्य के प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यों को छोड़कर बचाव कक्ष के रूप में बचाव स्टेशन का उपयोग करने की अनुमति दे सकता है, यदि ऐसे बचाव कक्ष में-

- (i) अपेक्षित अतिरिक्त बचाव उपकरण से लैस, जिसमें कम से कम दो घंटे श्वास लेने के उपकरण वाले 15 अतिरिक्त सेट शामिल हैं; तथा
- (ii) प्रशिक्षकों की योग्यता, अनुभव और अन्य अपेक्षाएं रखने वाले किसी व्यक्ति के प्रभार के तहत और न्यूनतम पाँच बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति रखे गए हैं, तो उनमें से कम-से-कम एक व्यक्ति बचाव कक्ष प्रभारी की योग्यता, अनुभव इत्यादि धारण करेगा।

(2) प्रत्येक बचाव कक्ष में, आवश्यक संख्या में बचाव हेतु प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है, जिनमें से एक के पास बचाव कक्ष प्रभारी की योग्यता, अनुभव आदि होगा, जिसे बचाव कक्ष का प्रभारी बनाया जाएगा। बचाव कक्ष में कम-से-कम बचाव के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति हमेशा उपस्थित रहेगा।

115. **बचाव कक्ष के कार्य -** भंडारण, संग्रहण, परीक्षण और श्वास तंत्र और अन्य बचाव उपकरणों और उपकरणों के समायोजन और खानों तक उनके त्वरित परिवहन के लिए एक बचाव कक्ष ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा।

116. **अधीक्षक की योग्यता, अनुभव आदि-** कोई व्यक्ति तब तक अधीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि -

- (i) वह बचाव कार्य में प्रशिक्षित न हो;
- (ii) उसके पास खानों के भूमिगत कार्य में 5 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव न हो; तथा
- (iii) वह एक प्रकार के कार्य में प्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र रखता हो, जो केवल खुले कास्ट कामकाज के लिए प्रतिबंधित न हो।

117. प्रशिक्षकों की योग्यता, अनुभव आदि- इन नियमों के लागू होने पर किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह -

- (i) बचाव हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति न हो;
- (ii) खानों में भूमिगत कार्य करने का उसके पास 3 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव न हो; तथा

(iii) इस प्रकार का प्रबंधक प्रमाण-पत्र रखता हो जो खुले कास्ट कार्यों के लिए प्रतिबंधित न हो।

118. **बचाव स्टेशनों पर पोस्टिंग के लिए बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों का चयन -** (1) इन नियमों के लागू होने के बाद बचाव कक्ष पर पोस्टिंग के लिए बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को उन खदानों में कार्यरत व्यक्तियों में से ऐसे खानों के प्रबंधकों के परामर्श से अधीक्षक द्वारा बचाव स्टेशन पर बचाव कार्य के लिए चुना जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के तहत चुने गए व्यक्ति को कम-से-कम एक वर्ष और किसी एक समय में बचाव स्टेशन पर पांच वर्ष से अधिक नहीं तैनात किया जाएगा।

119. **बचाव कक्ष प्रभारी की योग्यता, अनुभव आदि-** कोई व्यक्ति तब तक बचाव कक्ष प्रभारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह-

(i) एक बचाव हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति न हो;

(ii) खानों में भूमिगत कार्य का 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव न रखता हो; तथा

(iii) एक प्रबंधक का, ओवरमैन या फोरमैन का प्रमाण-पत्र, जो खुले कास्ट कामकाज के लिए प्रतिबंधित नहीं है, न रखता हो।

120. **उपकरण -** (1) प्रत्येक बचाव स्टेशन पर केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित तत्काल उपयोग वाले उपकरण और उपस्करों का प्रावधान और रख-रखाव किया जाएगा,

(2) प्रत्येक बचाव कक्ष में केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित तत्काल उपयोग वाले उपकरण और उपस्कर का प्रावधान और रख-रखाव किया जाएगा।

(3) भूमिगत खान में जहाँ कोई बचाव कक्ष नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित उपकरण और उपस्कर का प्रावधान और उनका रख-रखाव खान के प्रवेश द्वार पर किया जाएगा।

(4) एक बचाव कक्ष पर स्व-श्वसन उपकरण प्रदान की जाएगी और इसके अंतर्गत बचाव कमरे में एक ही प्रकार और स्वरूप के उपकरण होंगे।

(5) उप-नियम (1), (2) और (3) के अनुसरण में दिए गए निम्नलिखित उपकरण और उपस्कर मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (केन्द्रीय) द्वारा अनुमोदित स्वरूप या मानक के समान होंगे: -

(क) श्वास उपकरण;

(ख) एक ही उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हेलमेट और उपकरण;

(ग) पुनर्जीवन उपकरण;

(घ) विद्युत सुरक्षा लैंप और लौ सुरक्षा लैंप;

(ङ.) गैस डिटेक्टर; तथा

(च) स्वयं को बचाने वाले उपकरण।

(6) सभी श्वास उपकरण और प्रत्येक प्रवाह मीटर को समायोजित और उसका परीक्षण किया जाएगा एवं श्वास तंत्र में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की शुद्धता का परीक्षण केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित प्रक्रिया से किया जाएगा।

(7) किसी बचाव उपकरण के उपयोग से उत्पन्न होने वाली भूमिगत खान में होने वाली दुर्घटना के मामले में, ऐसे दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर, मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता (कें.) और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को खान के प्रबंधक द्वारा केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित प्रपत्र में एक लिखित रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(8) बचाव स्टेशन या बचाव कक्ष में किसी दुर्घटना के मामले में किसी बचाव उपकरण के उपयोग से उत्पन्न होने वाली घटना इस तरह के दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता (कें.) और निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता को अधीक्षक द्वारा केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित प्रपत्र में एक लिखित रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(9) समाप्ति तिथि के बाद उपयोग के लिए किसी भी बचाव स्टेशन, बचाव कक्ष या भूमिगत खान में कोई अवशोषक शुल्क, रसायन, स्वयं-बचाव उपकरण और गैस डिटेक्टर ठूब नहीं रखे जाएंगे, जो उनके बक्से पर स्पष्ट रूप से चिह्नित होंगे।

121. **अधीक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व -** (1) अधीक्षक बचाव स्टेशन और ऐसे बचाव स्टेशन द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले बचाव कक्षों के समग्र नियंत्रण में होगा।

(2) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि बचाव केंद्र, बचाव कक्ष और उसके नियंत्रण में भूमिगत खानों के प्रवेश द्वार पर रखे गए सभी बचाव उपकरण :

(क) सही कार्य क्रम में रखे गए हैं;

(ख) उनका विनिर्दिष्ट अंतराल पर प्रशिक्षकों द्वारा निरीक्षण किया गया; और

(ग) उनके अनुसार परीक्षण और समायोजन किया जाता है।

(3) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि बचाव के उपकरण और अपस्कर को सही कार्य क्रम में बनाए रखने के लिए पुर्जे और आपूर्ति का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए।

(4) अधीक्षक रखे गए अभिलेखों पर प्रति हस्ताक्षर करेगा।

(5) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए चुने गए व्यक्ति और पुनश्चर्या प्रशिक्षण से गुजरने वाले व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित निर्देशों और प्रथाओं के पाठ्यक्रम प्राप्त करें और उसी के लिए प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।

(6) अधीक्षक अपने नियंत्रण में बचाव कक्ष और उपकरण और अपस्कर का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे।

(7) भूमिगत खान में आपातकालीन स्थिति में, अधीक्षक जैसा कि प्रबंधक द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में सतह पर मौजूद प्रमुख अधिकारी द्वारा सौंपे गए इस तरह के बचाव और वसूली का कार्य करेगा वह निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (केंद्रीय) को बचाव या पुनर्प्राप्ति कार्य पूरा होने के चौबीस घंटे के भीतर एक दैनिक रिपोर्ट और एक पूरी रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक या स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा भेजेगा।

(8) अधीक्षक एक जिल्दसाज की हुई पुस्तक के रूप में एक डायरी का रख-रखाव करेगा और उसके प्रत्येक निरीक्षण के परिणामों और निरीक्षण के दौरान पाए गए त्रुटियों को सुधारने के लिए उसके द्वारा की गई कार्रवाई को रिकॉर्ड करेगा।

122. **अनुदेशकों के कर्तव्य -** (1) अधीक्षक के निर्देशन में अनुदेशक -

(क) बचाव और रिकवरी कार्य में प्रशिक्षण के लिए चुने गए व्यक्तियों को निर्देश और साथ ही प्रशिक्षित व्यक्तियों को बचाने और एक रिकॉर्ड रखने के लिए प्रक्रियाओं का निर्देश प्रदान करेगा और; तथा

(ख) बचाव उपकरणों का निरीक्षण, परीक्षण और समायोजन करेगा और उसके बाद रिकॉर्ड का रख-रखाव करेगा।

(2) जमीन के नीचे की खान में आपात स्थिति की स्थिति में, अनुदेशक ऐसे बचाव और पुनरुत्थान का कार्य करेगा जो उसे प्रबंधक द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में सतह पर उपस्थित प्रधान अधिकारी द्वारा सौंपा गया हो।

(3) प्रशिक्षक अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना बचाव केंद्र नहीं छोड़ेगा।

(4) अधीक्षक की अनुपस्थिति में प्रशिक्षक बचाव स्टेशन का प्रभारी होगा।

123. **बचाव कक्ष प्रभारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ -** प्रत्येक बचाव कक्ष प्रभारी -

(क) मुख्य रूप से उन खानों की एक सूची प्रदर्शित करेगा, जहां पर उसके बचाव कक्ष ने बचाव कार्य किए हैं;

(ख) बचाव कक्ष में रखे गए उपकरण और अपस्कर को सही बनाए रखेगा;

(ग) बचाव कक्ष में रखे गए सभी बचाव उपकरणों और अपस्करों का तथा किए निरीक्षण का एक उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगा; तथा

(घ) किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा और न ही किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को बचाव कक्ष से किसी भी उपकरण या अपस्कर को बाहर निकालने देगा।

124. **बचाव स्टेशन पर तैनात बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों के कर्तव्य -** बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति -

(क) अधीक्षक और अनुदेशक के आदेश का पालन करेगा और उनके कार्यों के निर्वहन में उनकी सहायता करेगा;

(ख) संदेश, टेलीफोन कॉल और वायरलेस को सुनेगा और उनका रिकॉर्ड बनाए रखेगा;

(ग) बचाव स्टेशन को साफ सुथरी स्थिति में बनाए रखेगा;

(घ) बचाव स्टेशन पर रखे गए उपकरण और उपस्कर को सही क्रम में बनाए रखेगा;

(ङ.) खानों में बचाव और रिकवरी कार्य करेगा; तथा

(च) अधीक्षक से अनुमति प्राप्त किए बिना बचाव स्टेशन नहीं छोड़ेगा।

125. बचाव कक्ष परिचर का कर्तव्य - प्रत्येक बचाव कक्ष परिचर -

(क) किसी स्थानापन्न व्यक्ति द्वारा मुक्त होने तक बचाव कक्ष नहीं छोड़ेगा;

(ख) किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को बचाव कक्ष से किसी भी उपकरण या उपस्कर को अंदर ले जाने या अंदर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देगा;

(ग) टेलीफोन कॉल को सुनेगा और उसका रिकॉर्ड बनाए रखेगा;

(घ) बचाव कक्ष को साफ सुथरी स्थिति में बनाए रखेगा; तथा

(ङ.) बचाव कक्ष प्रभारी के आदेशों का पालन करेगा और उसके कार्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करेगा।

126. टेलीफोन संचार - (1) हर खान को खान के लिए बचाव कक्ष और बचाव स्टेशन के साथ टेलीफोन से जोड़ा जाएगा। जहाँ कहीं भी व्यावहारिक हो वायरलेस संचार उपलब्ध कराया जाएगा:

परंतु कि जहाँ कोई टेलीफोनिक संचार प्रणाली नहीं है, वहाँ मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (केंद्रीय), लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करें, संचार के किसी अन्य माध्यम को अनुमोदित कर सकता है।

127. बचाव ट्रेसिंग - (1) भूमिगत खान पर खान के कार्य-कलापों का कम से कम तीन पढे जाने योग्य ट्रेसिंग अद्यतन किया जाएगा, जो पिछले तीन माह से अधिक न हो। ट्रेसिंग खान में वेंटिलेशन की प्रणाली को दर्शाएगा और विशेष रूप से एयर-करंट की सामान्य दिशा वाली प्रत्येक बिंदु जहाँ हवा की मात्रा को मापा जाता है, प्रत्येक एयर-क्रॉसिंग, वेंटिलेशन-डोर स्टॉपिंग, बूस्टर फैन और हवा के नियमन और वितरण के लिए कोई अन्य प्रमुख उपकरण, फायर-डैम, प्रारंभिक रोक, प्रत्येक अग्निशमन उपकरण, प्रत्येक जल-बांध आयाम और निर्माण के अन्य विवरण, प्रत्येक पंपिंग, टेलीफोन और एम्बुलेंस स्टेशन, भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कमरे ज्वलनशील सामग्री, रिजर्व स्टेशन और प्रत्येक दुलाई और यात्रा मार्ग दर्शाया जाएगा।

128. बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की खानों में नियुक्ति, उनके कार्य और आवास- (1) भूमिगत खान का प्रबंधक, जहाँ 100 से अधिक व्यक्तियों को सामान्य रूप नियोजित किया जाता हो, यह सुनिश्चित करेगा कि कम से कम 5 बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति किसी भी समय सतह पर आसानी से उपलब्ध होंगे।

(2) भूमिगत खान का प्रबंधक, जहाँ 500 से अधिक व्यक्तियों को सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है, वह भी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों या उसके भाग के लिए एक व्यक्ति के पैमाने पर बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति हों।

(3) उपयुक्त आवास प्रदान करना अधिष्ठाता की जिम्मेदारी होगी: -

(i) अधीक्षक, प्रशिक्षकों और बचाव ब्रिगेड के सदस्यों के लिए बचाव स्टेशन के करीब;

(ii) बचाव कमरे के समीप बचाव कक्ष प्रभारी, बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति और बचाव में संलग्न परिचारकों के लिए; तथा

(iii) भूमिगत खानों के समीप, प्रवेश द्वार के पास उपर्युक्त (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए।

(4) बचाव के लिए तत्काल प्रशिक्षित व्यक्तियों को बुलाने के लिए निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित भूमिगत खान में प्रभावी घंटी या अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

129. बचाव कार्य में प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों का चयन - बचाव कार्य में प्रशिक्षण के लिए किसी व्यक्ति का तब तक चयन नहीं किया जाएगा, जब तक कि: -

(i) उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो और उसके पास सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत) के मानक का वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र है;

(ii) वह प्रबंधक द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उसके पास बचाव कार्य के लिए पर्याप्त भूमिगत अनुभव है;

(iii) वह केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित मानकों के अनुसार परीक्षा के बाद प्रबंधक द्वारा यथा नामोदित किसी योग्य चिकित्सक द्वारा प्रमाणित हो, कि वह किसी भी जैविक बीमारी या दुर्बलता से मुक्त है और बचाव कार्य करने के लिए फिट है; तथा

(iv) उसे बचाव स्टेशन के अधीक्षक द्वारा ऐसे जांच और साक्षात्कार के बाद, जैसा वह आवश्यक समझे, उसे श्वास उपकरण के साथ बचाव कार्य के लिए उपयुक्त माना जाए।

130. **अनुदेश और अभ्यास आदि** - (1) बचाव कार्य में प्रशिक्षण के लिए चुने गए प्रत्येक व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अनुदेशों और पद्धति पाठ्यक्रम को पूरा करेगा, जब तक कि वह उत्तीर्ण नहीं हो जाता है और उसे अधीक्षक द्वारा कुशलता प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता।

(2) बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अभ्यासों से गुजरेगा एवं अनुदेश प्राप्त करेगा।

(3) सभी व्यक्ति जो ऐसे अभ्यास से गुजर रहा है और अनुदेश प्राप्त कर रहा है का एक रिकार्ड, प्रत्येक बचाव स्टेशन पर रखा जाएगा। इन रिकार्ड में निम्न शामिल होंगे: -

(i) तिथि और प्रत्येक अभ्यास की प्रकृति;

(ii) अभ्यास के बाद प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा स्थिति और यदि उसकी स्थिति में कुछ भी असामान्य देखा गया हो, चाहे वह उपकरण के दोष के कारण हो या उस व्यक्ति में पाया गया हो; और

(iii) कोई अन्य संगत जानकारी।

131. **बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति की चिकित्सा जांच आदि**- प्रपत्र Vक में में यथा विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार प्रत्येक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति की प्रत्येक बारह महीनों में कम-से-कम एक बार प्रबंधक द्वारा यथा नामोदित एक योग्य चिकित्सक द्वारा पुनः जांच कराई जाएगी और यदि वह चिकित्सकीय रूप से अनफिट घोषित कर दिया जाता है, तो वह ऐसी घोषणा किए जाने की तिथि से वह एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं माना जाएगा।

132. **बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों का निलंबन** - यदि अधिष्ठाता, एजेंट, प्रबंधक या एक निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता की राय में एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति अक्षम है या अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में लापरवाही या कदाचार का दोषी है, तो अधिष्ठाता, एजेंट प्रबंधक या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति को लिखित स्पष्टीकरण देने का अवसर दिए जाने के बाद, उसे किसी भी बचाव और रिकवरी कार्य करने के लिए निलंबित किया जा सकता है या प्रतिबंधित किया जा सकता है।

133. **आपात स्थिति में प्रबंधक आदि के कर्तव्य** - (1) बचाव दल, प्रबंधक, या उसकी अनुपस्थिति में सतह पर मौजूद प्रधान अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता के लिए किसी भी आपात स्थिति की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल:

(क) आवश्यक सहायता के लिए खान की सेवा करने वाले बचाव कक्ष या बचाव स्टेशनों को सूचित करेगा;

(ख) खान में नियोजित बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति को बुलाएगा;

(ग) आस-पास की खानों के अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक को सूचित करेगा ताकि उसमें नियोजित बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाएं यदि आवश्यक हों, उपलब्ध हो सकें;

(घ) बचाव स्टेशन को घटनाक्रम के बारे में यह बताते हुए सूचित करेगा कि क्या बचाव स्टेशन से सहायता की आवश्यकता है या नहीं;

(ङ.) चिकित्सा सहायता के लिए सूचित करेगा; तथा

(च) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को घटनाक्रम की जानकारी भेजेगा।

(2) भूमिगत खान पर सभी बचाव और रिकवरी कार्य किए जाने वाले खान के प्रबंधक के नियंत्रण, निर्देशन और देख-रेख में या उसकी अनुपस्थिति में सतह पर मौजूद प्रमुख अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

परंतु कि किसी बड़ी आपातकालीन स्थिति में, जैसे कि इग्निशन, विस्फोट, बड़ी भूमिगत आग या एक दुर्घटना जिसमें कई व्यक्ति शामिल हैं, प्रबंधक या प्रमुख अधिकारी बचाव और रिकवरी कार्यों से संबंधित निर्णय प्रबंधन का एक वरिष्ठ अधिकारी, खान सुरक्षा महानिदेशक

का एक प्रतिनिधि, संबंधित बचाव स्थल और कामगारों की मान्यता प्राप्त यूनियन वाले एक समूह से मार्ग-दर्शन लेंगे, ताकि वह स्थिति को देखते हुए बिना प्रतीक्षा किए उक्त समूह के संविधान या विचार-विमर्श करने में देर किए बिना आवश्यक निर्णय लेने और कार्य के संचालन का निर्देश दे सकें।

134. **बचाव कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए भूमिगत खान में आवास** - जब भी भूमिगत खान में बचाव/ रिकवरी कार्य में बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति नियोजित किए जाते हैं, तो उन्हें उक्त कार्य हेतु उपकरणों के भंडारण एवं चार्जिंग करने के लिए ऐसे खान उपयुक्त आवास प्रदान किया जाएगा। उपयोग में आने वाले इस तरह के आवास प्रवेश द्वार के समीप एक सुविधाजनक स्थान पर स्थित होंगे और उचित रूप से हवादार और प्रकाशयुक्त होंगे। प्रत्येक बचावकर्मी के लिए ठंडे और पौष्टिक पेयजल और भोजन की पर्याप्त मात्रा प्रदान की जाएगी।

135. **बचाव या वसूली कार्य के लिए नीचे की जमीन की खदानों में प्रवेश** - (1) किसी भी व्यक्ति को भूमिगत खान या उस हिस्से में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो बचाव या रिकवरी कार्य में संलग्न होने के उद्देश्य से असुरक्षित है, जब तक कि प्रबंधक द्वारा सतह पर मौजूद खान के प्रमुख अधिकारी द्वारा उनकी अनुपस्थिति में इसके लिए अधिकृत न किया गया हो। केवल बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्व-निहित श्वास उपकरण का उपयोग करने के उद्देश्य से खान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

(2) बचाव या रिकवरी कार्य के दौरान, भूमिगत खान के प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति तैनात होंगे और ऐसे खानों में सभी व्यक्तियों को खान में प्रवेश करने और छोड़ने के समय का लिखित रिकॉर्ड रखेंगे।

136. **ताज़ी हवा वाले स्थान** - (1) जितनी जल्दी संभव हो, सुरक्षा परमिट के अनुसार अश्वसनीय क्षेत्र या क्षेत्रों के नजदीक ताज़ी हवा वाले स्थानों पर बेस या बेसेस स्थापित किए जाएंगे, यदि संभव हो तो प्रत्येक ऐसे स्थान को टेलीफोन द्वारा जोड़ा जाएगा:

(i) यदि आधार सतह से भूमिगत है; या

(ii) यदि आधार सतह के शाफ्ट तल पर है।

(2) ऐसे मामलों को छोड़कर, जिनमें देरी होने के कारण जीवन को खतरा हो सकता है, बचाव हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति किसी भी स्थान से आगे नहीं जाएगा, जहां किसी आधार को स्थापित किया जाता है और जब तक कि ऐसे आधार उपलब्ध नहीं कराए गए हों: -

(क) दो व्यक्ति, जिनमें से एक योग्य चिकित्सक होगा और यदि व्यावहारिक हो, बचाव हेतु एक अन्य प्रशिक्षित व्यक्ति होगा;

(ख) बचाव उपकरण के साथ तत्काल सेवा के लिए तैयार एक अतिरिक्त टीम;

(ग) एक या एक से अधिक पुनर्जीवन हेतु उपकरण, ऑक्सीजन रिवाइवर्स तथा अन्य उपकरण;

(घ) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और स्ट्रेचर,

(ङ.) कार्बन मोनोऑक्साइड के परीक्षण का साधन;

(च) एक हाइग्रोमीटर; और

(छ) दो फ्लेम सेफ्टी लैम्प।

(3) जब कभी भी व्यक्ति पहले से ही ताज़ी हवा वाले स्थान से दूर काम कर रहे हों, तो वहाँ पर उपस्थित व्यक्तियों के लिए यथाशीघ्र उपकरणों और उपस्करों को उपलब्ध कराया जाएगा।

137. **लीडर** - किसी खान में श्वसन उपकरण के साथ काम करने वाला प्रत्येक बचाव दल अधीक्षक द्वारा नियुक्त एक लीडर के अधीन होगा।

138. **लीडर को निर्देश** - बचाव दल को जमीन के भीतर भेजने से पहले, अधीक्षक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, टीम के लीडर को स्पष्ट निर्देश देगा कि वह टीम कहां जाएगी और क्या प्रयास करेगी।

139. **उपकरण का परीक्षण** - (1) जमीन के नीचे जाने से पहले लीडर रिसाव के लिए टीम के स्व-निहित श्वास उपकरण का परीक्षण करेगा अथवा परीक्षण की निगरानी करेगा।

जब तक यह उपकरण सुरक्षित नहीं पाया जाता है, तब तक ऐसे किसी उपकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा तथा लीडर अपनी पार्टी के उपकरणों की जांच करेगा और गैर-श्वसनीय वातावरण में प्रवेश करने से तुरंत पहले यह सुनिश्चित करेगा कि सभी श्वसन उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं।

140. **जमीन के नीचे लीडर के कर्तव्य** - (1) लीडर मैनुअल काम में संलग्न नहीं होगा।

(2) लीडर पूरी तरह से टीम को निर्देशित करने और अपनी सुरक्षा बनाए रखने पर ध्यान देगा। वह यात्रा के दौरान छूत और उसके आलम्ब की जांच करेगा और अगर सड़क के किनारे किसी भी जगह पर गिरने की संभावना है, तो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि टीम ने जगह को सुरक्षित नहीं बना दिया हो।

(2) लीडर टीम को एक साथ रखेगा और टीम के किसी भी सदस्य को भटकने नहीं देगा।

(3) यदि वातावरण साफ है, तो लीडर, दो या दो से अधिक रोडवेज के जंक्शन से गुजरते समय चाक द्वारा तीर के निशान के माध्यम से मार्ग को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा और यदि वातावरण धुंधला है, तो लीडर यह देखेगा कि एक लाइफ लाइन ताजी हवा के आधार से बिछाई जाएगी और टीम के किसी भी सदस्य को उस रेखा की पहुंच से बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा; या यदि वह प्रक्रिया अव्यवहार्य है, तो वह तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कि प्रत्येक सड़क मार्ग के शाखा मार्ग को पूरी तरह से घेर नहीं दिया जाता।

(4) बचाव उपकरण का उपयोग करते हुए लीडर एक घड़ी रखेगा जो 20 मिनट या ऐसे अंतराल पर संकुचित ऑक्सीजन के दबाव को रिकॉर्ड करेगा और पर्याप्त समय में वापसी की यात्रा शुरू करेगा। यात्रा के दौरान, वह सबसे धीमी गति से चल रहे सदस्य की गति को अपनाएगा, यदि टीम का कोई भी सदस्य संकट में है, तो तुरंत पूरी टीम के साथ ताजी हवा वाले स्थान पर वापस आ जाएगा।

(5) लीडर टीम के किसी भी सदस्य को श्वास उपकरण का उपयोग करने खान में किसी भी समय काम करने के लिए डेढ़ घंटे से अधिक समय तक या ऐसी अन्य किसी अवधि तक जो मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा श्वास-उपकरण के उपयोग के संबंध में निर्दिष्ट की गई हो, रहने की अनुमति नहीं देगा।

141. **बचाव दल के सदस्य और उनके कर्तव्य** - (1) किसी खान में श्वास उपकरण का उपयोग करने वाले किसी भी बचाव दल में व्यक्तियों की संख्या लीडर सहित पांच से कम और छह से अधिक नहीं होगी।

(2) यदि किसी आपात स्थिति में किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक बचाव दल के पास श्वास उपकरण का कोई प्रावधान नहीं है, तो टीम स्व-बचावकर्ता को ले जाएगी।

(3) बचाव दल के सदस्य, सामान्य तौर पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा में अधिसूचित निर्धारित संकेतों का उपयोग एक दूसरे से संपर्क करने हेतु करेंगे।

(4) बचाव उपकरण के साथ यात्रा करने पर, टीम के प्रत्येक सदस्य को नंबर देते समय उसके स्थान को निर्धारित किया जाएगा। यदि गति बहुत तेज है या कोई संकट महसूस होता है, तो सदस्य एक बार इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाएगा।

(5) खान में श्वास उपकरण के साथ काम करने वाले बचाव दल के प्रत्येक सदस्य, टीम के नेता के आदेश का पालन करेंगे।

142. **काम की दूसरे पाली का प्रतिबंध** - कोई भी व्यक्ति एक योग्य चिकित्सक द्वारा जांच किए जाने और सही पाए पर किसी अश्वसनीय वातावरण में दूसरे पाली का काम नहीं करेगा।

143. **कतिपय परिस्थितियों में मालिक, एजेंट और प्रबंधक की बाध्यता** - जब भी भूमिगत खान में आपात स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे बचाव कक्ष या बचाव स्टेशन द्वारा सहायता उपलब्ध करायी गई हो या न कराई गई हो, मालिक, एजेंट या प्रबंधक, जैसा भी मामला हो, द्वारा निकटतम बचाव कक्ष या बचाव स्टेशन से सहायता या अतिरिक्त सहायता ली जा सकती है और इस तरह की घटना में: -

(क) बचाव कक्ष या बचाव स्टेशन द्वारा तुरंत हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी; और

(ख) खान का मालिक बचाव स्टेशन या बचाव कक्ष के मालिक को इस तरह की सहायता प्रदान करने हेतु बचाव सेवाओं और ली गई सुविधाओं की पूरी लागत का भुगतान करेगा।

144. **सामान्य प्रबंधन** - इन नियमों के तहत आवश्यक रूप से बचाव कक्ष या बचाव स्टेशन की उचित स्थापना, रख-रखाव और उचित कार्यचालन सुनिश्चित करना, अधीक्षक, प्रशिक्षकों, बचाव कक्ष प्रभारी, बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करना अधिष्ठाता की जिम्मेदारी होगी और इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक बचाव यंत्र और उपकरण प्रदान करना आवश्यक होगा।

145. **छूट प्रदान करने की शक्ति** - जहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता की राय में, खान या बचाव स्टेशन या बचाव कक्ष से संबंधित शर्तें ऐसी हैं जो इन नियमों में निहित किसी भी प्रावधान के अनुपालन के लिए अनावश्यक या अव्यावहारिक हैं तो वह लिखित में एक आदेश और ऐसी शर्तों के अधीन उक्त प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकता है।

146. धारा 72 के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण- यदि यह प्रश्न या विवाद उत्पन्न होता है कि किसी व्यक्ति या वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के लिए इन नियमों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है या नहीं, तो ऐसे मामले को निर्णय के लिए मुख्य निरीक्षक-सह सुविधाप्रदाता के पास भेजा जाएगा।

147. प्रशिक्षण योजना - (1) प्रत्येक खान का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि सिद्धांत एवं व्यवहार के आधार पर मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के दिशा-निर्देशों के अनुसार खान में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए समय-समय पर अधिसूचित की जानी वाली एक प्रशिक्षण योजना तैयार की जाए और मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत की जाए:

परंतु कि खान का एजेंट लिखित रूप में अधिष्ठाता द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण योजना प्रस्तुत करेगा।

(2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता लिखित में एक आदेश द्वारा प्रशिक्षण योजना में इस तरह के संशोधन की आवश्यकता को उसमें निर्दिष्ट कर सकता है।

(3) उप-नियम (1) में उल्लिखित योजना में अन्य प्रावधानों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध, शामिल होंगे: -

(i) व्यक्तियों को खानों में नियोजित करने के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण;

(ii) पहले से नियोजित व्यक्तियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण;

(iii) नई प्रौद्योगिकी, उपकरण को उपयोग में लाने या कार्य प्रक्रिया में परिवर्तन करने के पूर्व प्रशिक्षण;

(iv) व्यक्ति की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु खान में काम करने वाले व्यक्ति की वर्तमान दक्षताओं एवं पूर्ण शिक्षा का आकलन करना;

(v) खनन कार्यों के सुरक्षित निष्पादन के लिए खानों में काम करने वाले व्यक्तियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करना;

(vi) ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना जो प्रशिक्षण देने और कर्मचारियों की क्षमता का आकलन करने में सक्षम हों;

(vii) किए गए और दिए गए मूल्यांकन प्रशिक्षण का रिकॉर्ड रखना और ऑडिट करना;

(viii) समय-समय पर मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा इस संबंध में जारी किए गए प्रासंगिक मानक, मॉड्यूल या कोई अन्य दिशानिर्देश; और

(ix) व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में व्याख्यान देने के लिए व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम सामग्री।

148. व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का गठन एवं कार्यों का निपटान -

(1) व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(क) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे;

(ख) खनन या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में तकनीकी योग्यता रखने वाले और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोयला खदानों, धातु खानों और तेल खानों में से प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम बीस साल का व्यावहारिक अनुभव रखने वाले तीन सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा;

(ग) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या संबद्ध इंजीनियरिंग में तकनीकी योग्यता रखने वाले और खानों में कम से कम बीस साल का व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा; तथा

(घ) स्नातक, स्नातकोत्तर या समकक्ष स्तर पर किसी संस्थान में मानव संसाधन प्रबंधन में शिक्षा प्रदान करने वाले और पंद्रह साल का अनुभव रखने वाले देने वाले दो सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का प्रत्येक सदस्य (अध्यक्ष के अलावा) उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का सदस्य नियुक्त किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, अथवा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए और वह पद ग्रहण न कर ले, जो भी बाद में हो, पद पर बना रहेगा।

परंतु -

- (i) कोई सदस्य किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है;
- (ii) उप-नियम (1) के खंड (घ) के तहत नियुक्त कोई सदस्य किसी भी ऐसे संस्थान में सेवा करने के लिए निषिद्ध होने पर पद धारण नहीं करेगा, जैसा कि उस खंड में निर्दिष्ट है;
- (iii) किसी सदस्य की मृत्यु, किसी सदस्य के इस्तीफे, या उप-खण्ड (ii) के तहत ऐसा करने के लिए निषिद्ध होने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा परन्तु ऐसे कारण के लिए वह ऐसे सदस्य के रूप में बना रहता।
- (3) कोई व्यक्ति जिसने बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के सदस्य के रूप में, पद धारण करता है या किया है, इस नियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, उस पद पर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो दो कार्यकाल से अधिक नहीं होगा।
- (4) बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (अध्यक्ष के अलावा) के एक सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होगा।
- (5) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा इस संबंध में नामित एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के सचिव के रूप में कार्य करेगा जिसे इसके बाद इसमें सचिव के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (6) इस नियम में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो जाए कि जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है चाहे सभी अथवा किसी भी सदस्य के पद की अवधि समाप्त नहीं हुई हो।
- (7) बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की बैठकें, जब कभी भी अध्यक्ष आवश्यक समझें बैठकें आयोजित कर सकते हैं तथा अध्यक्ष द्वारा तय किए गए स्थान पर छह महीने में कम से कम एक बार यथाआवश्यक आयोजित की जाएंगी।
- (8) (क) व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए अध्यक्ष या सचिव प्रत्येक सदस्य को जो भारत में उपस्थित हो, प्रस्तावित बैठक के लिए कम से कम दस स्पष्ट दिनों में पूर्व सूचना, समय और स्थान सूचित करेगा।
- (ख) सदस्य के निवास स्थान पर ई-मेल द्वारा या सुपुर्दगी द्वारा या पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा या पोस्ट किया जाएगा और इस तरह के प्रत्येक नोटिस में उस बैठक में निपटाए जाने वाले कार्य के मदों की सूची संलग्न होगी।
- (ग) खंड (क) और (ख) में निहित किसी भी बात के होते हुए, अध्यक्ष किसी भी समय सदस्यों को इस तरह की बैठक के समय और तारीख से केवल दो दिन पहले और बैठक में चर्चा के विषय को सूचित करते हुए एक आकस्मिक बैठक बुला सकते हैं;
- परन्तु किसी भी बैठक में उप-नियम (10) में निर्दिष्ट सदस्यों की पर्याप्त संख्या नहीं है, तो बैठक को उस तारीख तक, जो सात दिन बाद या उस दिन से अगले कार्य दिवस के लिए, यदि सार्वजनिक अवकाश हो, के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। स्थगित बैठक के लिए समय, स्थान और एजेंडा अपरिवर्तित रहेगा।
- (घ) जहां बैठक निर्दिष्ट सदस्यों की पर्याप्त संख्या में कमी के कारण स्थगित की जाती है, तो इस तरह की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की कम संख्या के बावजूद कार्य को निपटाना कानूनन उचित होगा।
- (9) (क) अध्यक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड की प्रत्येक बैठक में अध्यक्षता करेंगे।
- (ख) यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित हैं, तो अध्यक्ष किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत करेगा, और इस प्रकार अधिकृत सदस्य के पास उस बैठक के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष की सारी शक्ति होगी।
- (10) बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की बैठक में कोई भी कार्य संचालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष सहित कम से कम चार सदस्य उपस्थित न हों।
- (11) (क) प्रत्येक मामले जिन पर बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग को विचार करने की आवश्यकता है, उसकी बैठक में यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेता है, तो भारत में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को कागजातों के परिचालन द्वारा, विचार किया जाएगा।
- (ख) जब किसी मामले को पूर्वोक्त रूप में संचालन द्वारा संदर्भित किया जाता है, तो कोई भी सदस्य अनुरोध कर सकता है कि इसे बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की बैठक में विचार किया जाना चाहिए और अध्यक्ष यह निर्देश दे सकता है कि इस पर ऐसे विचार किया जाएगा, लेकिन जब दो या अधिक सदस्यों का अनुरोध हो, तो अध्यक्ष यह निर्देश देगा कि इस पर आयोजित की जाने वाली बैठक में विचार किया जाए।
- (12) (क) सचिव बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से पहले बैठक में संब्यवहार किए जाने वाले कार्यों की एक सूची प्रस्तुत करेगा।
- (ख) कोई भी कार्य, जो ऐसी सूची में शामिल नहीं है, उस पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष अनुमति न दें।

(13) (क) ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत से प्रत्येक बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

(ख) उप-नियम (11) के तहत संचलन द्वारा सदस्यों को संदर्भित हर मामला उन सदस्यों के बहुमत की राय से तय किया जाएगा, जिन्हें कागजात भेजे गए थे, जब तक कि अध्यक्ष इसे बाद में आयोजित होने वाली एक नियमित बैठक में विचार के लिए आरक्षित नहीं कर लेते।

(ग) सदस्यों के मतों या मतों के समान विभाजन के मामले में, अध्यक्ष के पास निर्णायक वोट या राय होगी।

(14) (क) सचिव प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को इस उद्देश्य के लिए रखी गई एक जिल्दसाज पुस्तक में दर्ज करेगा और वह बैठक के ऐसे कार्यवृत्त की प्रतियों को भारत में मौजूद सभी सदस्यों को प्रसारित करेगा।

(ख) दर्ज किए गए कार्यवृत्त की पुष्टि बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की अगली बैठक में की जाएगी और टोकन में अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(15) (क) अध्यक्ष के पास इन नियमों के तहत किसी अन्य शक्तियों और कार्यों के अलावा, इस प्रकार के कार्य होंगे: -

(i) बैठक से कम से कम दस दिन पहले सभी महत्वपूर्ण कागजात और मामलों को बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रस्तुत करना;

परंतु तात्कालिकता के मामले में, विषय को बैठक से दो दिन पहले व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

(ii) बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के निर्णयों को निष्पादित करने के आदेश जारी करना;

(iii) अपने विवेक से, केंद्र सरकार के पास अपने आदेशों के लिए किसी भी मामले को संदर्भित करने की शक्ति है; तथा

(iv) आम तौर पर इस तरह की कार्रवाई करने या बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्तियां हैं।

(ख) अध्यक्ष, छुट्टी के कारण या अन्यथा अपनी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, बोर्ड के व्यावसायिक प्रशिक्षण के किसी भी सदस्य को ऐसी अनुपस्थिति के दौरान, अध्यक्ष के सभी या किसी भी कार्य को करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

149. व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड के कार्य— व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड -(क) इसके समक्ष रखे गए किसी भी मामले का समाधान करने के लिए और खान के मालिक द्वारा स्वतंत्र व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की अनिवार्य स्थापना के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट करने के लिए सलाहकार समितियों का गठन करना, एक समान मानकों को बनाए रखने के लिए खानों में काम करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण का मानक प्रदान करना।

व्यक्तियों को प्रशिक्षण की गुणवत्ता का पता लगाने, मूल्यांकन और मूल्यांकन की प्रणाली द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करने के तरीके को निर्दिष्ट करें।

परीक्षा द्वारा या अन्यथा प्रशिक्षण अधिकारियों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की योग्यता का पता लगाने और प्रशिक्षण अधिकारियों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव को निर्दिष्ट करने के तरीके को निर्दिष्ट करना।

नियुक्ति के मानक और प्रशिक्षकों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के तरीके को निर्दिष्ट करें।

प्रशिक्षण केंद्रों की प्रणाली और मानक, प्रशिक्षण केंद्र के अनुमोदन और निलंबन या रद्द करने के मानदंड और ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों के सभी पहलुओं की लेखा परीक्षा और निगरानी को निर्दिष्ट करना।

प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण आवश्यकता का आकलन करने के तरीके और उनके प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया को निर्दिष्ट करना।

सामान्य प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए मानदंड निर्दिष्ट करें।

इन नियमों के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ भुगतान की जाने वाली आवश्यक फीस निर्धारित करें।

इन नियमों के तहत एक अनुदेशक, प्रशिक्षक और अन्य मामलों की तरह भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक या भत्ते निर्धारित करें।

मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड को भेजे गए खानों में नियोजित व्यक्तियों के प्रशिक्षण से संबंधित किसी अन्य मामले के लिए प्रावधान करना।

150. **व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए स्कोप और मानक** - प्रत्येक खान का मालिक या एजेंट यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को नियोजित होने से पहले एक खान में नियोजित किया जाए और उसे ऐसे रोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए:

परंतु यह एक व्यक्ति जो पहले से ही दूसरे खान में नियोजित है उसके मामले में मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति को इन नियमों के तहत निर्दिष्ट प्रशिक्षण के अतिरिक्त पाठ्यक्रम को कवर करने का प्रशिक्षण दिया जाए।

151. **पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए स्कोप और मानक** - एक खान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षण योजना के अनुसार, चार साल में कम से कम एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण से गुजरना होगा:

परंतु यह कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता लिखित में आदेश दे सकता है और ऐसी शर्तों के अधीन वह खान में पुनश्चर्या प्रशिक्षण के अंतराल को बढ़ा या घटा सकता है।

152. **पुनश्चर्या प्रशिक्षण की व्यवस्था** - पुनश्चर्या प्रशिक्षण इस तरह से आयोजित किया जाएगा कि व्यक्ति पूरे दिन की छूट पर सामान्य कार्य घंटों के दौरान प्रशिक्षण से गुजरेंगे:

परंतु यह कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शर्तों के अधीन लिखित रूप में इस नियम के प्रावधानों से किसी भी खान को छूट दे सकता है।

153. **विशेष प्रशिक्षण-** (1) नई तकनीक, उपकरण और कार्य प्रणाली को खान में आरंभ किया जाता है, मालिक या एजेंट या प्रबंधक, प्रशिक्षण मॉड्यूल को तैयार करेगा और इस तरह के कार्य की शुरुआत के कम से कम साठ दिन पहले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को सौंपेगा जो किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल में इस तरह के संशोधन आवश्यकतानुसार कर सकता है।

(2) पूर्वोक्त प्रौद्योगिकी, उपकरण और कार्य प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों को पूर्वोक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर इन नियमों के तहत निर्दिष्ट प्रशिक्षण योजना के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

154. **लंबी अनुपस्थिति के बाद या दुर्घटना या नौकरी बदलने के बाद व्यक्तियों का प्रशिक्षण** - जहां भी कोई व्यक्ति खान में रोजगार के लिए लौटता है, एक अवधि के लिए काम से अनुपस्थिति के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक काम करता है या गंभीर दुर्घटना में शामिल होने के बाद काम पर लौटता है या एक खतरनाक घटना में जिसके परिणामस्वरूप जीवन और सुरक्षा को खतरा हो सकता है या एक नौकरी पर फिर से नियोजित किया जा सकता है, जो इस बात से अलग है कि वह पहले जो कार्य निष्पादन कर रहा था, उसे इन नियमों के तहत निर्दिष्ट प्रशिक्षण योजना के अनुसार रोजगार से पहले प्रशिक्षण लेना होगा।

155. **प्रशिक्षण केंद्र** —(1) प्रत्येक खान का मालिक एक प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध कराएगा और उसका रख-रखाव करेगा, जो खान में नियोजित या कार्यरत होने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगा।

परंतु यह कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन जिसे वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है, प्राधिकृत करे कि एक ही मालिक के दो से अधिक खदानों होने पर एक सामान्य प्रशिक्षण केंद्र का प्रावधान किया जा सकता है:

मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता लिखित में ऐसी शर्तों के अधीन, अनुमति दे सकता है जिसमें वह निर्दिष्ट करे कि एक सामान्य प्रशिक्षण केंद्र जिसका स्वामित्व और रख-रखाव एक समूह द्वारा एक से अधिक खदानों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है।

परंतु यह कि एक सामान्य प्रशिक्षण केंद्र मालिक के एक समूह द्वारा स्थापित और रख-रखाव किया जाता है, तो उन खानों के मालिक प्रबंधन, पर्यवेक्षण, निदेश और खतरों के नियंत्रण के लिए सामान्य प्रशिक्षण केंद्र के मालिक की जिम्मेदारी संभालने के लिए उनमें से एक को नामित करेंगे और नामित मालिक मुख्य मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा लिखित रूप से सूचना देगा।

उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में निहित किन्हीं बातों के होते हुए, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता लिखित में ऐसी शर्तों के अधीन ऐसा अनुमोदन कर सकता है जिसमें वह निर्दिष्ट करे कि किसी अन्य नियम के तहत स्थापित किसी प्रशिक्षण केंद्र में इन नियमों के तहत अधिसूचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अन्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं के समान सुविधाएं होंगी।

(4) उप नियम (3) के तहत अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन एक प्रोफार्मा में किया जाएगा और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा विहित शुल्क के साथ और मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

156. **प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था** - प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में ऐसे कर्मचारी, उपकरण और अन्य सुविधाएं होंगी जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अधिसूचित हैं।

157. प्रशिक्षण अधिकारी -

(1) प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र को एक पूर्णकालिक प्रशिक्षण अधिकारी के अधीन रखा जाएगा, जो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव के अनुसार समय-समय पर मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा समय पर यथा विनिर्दिष्ट होगा।

(2) यह खान के मालिक या एजेंट या सामान्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के मालिक जैसा भी मामला हो, की जिम्मेदारी होगी कि उप-नियम (1) के तहत निर्दिष्ट प्रशिक्षण अधिकारी को नियुक्त किया जाए:

परंतु यह कि अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्र के मामले में, मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्र के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या दिशा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्र का मालिक कहा गया है प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा।

(3) उप-नियम (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां प्रशिक्षण अधिकारी अस्थायी अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, मालिक, एजेंट या प्रबंधक, जैसा भी मामला हो, उनके स्थान पर कार्य करने के लिए समान योग्यता रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को लिखित में प्राधिकृत करेगा:

परंतु यह कि कोई भी प्राधिकरण मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को लिखित में पिछली सहमति के अलावा तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी शर्तों के अधीन इसमें निर्दिष्ट कर सकता है;

(4) किसी प्रशिक्षण अधिकारी की सेवा के लिए हर नियुक्ति, बर्खास्तगी, त्यागपत्र या पदत्याग अथवा सेवा समाप्ति की लिखित सूचना और तारीख की सूचना मालिक या एजेंट द्वारा मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को ऐसी नियुक्ति, प्राधिकार, बर्खास्तगी, त्याग पत्र अथवा सेवा समाप्ति, जैसा भी मामला हो, की तारीख से सात दिनों के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा दी जाएगी।

158. प्रशिक्षण अधिकारी के कर्तव्य - (1) प्रशिक्षण अधिकारी का कर्तव्य होगा:

इन नियमों के पालन में उसके अधीन आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रशिक्षण को व्यवस्थित करना और उसका पर्यवेक्षण करना;

प्रशिक्षण की जरूरतों को स्थापित करने में वर्तमान योग्यता और पूर्व शिक्षा को पहचानना;

विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण योजना के तहत तैयार किए गए मॉड्यूल या पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षक मानक पाठ्यक्रम सामग्री पर व्याख्यान देते हैं;

प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए प्रशिक्षण के रिकॉर्ड को बनाए रखना और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की प्रगति पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

वास्तविक संचालन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के संबंध में पर्यवेक्षण के रिकॉर्ड को बनाए रखना और

इन नियमों के उचित अनुपालन के लिए आवश्यक अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना।

(2) प्रत्येक प्रशिक्षण अधिकारी अपने कार्य का रिकॉर्ड रखेगा और प्रत्येक वर्ष के अंत में मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता जिसका प्रशिक्षण केंद्र पर क्षेत्राधिकार हो, के पास, प्रशिक्षण केंद्र के मालिक, एजेंट के माध्यम से या खान के प्रबंधक या एक सामान्य या अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्र के मालिक के रूप में, जैसा भी मामला हो, वर्ष के दौरान अपने काम की रिपोर्ट का सारांश अग्रेषित करेगा।

159. अनुदेशक- एक खान के मालिक या एजेंट या जैसा भी मामला हो, एक सामान्य या अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्र का मालिक, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योग्यता और अनुभव रखने वाले पर्याप्त प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगा।

परंतु यह कि, विशेष परिस्थितियों में, प्रशिक्षण केंद्र में व्याख्यान और प्रस्तुति के लिए अधिकारियों को खानों से बुलाया जा सकता है।

160. प्रशिक्षक - इन नियमों में उल्लिखित व्यावहारिक प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को एक खान में नियोजित किया जाना चाहिए, जिसे एक उपयुक्त श्रेणी के अनुभवी संचालन पर नियोजित और इसके बाद प्रबंधक द्वारा अधिकृत व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत रखा जाएगा, (एतदुपरांत ट्रेनर प्रशिक्षक कहा जाएगा)।

161. **अनुदेशकों और प्रशिक्षकों की योग्यता** — (1) कोई भी व्यक्ति अनुदेशक या प्रशिक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निर्धारित योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव का अधिकारी न हो और इसके निमित्त मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा समय-समय पर अधिसूचित हो।

(2) अनुदेशक और प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्य के लिए आवश्यक अभिज्ञता के साथ कुशल और अनुभवी होंगे।

162. **अनुदेशक के कर्तव्य** - अनुदेशक: -

(i) कर्मचारियों की योग्यता का आकलन करना और मानक पाठ्यक्रम सामग्री पर व्याख्यान देना;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए प्रशिक्षण के रिकॉर्ड को बनाए रखना और प्रशिक्षण से गुजरने वाले व्यक्तियों की प्रगति पर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

163. **प्रशिक्षक और प्रशिक्षण के दौर से गुजरने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य** - (1) प्रशिक्षक अपने अधीन प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) प्रशिक्षक यह देखेगा कि वे व्यक्ति जो प्रशिक्षण के लिए उसके अधीन हैं, कार्यभार संभालेंगे, नौकरी में निहित खतरों को समझेंगे और ऐसी आदतों को विकसित करेंगे, जिससे खानों में सुरक्षा सुनिश्चित हो।

(3) प्रशिक्षक यह देखेगा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति उसके साथ खान के भीतर जाएँ।

(4) प्रत्येक प्रशिक्षक यह देखेगा कि उसके अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति, कार्य स्थल से निकलने वाले मार्ग के बारे में जानते हैं जहाँ उनके काम करने की संभावना है और प्रशिक्षु के लिए लागू अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं।

(5) प्रशिक्षण से गुजरने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रशिक्षण के दौरान, प्रभारी प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन करेगा।

164. **प्रशिक्षण भत्ता** - (1) प्रत्येक प्रशिक्षक को अपने सामान्य वेतन के अलावा खान के मालिक, एजेंट या प्रबंधक द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निर्धारित और मुख्य निरीक्षक - सह-सुविधाप्रदाता द्वारा विहित, किए गए अनुसार उसके पर्यवेक्षण में काम करने वाले किसी प्रशिक्षु के लिए प्रत्येक दिन प्रशिक्षण भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

(2) प्रत्येक प्रशिक्षक, प्रशिक्षण केंद्र में नियमित नियुक्ति के तहत प्रशिक्षक के अलावा, को अपने सामान्य वेतन के अलावा, प्रशिक्षु को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा विहित और मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा अधिसूचित मालिक, एजेंट या प्रबंधक द्वारा प्रशिक्षण भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

165. **प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र** - (1) प्रत्येक व्यक्ति जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण से गुजरता है, प्रशिक्षण पूरा होने पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा और प्रशिक्षु के स्वीकार्य प्रदर्शन के अध्याधीन उसे प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रपत्र को मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

(2) जहाँ प्रशिक्षण अधिकारी किसी प्रशिक्षु की प्रगति या निष्पादन से संतुष्ट नहीं है, तो वह खान के प्रबंधक को इसकी रिपोर्ट देंगे, जो उसे आगे का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेंगे।

(3) प्रत्येक खान का प्रबंधक प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति से संतुष्ट होने के बाद प्रमाण-पत्र पर प्रति-हस्ताक्षर और तिथि निर्दिष्ट करेगा।

166. **प्रबंधन को प्रदान किया जाने वाला प्रमाण-पत्र**— (1) खान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, -

(i) यदि उसने ऐसे रोजगार के पूर्व प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो; और

(ii) यदि उसने खान के प्रबंधक द्वारा ऐसे यथा विनिर्दिष्ट समय में रोजगार के दौरान प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, इन नियमों के अंतर्गत उन्हें जारी किए गए प्रमाण पत्र को उस खान के प्रबंधक को वितरित करेगा, जो प्रमाण पत्र को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और उसके लिए रसीद जारी करेगा।

(2) रोजगार की समाप्ति पर उप-नियम (1) के अंतर्गत जमा किया गया प्रमाण-पत्र कर्मचारी को वापस लौटा दिया जाएगा।

167. **व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण**—मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या अन्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता किसी भी प्रशिक्षण केंद्र या उसके किसी भी भाग में प्रवेश, निरीक्षण और जांच कर सकते हैं और ऐसी जांच या पूछताछ कर सकते हैं, जैसा कि वह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपयुक्त समझते हो कि क्या इन नियमों के प्रावधानों और इसके तहत किए गए आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

168. **व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को बंद करने या समाप्त करने की सूचना**— जब इन नियमों के अंतर्गत स्थापित एक प्रशिक्षण केंद्र को बंद करने या साठ दिनों से अधिक की अवधि हेतु उसके कार्य को समाप्त करने का आशय हो तब, खान का स्वामी, एजेंट या प्रबंधक अथवा सामान्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के स्वामी, जैसा भी मामला हो मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा प्रयोजनार्थ यथा अधिसूचित पद्धति या रूप में मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को ऐसे बंद या समाप्त, जो बंद या समाप्त से पहले तीस दिनों से कम न हो, के कारणों को अभिव्यक्त करते हुए नोटिस प्रदान करेगा:

परंतु यह कि, खदानों के स्वामी या एजेंट या प्रबंधक तत्काल नोटिस देगा जब अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उक्त नोटिस दिए जाने से पहले किसी प्रशिक्षण केंद्र को बंद या समाप्त कर दिया जाता है या पूर्व मंशा के बिना समाप्त, जो साठ दिनों की अवधि तक चलती है।

169. **धारा 117 के अंतर्गत आयु से संबंधित दायित्व** - चिकित्सा प्राधिकारी संहिता की उपधारा (2)के 117 के तहत यथापरिभाषित चिकित्सक हो, जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 (2019 का 30) में यथापरिभाषित मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता हो तथा जो संहिता की धारा 35, 36, 37 और 40 के खंड (ड) में यथापरिभाषित भारतीय चिकित्सा सूची तथा खंड (1) में यथापरिभाषित राज्य चिकित्सा सूची में नामांकित हो।

170. **धारा 121 की उप-धारा (4) के अंतर्गत सर्वेक्षण और अन्य संबंधित मामलों की जांच करने की पद्धति**- (1) किसी कार्यस्थल में किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु या गंभीर रूप से शारीरिक चोट लगती है या कोई खतरनाक घटना घटित होती है या तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यवसाय जनित रोग के मामले को दर्ज किया गया है या उन्हे अनुबंधित किया गया है, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार दुर्घटना या व्यवसाय जनित रोग के कारणों की जांच-पड़ताल करने के उद्देश्य से ऐसी जांच-पड़ताल में आकलन करने वाले या सक्षम व्यक्तियों के रूप में पेश आने के लिए विधिक या विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत नियुक्त सक्षम व्यक्ति जोखिमकारी दशाओं की पहचान करने के साथ दुर्घटना या खतरनाक घटनाओं के कारणों की जांच-पड़ताल करेगा जिसे निश्चित करने हेतु उसके पास पर्याप्त प्रमाण होगा और उसे जांच रिपोर्ट में लिखित में दर्ज करेगा कि इसके कारण दुर्घटनाएं या खतरनाक घटनाएं घटी हैं और अपने निष्कर्षों के आधार पर जैसा की उसका मानना है, उस व्यक्ति की पहचान भी करेगा जो ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होगा।

(3) दोबारा घटना को रोकने के लिए कार्यावयन हेतु सुझावों के साथ ऐसे दुर्घटनाओं या खतरनाक घटनाओं या व्यवसायजनित रोग की रोकथाम के लिए सिफारिशों सहित जांच के निर्णायक निष्कर्ष जांच रिपोर्ट में शामिल होंगे।

(4) गोदी कार्य के मामले में संहिता की धारा 121 के प्रावधान के अंतर्गत गोदी कार्य से संबंधित किसी दुर्घटना, खतरनाक घटना या व्यवसायजनित रोगों के कारणों की जांच करने के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोई सक्षम व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से जांच करेगा, नामतः-

(क) जांच करने की तारीख, समय और स्थान तय की जाएगी और यह परिवर्तित भी हो सकता है, जिसकी सूचना (नोटिस) जांच में पेश होने के लिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति, जिसका नाम और पता सक्षम व्यक्ति को विदित है, को ऐसे तारीख, समय और स्थान की लिखित सूचना 30 दिनों से कम में नहीं दिया जाएगा:

परंतु यह कि,—

(i) ऐसे सभी व्यक्तियों की सम्मति के साथ, सक्षम व्यक्ति नोटिस की ऐसी कम अवधि दे सकता है, जैसा उन व्यक्तियों के साथ सहमति हुई होगी; और

(ii) जहां यह जांच के लिए निर्धारित समय या स्थान में परिवर्तन हेतु उचित हो, सक्षम व्यक्ति को जैसा यह प्रकट होता है वैसे बदलाव की सूचना देनी होगी, जो परिस्थितियों के अनुसार उचित हो।

(ख) इस नियम के अनुच्छेद (क) के अंतर्गत दी गई नोटिस में सक्षम व्यक्ति का नाम और जांच में सक्षम व्यक्ति को सहायता करने वाले निर्धारकों का नाम, यदि कोई हो, उल्लेखित होगा;

(ग) इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों के पूर्वाग्रह के बिना, सक्षम व्यक्ति भी उन व्यक्तियों को, जिसका जांच की विषय-वस्तु से किसी भी प्रकार का सरोकार है, को सूचित करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित कार्यों में से एक या उससे अधिक कार्य कर सकते हैं, अर्थात्-

(i) एक या अधिक समाचार पत्रों में जांच की सूचना प्रकाशित करना, जहां स्थानीय/ क्षेत्र में परिचालित करने वाले उपयुक्त समाचार पत्र जिसमें विषय-वस्तु की जांच की गई; और

(ii) जांच की ऐसी अन्य सूचना दें जैसा कि सक्षम व्यक्ति को उचित प्रतीत होता है; और इस नियम के अनुच्छेद (क) में निहित सूचना की अवधि से संबंधित आवश्यकताएं ऐसी किसी भी नोटिस पर लागू नहीं होंगी।

171. जांच हेतु प्रस्तुत होने वाले व्यक्ति— (1) जांच हेतु प्रस्तुत होने वाले पात्र व्यक्ति होंगे—

(क) 2 की उप-धारा (1) के खंड (1) के अंतर्गत कोई सक्षम व्यक्ति;

(ख) कोई संबंधित प्रवर्तन प्राधिकारी;

(ग) कोई नियोक्ता संघ या कर्मचारी ट्रेड यूनियन;

(घ) कोई व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि किसी दुर्घटना, घटना, परिस्थिति, बीमारी या कोई अन्य मामला जो जांच का विषय है, के कारण घायल हुआ हो या उसे कोई नुकसान उठाना पड़ा हो;

(ङ) किसी भी परिसर का स्वामी जहां दुर्घटना, घटना, परिस्थिति या अन्य मामला घटित या उत्पन्न हुई हो;

(च) गोदी पर काम करने वाला कोई व्यक्ति दुर्घटना, घटना, परिस्थिति या अन्य मामले जो जांच का विषय है, को जन्म दे रही है; और

(छ) पूछताछ करने हेतु नियुक्त सक्षम व्यक्ति के विवेकाधीन कोई अन्य व्यक्ति।

जांच में निम्नलिखित प्रतिनिधित्व करेंगे, अर्थात्:—

(क) किसी कॉर्पोरेट निकाय का प्रतिनिधित्व उसके सचिव या इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कोई अन्य अधिकारी या परामर्शदाता या न्यायवादी द्वारा किया जा सकता है;

(ख) कोई सरकारी विभाग, कर्मचारी संघ या ट्रेड यूनियन किसी परामर्शदाता या न्यायवादी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है;

(ग) जहां जांच के अंतर्गत मामले में एक समान सरोकार रखने वाले दो या अधिक व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति इच्छुक होने वाले कुछ या सभी व्यक्तियों के लाभ हेतु उपस्थित होने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को अनुमति दे सकता है।

(3) संहिता की धारा 121 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति या तो स्वयं के इच्छानुसार या किसी पात्र या पेश होने के लिए अनुमति प्राप्त व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा भौतिक साक्ष्य दिए जाने अथवा कोई भौतिक साक्ष्य से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की संभावना है, को नोटिस दे सकता है जिसमें उस व्यक्ति को उस नोटिस में निर्धारित समय और स्थान पर साक्ष्य देने अथवा दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए जांच में शामिल होने के लिए कहा जा सकता है।

(4) कोई व्यक्ति जिसे उप-नियम (3) के अंतर्गत कोई नोटिस दिया जाता है, वह अपेक्षाओं में परिवर्तन या खारिज करने के लिए या तो जांच में या पहले सक्षम व्यक्ति को अपील कर सकता है और जहां वह जांच से पहले ऐसा करता है तो, वह उस व्यक्ति को अपने आवेदन का नोटिस देगा, यदि कोई हो, जिन्होंने उप-नियम (3) के अंतर्गत नोटिस दिए जाने हेतु आवेदन किया था।

(5) इन नियमों में अन्यथा किए गए प्रावधान को छोड़कर, किसी जांच के संबंध में प्रक्रिया सक्षम व्यक्ति के विवेकाधीन होगा, जो प्रक्रिया की सुनवाई आरंभ होने का उल्लेख करेगा, परंतु यह कि जांच में प्रस्तुत होने वाले व्यक्तियों द्वारा निवेदन किया गया हो कि, उसने अपना हेतु प्रस्ताव किया है और सुनवाई के दौरान किसी स्थल निरीक्षण के संबंध में उसके द्वारा किए गए प्रस्ताव के विषय ने उन व्यक्तियों को सूचित करेगा।

(6) खदानों के मामले में, धारा 121 के अंतर्गत जांच करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से, जैसा न्यायालय दुर्घटना या अन्य घटनाओं के कारणों और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी समझता है, जांच करेगा और रिपोर्ट तैयार करने हेतु जांच न्यायालय की मदद करेगा।

(7) यदि जांच न्यायालय पाता है कि प्रबंधन की ओर से किसी लापरवाही या उपेक्षा के कारण दुर्घटना हुई है, तो न्यायालय के पूर्व संस्वीकृति के साथ होने वाले किसी भी व्यय सहित ऐसे न्यायालय के व्ययों की वसूली हेतु न्यायालय निदेशित कर सकता है और जांच से संबंधित किसी अन्य व्ययों, जिसे न्यायालय ऐसे तरीके से और न्यायालय द्वारा यथा निर्धारित ऐसे समय के भीतर संबंधित खान के स्वामी से वसूली करने हेतु निदेशित कर सकता है।

(8) उप-नियम (7) के अंतर्गत वसूली करने के लिए निदेशित राशि, संबंधित प्राधिकारी को मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या किसी निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा आवेदन पर, स्वामी या नियोक्ता या अधिभोक्ता से वसूल किया जा सकता है-

(9) केंद्र सरकार द्वारा अपनी ओर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के रूप में से नामित व्यक्ति जांच न्यायालय के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(10) आदेश या सर्वेक्षण जैसा भी मामला हो आदेश के गठन की तारीख तीन माह के भीतर पूरा कर केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

172. धारा 121 की उपधारा (4) के अंतर्गत सर्वेक्षण की पद्धति और अन्य संबंधित मामले- (1) केंद्र सरकार व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय या खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीओएसएच) या केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन कोई अन्य संस्थापन को निम्नलिखित पद्धति से कार्य परिसर में और इसमें कार्यरत कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य हेतु किसी कार्यस्थल या कार्यस्थल के वर्ग या क्रियाकलाप के प्रभाव में सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति पर एक सर्वेक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त करने हेतु निदेश कर सकती है, नामतः:-

(क) सर्वेक्षण के संचालन हेतु व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय या व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय की अध्यक्षता में किसी संस्थान द्वारा एक समिति गठित की जाएगी;

(ख) समिति कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति और कामगारों पर उसके प्रभाव का पता लगाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण करेगी;

केंद्र सरकार को जमा की गई समिति की रिपोर्ट जांच रिपोर्ट के समान होगी और इसमें दुर्घटनाओं या खतरनाक घटनाओं या व्यवसायजनित रोगों की रोकथाम के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए सिफारिशों के साथ सर्वेक्षण के निर्णायक निष्कर्ष शामिल है, जैसा भी मामला हो, तथा अनुपालन के लिए इसके कार्यान्वयन हेतु सुझाव शामिल होंगे, जिन्हें निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

अध्याय XII

अपराध और दंड

173. धारा 114 की उपधारा (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपराध शमन करने की पद्धति- (1) धारा 114 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपराधों के शमन के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अधिकारी अपराधों के लिए कम्पाउन्डिंग नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी की जाएगी, जो कि उक्त धारा की उप-धारा (1) के अंतर्गत शमन योग्य है।

जिस व्यक्ति को उप-नियम (1) के तहत नोटिस दिया गया है, वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है तथा सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, सम्पूर्ण कम्पाउन्डिंग राशि इलेक्ट्रॉनिक अंतरण अथवा अन्य किसी रूप से जमा कर सकता है।

उप-नियम (1) में उल्लिखित अधिकारी, ऐसे व्यक्ति जिससे कंपोजीशन नोटिस से संबंधित ऐसी राशि प्राप्त हुई हो, को कंपोजीशन राशि प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर एक कंपोजीशन प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

यदि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा नोटिस दिए गया, अभियोजन के प्रारंभ से पहले एक महीने के भीतर कंपोजीशन राशि जमा करने में विफल रहता है, तो अभियोजन सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

(5) धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक के अध्यक्षीन और धारा 114 के अंतर्गत शमन करने वाले ऐसे प्रावधानों का पालन करने के लिए नियोक्ता को अवसर दिए बिना कोई अभियोग नहीं लगाया जाएगा।

अध्याय-XIII

विविध

174. संविदा कामगारों के लिए शिकायत निवारण तंत्र :

1. संविदा कामगार, प्रधान नियोक्ता के स्तर पर, अपने स्वास्थ्य, कार्य स्थिति तथा मजदूरी से संबंधित शिकायतों को जमा कर सकते हैं, जो मामले की जांच कर उसकी शिकायत का निवारण करेंगे, यदि कोई हो।
2. एक समिति का गठन किया जा सकता है जिसमें एक अध्यक्ष शामिल होगा, जो मुख्य नियोक्ता का अधिकृत प्रतिनिधि होगा। समिति में प्रमुख नियोक्ता और ठेकेदारों के प्रतिनिधि होंगे। उपर्युक्त समिति एक माह की अवधि के भीतर ठेका कामगारों की शिकायतों की सुनवाई करेगी और उनका निपटान करेगी।
3. यदि ऐसी शिकायतों को उठाने के एक माह के भीतर शिकायतों का निवारण नहीं किया जाता है, तो मुख्य नियोक्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को शिकायत (शिकायतों) को अग्रेषित करेगा।

175. ठेकेदार के नियमित कामगार की वार्षिक बढ़ोत्तरी: वह कामगार, जो ठेकेदार द्वारा किसी भी कार्य के लिए नियमित रूप से नियुक्त हो तथा जिसका नियोजन रोजगार की स्थिति के पारस्परिक रूप से स्वीकृत मानकों द्वारा नियंत्रित होगा, अपनी मजदूरी के दो प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोत्तरी का पात्र होगा।

प्रपत्र-I

(नियम 3 देखें)

मौजूदा प्रतिष्ठानों/नए प्रतिष्ठान के पंजीकरण हेतु / पंजीकरण प्रमाण-पत्र में संशोधन हेतु आवेदन

क. प्रतिष्ठान के विवरण:-

1. एलआईएन के माध्यम से प्रतिष्ठान के विवरणों की पुनः प्राप्ति :
 2. प्रतिष्ठान का नाम:
 3. प्रतिष्ठान का स्थान और पता:
- 3क. पैन (पीएएन):
- 4 प्रतिष्ठान के अन्य विवरण:
- क. प्रतिष्ठान में सीधे नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या:
- ख. नियोजित ठेका कर्मचारियों की कुल संख्या:
- ग. नियोजित अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों की कुल संख्या:

5 (क) कारखानों के लिए:

विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण	योजना अनुमोदन के विवरणों के साथ डाक का पूरा पता और कारखाने की स्थिति	अधिभोगी और प्रबंधक का नाम और पता	किसी भी दिवस नियोजित होने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4

5 (ख) खदानों के लिए:

खनिजों के नाम	खदानों की लीज सीमा (एकड़ में)	स्वामी का नाम और पता	लक्षित औसत मासिक उत्पादन (टन)	किसी भी दिवस में नियोजित किए जाने वाले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5

5 (ग) गोदी कार्य हेतु:

गोदी कार्य/ मुख्य पत्तन का नाम	गोदी कार्य के प्रकार	मात्रा सहित संचालित व संग्रहीत करने वाले कार्गो का नाम	मात्रा सहित संचालित व संग्रहीत किए जाने वाले रसायनों का नाम	मात्रा सहित संचालित व संग्रहीत किए जाने वाले जोखिमकारी रसायनों का नाम
1	2	3	4	5

5 (घ) भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य हेतु:

सन्निर्माण कार्य के प्रकार	कार्य प्रारंभ करने की संभावित अवधि	काम समाप्ति की संभावित अवधि	स्थानीय प्राधिकारी के अनुमोदन का विवरण
1	2	3	4

6. स्वामित्व प्रकार/ क्षेत्र:**7. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार गतिविधि:**

8. चयनित एनआईसी कोड के विवरण:

9. प्रतिष्ठान की पहचान, नियोक्ता/ प्रतिनिधि का ई-हस्ताक्षर/ डिजिटल हस्ताक्षर:

ख. नियोक्ता का विवरण:-

1. नियोक्ता/ अधिभोगी/ स्वामी/ एजेंट/ मुख्य कार्यपालक/ पत्तन प्राधिकारी आदि का नाम और पता:
2. पदनाम:
3. नियोक्ता के पिता/ पति का नाम:
4. ई-मेल पता, दूरभाष और मोबाईल सं. :

ग. प्रबंधक/ एजेंट का विवरण :

1. प्रबंधक/ एजेंट या प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु जिम्मेदार व्यक्ति का पूरा नाम/ पता
2. प्रबंधक/ एजेंट का पता:
3. ई-मेल पता, दूरभाष और मोबाईल सं.:

घ. ठेकेदार कर विवरण

ठेकेदार का नाम और पता	ठेकेदार का ई-मेल पता और मोबाईल	कार्य का नाम	कार्यरत ठेका कामगारों की अधिकतम संख्या	कार्य के आरंभ होने/ समाप्ति की संभावित तारीख
1	2	3	4	5

ड . अन्य विवरण:-

नियोक्ता का हस्ताक्षर/ ई-हस्ताक्षर/ डिजिटल हस्ताक्षर

दिनांक :-

स्थान :-

प्रपत्र-II

(नियम-3(1) देखें)

प्रतिष्ठान के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

पंजीकरण संख्या

दिनांक

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं, 2020 (2020 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरणों से अंतर्विष्ट पंजीकरण प्रमाण-पत्र एतद्वारा.....(प्रतिष्ठान का नाम) को प्रदान किया जाता है।

1. प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति (कृपया निशान लगाएं)

2.

(क) कारखाना

(ख) खनन

(ग) गोदी कार्य

(घ) ठेका कार्य

(ड) भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य

(च) कोई अन्य कार्य (जो ऊपर शामिल नहीं किए गए हैं)

2 प्रतिष्ठान के विवरण:

क. प्रतिष्ठान में सीधे कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या:

ख. ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या:

ग. ठेकेदारों की संख्या और उनके विवरण:

घ. नियोजित अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों की कुल संख्या:

3 (क) कारखानों के लिए

विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण	योजना अनुमोदन के विवरणों के साथ पूरा डाक पता और कारखानों की स्थिति	अधिभोक्ता और प्रबंधक का नाम और पता	किसी भी दिवस नियोजित होने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4

3 (ख) खदानों के लिए

खनिजों के नाम	खदानों की लीज सीमा (एकड़ में)	स्वामी का नाम और पता	लक्षित औसत मासिक उत्पादन (टन)	किसी भी दिवस में नियोजित किए जाने वाले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5

3 (ग) गोदी कार्य के लिए

गोदी कार्य/ मुख्य पत्तन का नाम	गोदी कार्य के प्रकार	मात्रा सहित संचालित एवं संग्रहीत कार्गो का नाम	मात्रा सहित संचालित एवं संग्रहीत रसायनों का नाम	मात्रा सहित संचालित एवं संग्रहीत जोखिमकारी रसायनों का नाम
1	2	3	4	5

3 (घ) भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए

निर्माण कार्य के प्रकार	कार्य प्रारंभ करने की संभावित अवधि	काम समाप्ति की अपेक्षित अवधि	स्थानीय प्राधिकारी के अनुमोदन का विवरण
1	2	3	4

4. पंजीयन अधिकारी की टिप्पणी

स्थान:

दिनांक :

पदनाम सहित पंजीयन अधिकारी का हस्ताक्षर/ ई-हस्ताक्षर/ डीएससी

पंजीकरण की शर्तें

(1) नियम 4 के अंतर्गत जारी किया गया प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात:

(क) पंजीकरण प्रमाण-पत्र गैर-हस्तांतरणीय होगा;

(ख) सीधे प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों और ठेका कर्मचारियों की संख्या किसी भी दिन पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगा; और

(ग) इन नियमों में उपबंध अनुसार संचित करें, पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अनुदान के लिए भुगतान की गई शुल्क गैर-प्रतिदेय होगी।

(2) नियोक्ता कामगारों की संख्या या पंजीयन अधिकारी के कार्य शर्तों के बदलाव की सूचना को 30 दिनों के भीतर देगा, यदि कोई हो,

(3) नियोक्ता किसी कार्य के आरंभ और समापन के 30 दिनों के भीतर कार्य क्षेत्र में आने वाले निरीक्षक-सह-सुविधप्रदाता को जहाँ प्रस्तावित प्रतिष्ठान है या जैसा भी मामला हो, कार्य किया जाता है, ऐसे कार्य के आरंभ होने या जैसा भी मामला हो समाप्ति की वास्तविक तिथि, इन नियमों में संलग्न प्रपत्र IV में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा।

(4) पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति उस परिसर में विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी जहाँ काम चल रहा है।

प्रपत्र-III

[नियम-3(8) देखें]

प्रतिष्ठान का पंजीकरण

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	पंजीकरण सं. और तारीख	पंजीकृत प्रतिष्ठान का नाम और पता एवं स्थान	नियोक्ता का नाम, पता, और संपर्क विवरण	कामगारों की कुल संख्या और कुल हॉर्सपावर (यदि कोई हो)	ठेका कामगारों की कुल संख्या	टिप्पणी
1	2	2	3	4	5	6	
	(क) कारखाना						
	(ख) खान						
	(ग) गोदी कार्य						
	(घ) भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य						
	(ङ) ठेका कार्य						
	(च) अंतरराज्यीय प्रवासी कार्य						
	(छ) अन्य कोई कार्य (जो उपर शामिल नहीं किए गए हैं)						

प्रपत्र-IV

(नियम-3(9) और नियम- 5 देखें)

क- कार्य के आरंभ/ समाप्ति का नोटिस अथवा प्रतिष्ठान का बंद होना:

1. पंजीकरण सं:
2. प्रतिष्ठान का नाम और पता:-
3. नियोक्ता/ पत्तन प्राधिकारी का नाम और पदनाम (जिनका प्रतिष्ठान के मामलों के ऊपर अंतिम नियंत्रण है):-
4. पूर्ण पता जिस पर प्रतिष्ठान से संबंधित पत्राचार किया जाना है:-
5. प्रतिष्ठान के कार्य की प्रकृति:-
6. कार्य आरंभ करने हेतु नोटिस के मामले में कार्य की अनुमानित अवधि:-
7. कार्य की समाप्ति/प्रतिष्ठान के बंद होने के मामले में, समाप्ति/बंद होने की तारीख:

मैं/ हम एतद्वारा यह सूचित करता हूँ/ करते हैं कि प्रतिष्ठान जिसका पंजीकरण संख्या है, दिनांक के कार्य आरंभ होने की संभावना है।(दिनांक)/.....(दिनांक) से प्रभावी होने की संभावना है।

कार्य समाप्ति के मामले में:

मैं/ हम इस बात को प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों को सभी देय राशि का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भंडारण से मुक्त रखा गया है।

नियोक्ता का हस्ताक्षर

सेवा में,

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

प्रपत्र-V

(नियम- 6 देखें)

स्वास्थ्य परीक्षण

(खान कर्मचारियों को छोड़कर)

भाग-क (क्रम संख्या 1-11): कर्मचारी द्वारा भरा जाना है:

1. कर्मचारी का नाम.....
2. लिंग 3. आयु (जन्म तिथि के साथ).....
4. कंपनी 5. पदनाम 5क. यूएएन :.....

6. प्रभारी नियोक्ता/कार्यकारी संपर्क.....
7. पूरा व्यक्तिगत/संयंत्र का पता
8. मोबाइल/फोन 9. ईमेल.....
10. बीमारी (वर्तमान) उपचार और दवा, यदि कोई हो.....
-

11. रोजगार की प्रकृति (अधिक विवरण प्रस्तुत करें, यदि खतरनाक और काम से संबंधित हैं जैसे भौतिक, रासायनिक, जैविक, एर्गोनोमिक आदि)

दिनांक :

कर्मचारी के हस्ताक्षर ----

भाग-ख:

12. किए गए चिकित्सा परीक्षण और रिपोर्ट अनुलग्नक के रूप में संलग्न की जानी चाहिए। नीचे दिए गए परीक्षणों की चिकित्सा अधिकारी की व्याख्या/राय (केवल असामान्य होने पर इंगित करने के लिए, संलग्न परीक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए):

- क. लंबाई वजन छाती, कमर की परिधि, बाँडी मास इंडेक्स:
- ख. दृष्टि (नेत्र रोग विशेषज्ञ परीक्षण):
- i. दाएं और बाएं दोनों आंखों की दृष्टि स्पष्टता
- ii. कलर विजन.....
- ग. ब्लड प्रेशर
- घ. कंपलीट ब्लड काउंट:
- ङ. ब्लड शुगर (उपवास/पीपीबीएस/एचबीएसी1).....
- च. एसपीओ2.....
- छ. ब्लड यूरिया नाइट्रोजन (बी यू एन).....
- ज. एसजीओटी/एसजीपीटी.....
- झ. लिपिड प्रोफाइल.....
- ञ. ईएसआर.....
- ट. थायराइड प्रोफाइल.....
- ठ. एक्स-रे, छाती आदि.....
- ड. ईसीजी.....

द. अन्य यदि कोई हो.....

13. अंतिम निदान / राय / उपचार यदि कोई हो, योग्य चिकित्सक द्वारा सलाह

14. क्या व्यक्ति को दौरे से संबंधित विकार हैं या ऊंचाई पर काम करने में कठिनाइयां हैं? यदि हाँ, तो बचने के लिए कार्यों की व्याख्या करें: हां/नहीं/एनए (लागू नहीं)

दिनांक

योग्य चिकित्सक के हस्ताक्षर
मोहर

नोट: उपरोक्त सभी जानकारी आवेदक और जांच चिकित्सक के बीच अत्यधिक गोपनीय है। नियोक्ता या किसी अन्य एजेंसी/व्यक्तियों के साथ उपरोक्त को साझा करने की अनुमति केवल आवेदक/कर्मचारी से सहमति प्राप्त करने पर ही दी जाती है।

प्रपत्र VA

(केवल खान कर्मचारियों के लिए)

[नियम 102(1) (2) और (3) एवं नियम 131 देखें]

नियम 102 (3) के तहत चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट

(तीन प्रतियों में जारी की जानी है)

प्रमाण पत्र संख्या.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..... को खान में के रूप में कार्यरत किया गया है, प्रपत्र _____ रजिस्टर की श्रेणी संख्या..... (पीएमई के मामले में) के लिए प्रारंभिक/आवधिक चिकित्सा परीक्षा के लिए जांचा गया है। उनकी उम्र लगभग वर्ष प्रतीत होती है। जांच प्राधिकरण के निष्कर्ष संलग्न शीट में दिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....

(क) खानों में किसी भी रोजगार के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट है।

(ख) से पीड़ित है और चिकित्सकीय रूप से

(i) किसी भी खान में किसी भी रोजगार के लिए; या

(ii) भूमिगत किसी भी रोजगार के लिए; या

(iii) किसी भी रोजगार या कार्य के लिए..... अयोग्य है।

(ग) वह से पीड़ित है। इसे ठीक/नियंत्रित करवाया जाना चाहिए और महीनों के भीतर पुनः जाँच करवाई जानी चाहिए। वह के परीक्षण के परिणाम और विशेषज्ञ की राय के साथ पुनः जाँच में उपस्थित होगा/होगी। इस अवधि के दौरान उसे अपने दायित्वों को निभाने की अनुमति दी जा सकती है/ नहीं दी जा सकती है।

उम्मीदवार का पासपोर्ट
आकार का फोटो
चिपकाने के लिए स्थान।

स्थान : जांच अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर, दिनांक20.....

परीक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट

(प्रत्येक चिकित्सा परीक्षण के लिए भरना आवश्यक है, चाहे वह प्रारंभिक हो, आवधिक हो, पुनः परीक्षण हो या निःशक्तता के ठीक या नियंत्रण के बाद हो)

प्रमाणपत्र संख्या के साथ संलग्नक, चिकित्सकीय परीक्षण के परिणामस्वरूप

पहचान चिन्ह

उम्मीदवार की बाएं अंगूठे की छाप और हस्ताक्षर

1. सामान्य विकास- अच्छा/सामान्य/खराब

2. हाइट.....से.मी.

3. वज़नके.जी

4. आंखें:

(i) दृश्य तीक्ष्णता- दूर की दृष्टि (चश्मे के साथ या बिना): दायें आँख.....बायाँ आँख.....

(ii) आंखों की कोई भी जैविक बीमारी

(i) रात्रि अंधापन

(iv) कलर बलाइंडनेस (आईएमई में परीक्षण किया जाएगा)

(ii) स्किन्ट

5. कान :

(i) श्रवण: दायें कान बायाँ कान

(ii) कोई भी जैविक बीमारी।

(iii) श्रवण परीक्षण निष्कर्ष:

कन्डक्शन प्रकार	बायाँ कान	दायाँ कान
कान का कन्डक्शन	सामान्य/असामान्य	सामान्य/असामान्य
हड्डी का कन्डक्शन	सामान्य/असामान्य	सामान्य/असामान्य

संलग्न श्रवण परीक्षण रिपोर्ट

6. श्वसन तंत्र

श्रवण संबंधी निष्कर्ष:

छाती का माप:

- (i) पूर्ण श्वास लेने के बादसे.मी.
(ii) पूर्ण श्वास छोड़ने के बाद से.मी.

फेफड़ों के कार्य परीक्षण (स्पाइरोमेट्री) का परिणाम

पैरामीटर्स/मानक	अनुमानित मान	प्राप्त मान	अनुमानित का प्रतिशत
फोर्सड वाइटल कैपेसिटी (एफई वी)			
फोर्सड वाइटल कैपेसिटी 1 एफईवी 1			
एफईवी 1/एफवीसी			
पीक एक्सपायरेटरी फ्लो			

स्पाइरोमेट्री रिपोर्ट संलग्न करें

7. सर्क्युलेटोरी सिस्टम:

रक्तचाप

नाड़ी

हृदय संबंधी मूल्यांकन

ऑस्कल्टेशन	एस1	
	एस2	
	अतिरिक्त ध्वनि	
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ (12 लीड) के निष्कर्ष:		सामान्य / असामान्य
इकोकार्डियोग्राफी के निष्कर्ष (आईएमई में परीक्षण हेतु)		सामान्य / असामान्य

ईसीजी संलग्न करें

इकोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट संलग्न करें

8. पेट :

दर्द / टेनडरनेस

लिवर

स्प्लीन

गांठ

संपूर्ण पेट का अल्ट्रासोनोग्राफी (आईएमई में परीक्षण हेतु)

(अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट संलग्न करें)

9. नर्वस सिस्टम:

दौरे या मिर्गी का इतिहास

लकवा

मानसिक स्वास्थ्य

न्यूरोलाजिकल असेसमेंट

निष्कर्ष	सामान्य / असामान्य
सूपरिफिशल रेफ्लेएक्सेस	
डीप रेफ्लेएक्सेस	
पेरीफेरल सर्कुलेशन	
वाइब्रेशनल सिंड्रोम्स	

मैंगनीज एक्सपोजर के लिए विशेष परीक्षण

व्यवहार संबंधी विकार		उपस्थित / अनुपस्थित
	स्पीच डेफेक्ट	उपस्थित / अनुपस्थित
न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसस	ट्रेमर	उपस्थित / अनुपस्थित
	एडियाडोकोकिनीसिया	उपस्थित / अनुपस्थित
	इमोशनल चेंजेस	उपस्थित / अनुपस्थित

10. लोकोमोटरी सिस्टम

11. स्किन

12. हाइड्रोसील

13. हर्निया

14. टीथ

15. स्पीच

16. पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन्स

क्र. सं.	टेस्ट्स	निष्कर्ष
1	रक्त – टीसी, डीसी, एचबी, ईएसआर, प्लेटलेट्स	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
2	ब्लड शुगर – उपवास और भोजन के बाद	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
3	एचबीए1सी (आईएमई में टेस्ट और पीएमई में डायबिटिक व्यक्ति के लिए)	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
4	लिपिड प्रोफाइल	डब्ल्यूएनएल / असामान्य

5	ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
6	यूरिन (रिएक्शन, एल्बुमिन, शुगर)	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
7	स्टूल रूटीन	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
8	स्पटम टेस्ट फॉर एएफबी (भोजन हैंडल करने वाले कर्मचारी के लिए)	
9.	हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस सिकल सेल डिजीज/ट्रिट के लिए, (आईएमई में परीक्षण हेतु)	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
10.	बिलिरुबिन	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
11.	एसजीओटी	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
12.	एसजीपीटी	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
13.	डेल्टा एमीनोलेवुलिनिक एसिड यूरिन में (लेड इक्स्पोज़्ड व्यक्ति के लिए)	डब्ल्यूएनएल / असामान्य

सभी जांच रिपोर्ट संलग्न करें

17. स्कायाग्राम ऑफ चेस्ट

आईएलओ क्लासीफिकेशन ऑफ चेस्ट रेडियोग्राफ:

प्रोफ्यूजन ऑफ न्यूमोकोनिओटिक ओपैसिटीज़	ग्रेड्स/श्रेणी	प्रकार
उपस्थित/अनुपस्थित		

चेस्ट रेडियोग्राफ संलग्न करें

18. कोई अन्य असामान्यता।

19. टेस्ट लेने वाले प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कोई अन्य परीक्षण।

20. विशेषज्ञ द्वारा आवश्यक समझी गयी कोई भी राय।

स्थान:

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर, दिनांक20.....

खदानों में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए चिकित्सा फिटनेस का मानक (प्रारंभिक चिकित्सा जाँच)।

- व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, जो खदानों में कुशल रोजगार में बाधा डाल सके।
- बोलने में कोई गंभीर बाधा नहीं होनी चाहिए।
- दाँत अच्छी स्थिति में होने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो प्रभावी चबाने के लिए दंत लगा दिए जाएँ (अच्छी तरह से भरे हुए दाँत को स्वस्थ माना जाएगा)। मसूड़े स्वस्थ स्थिति में होने चाहिए।
- त्वचा: - व्यापक और दीर्घकालिक त्वचा रोग या अल्सर के कोई प्रमाण नहीं होने चाहिए। संक्रामक प्रकार की त्वचा रोग होने की स्थिति में, उम्मीदवार को इलाज के बाद फिट माना जा सकता है।

5. प्रत्येक कान में सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए और कान में किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई संकेत नहीं होना चाहिए। श्रवण परीक्षण सामान्य होना चाहिए और प्रत्येक कान में बहरापन नहीं होना चाहिए।

6. चश्मे के साथ या बिना चश्मे की, दूर की दृष्टि निम्नलिखित मानक से कम नहीं होनी चाहिए:

क) भूमिगत कामगारों के लिए

बेहतर दृष्टि 6/6

खराब दृष्टि 6/9

ख) सतही/ओपनकास्ट कामगारों के लिए

बेहतर दृष्टि 6/9

खराब दृष्टि 6/12

ग) आँतरनेत्र लेंस प्रत्यारोपण: यदि किसी व्यक्ति ने आँतरनेत्र लेंस प्रत्यारोपण किया है और आँतरनेत्र लेंस के साथ दृष्टि की गतिविधियाँ निर्धारित मानकों के अनुसार हैं, तो संबंधित व्यक्ति को योग्य माना जा सकता है

घ) फंडस जांच: मायोपिया -2 डायोप्टर या उससे अधिक होने पर, फंडस जांच की जानी चाहिए और परिणाम दर्ज किए जाने चाहिए। यदि किसी रोगात्मक स्थिति का पता चलता है, जो आगे बढ़ने की संभावना रखती है और उम्मीदवार की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा।

ङ) रंग दृष्टि: - रंग दृष्टि का परीक्षण अनिवार्य है और परिणाम सामान्य होने चाहिए। रंग दृष्टि की जांच के लिए इशियारा प्लेटों का उपयोग किया जाएगा।

च) भूमिगत कार्य में लगे लोगों और उन लोगों के लिए जो खुले खान में सुबह की शिफ्ट के अलावा अन्य शिफ्टों में काम करते हैं, नाइट ब्लाइन्डनेस नहीं होना चाहिए।

छ) किसी भी जैविक रोग या आगे बढ़ने वाले अपवर्तक दोष जिसे दृष्टि तीव्रता को कम करने की संभावना हो, उसे अयोग्यता माना जाना चाहिए।

ज) स्किन्ट (आँख मोड़ना):- दोनों आँखों से देखने की क्षमता होना आवश्यक है, दृष्टि क्षमता निर्धारित मानक के अनुसार हो भी तो भी आँख मोड़ना/स्किन्ट अयोग्यता माना जाना चाहिए।

झ) एक आँख वाला व्यक्ति - द्विनयन दृष्टि का होना आवश्यक है, केवल एक कार्यशील आँख को अयोग्यता माना जाना चाहिए।

ञ) निस्टैग्मस नहीं होना चाहिए।

7. श्वसन तंत्र: छाती का आकार अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए। श्वसन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए और किसी भी दीर्घकालिक स्वरयंत्र, ब्रोंकियल या फेफड़े की बीमारी से मुक्त होना चाहिए। यदि फेफड़ों में क्षयरोग सक्रिय नहीं है, तो यह अयोग्यता का कारण नहीं होना चाहिए।
 - क) एक पूर्ण आकार की पोस्टेरो-एंटेरियर छाती की रेडियोग्राफ़ (11 इंच X 14 इंच से कम नहीं) जिसमें थोरासिक इनलेट और दोनों कॉस्टोफ्रेनिक एंगल शामिल हों, कम से कम 300 मिली-एम्पियर शक्ति वाली एक्स-रे मशीन (एनालॉग/डिजिटल) द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए। इसे ऐसे मेडिकल ऑफिसर द्वारा आईएलओ अंतरराष्ट्रीय रेडियोग्राफ़ क्लासीफिकेशन ऑफ न्यूमोकोनियोसिस के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, जो इस आईएलओ वर्गीकरण में प्रशिक्षित हों। एक्स-रे को एलईएडी व्यू बॉक्स में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें कम से कम चार छाती के रेडियोग्राफ़ (14 इंच X 17 इंच आकार के) रखे जा सकते हों।
 - ख) फेफड़ों के कार्य परीक्षण (स्पाइरोमेट्री) करके फोर्स वाइटल कैपेसिटी (एफवीसी) और फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकंड (एफईवी1) रिकॉर्ड किया जाएगा। स्पाइरोमेट्री के निष्कर्ष सामान्य सीमा में होने चाहिए।
8. सर्क्युलेटोरी सिस्टम: - ऐसा कोई सबूत नहीं होना चाहिए कि हृदय या रक्त वाहिकाओं की कोई बीमारी है, जो उसकी खान में कुशल रूप से कार्य करने में बाधा डाल सकती है। रक्तचाप 130/80 एमएम Hg से अधिक नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों का विस्तृत हृदय और रक्तवाहिका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें 12-लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राफी और पूर्ण लिपिड प्रोफाइल शामिल होना चाहिए।
9. लोकोमोटर सिस्टम: हाथ-पैर, अंगुलियां और पैर की उंगलियां अच्छी तरह से विकसित और सही आकार की होनी चाहिए। सभी अंगों का कार्य सामान्य सीमा के भीतर होना चाहिए। किसी भी प्रकार की विकृति या लकवा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। कोई ऐसा विकार नहीं होना चाहिए जो खान में प्रभावी कार्य को प्रभावित करे।
10. किसी भी पेट के अंगों की बीमारी के कोई साक्ष्य नहीं होने चाहिए, जो खान में अपनी जिम्मेदारी कुशलतापूर्वक निभाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हों। अल्ट्रासोनोग्राफी (पूरा पेट) की रिपोर्ट सामान्य होनी चाहिए।
11. यदि उम्मीदवार को हर्निया है, तो उसे सफलतापूर्वक ऑपरेशन कराने के बाद फिट घोषित किया जा सकता है।
12. हाइड्रोसील होने पर यह इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति की सामान्य गतिविधियों में बाधा डाले। यदि यह काफी बड़ा है तो सफलतापूर्वक ऑपरेशन कराने के बाद उसे फिट घोषित किया जा सकता है।
13. नर्वस सिस्टम स्वस्थ होना चाहिए। मिर्गी या किसी अन्य प्रकार की ऑर्गेनिक या दौरे की पुरानी बीमारी की पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को खान में रोजगार के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया जाना चाहिए। सभी प्रमुख सतही और गहरे रिफ्लेक्स के परीक्षण सहित विस्तृत न्यूरोलॉजिकल परीक्षाएं की जानी चाहिए।
14. उपवास, भोजन के बाद रक्त शर्करा और ग्लाइसिलेटेड एचबी स्तर (HbA1c) की जाँच की जाएगी। डायबिटीज मेलिटस के कारण लक्षित अंगों को नुकसान पहुँचाने की संभावना होती है, इसलिए इसे किसी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा जाँचना आवश्यक है। ग्लाइसिलेटेड एचबी स्तर (HbA1c) 6.0 से अधिक नहीं होना चाहिए। केवल ऐसे मामलों में ही अच्छी तरह से नियंत्रित डायबिटीज मेलिटस वाले और जिनमें कोई जटिलताएँ न हों, नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।
15. सीरम यूरिया और क्रिएटिनिन सामान्य सीमा के भीतर होंगे।
16. बिलिरुबिन, एसजीओटी और एसजीपीटी सामान्य सीमा के भीतर होंगे।
17. रूटीन स्टूल सामान्य सीमा के भीतर होगा।
18. चिकित्सकीय जांच में यूरिन की जांच शामिल होनी चाहिए। यूरिन में केवल एल्बुमिन और शुगर की उपस्थिति, बिना किसी स्पष्ट जैविक रोग के जिसके लक्षण और संकेत उत्पन्न हों, विकलांगता नहीं होनी चाहिए।
19. मरीज में सिकल सेल रोग/लक्षण नहीं होना चाहिए। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट किया जाना चाहिए।

कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य मानक (आवधिक चिकित्सा परीक्षा)

1. व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसे किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो खान में उसकी कुशल कार्यक्षमता में बाधा डाल सकता हो।
2. स्पीच में कोई गंभीर बाधा नहीं होनी चाहिए।
3. दांत अच्छी स्थिति में होने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो प्रभावी चबाने के लिए उन्हें डेंचर प्रदान किया जाए (भरे हुए दांतों को सही माना जाएगा)। मसूड़े स्वस्थ स्थिति में होने चाहिए।
4. लोकोमोटर सिस्टम: अंगों का अच्छी तरह से विकसित और क्रमशः निर्मित होना चाहिए, और सभी अंगों का कार्य सामान्य सीमा के भीतर होना चाहिए। किसी भी प्रकार की विकृति को दर्ज किया जाना चाहिए। कोई भी विकृति या परैलिसिस नहीं होना चाहिए जो खान में उसकी कुशल नौकरी में बाधा डाल सके।
5. त्वचा: - किसी व्यापक और त्वचा रोग या अल्सरेशन के साक्ष्य नहीं होने चाहिए। संक्रमणीय प्रकार के त्वचा रोग की स्थिति में, उम्मीदवार को उपचार के बाद फिट माना जा सकता है। सभी व्यवसायिक त्वचा रोगों को नोट किया जाना चाहिए।
6. दृष्टि :

(क) ग्लास के साथ या बिना दृष्टि निम्नलिखित मानक से कम नहीं होनी चाहिए:

- | | |
|-----------------|------|
| i. बेहतर दृष्टि | 6/9 |
| ii. खराब दृष्टि | 6/12 |

(ख) भूमिगत कार्य में लगे लोगों और उन लोगों के लिए जो खुले खान में सुबह की शिफ्ट के अलावा अन्य शिफ्टों में काम करते हैं, नाइट ब्लाइन्डनेस नहीं होना चाहिए।

(ग) ऐसे व्यक्ति जिसकी केवल एक आंख सामान्य रूप से काम करती हो, उसे भूमिगत काम के लिए नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। सतह पर रोजगार के लिए ऐसे व्यक्ति की दूसरी आंख की दृष्टि चश्मा पहनने के साथ या बिना 6/9 होनी चाहिए।

7. सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, किसी भी प्रगतिशील बीमारी जो सुनने को प्रभावित करती हो या कोई व्यावसायिक बहरापन, उसे दर्ज किया जाना चाहिए। प्रत्येक मामले में श्रवण परीक्षा की जानी चाहिए।
8. रेस्पिरेट्री सिस्टम: रेस्पिरेट्री सिस्टम सामान्य और किसी भी जीवित लैरिजियल, ब्रॉन्कियल या फेफड़े की पुरानी बीमारी से मुक्त होना चाहिए। अगर फेफड़ों का तपेदिक सक्रिय नहीं है तो यह अयोग्यता का कारण नहीं होना चाहिए।
- क) पूरा आकार वाला पोस्टेरो-एंटरियर छाती का रेडियोग्राफ (14 इंच x 11 इंच से कम नहीं) जो थोरासिक इनलेट और दोनों कॉस्टोफ्रेनिक कोणों को शामिल करने के लिए पर्याप्त हो, कम से कम 300 mA मिली-एम्पीयर शक्ति वाले एक्स-रे मशीन (एनालॉग/डिजिटल) द्वारा प्राप्त किया गया हो, उसे रेडियोलॉजिस्ट / मेडिकल अधिकारी द्वारा आईएलओ अंतरराष्ट्रीय कक्षा के अनुसार न्यूमोकोनियोसिस के रेडियोग्राफ की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसे इस आईएलओ वर्गीकरण में प्रशिक्षित किया गया हो।
- ख) फेफड़ों की कार्य क्षमता की जाँच (स्पिरोमेट्री) की जाएगी ताकि फोर्स वाइटल कैपेसिटी (एफवीसी) और एक सेकंड में फोर्स एक्सपाइरेटरी वॉल्यूम (एफईवी1) दर्ज किया जा सके। स्पिरोमेट्री के परिणाम सामान्य सीमा के भीतर होने चाहिए।
9. सर्क्युलटोरी सिस्टम – किसी भी हृदय या रक्त वाहिका रोग के कोई सबूत नहीं होने चाहिए जो उसकी खान में कुशल रूप से काम करने में बाधा डाल सकते हैं। कर्मचारियों का विस्तृत हृदय संबंधी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें 12 लीड्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और पूर्ण लिपिड प्रोफाइल शामिल होनी चाहिए। रक्तचाप 140/90 एएमएम Hg से अधिक नहीं होना चाहिए।
10. ऐसे किसी भी रोग के लक्षण नहीं होने चाहिए जो पेट के अंगों से संबंधित हों और जो खान में उसके कर्तव्यों के कुशल निर्वहन को प्रभावित कर सकें।

11. नर्वस सिस्टम स्वस्थ होना चाहिए। मिर्गी का इतिहास रखने वाले या किसी अन्य प्रकार की जैविक या ऐतिहासिक चक्करों वाले व्यक्तियों को फिट घोषित नहीं किया जाना चाहिए। सभी प्रमुख सतही और गहरे रिफ्लेक्स का परीक्षण सहित विस्तृत न्यूरोलॉजिकल परीक्षाएं की जानी चाहिए।
12. मैंगनीज के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में, बुनियादी न्यूरोलॉजिकल परीक्षा के अलावा, व्यवहार और न्यूरोलॉजिकल विकारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बोलने में बाधा, कंपन, संतुलन में कमी, अदियाडोकोकिनेसिया और भावनात्मक परिवर्तन।
13. लीड के संपर्क में आने वाले व्यक्ति; पीएमई में मूत्र में डेल्टा अमिनोलेवुलिनिक एसिड शामिल होना चाहिए।
14. फूड हैंडलिंग और तैयारी करने तथा स्टेमिंग सामग्री को संभालने वाली गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को एसिड फास्ट बैसिलि (एएफबी) के लिए नियमित थूक परीक्षण कराना चाहिए।
15. उपवास और भोजन के बाद रक्त शर्करा की जाँच की जाएगी। मधुमेह को नियंत्रित किया जाएगा। लक्षित अंग पर मधुमेह का कोई प्रभाव नहीं होगा।
16. सीरम यूरिया और क्रिएटिनिन सामान्य सीमा के भीतर होंगे।
17. बिलिरुबिन, एसजीओटी और एसपीजीटी सामान्य सीमा के भीतर होंगे।
18. रूटीन स्टूल सामान्य सीमा के भीतर होगा।
19. यदि उम्मीदवार को हर्निया है तो उसे उसी के सफल ऑपरेशन के बाद फिट घोषित किया जा सकता है।
20. यदि हाइड्रोसील मौजूद हो, तो यह इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उम्मीदवार की सामान्य गतिविधियों में बाधा पैदा करे। ऐसे मामलों में, सफल ऑपरेशन के बाद उसे फिट घोषित किया जा सकता है।

चिकित्सीय परीक्षा में यूरिन और अन्य सिस्टमों की बीमारी के प्रमाण के लिए परीक्षा शामिल होनी चाहिए। केवल यूरिन में एल्बुमिन और शुगर की उपस्थिति, बिना किसी प्रमुख अंग संबंधी रोग के जो लक्षण और संकेत उत्पन्न करे, को निःशक्तता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

प्रपत्र-VI

(नियम-8 देखें)

दुर्घटना या खतरनाक घटना की नोटिस

ई.एस.आई.सी. नियोक्ता की कोड संख्या:

घायल व्यक्ति की ई.एस.आई.सी. बीमा

संख्या:

1. नियोक्ता का नाम:

2. कार्यस्थल / परिसर का पता

जहां दुर्घटना या खतरनाक घटना घटी है:

3. उद्योग की प्रकृति और प्रतिष्ठान का एलआईएन

(श्रमिक पहचान संख्या) :

4. शाखा या विभाग और
सटीक स्थान जहां दुर्घटना या
खतरनाक घटना घटी है :
5. घायल व्यक्ति का नाम और पता :
6. (क) लिंग :
- (ख) आयु (पिछले जन्मदिन पर) :
- (ग) घायल व्यक्ति का व्यवसाय :
7. स्थानीय ई.एस.आई.सी. कार्यालय जिससे घायल व्यक्ति संबद्ध है:
8. दुर्घटना या खतरनाक घटना की तिथि, पाली, और घंटा:
9. (क) घायल व्यक्ति ने दुर्घटना
या खतरनाक घटना के दिन किस समय कार्य आरंभ किया था:
- (ख) क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के
दिन के लिए उसे पूर्ण या आंशिक मजदूरी देय हैं :
10. (क) दुर्घटना या खतरनाक घटना का कारण या प्रकृति:
- (ख) यदि मशीनरी के कारण यह घटना हुई तो-:
- (i) मशीन का नाम और उसके
पुर्जे का नाम बताएं जिससे दुर्घटना
या खतरनाक घटना हुई है:
- (ii) क्या दुर्घटना या खतरनाक
घटना के समय मशीन को यांत्रिक शक्ति द्वारा
चलाया गया था:
- (ग) दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय

घायल व्यक्ति क्या कर रहा था:

(घ) आपकी राय में, क्या घायल

व्यक्ति दुर्घटना या खतरनाक

घटना के समय-

(i) उस पर लागू किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कार्य कर रहा था; या

(ii) अपने नियोक्ता की ओर से या उसके द्वारा दिए

गए किसी भी आदेश का उल्लंघन कर कार्य कर रहा था; या

(iii) अपने नियोक्ता के अनुदेशों के बिना कार्य कर रहा था?

(ङ) यदि (घ) (i), (ii) या (iii) का उत्तर सकारात्मक या हाँ में है,

तो उल्लेख करें कि क्या यह कार्य नियोक्ता के

ट्रेड या व्यापार के प्रयोजनार्थ और उसके संबंध में था।

11. यदि यह दुर्घटना या खतरनाक घटना

नियोक्ता के वाहन में यात्रा करने

के दौरान हुई थी, तो उल्लेख करें कि क्या-

(क) घायल व्यक्ति अपने कार्यस्थल से या कार्यस्थल के लिए

यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था:

(ख) घायल व्यक्ति अपने नियोक्ता

की व्यक्त या निहित अनुमति से यात्रा कर रहा था:

(ग) नियोक्ता अथवा उसकी ओर से किसी

अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा किसी अन्य द्वारा वाहन का परिचालन किया जा रहा है

जो नियोक्ता के साथ की गई व्यवस्थाओं के अनुसरण

वाहन उपलब्ध कराता है; और

:

(घ) वाहन सार्वजनिक परिवहन सेवा की

सामान्य कार्य प्रणाली में परिचालन किया/ नहीं किया जा रहा है:

12. यदि आपातकालीन घटना के कारण दुर्घटना

या खतरनाक घटना घटित हुई, तो उल्लेख

करें- (क) इसकी प्रकृति; और
 (ख) क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के
 समय घायल व्यक्ति जहां दुर्घटना या खतरनाक
 घटना घटी है उस परिसर में या आस-पास अपने
 नियोक्ता के व्यवसाय या व्यापार के प्रयोजनार्थ नियोजित था। :

13. संक्षेप में वर्णन करें कि
 दुर्घटना या खतरनाक घटना कैसे घटी:

14. गवाहों का नाम और पता : (1)
 (2)

15. (क) चोट की प्रकृति और उसकी गंभीरता
 (जैसे घातक, उंगली खोना,
 पैर का फ्रैक्चर, स्कॉल्ड, स्क्रैच के बाद सेप्सिस आदि अथवा
 अन्य किसी प्रकार का संक्रमण) :

(ख) चोट की जगह (जैसे दायाँ पैर, बायाँ हाथ, बायीं आँख
 अथवा अन्य कोई भाग)

16. (क) यदि दुर्घटना या खतरनाक घटना
 घातक नहीं थी तो उल्लेख करें कि क्या
 घायल व्यक्ति 48 घंटों से अधिक समय तक काम नहीं कर पा रहा था :

(ख) कार्य को वापसी की तारीख और समय :

17. (क) चिकित्सक, औषधालय या अस्पताल जहां से
 घायल व्यक्ति ने उपचार प्राप्त किया या प्राप्त कर रहा है:
 (ख) घायल व्यक्ति द्वारा चयनित औषधालय/ पैनल चिकित्सक का नाम :

18. (क) क्या घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई? :

(ख) यदि हाँ, मृत्यु की तारीख :
 मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हर दृष्टि से सही है।

स्वामी/ नियोक्ता/ प्रबंधक/ एजेंट का हस्ताक्षर और नाम तथा पदनाम

रिपोर्ट को प्रेषित करने की तिथि:

स्थान:

प्रपत्र-VII

[नियम-63 देखें]

कार्य अवधि का नोटिस

प्रतिष्ठान का नाम.....स्थान.....जिला.....

कार्य समूह की अवधि, रिले	पुरुष												महिला												समूह का विवरण, कार्य की प्रकृति	टिप्पणी			
	नियोजित पुरुषों की कुल संख्या												नियोजित महिलाओं की कुल संख्या																
	क			ख			ग			घ			ङ			च			छ			ज							
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3					

कार्य दिवसों में

से..

तक ..

से ..

तक ..

से ..

तक ..

आंशिक कार्य दिवसों में

से ..

तक ..

से ..

तक ..

दिनांक, जब यह सूचना पहली बार प्रदर्शित की गई है :

प्रबंधक या एजेंट का हस्ताक्षर:

दिनांक:

प्रपत्र-VIII

[नियम 64 देखें]

कर्मचारी रजिस्टर

(रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी अनुरक्षित किया जा सकता है जिस में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होंगे)

प्रतिष्ठान का नाम:		
नियोक्ता/ अधिष्ठाता का नाम:		
श्रम पहचान संख्या (एलआईएन)/ प्रतिष्ठान का पंजीकरण संख्या:		
प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों हेतु अनुरक्षित किया जाए।		
1.	कर्मचारी कोड	
2.	नाम	
3.	उपनाम	
4.	लिंग	
5.	पिता/पति/पत्नी का नाम	
6.	जन्म की तारीख	
7.	जन्म स्थान	
8.	राष्ट्रीयता	
9.	शैक्षणिक स्तर	
10.	नियुक्ति की तारीख	
11.	पदनाम	
12.	श्रेणी (अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल या अतिकुशल)	
13.	कर्मचारियों/कामगार का प्रकार	
14.	मोबाइल नंबर	
15.	सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन)	
16.	पैन (पीएएन)	
17.	पीपीएफ संख्या	
18.	नामिती	
19.	ईपीएस/एनपीएस	
20.	परिवार का विवरण	
21.	तैनाती का विवरण	
22.	वेतनमान	
23.	पदोन्नति	
24.	ईएसआईसी बीमित व्यक्ति संख्या	
25.	आधार संख्या	

26.	बैंक खाता संख्या	
27.	बैंक	
28.	शाखा (आईएफएससी)	
29.	वर्तमान पता	
30.	स्थायी पता	
31.	सेवा पुस्तिका संख्या	
32.	निकासी की तिथि	
33.	निकासी का कारण	
34.	पहचान-चिह्न	
35.	फोटो	
36.	नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	
37.	टिप्पणियां	

प्रपत्र-VIII (क)

[(नियम 64)]

उपस्थिति रजिस्टर-सह-मस्टर रोल

(उपस्थिति रजिस्टर-सह-मस्टर रोल का अनुरक्षण इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी किया जा सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होंगे)

															माह के लिए....., वर्ष 20.....
प्रतिष्ठान का नाम:															
नियोक्ता/स्वामी का नाम:															
प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या/श्रम पहचान संख्या (एलआईएन)															
1.	क्र. सं.														
2.	कर्मचारी कोड														
3.	नाम														
4.	पदनाम														
5.	पाली														
6.	कार्य स्थल/ अनुभाग/ विभाग														
7.	प्रवेश और निकास की तिथि और समय														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
8.	कार्य किए गए कुल दिनों की संख्या															
9.	कार्य किए गए समयोपरि घंटों की संख्या															
10.	कार्य-स्थल के बाहर यात्रा या कार्य, यदि कोई हो तो उसका संक्षेप में व्यौरा															
11	रजिस्टर-प्रबंधक का हस्ताक्षर															

प्रपत्र- VIII (ख)

/[नियम 64 देखें/

वेतन, ओवरटाइम और कटौतियों के लिए रजिस्टर

(रजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी रखा किया जा सकता है, जिसमें विशेष रूप से निम्नलिखित विवरण शामिल हैं)

प्रतिष्ठान का नाम:		
नियोक्ता/स्वामी का नाम:		
प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या/श्रम पहचान संख्या (एलआईएन)		
dd/mm/yyyy से dd/mm/yyyy (महीने/फोर्टली/साप्ताहिक/दैनिक/पीस रेटेड) तक वेतन अवधि		
1.	क्रम संख्य	
2.	कर्मचारी कोड संख्या	
3.	नाम	
4.	पदनाम	
5.	मजदूरी दर	
	क) मूल वेतन	
	ख) डीए	
	ग) अन्य भत्ते	
	घ) कुल	
6.	कार्य किए गए दिनों की संख्या	
7.	समयोपरि काम किए गए घंटे	
8.	कमाई गई मजदूरी राशि	
	क) मूल वेतन	
	ख) डीए	
	ग) अन्य भत्ते	

	घ) समयोपरि भुगतान	
	ङ) कुल कमाई गई मजदूरी	
9.	कटौती	
	क) ईपीएफ	
	ख) ईएसआईसी	
	ग) सोसाइटी	
	घ) आय कर	
	ङ) बीमा	
	च) अन्य भत्ते	
	छ) जुमनि की वसूली	
	ज) नुकसान/ठेस की वसूली	
	कुल कटौती	
10.	कुल भुगतान	
11.	कर्मचारियों द्वारा रसीद / बैंक लेनदेन आईडी	
12.	भुगतान की तारीख	
13.	नियोक्ता/प्रतिनिधि के प्रारंभिक अक्षर	
14.	टिप्पणी	

प्रपत्र-VIII (ग)
वेतन पर्ची
[(नियम 64 देखें)]

प्रतिष्ठान का नाम				
पता:		अवधि:		
1.	कर्मचारी का नाम:			
2.	पिता/ माता/ पति/ पत्नी का नाम:			
3.	पदनाम:			
4.	यूएन:			
5.	बैंक खाता संख्या:			
6.	वेतन अवधि:			
7.	देय वेतन की दर	क) मूल वेतन	ख) महंगाई भत्ता	ग) अन्य भत्ते
8.	कुल उपस्थिति/ किए गए कार्य की ईकाई			
9.	समयोपरि वेतन			
10.	देय सकल वेतन			
11.	कुल कटौती	क) भविष्य निधि	ख) ईएसआई	ग) अन्य
12.	भुगतान किया गया निवल वेतन			

प्रपत्र-IX

(नियम (66) देखें)

वार्षिक विवरणी

31 दिसंबर को समाप्त वर्ष हेतु

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और मजदूरी संहिता, 2019 और इनके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत ऑन-लाइन भरे जाने हेतु एकल वार्षिक एकीकृत विवरणी

वार्षिक विवरणी भरे जाने हेतु अनुदेश

- (1) इस विवरणी को प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को या उससे पहले भरा और जमा किया जाना अपेक्षित है।
- (2) विवरणी के दो भाग हैं अर्थात् भाग-I सभी प्रतिष्ठानों द्वारा भरे जाने के लिए है।
- (3) भाग-I के अतिरिक्त, भाग-II, उन प्रतिष्ठानों द्वारा भरे जाने के लिए है, जो केवल खान हैं।
- (4) खान शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य और दशाएं संहिता, 2020 में परिभाषित है।
- (5) यह विवरणी ठेकेदार या श्रम-बल आपूर्तिकर्ता के मामले में, जिसने 50 से अधिक कामगारों को नियोजित किया हो और खान के मामले में भले ही संबंधित अवधि में एक कर्मचारी कार्यरत हो, भरी जाएगी।

सभी प्रतिष्ठानों के लिये लागू- भाग-I

क. सामान्य सूचना:

क्र. सं.			कॉलम भरे जाने के लिए अनुदेश
1.	श्रमिक पहचान संख्या		ईपीएफओ, ईएसआईसी, एमसीए, श्रम और रोजगार मंत्रालय (एलआईएन)
2.	विवरणी की अवधि	से – तक-	अवधि कलेंडर वर्ष होना चाहिए
3.	प्रतिष्ठान का नाम		
4.	ई-मेल आईडी (नियोक्ता)		
5.	दूरभाष संख्या (नियोक्ता)		
6.	मोबाईल नंबर (नियोक्ता)		
7.	परिसर का नाम		
8.	उप-मोहल्ला		
9.	जिला		
10.	राज्य		
11.	पिन-कोड		
12.	भू-निर्देशांक		
ख(क).	दिवस में कार्य घंटे		
ख(ख).	पालियों की संख्या किसी पाली में घंटों की संख्या		

ग. तैनात श्रमबल का ब्यौरा									
ब्यौरा	सीधे नियोजित				ठेकेदार के माध्यम से नियोजित				कुल योग
कौशल श्रेणी	अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध-कुशल	अकुशल	अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध-कुशल	अकुशल	
1. वर्ष के दौरान किसी भी दिन प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	पुरुष/ महिला/ उभयलिंगी (पु/म/अ)	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	
2. वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या	संख्या दर्शायी जानी है	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	
3. वर्ष के दौरान प्रवासी कामगारों की अधिकतम संख्या (ओएसएच संहिता की धारा 59)	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	
4. कार्यरत निश्चित अवधि के कर्मचारी की संख्या	पुरुष	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ					
घ. प्रतिष्ठान में कार्यरत ठेकेदारों का विवरण									
क्र. सं.	एलआईएन सहित ठेकेदार का नाम			नियोजित ठेका श्रमिक की संख्या					
01.									
ड. प्रदान की गई विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं का विवरण									
क्र. सं.	प्रदान की गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृति	सांविधिक (विधान निर्दिष्ट करें)			भरने हेतु अनुदेश				
1.	क्या कैन्टीन की सुविधा दी गई है (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 24(v) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं			उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां ठेका श्रमिक सहित सौ या अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया गया था				
2.	शिशु गृह (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 67 और ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 24 के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं			उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ पचास या अधिक कामगार कार्यरत हैं				
2 क	यदि उपरोक्त 2 नहीं उपलब्ध कराया गया है तो क्या सामाजिक सुरक्षा संहिता के नियम के तहत शिशुगृह भत्ता दिया जाता है।	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं			सामाजिक सुरक्षा संबंधी संदर्भ नियम				
3.	एम्बुलेंस कक्ष (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 24(2)(i) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं			खान , भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य जिनमें पांच सौ से अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है, पर लागू।				

4.	सुरक्षा समिति (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 22 (1) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	500 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों और कारखानों, खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों और बीओसीडब्ल्यू जिसमें 250 या उससे अधिक कामगार कार्यरत हैं और 100 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाली खदानों के लिए लागू।
5.	सुरक्षा अधिकारी (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 22 (2) के अनुसार)	नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों की संख्या	खान के मामले में 100 या अधिक कामगारों और गोदी कार्य के मामले में 500 या अधिक कामगारों और बीओसीडब्ल्यू के मामले में 250 या अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है, के लिए लागू।
6.	योग्यता प्राप्त चिकित्सक (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 12 (2) के अनुसार)	नियुक्त योग्यता प्राप्त चिकित्सक की संख्या	प्रतिष्ठान में नियोजित न्यूनतम चिकित्सक की संख्या के लिए कोई विनिर्देश नहीं है। हालांकि, व्यावसायिक स्वास्थ्य पर डेटा होने के लिए इस विवरण की आवश्यकता होती है।

च. औद्योगिक संबंध:					भरने हेतु अनुदेश
1.	क्या कार्यसमिति कार्य कर रही है। (आईआर संहिता, 2020 की धारा 3)	हां/ नहीं और लागू नहीं			औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें 100 या अधिक कामगार कार्यरत हैं
(क)	उसके गठन की तारीख				
2.	क्या सुरक्षा निवारण समिति का गठन किया गया है (आईआर संहिता, 2020 की धारा 4)	हां/ नहीं और लागू नहीं			20 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान
3.	प्रतिष्ठानों में पंजीकृत यूनियनों की संख्या				
4.	क्या कोई एकल समझौता संघ मौजूद है (आईआर संहिता, 2020 की धारा 14)	हां/ नहीं			
5.	क्या किसी भी वार्ता परिषद का गठन किया गया है (आईआर संहिता, 2020 की धारा 14)	हां/ नहीं			
6.	वर्ष के दौरान बर्खास्त किए गए, पदच्युत किए गए, छंटनी किए गए या जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, उन कामगारों की संख्या:				
		बर्खास्त किए गए	पदच्युत किए गए	बर्खास्त किए गए / सेवा समाप्त किए गए या हटाए गए	कुल योग
7.	निम्नलिखित के कारण वर्ष के दौरान व्यर्थ गए श्रम दिवस				
क्र. सं.	कारण	अवधि/ दिनांक	व्यर्थ गए श्रमदिवसों की संख्या		
(क)	हड़ताल				

(ख)	तालाबंदी				
8.	छंटनी/ कामबंदी का ब्यौरा				
क्र. सं.	अवधि के दौरान छंटनी किए गए व्यक्तियों की संख्या	छंटनी किए गए कर्मचारियों को भुगतान का ब्यौरा	अवधि के दौरान कामबंदी से प्रभावित होने वाले कामगारों की संख्या	कामबंदी के कारण व्यर्थ गए श्रमदिवसों की संख्या	300 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है
1.					
2.					

छ. प्रसूति प्रसुविधा से संबंधित ब्यौरा:

क्र. सं.	महिला कर्मचारियों की संख्या	मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने वाले महिला कर्मचारियों की संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या जिन्हें चिकित्सा बोनस दिया गया	महिला कर्मचारियों की मजदूरी में कटौती, यदि कोई हो, की संख्या
1.				
2.				

ज. बोनस के भुगतान का विवरण:

क्र. सं.	बोनस प्रावधान के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	वास्तविक रूप से भुगतान किए गए बोनस की गई कुल राशि	बोनस भुगतान की तिथि

झ. दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और सूचनीय बीमारियों का ब्यौरा:

क्र. सं.	दुर्घटनाओं की कुल संख्या जिसके कारण घायल व्यक्ति को ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 10 के अनुसार 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका जाता है।	ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 10 के अनुसार घातक दुर्घटनाओं की कुल संख्या और मृतकों के नाम।	ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 11 के अंतर्गत यथा परिभाषित खतरनाक घटनाओं की कुल संख्या।	प्रभावित व्यक्तियों के विवरण के साथ ओएसएच संहिता, 2020 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट सूचनीय बीमारियों के मामलों की कुल संख्या

ञ- दुर्घटनाओं/ खतरनाक घटनाओं के कारण व्यर्थ गए श्रम दिवस और उत्पादन

क्र.सं.	दुर्घटना/ खतरनाक घटना	व्यर्थ गए श्रम दिवस	खोया हुआ उत्पादन

प्रपत्र-IX

[नियम 66 देखें]

भाग-II (खदानों के लिए)

क. सामान्य सूचना		
1.	प्रतिष्ठान का नाम	
2.	कंपनी का नाम/ स्वामी का नाम	
3.	संगठन का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	पीएसयू केन्द्रीय/ पीएसयू राज्य/ निजी/
4.	स्वामित्व का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	फर्म/ संघ/ वैयक्तिक/ साझेदारी/ कंपनी
5.	खनिज का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	कोयला/ धातु/ तेल
6.	खनिज का नाम	
7.	खान का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	भूमिगत/ ओपेनकास्ट/ जमीन के ऊपर/ मिश्रित/ अपतटीय/ तटीय
8.	खुलने की तारीख	प्रथम बार भरा जाना
9.	खान कोड	प्रथम बार भरा जाना
10.	समापन की तिथि (यदि कोई हो)	लागू नहीं/ कैलंडर दिया जाना है
11.	फिर से खोलने की तिथि (यदि कोई हो)	लागू नहीं/ कैलंडर दिया जाना है
12.	गहराई में , मीटर में	अधिकतम गहराई: न्यूनतम गहराई:

ख. खान में नियोजित सांविधिक कार्मिक (31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	कोड के अनुसार पदनाम	अपेक्षित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या	नियोजित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या
1.			

ग. सुरक्षा मानकों की तुलना में कार्य करने का तरीका

1.	पद्धति का नाम (नाम स्पष्ट करें) (ड्रॉप डाउन मेन्यू के अनुसार)		
2.	क्यू.मी./ टन में उत्पादित खनिज की मात्रा		
3.	क्यू.मी./ टन में हटाए गए अपशिष्ट/ उपरिभार की मात्रा		
4.	कार्य के स्तर (ड्रॉप डाउन मेन्यू के अनुसार)	विकास/ निष्कर्षण/ मिश्रित	
5.	क्यू.मी. में अनुमेय रिक्तता		निष्कर्षण स्तर हेतु
6.	क्यू.मी. में वास्तविक रिक्तता		निष्कर्षण स्तर हेतु

7.	ओवरहैंग का क्षेत्रफल		निष्कर्षण स्तर हेतु
8.	उत्पादित कोयले के प्रति टन क्यू. मीटर में जारी की गई अधिकतम ज्वलनशील गैस		विकास स्तर हेतु
9.	समस्त पिट ढलान		ओपेनकास्ट खान हेतु
	प्रत्येक पिट के लिए अलग प्रवेश		
10.	समस्त डम्प ढलान		ओपेनकास्ट खान हेतु
	प्रत्येक डम्प के लिए अलग प्रवेश		
11.	अग्नि का क्षेत्रफल वर्ग मी. में		
12.	जल निकाय के समक्ष उपलब्ध कराए जाने वाले तटबंध की लंबाई		
13.	जल निकाय के समक्ष उपलब्ध कराए गए तटबंध की लंबाई		
14.	संविधि के अनुसार अपेक्षित/ उपलब्ध कराई गई घेरेबंदी की लंबाई		
15.	परित्यक्त खानों के मामले में अपेक्षित सील किए जाने वाले अपेक्षित मुहानों की संख्या		
16.	परित्यक्त खानों के मामले में सील किए गए मुहानों की संख्या		
17.	आयोजित किए गए मॉक ड्रिल की संख्या और कर्मचारियों के कवरेज के साथ मॉक ड्रिल आयोजन की तिथि		
18.	तेल/ गैस कुओं की संख्या: ड्रिलिंग के अधीन/ उत्पादन के अधीन/ कार्याधीन (ड्रॉप डाउन मेनू के अनुसार)		तेल और गैस खानों के लिए
19.	कुओं की संख्या जहां उत्पादन बंद कर दिया गया है		तेल और गैस खानों के लिए
20.	यदि उपरोक्त बिन्दु 19 के दृष्टिगत हां, तो की गई कार्रवाई		
21.	जहां उत्पादन बंद कर दिया गया है उन कुओं के संबंध में की गई कार्रवाई		तेल और गैस खानों के लिए
22.	किसी भी दिन में प्रयुक्त विस्फोटक की अधिकतम मात्रा (कि.ग्रा. में)		सभी प्रकार के खानों के लिए
23.	क्या भवन या संरचना जिसका कोई स्वामी नहीं है, खतरे के क्षेत्र में है?	हां/ नहीं/ लागू नहीं	कोयला और लौह अयस्क धातु के लिए
24.	वर्ष हेतु खान में स्थापित/ तैनात मशीनरी की कुल एचपी/किलोवाट		सभी प्रकारों के खानों के लिए

घ. चिकित्सा जांच- आरंभिक/ आवधिक (आईएमई/ पीएमई)

वर्ष के दौरान, ठेकागत कामगारों सहित व्यक्तियों की कुल संख्या:

क्र. सं.	विवरण	व्यक्तियों की कुल संख्या
1.	की गई आईएमई जांच	
2.	की गई पीएमई जांच	

3.	चिकित्सकीय रूप से अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित	
4.	चिकित्सा अयोग्यता के कारण वैकल्पिक रोजगार दिया गया	
5.	चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त होने के कारण नियोजन समाप्त किया गया	

ड. प्रदान किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण का ब्यौरा:

वर्ष के दौरान, ठेकागत कामगारों सहित व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	विवरण	व्यक्तियों की कुल संख्या
1.	प्रदान किया गया बुनियादी व्यावसायिक प्रशिक्षण	
2.	पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया	
3.	विशेष प्रशिक्षण दिया गया	

च. दुर्घटना, जोखिमकारी घटना और व्यावसायिक रोगों का ब्यौरा:**(1) दुर्घटनाओं और जोखिमकारी घटनाओं का ब्यौरा:**

क्र.सं.	दुर्घटनाओं/जोखिमकारी घटनाओं की तिथि	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गंभीर शारीरिक चोट पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या (गंभीर शारीरिक चोट को छोड़कर) और जिस कारण 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका गया	घटना की प्रकृति	व्यर्थ गए श्रम दिवस

(2) व्यवसायजनित बीमारियों का ब्यौरा

क्र.सं.	अधिसूचित बीमारी	मामलों की संख्या

छ. सुरक्षा प्रबंधन योजना का ब्यौरा:

(क) तैयार की गई सुरक्षा प्रबंधन योजना: (हां/ नहीं/ लागू नहीं)

(ख) जमा करने की तिथि: तिथि

(ग) सुरक्षा प्रबंधन योजना की समीक्षा की अंतिम तिथि: तिथि

(घ) पहचान किए गए प्रमुख खतरे:

क्र.सं.	पहचान किए गए प्रमुख खतरों की सूची	प्रमुख जोखिम शमन तिथि	31 दिसंबर तक शमन न किए गए प्रमुख खतरे	इनका शमन न किए जाने के कारण

ज. खान बचाव केंद्र: (केवल भूमिगत खानों के लिए)**(क) खानों के लिए: (खान स्वामी द्वारा भरा जाना)**

- (i) खानों की सेवा करने वाले बचाव केंद्र का भू-निर्देशांक के साथ पता;
- (ii) खान मुहाने से बचाव केंद्र की दूरी; -----(किमी में)
- (iii) क्या खान द्वारा खान बचाव केंद्र स्थापित किया गया है या नहीं? (हाँ/ नहीं)

खान बचाव केंद्र: (केवल भूमिगत खानों के लिए)**(बचाव केंद्र के लिए)****(ख) खान बचाव केंद्र के लिए (अधीक्षक, बचाव केंद्र द्वारा भरा जाना है)**

- (i) खान के स्वामी का नाम जहां एमआरएस केंद्रित है:
- (ii) एमआरएस का पता:
- (iii) अधीक्षक का नाम:
- (iv) बचाव केंद्र द्वारा देखभाल किए जाने वाले खानों का व्यौरा:

क्र.सं.	खानों के नाम	एमआरएस से खान की दूरी (कि.मी. में)

(v) बचाव केंद्र में तैनात कार्मिक का विवरण

क्र.सं.	कोड के अनुसार पदनाम	अपेक्षित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या	नियोजित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या

(vi) उपकरण/ उपस्कर का विवरण:

क्र.सं.	अपेक्षित उपकरण/ उपस्कर के प्रकार	उपलब्ध उपकरण/ उपस्कर की संख्या

(vii) आपातकालीन स्थिति में उपस्थित होने का विवरण:

क्र.सं.	खान का नाम	आपातकालीन स्थिति की प्रकृति	प्रतिक्रिया समय (आपातकालीन स्थिति में भाग लेने के लिए बचाव सेवाओं द्वारा लिया गया समय)	बचाव और बहाल करने में लिया गया समय	की गई कार्रवाई

(viii) अतिरिक्त सूचना:

- (क) बचाव कक्षों की संख्या:
- (ख) अपेक्षित बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या:
- (ग) उपलब्ध बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या:
- (घ) क्या कैटीन की सुविधा मौजूद है या नहीं? (हाँ/ नहीं)

प्रमाणित किया जाता है कि सारणियों को विधिवत भरा गया है और सभी सारणियों में दी गई सूचना और आँकड़े मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं।

नियोक्ता/ अधिभोगी/ स्वामी/ एजेंट/ प्रबंधक का हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

भाग III

[नियम 87 देखें]

31 दिसम्बर को समाप्त अवधि

(प्रधान नियोजक द्वारा श्रम सुविधा पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाए)

1. प्रधान नियोजक का नाम:
2. प्रतिष्ठान का नाम:
3. प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या (एलआईएन):
4. ठेकेदारों, भुगतान की गई मजदूरी का ब्यौरा, आदि:

क्रम सं.	माह	ठेकेदारों का नाम और पता	ठेकेदार का एलआईएन	कार्य का नाम	नियोजित ठेका कामगारों की अधिकतम संख्या	मजदूरी बिल (यदि लागू हो) के अनुसार ठेकेदार को भुगतान की गई राशि (ईपीएफ, ईएसआईसी, बोनस आदि सहित)	मजदूरी बिल (यदि लागू हो) के भुगतान की तारीख	प्रधान नियोजक द्वारा ठेका श्रमिकों को सीधे भुगतान की गई मजदूरी की राशि (ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने में विफल होने की स्थिति में)	प्रधान नियोजक द्वारा ठेका श्रमिकों को सीधे भुगतान की गई मजदूरी के भुगतान की तारीख (ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने में विफल होने की स्थिति में)	टिप्पणियां

तारीख:

प्रधान नियोजक के हस्ताक्षर

प्रपत्र-IX क

[नियम 87 देखें]

(नियम 81 के अंतर्गत संबंधित उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए जाने के लिए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अर्ध वार्षिक विवरणी (जनवरी से जून/जुलाई से दिसम्बर))

1. ठेकेदार का नाम और पता:
2. प्रधान नियोक्ता का नाम और पता तथा एलआईएन:
3. ठेकेदार का एलआईएन:
4. ठेकेदार के लाइसेंस की संख्या (यदि लागू हो):
5. स्थान/स्टेशन के साथ ठेका कार्य का नाम:
6. ठेका कामगारों की संख्या, भुगतान की गई मजदूरी आदि का विवरण:

क्रम सं.	माह	नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या	एक माह में भुगतान की गई मजदूरी की कुल राशि	समयोपरि	बोनस	प्रधान नियोक्ता से ठेकेदारा द्वारा प्राप्त मजदूरी बिल की तारीख और राशि	ईएसआईसी की ईसीआर संख्या	ईपीएफ की ईसीआर संख्या	यथा स्वीकार्य रूप में माह की 7 तारीख या देय तिथि तक भुगतान की गई मजदूरी हां/नहीं	टिप्पणी
(1)	जनवरी									
(2)	फरवरी									
(3)	मार्च									
(4)	अप्रैल									
(5)	मई									
(6)	जून									

तारीख:

ठेकेदार का हस्ताक्षर

फार्म-X

(नियम 67 देखें)

दुर्घटनाओं और जोखिमकारी घटनाओं का रजिस्टर

घायल/मृत व्यक्ति का नाम (यदि कोई हो)	दुर्घटना या जोखिमकारी घटना की तारीख	निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को रिपोर्ट किए जाने की तारीख	दुर्घटना या जोखिमकारी घटना की प्रकृति	घायल व्यक्ति की कार्य वापसी की तारीख	घायल व्यक्ति के कार्य पर अनुपस्थित होने के दिनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

फॉर्म-XI

(नियम-68 देखें)

मजदूरी के साथ छुट्टी के लिए रजिस्टर

भाग I -वयस्क

भाग-II -किशोरियां

प्रतिष्ठान:

कामगार का नाम :

विभाग :

पिता का नाम :

क्र.स.	रजिस्टर में कामगारों की क्र.सं.	सेवा में प्रविष्टि की तारीख	व्यवधान					प्रभाव से अवकाश	क्या अगले 12 महीनों के दौरान वांछित छुट्टी नहीं दी गई है	वह तिथि जिससे कामगार को छुट्टी दी जाती है	दी गई छुट्टी की मजदूरी	डिस्चार्ज किए गए कर्मचारी		टिप्पणी
			बीमारी और दुर्घटनाएं	प्राधिकृत छुट्टी	तालाबंदी या कानूनी हड़ताल	अनैच्छिक बेरोजगारी	अन्य					डिस्चार्ज की तिथि	देय छुट्टी के बदले भुगतान की तिथि और राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोट:-प्रत्येक कामगार को अलग पेज आवंटित किया जाएगा

प्रपत्र-XII

(नियम – 77 और 78 देखें)

लाइसेंस के लिए आवेदन

लाइसेंस/लाइसेंस का नवीकरण/लाइसेंस में संशोधन (कॉमन/सिंगल लाइसेंस सहित)के लिए ऑनलाइन आवेदन						
भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय						
प्रतिष्ठान की रूपरेखा:						
श्रम पहचान संख्या.....					दिनांक	
पावती सं. आवेदन की तिथि:						
I. प्रतिष्ठान का विवरण जिसके लिए लाइसेंस अपेक्षित है:						
1. प्रतिष्ठान का नाम:						
2. प्रतिष्ठान का पता						
(क) ईमेल आईडी सहित मुख्य कार्यालय का पता:						
(ख) ईमेल आईडी सहित निगमित कार्यालय का पता:						
3. दूरभाष संख्या:						
4. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप: (दिए गए सभी लागू कार्यकलापों को चुनें)						
5. चयनित एनआईसी संहिता का ब्यौरा:						
6. मुख्य प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति:						
7. प्रतिष्ठान का पहचानकर्ता: (चुनें) : ई- हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर						
II. नियोक्ता का ब्यौरा:						
1. नियोक्ता का पूरा नाम: प्रतिष्ठान के साथ संबंध.						
2. नियोक्ता का पूरा पता:						
3. नियोक्ता की ईमेल आईडी:						
4. नियोक्ता का मोबाइल नंबर:						
III. नियोजित होने वाले/नियोजित ठेका श्रमिकों का विवरण (यदि लाइसेंस कार्यवार अपेक्षित है)						
कार्यक्षेत्रों का स्थान	कार्य का नाम	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप	कार्य आरंभ की तिथि	पूरा होने की तिथि	प्रतिष्ठान का नाम जिसमें ठेका श्रमिक नियोजित हैं/होने के लिए प्रस्तावित हैं	साइट प्रभारी का नाम, पता, ईमेल आईडी

1	2		3	4	5	6
5. किसी दिन प्रतिष्ठान में नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित कामगारों की अधिकतम संख्या: 24						
6. लाइसेंस शुल्क की राशि: आईएनआर (लेनदेन आईडी :)						
7. सुरक्षा जमा राशि: आईएनआर (लेन-देन आईडी :)						

IV प्रतिष्ठानों का ब्यौरा जिनके लिए कॉमन लाइसेंस अपेक्षित है (यदि आवेदन कर रहे हैं)

प्रतिष्ठान का प्रकार	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति (ii) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप	कार्य आरंभ होने की तिथि	स्थायी प्रतिष्ठान या कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख	नियोजित/नियोजित होने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	नियोजित/नियोजित होने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4	5	6	7

V. प्रतिष्ठान का ब्यौरा जिसके लिए एकल लाइसेंस अपेक्षित है (यदि आवेदन कर रहे हैं)

राज्य का नाम जहां प्रतिष्ठान स्थित है	प्रत्येक कार्य का नाम	श्रमिकों की अधिकतम संख्या जिन्हें नियोजित किया जाएगा/नियोजित हैं	आरंभ की तिथि	स्थायी प्रतिष्ठान या कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख	नियोजित/नियोजित करने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	पंजीकरण संख्या यदि प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका ब्यौरा
1	2	3	4	5	6	7

ठेकेदार के हस्ताक्षर

(ई-हस्ताक्षर/डीएससी)

टिप्पणी : यह श्रम सुविधा पोर्टल या नामोद्दिष्ट पोर्टल पर किए गए आवेदन का ऑनलाइन आवेदन का सारांश है।

लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन

- लाइसेंस संख्या: दिनांक:
- एलआईएन और पैन:
- प्रतिष्ठान का नाम और पता:
- पूर्व लाइसेंस की समाप्ति की तिथि:
- क्या नियोक्ता/ठेकेदार का लाइसेंस स्थगित किया गया था:

6. जमा किए गए शुल्क का ब्यौरा: (ई भुगतान की रसीद संलग्न करें): राशि..... भुगतान की तारीख :	
नियोक्ता/ठेकेदार का ई हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर	दिनांक:

लाइसेंस के संशोधन के लिए आवेदन:	
1. लाइसेंस संख्या	दिनांक:
2. एलआईएन और पैन	
3. प्रतिष्ठान का नाम और पता:	
4. विवरण जिसके लिए संशोधन मांगा गया है:	
(क). वर्तमान में नियोजित कामगारों के अधिकतम संख्या : (नियोजित होने वाले कामगारों की अधिक संख्या में बढ़ोतरी है तो विधि के अनुसार अतिरिक्त शुल्क/सुरक्षा जमा भरने की आवश्यकता होगी):	
(ख). ई भुगतान के माध्यम से किए गए शुल्क के भुगतान का तारीख सहित ब्यौरा :	
(ग). जारी किए गए लाइसेंस में संशोधन की अपेक्षा करने का अन्य विवरण (अपेक्षित संशोधन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाएं)	

नियोक्ता ठेकेदार का ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

आवेदन की दिनांक

दिनांक

स्थान

प्रपत्र-XIII

(नियम 79 देखें)

लाइसेंस का प्रफॉर्मा

लाइसेंस संख्या. -----

पंजीकरण संख्या -----

पंजीकरण की तारीख. -----

-----को एतद्वारा लाइसेंस दिया जाता है

जिसे -----परिसर के रूप में जाना जाता है

जो -----में स्थित है।

कार्य की प्रकृति -----

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, इसके बाद बताई गई सीमाओं के भीतर एक प्रतिष्ठान के रूप में उपयोग हेतु।

----- 20..

जारी करने वाला प्राधिकारी

क्रम संख्या	जारी करने की अवधि	के लिए वैध	शुल्क	भुगतान की तारीख	विलंब से भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क	भुगतान की तारीख	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
		किसी एक दिन में ठेका श्रमिक/कामगारों की अधिकतम संख्या					

संशोधन:

संशोधित किए जाने का वर्ष	किसी एक दिन में ठेका श्रमिक/कामगारों की अधिकतम संख्या	संशोधन शुल्क के भुगतान की तारीख	भुगतान की तारीख	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नामोद्दिष्ट प्राधिकारी के ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

प्रपत्र-XIV

(नियम-89 देखें)

ठेका कर्मचारी का अनुभव प्रमाणपत्र

जिससे भी संबंधित हो

1. ठेकेदार/नियोक्ता का नाम*:

2. ठेकेदार/नियोक्ता की एलआईएन/पेन की संख्या*:

3. ठेकेदार/नियोक्ता की ई-मेल आईडी *:

4. ठेका/नियोक्ता की मोबाइल संख्या *:

5. कार्य की प्रकृति और स्थान:

6. मुख्य नियोक्ता का नाम*:

7. मुख्य नियोक्ता की एलआईएन/पेन की संख्या.*

8. मुख्य नियोक्ता की ई-मेल आईडी: *

9. मुख्य नियोक्ता की मोबाइल संख्या:*

10. कामगार का नाम*:

11. यूएएन /आधार संख्या.:

12. मोबाइल संख्या. :

13. कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या :

14. बोर्ड की पंजीकरण संख्या, दिनांक और नाम यदि भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है:

15. रोजगार की अवधि:

16. पद:

ठेकेदार की मुहर सहित हस्ताक्षर

*जो भी लागू न हो वो काट दें।

प्रपत्र -XV

(नियम-94 देखें)

निर्माता और श्रव्य-दृश्य कामगार के मध्य समझौता

प्रथम भाग में मैसर्स के मध्य.....कार्यालय में इस दिन.....माह.....वर्ष('निर्माता' के रूप में इसके बाद संदर्भित किया जाता है) समझौता किया जाता है और दूसरे भाग में श्री/श्रीमति/कुमारी.....के पुत्र/पुत्री/पत्नी.....(इसके बाद में 'श्रव्य-दृश्य कामगार' के रूप में संदर्भित) निवास.....में रहते हैं। 'निर्माता' और 'श्रव्य-दृश्य कामगार' शब्द उनके उत्तराधिकारी, वंशज, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि में शामिल होंगे।

अब, इसलिए यह समझौता इस प्रकार है:

1. यह दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस समझौते की अवधि श्रव्य-दृश्य कार्य के पूरा होने तक की तारीख से होगी और यह अवधि अनुगामी महीनों से अधिक नहीं होगी।

2. यह श्रव्य-दृश्य कामगार स्टूडियो, स्थान या कार्य स्थल में, निर्माता द्वारा लिखित सूचना या लिखित रूप में उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा जैसा मामला हो, उसकी पिछली कार्य की आवश्यकता के अधीन और उसकी सहमति पर, उसके संबंधित कार्य पर यथासमय जब उसकी आवश्यकता होगी उपस्थित होने के लिए सहमत होता है।

3. यह श्रव्य-दृश्य सेवाओं की विसंगति के रूप में, पूर्वोक्त रूप में, इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर अग्रिम के रूप में देय.....रूपये (रुपये) की राशि का निर्माता भुगतान करने और श्रव्य-दृश्य कामगार प्राप्त करने और समान किशतों में देय रुपये का शेष प्राप्त करने के लिए सहमत है।

4. यह कि श्रव्य-दृश्य उत्पादन यदि निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं होता है और निर्माता को श्रव्य-दृश्य उत्पादन को पूरा करने के लिए अभी भी श्रव्य-दृश्य कामगार की सेवाओं की जरूरत है, तो निर्माता भुगतान करने तथा श्रव्य-दृश्य कामगार आनुपातिक आधार पर अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, जो उत्पादन के पूरा होने तक, ऊपर दिए गए खंड 3 की तरह से देय होगा।

5. यदि किसी प्रकार उपर्युक्त खंड 1 और 4 में निर्धारित अवधि की तुलना में श्रव्य-दृश्य कामगार का कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाता है तो निर्माता श्रव्य दृश्य कामगार का पूर्ण भुगतान करेगा तथा री-रिकॉर्डिंग कार्य / सेंसर के शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, शेष राशि का पूरा भुगतान करेगा।

6. यदि आवश्यक हो तो श्रव्य-दृश्य कामगार

(क) प्रारंभिक कार्य के लिए पूर्व की पाली में निर्धारित समय से पहले स्टूडियो, स्थान या कार्य-स्थान, जैसा मामला हो, में आता है और उस स्थिति में, उसे निर्माता द्वारा ऐसी प्रारंभिक उपस्थिति के लिए प्रति घंटे या उसके भाग..... रु. की दर से अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

(ख) यदि वह एक घंटे के विराम के साथ, कार्यदिवस से परे काम करना जारी रखता है और उस स्थिति में, निर्माता को सुविधाओं के अतिरिक्त घंटों के दौरान काम के लिए उसेरुपये की दर से अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान और जलपान, एवं परिवहन सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।

7. यह कि निर्माता और श्रव्य-दृश्य कामगार के प्रतिनिधि संगठनों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रथागत या निर्धारित किए अनुसार निर्माता झूठी पर रहते समय वाहन और भोजन उपलब्ध कराएगा या झूठी पर रिपोर्ट करने के लिए आने-जाने के यात्रा भत्ते और भोजन भत्ते का भुगतान करेगा।
8. यह कि निर्माता सभी यात्रा और आवास खर्चों, किरायों, भोजन की लागत और ऐसे अन्य प्रथागत भत्तों का भी भुगतान करेगा जब श्रव्य-दृश्य कामगारों को बाहरी स्थल पर काम करना आवश्यक होता है।
9. इस समझौते के तहत, निर्माता को श्रव्य-दृश्य कामगार उसके रोजगार/कार्य की अवधि के दौरान हुई दुर्घटना के द्वारा हुई मृत्यु सहित उस व्यक्ति की कोई भी चोट या क्षति के लिए उसका बीमा कराना होगा।
10. जहां आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से निर्माता को श्रव्य-दृश्य के उत्पादन का काम आगे बढ़ने से रोका जाता है: -

(क) उत्पादन निलंबित होने की स्थिति में उत्पादन के निलंबन की अवधि के दौरान वह इस समझौते के संचालन को निलंबित करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार पर इस तरह के निलंबन के बारे में सूचना देने का काम करेगा और इस तरह के नोटिस की सेवा की तारीख तक अपने सभी देयों का भुगतान करेगा। फिल्म पर काम फिर से शुरू करने पर, यह समझौता पुनर्जीवित हो जाएगा और निलंबन अवधि को छोड़कर खंड I में निर्धारित अवधि के लिए मान्य रहेगा; या

(ख) वह पूरी तरह से उत्पादन बंद होने की स्थिति में, उत्पादन की समाप्ति से इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार पर इस तरह की समाप्ति की सूचना देने के लिए एक नोटिस जारी करेगा और समाप्ति के समय श्रव्य-दृश्य कामगार को देय सभी राशि का भुगतान करेगा।

11. यदि निर्माता इस समझौते के तहत आवश्यक सेवाओं को करने के लिए श्रव्य-दृश्य कामगार के कर्तव्यों के निष्पादन या उसकी अनिच्छा के संबंध में कदाचार के अलावा अन्य कारणों से अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस समझौते को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो निर्माता केवल अनुबंध की निर्धारित राशि के शेष राशि के भुगतान पर ऐसा करने का हकदार होगा। श्रव्य-दृश्य कामगार को ऐसे भुगतान के बाद ही, निर्माता को उसके स्थान पर किसी अन्य श्रव्य-दृश्य कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए अधिकार दिया जाएगा।

12. यह कि निर्माता के पास यह अधिकार होगा कि वह श्रव्य-दृश्य कामगार के कर्तव्यों के पालन या समझौते के तहत आवश्यक सेवा करने के लिए उसकी अनिच्छा के संबंध में श्रव्य-दृश्य कामगार के ऑडियो-विजुअल में कुल काम और इस समझौते के समापन की तारीख तक पूरा होने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए गणना करके, सेवा-समाप्ति के समय देय राशि का श्रव्य-दृश्य कामगार को भुगतान करने पर श्रव्य-दृश्य कामगार की ओर से कदाचार के आधार पर इस समझौते को समाप्त कर दे। इस खंड के तहत समाप्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार के खिलाफ निर्माता के आरोपों को एक मंच के समक्ष साबित नहीं किया जाता है जिसमें उत्पादक संगठन और श्रव्य-दृश्य कामगार संगठन जिनमें निर्माता और श्रव्य-दृश्य कामगार क्रमशः शामिल हों, के प्रतिनिधि समान संख्या में हों। मंच का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। फोरम द्वारा इस तरह की समाप्ति के पक्ष में निर्णय देने और श्रव्य-दृश्य कामगार को उसके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद ही निर्माता इस समझौते के लिए नौकरी के लिए एक अन्य श्रव्य-दृश्य कामगार को कार्यबद्ध कर सकता है।

13. इस समझौते की समयपूर्व समाप्ति के मामले में, यह निर्माता का विकल्प होगा कि वह श्रव्य-दृश्य कामगार के काम को श्रव्य-दृश्य में बनाए रखे या नहीं, तथा इसी के साथ ही श्रव्य-दृश्य कामगार को यह विकल्प होगा फिल्म के क्रेडिट खिताब पर जाने के लिए अपने नाम की अनुमति देता है या नहीं।

14. यह कि निर्माता के पास स्क्रीन पर श्रव्य-दृश्य कामगार के व्यक्तित्व, उसके कपड़े, मेकअप और हेयर-स्टाइल का प्रतिनिधित्व करने का तरीका तय करने का अधिकार होगा, और श्रव्य-दृश्य कामगार इस संबंध में निर्माता की दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से और स्वेच्छा से पालन करेंगे, बशर्ते कि इस संबंध में निर्माता की अपेक्षाओं से श्रव्य-दृश्य कामगार को सूचित किया गया हो और उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो।

15. यह कि श्रव्य-दृश्य कामगार इस बात से सहमत है कि वह अपनी सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ रूप से अपनी क्षमता इस तरह प्रस्तुत करेगा/करेगी जैसे कि निर्माता या श्रव्य-दृश्य का निदेशक निर्देश देता हैं और सभी उचित निर्देशों का पालन करें जो वह फिल्म के निर्माण के लिए संभवतः दे सकते हैं।

16. यह कि निर्माता को सभी यात्रा और आवास खर्च, किराए, भोजन की लागत और ऐसे अन्य भत्तों जो प्रथागत होते हैं के लिए भी भुगतान करना होगा, जब श्रव्य-दृश्य कामगार को स्थान पर काम करना आवश्यक होता है।

17. इस समझौते के तहत निर्माता को श्रव्य-दृश्य कामगार उसके रोजगार उसके कार्य की अवधि के दौरान हुई दुर्घटना के द्वारा हुई मृत्यु सहित उस व्यक्ति की कोई भी चोट या क्षति के लिए उसका बीमा कराना होगा।

18. जहां आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से निर्माता को श्रव्य-दृश्य के उत्पादन का काम आगे बढ़ने से रोका जाता है: -

(क) उत्पादन निलंबित होने की स्थिति में उत्पादन के निलंबन की अवधि के दौरान वह इस समझौते के संचालन को निलंबित करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार पर इस तरह के निलंबन के बारे में सूचना देने का काम करेगा और इस तरह के नोटिस की सेवा की तारीख तक अपने सभी देयों का भुगतान करेगा। फिल्म पर काम फिर से शुरू करने पर, यह समझौता पुनर्जीवित हो जाएगा और निलंबन अवधि को छोड़कर खंड I में निर्धारित अवधि के लिए मान्य रहेगा; या

(ख) वह पूरी तरह से उत्पादन बंद होने की स्थिति में, उत्पादन की समाप्ति से इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार पर इस तरह की समाप्ति की सूचना देने के लिए एक नोटिस जारी करेगा और समाप्ति के समय श्रव्य-दृश्य कामगार को देय सभी राशि का भुगतान करेगा।

19. यदि निर्माता इस समझौते के तहत आवश्यक सेवाओं को करने के लिए श्रव्य-दृश्य कामगार के कर्तव्यों के निष्पादन या उसकी अनिच्छा के संबंध में अन्य कारणों से इसकी अवधि की समाप्ति से पहले इस समझौते को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो निर्माता केवल अनुबंध की निर्धारित राशि की शेष राशि के भुगतान पर ऐसा करने का हकदार होगा। श्रव्य-दृश्य कामगार को ऐसे भुगतान के बाद ही, निर्माता को उसके स्थान पर किसी अन्य श्रव्य-दृश्य कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार दिया जाएगा।

20. यह कि निर्माता के पास यह अधिकार होगा कि वह श्रव्य-दृश्य कामगार के कर्तव्यों के पालन या समझौते के तहत आवश्यक सेवा करने के लिए उसकी अनिच्छा के संबंध में श्रव्य-दृश्य कामगार के ऑडियो-विजुअल में कुल काम और इस समझौते के समापन की तारीख तक पूरा होने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए गणना करके, सेवा-समाप्ति के समय देय राशि का श्रव्य-दृश्य कामगार को भुगतान करने पर श्रव्य-दृश्य कामगार की ओर से कदाचार के आधार पर इस समझौते को समाप्त कर दे। इस खंड के तहत समाप्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार के खिलाफ निर्माता के आरोपों को एक मंच के समक्ष साबित नहीं किया जाता है

जिसमें उत्पादक संगठन और श्रव्य-दृश्य कामगार संगठन जिनमें निर्माता और श्रव्य-दृश्य कामगार क्रमशः शामिल हों, के प्रतिनिधि समान संख्या में हों। मंच का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। फोरम द्वारा इस तरह की समाप्ति के पक्ष में निर्णय देने और श्रव्य-दृश्य कामगार को उसके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद ही निर्माता इस समझौते के लिए नौकरी के लिए एक अन्य श्रव्य-दृश्य कामगार को कार्यबद्ध कर सकता है।

21. इस समझौते की समयपूर्व समाप्ति के मामले में, यह निर्माता का विकल्प होगा कि वह श्रव्य-दृश्य कामगार के काम को श्रव्य-दृश्य में बनाए रखे या नहीं, साथ ही यह विकल्प होगा श्रव्य-दृश्य कामगार फिल्म के क्रेडिट खिताब पर जाने के लिए अपने नाम की अनुमति देता है या नहीं।

22. यह कि निर्माता के पास स्क्रीन पर श्रव्य-दृश्य कामगार के व्यक्तित्व, उसके कपड़े, मेकअप और हेयर-स्टाइल का प्रतिनिधित्व करने का तरीका तय करने का अधिकार होगा, और श्रव्य-दृश्य कामगार इस संबंध में निर्माता की दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से और स्वेच्छा से पालन करेंगे, बशर्ते कि इस संबंध में निर्माता की अपेक्षाओं से श्रव्य-दृश्य कामगार को सूचित किया गया हो और उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो।

23. यह कि श्रव्य-दृश्य कामगार इस बात से सहमत है कि वह अपनी सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ रूप से अपनी क्षमता इस तरह प्रस्तुत करेगा/करेगी जैसे कि निर्माता या जैसा कि श्रव्य-दृश्य के निदेशक निर्देश देता हैं और सभी उचित निर्देशों का पालन करें जो वह फिल्म के निर्माण के लिए कर सकते हैं।

24. यह कि श्रव्य-दृश्य कामगार स्टूडियो, स्थान या कार्य स्थल, जैसा भी मामला हो, के सभी नियमों का पालन करेगा।

25. यह कि निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार के लिखित रूप में सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को इस समझौते के लाभ को असाइन या ट्रांसफर नहीं करेगा।

26. यह कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) का अध्याय-111 के उपबंध इस समझौते पर लागू होंगे।

27. यह कि निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार की पूर्व अनुमति के बिना, इस समझौते के तहत श्रव्य-दृश्य के अलावा किसी भी फिल्म में श्रव्य-दृश्य कामगार के काम का उपयोग नहीं करेगा।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की उपस्थिति में और गवाहों की उपस्थिति में उपरोक्त तिथि, माह और वर्ष पर इस समझौते को स्वीकार किया है।

1. साक्षी निर्माता
नाम और पता

2. साक्षी श्रव्य-दृश्य कामगार

नाम और पता

[फा. सं. एस/65025/01/2021-आईएसएच-II]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2025

G.S.R. 934(E).—Whereas, subsequent to the enactment of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) (The said Code) by Parliament, the draft Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2020 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide Notification number G.S.R.729 (E), dated 19th November, 2020 and GSR 261(E) dated 15th April 2021 inviting objections and suggestions as required under sections 133 and 134 of the said Code;

And whereas, vide notification number S.O. 5321 (E), dated 21st November, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), all the provisions of the said Code have been brought into the force.

Now therefore, the following draft rules, which the Central Government proposed to make in exercise of powers conferred by Sections 133 and 134 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) read with section 24 of General Clauses Act, 1897(10 of 1897) and in supersession of the-

1. The Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Rules, 1990;
2. The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Services), Rules, 1998;
3. The Model Factories Rules;
4. The Mines Rules, 1955;
5. The Mines Rescue Rules, 1985;
6. The Mines Vocational Training Rules, 1966;
7. The Pithead Bath Rules, 1959;
8. The Mines Crèche Rules, 1966;
9. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971;
10. The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1979;
11. The Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Rules, 1957;
12. The Cine-Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Rules, 1984;
13. The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Rules, 1976.

made by the Central Government in exercise of the powers conferred by the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986(54 of 1986), the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996(27 of 1996), Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Mines Act, 1952(35 of 1952), The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970(37 of 1970), The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979(30 of 1979), The Working Journalists (Fixation of Rates of Wages) Act, 1958(29 of 1958), The Cine-Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act, 1981(50 of 1981), The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976(11 of 1976) , as the case may be which are repealed by section 143 of the said, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, except as respected things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified as required by subsection (1) of said Section 133 and sub-section (1) of sub section 134, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Ravi Shankar Nirala, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, Room No: 17, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi or by email (fasli@dgfasli.nic.in and ravis.nirala@nic.in) the objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the persons and organizations and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub rule proposed to be submitted and the reasons therefore;

Objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

Chapter – I

Preliminary

1. **Short title, extent and commencement.**-(1) These rules may be called the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2025.
 - (2) They extend to whole of India.
 - (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**- (1) **In these rules, unless the context otherwise requires,-**
 - (a) “Code” means the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020);
 - (b) “section” means the section of the Code;
 - (c) ”Form” means a form annexed to these rules;
 - (d) “Registering Officer” means the registering officer appointed by the Central Government under the code for the purpose of these rules;
 - (2) The words and expressions used in these rules and are not defined therein, but are defined in the Code, shall have meanings respectively assigned to them in the Code.

Chapter II

Registration

3. **Application for registration under Section 3.**- (1) (i) The employer seeking registration for an establishment not already registered shall apply electronically in Form-I on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour & Employment or designated Portal by giving details about the establishment, and uploading documents related to Registration of the establishment, proof of Identity and address of the employer as specified in the said Form. The said Form shall be signed digitally or in any other manner as may be required on the portal. The applicant shall be responsible for veracity of all information submitted in the application.
 - (ii) The Permanent Account Number (PAN) of the applicant or the establishment, allotted under Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or any other unique number allotted to the establishment under any other Act for the time being in force or any other particular furnished in the said form, may be verified online.
 - (iii) The certificate of registration shall be issued in **Form-II** electronically immediately, if the application is complete in all respect but not later than seven days from the date of submission of complete application, failing which such establishment shall be deemed to have been registered and the certificate of registration shall be auto generated:

Provided that in exceptional circumstances the Central Government may, for such period, by notification, as specified therein dispense with requirement of electronic registration, in respect of establishment or class of establishment, for part or whole of India, and submission of application in **Form-I** so provided, may be allowed.
 - (iv) The certificate of registration shall be non-transferable and a copy of the certificate of registration shall be displayed in the premises of the establishment at a conspicuous place(s) in hard copy or electronically.
- (2) The Registering Officer under the Code may direct the employer who fails to comply with the requirements of sub-rule (1), comply with such requirements within the time stated in such direction and such employer shall; there upon comply with the direction issued by such Officer in this behalf.
- (3) The employer in respect of an establishment already registered under any other Central labour laws for the time being in force shall, update the registration particulars on the Shram Suvidha Portal or designated Portal of the Ministry of Labour & Employment, within six months from the date on which this Rule comes into force.

(4) Any registration obtained by providing wrong information shall be liable to be cancelled provided that establishment has been given an opportunity to show cause within a period of 30 days, electronically or by registered post or by speed post, as to why the certificate of registration should not be cancelled.

(5) The employer shall quote the registration number on all documents prepared or completed by him in connection with the Code or the Rules or the Regulations or the Scheme, as the case may be, made thereunder and in all correspondence with the office concerned.

(6) Any change in the ownership, management or any particular furnished in registration Form submitted on the specified portal shall be updated on the portal by the employer within thirty days of such change.

(7) The employer of an establishment, to which the provisions of the Code apply and whose business activities are in process of closure, may apply for cancellation of registration online on the Shram Suvidha Portal or designated Portal of the Ministry of Labour & Employment after giving complete details of the dues payable under the Central Labour Codes for the time being in force:

Provided that no such application for cancellation of registration shall be entertained unless the employer has furnished all statutory returns, paid all statutory dues under the Central labour Codes and any other Central labour laws for the time being and submitted a self-certification to that effect along with the application.

(8) The Registering Officer shall maintain a register of establishment electronically in **FORM-III** showing the particulars of establishment in relation to which certificates of registration have been issued by him.

(9) The employer shall, within thirty days of the commencement and completion of any work, intimate to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction in the area where the proposed establishment is situated or as the case may be, the work is to be executed, intimating the actual date of the commencement, completion of work and cessation of establishment as the case may be, in **FORM-IV** electronically and the same shall be auto-shared to Employees' Provident Fund Organization (EPFO) and Employees' State Insurance Corporation (ESIC).

4. Appeal under section 4. (1) The employer, aggrieved by the order of Registering Officer, may appeal against such order before the appellate officer notified by the Central Government for such purpose within thirty days from the date of receipt by him of such order, electronically or by registered post or speed post.

(2) Where the memorandum of appeal is in order, the appellate officer shall admit the appeal, acknowledge it and intimate admission of such appeal, and shall register the appeal in electronic form as specified by the Government by general or special order.

(3) When the appeal has been admitted, the appellate officer shall send the notice of the appeal to the Registering Officer, against whose order the appeal has been preferred and the Registering Officer shall there upon send the records of the case to the appellate officer online electronically or by registered post or speed post.

(4) On receipt of the appeal, the appellate officer shall send a notice electronically or by registered post or speed post to the appellant to appear before him on such date and time as may be specified in the notice for the hearing of the appeal. If the appellant is present when the appeal is called on for the hearing, the Appellate Officer shall proceed to hear the appellant or his authorised agent and any other person summoned by him for this purpose, and pronounce judgment on the appeal confirming, reversing or varying the order appealed against the appeal is preferred.

(5) If on the date fixed for hearing, the appellant does not appear, the appellate officer may dismiss the appeal for default of appearance of the appellants by sending the copy of the order of dismissal to the applicant electronically or by registered post or speed post.

(6) Where an appeal has been dismissed, the appellant may apply electronically or by registered post or speed post, to the appellate officer for the restoration of the appeal within thirty days from the date of receipt of the order of dismissal under sub-rule (5) and if the appellate officer is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from appearing, the appellate officer shall restore the appeal.

(7) The order of the appellate officer under sub-rule (6) shall be communicated electronically or by registered post or speed post to the appellant and copy thereof shall be sent to the Registering Officer against whose order the appeal has been preferred.

(8) An appeal under this rule shall be disposed of within thirty days from the date on which the appeal is received under sub-section (4).

5. Notice of commencement and cessation of operation under section 5.- The employer of every establishment being mine or relating to contract labour or building or other construction works shall within thirty days of the commencement or cessation of operation of the establishment, submit to the Registering Officer notice of commencement and cessation of operation in **FORM-IV**, electronically and the notice of cessation of operation shall be enclosed with a certificate that the payment of all dues to the workers employed in the establishment have been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

Chapter-III

Duties of Employer and Employee

Rule No. 6. Annual Health Examination of employees under clause (c) of sub-section (1) of Section 6: Every employer of factory, dock, mine, building & other construction work shall arrange to conduct free of cost, medical examination for every employee annually i.e. within 120 days from the commencement of the calendar year who has completed 40 years of age. The medical examination shall be conducted by a qualified medical practitioner as per proforma in the **Form-V**. The Medical Certificate shall be submitted by the qualified medical practitioner to the concerned employer and employee.

Provided that an employer may avail facility for medical examination of the employee (s) under relevant rule of Social Security Code Rules, 2025 through Employees' State Insurance Corporation (ESIC).

Provided that in case of mines additional tests and conditions of annual medical examinations of employees shall be governed under Rule 98.

7. Letter of appointment to employee under clause (f) of sub-section (1) of Section 6.-No employee shall be employed in any establishment unless he has been issued a letter of appointment in the format given below:

Provided that, an employee who has not been issued an appointment letter containing the required particulars, shall be issued an appointment letter within three months of coming into force of this rule.

Format

- i. Name of employee:
- ii. Date of birth:
- iii. Father's / Mother's name:
- iv. Aadhar number:
- v. Labour Identification Number (LIN) of the establishment:
- vi. Universal Account Number (UAN) or Insurance Number (ESIC)(if available):
- vii. Designation:
- viii. Category of skill:
- ix. Date of joining:
- x. Wages/Basic/Pay and Dearness Allowance:
- xi. Other allowance including accommodation whichever is/are applicable:
- xii. Avenue for achieving higher wages or higher position:
- xiii. Applicability of social security Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and Employees' State Insurance Corporation (ESIC) benefits:
- xiv. Broad Nature of duties to be performed:
- xv. Any other information:

Signature

Occupier or employer or owner or agent or manager

8. Notice of accidents and dangerous occurrences under sub-section (1) of section 10 and section 11.-

(1) Where at any place in an establishment which is dock work, mines, building or other construction work; an accident occurs which results in the death of any person, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice thereof in **FORM-VI** electronically and inform by telephone to the Inspector-cum-Facilitator, Chief Inspector-cum Facilitator, District Magistrate or Sub-divisional Officer and the officer-in-charge of the nearest police station; and the family members or kin of the deceased person.

(2) Where at any place in an establishment which is dock work, mines, building or other construction work, an accident occurs which results in bodily injury by reason of which the person injured is prevented from working for a period of forty eight hours or more immediately following the accident, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice in **FORM-VI** within twelve hours after the completion of forty eight hours, electronically to the Inspector-cum-Facilitator.

(3) Where in an establishment, there is any dangerous occurrence as specified in the schedule annexed hereto, whether causing any bodily injury or disability or not, a notice in **FORM-VI** shall within twelve hours be sent to-

- (a) the Inspector-cum-Facilitator ;
- (b) District Magistrate or Sub-divisional Officer;

Provided that if in the case of an accident or dangerous occurrence, death occurs to any person injured by such accident or dangerous occurrence after the notices referred to in the foregoing sub-rules have been sent, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice thereof by telephone and electronically to the authorities and persons mentioned in sub-rules (1) and (2) and also have this information confirmed in writing within twelve hours of the death.

Provided further that, if the period of disability from working for 48 hours or more referred to in sub-rule (2) does not occur immediately following the accident, or the dangerous occurrence, but later on occurs in more than one spell, the report there of shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator in the **FORM-VI** within 24 hours following the hours when the actual total period of disability from working resulting from the accident or the dangerous occurrence becomes 48 hours.

SCHEDULE

The following classes of dangerous occurrences, whether or not they are attended by personal injury or disablement, namely: -

- (i) bursting, of any plant or pipeline or equipment containing petroleum, steam, compressed air or other substance at a pressure greater than the atmospheric pressure; a blow out in case of oil mine;
- (ii) collapse or failure of a crane, derrick, winch, hoist or other appliances used in raising or lowering persons or goods, or any part thereof, or the overturning of a crane.
- (iii) explosion, explosion due to explosives, fire, leakage or release of harmful toxic gases, bursting out, leakage or escape of any molten metal, or hot liquid or gas causing bodily injury to any person or damage to any room or place in which persons are employed;
- (iv) explosion of a receiver or container used for the storage at pressure greater than atmospheric pressure of any gas or gases (including air) or any liquid or solid resulting from the compression of gas.
- (v) collapse or failure of lifting appliances or hoist or conveyors or other similar equipment for handling building or construction material or breakage or failure of rope, chain or loose gears; overturning of cranes used in building or other construction work; falling of objects from height;
- (vi) a spontaneous heating or outbreak of fire, or appearance of smoke, or other indication of heating or outbreak of fire in belowground mines;
- (vii) collapse of any wall, floor, gallery, roof bridge, tunnel, chimney, wall, building or subsidence of soil or any other structure, platform, staging, scaffolding or any means of access including formwork; contact work, excavation and collapse of transmission;
- (viii) spillage or leakage of hazardous substances and damage to their container;
- (ix) an eruption or inrush of water or other liquid matter in mines;

- (x) collapse, capsizing, toppling or collision of transport equipment within the establishment;
- (xi) fall from height of any excavation, loading or transport machinery;
- (xii) an instantaneous failure of a pillar, part of a pillar or several pillars in working below ground;
- (xiii) a rock-burst in working belowground; a premature collapse of any part of the working;
- (xiv) a breakage, fracture or failure of an essential part of any machine or apparatus whereby the safety of persons may be endangered;
- (xv) a slide causing injury to any person, damage to any machinery, or interruption of normal mining operations;
- (xvi) failure of dump or side in opencast working; a blowout;
- (xvii) a failure of any structure or installation whereby the safety of persons may be endangered; or spark generated due to electrical flash-over causing burn injury to any person;
- (xviii) a major uncontrolled emission of petroleum or chemical spillage;

- 9. Notice of disease under sub-section (1) and (2) of Section 12.-** (1) A notice in the following format shall be sent forth electronically, to the Inspector-cum Facilitator or Chief Inspector-cum-Facilitator, by the employer or occupier or manager of an establishment in which there occurs any disease as notified under the Third Schedule to the Code.

NOTICE OF DISEASE

(1) Name and address the employer or Occupier or Manager

- (1) Name **and address** of establishment:
- (2) Nature of establishment:
- (3) In case of mines the name of the mineral:
- (4) Details of Patient:
 - (a) Name of Patient:
 - (b) Worker number of Patient:
 - (c) Address of patient:
 - (d) Precise occupation of patient:
- (5) Nature of disease from which patient is suffering:
- (6) Date of detection of disease:
- (7) Details of medical practitioner:
- (8) Has the case been reported to the Medical Officer:

Date:

Signature of employer or occupier or manager

(2) If any qualified medical practitioner attends on a person who is or has been employed in an establishment and who is or is believed by the qualified medical practitioner to be suffering from any disease specified in the Third Schedule to the code, the qualified medical practitioner shall without delay send a report in writing to the office of the Chief Inspector-cum-Facilitator stating-

- (a) the name and full postal address of the patient,

- (b) the disease from which he believes the patient to be suffering, and
- (c) The name and address of the establishment in which the patient is or was last employed.

10. Duties of employee under clause (d) and (g) of section 13.- If an employee comes to know that of any unsafe or unhealthy condition in the establishment, he shall report to the health and safety representative or safety officer or agent or manager in case of mine, as soon as practicable, electronically or in writing or telephonically and such representative or officer or agent or manager, as the case may be, report to the employer electronically or by registered post of speed post.

11. Rights of Employee under sub-section (3) of section 14.- On receipt of information from the employee relating to the existence of an imminent danger to their safety and health, the employer shall take immediate remedial action in this regard. The employer, whether satisfied or not, shall send a report forthwith of such actions taken, to the Inspector-cum-Facilitator electronically or by registered post or speed post.

Chapter IV

Occupational Safety and Health

12. Provisions relating to National Occupational Safety and Health Advisory Board under sub sections (3) of Section 16. (1) The Members of the National Board as specified in Section 16(2) (g), (j), (k), (l), (m) and (n) shall be appointed by the Central Government.

(2) The National Board may meet as often as necessary to discharge the functions as specified in sub-section (1) of Section 16.

13. Resignation (1) A Member of the National Board, not being an ex-officio member, may resign from his office by a letter in writing addressed to the Chairperson of the National Board.

(2) The seat of such a Member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted by the Central Government, or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter of resignation by the Central Government whichever is earlier.

14. Cessation of membership: If any Member of the National Board, not being an ex-officio member, fails to attend three consecutive meetings of the National Board, without obtaining the leaves sanctioned by the Chairperson of National Board for such absence, he shall cease to be a member of National Board:

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such Member was prevented by sufficient cause from attending three consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such Member shall continue to be a Member of National Board.

15. Disqualification for Membership: A person shall be disqualified for being a Member of the National Board,

- (i) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent authority;
- (ii) if he is an un-discharged insolvent; or
- (iii) if he has been convicted for an offence, having a penalty of imprisonment of three months or more;

16. Removal from Membership: The Central Government may remove any Member of the National Board, if in its opinion such Member has ceased to represent the interest which he purports to represent on such National Board:

Provided that no such member shall be removed unless a reasonable opportunity is given to him of making presentation against the proposed action under this rule.

17. Travelling Allowance for Members (1) The travelling allowance of an official Member of the National Board shall be governed by the rules applicable to him for journey performed by him on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

(2) The non-official Members of the National Board shall be paid travelling allowance for attending the meeting of the National Board at such places as per the instructions issued by Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India from time to time.

18. Constitution of Technical Committees under sub section (5) of Section 16

- (i) The Central Government may constitute one or more Technical Committees for the purpose of assisting the Central Government or National Board in discharge of its functions specified in sub section (1) of Section 16 of the Code.
- (ii) The Technical Committees may be multi-members committee, and consist of members from government, public, autonomous or private institutions/industries.
- (iii) The members of the committee shall have Bachelor's degree in engineering with Diploma/post-graduate diploma in industrial safety or Master's Degree in (Physics/Chemistry)/ MBBS with Associate Fellow of Industrial Health (AFIH), with an experience of not less than 20 years in the relevant field/industry.
- (iv) In case of mines, a member having Bachelor's degree in Mining engineering with First Class Manager's Certificate of Competency to manage a coal or metalliferous mine or M.E/M.Tech./Ph. D in mining discipline/MBBS, with experience of not less than 20 years in regulatory body or industry or research or academic institutions or occupational health may be nominated to the technical committee.
- (v) The Chairperson of the Technical Committee may be the ex-officio member as nominated by the Central Government.
- (vi) The Technical Committee may constitute sub-committees to meet the specific requirements.
- (vii) The Technical Committee shall follow such rules and procedure including its transaction of business as may be issued by an order by the Central Government or National Board from time to time.
- (viii) TA/DA for non-official members of the Technical Committee shall be as per the instructions issued by Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India from time to time.

19. Functions of Technical Committees.

- (i) The Technical Committees shall frame, formulate and review standards, rules and regulations on Occupational Safety, Health and Working Conditions under the OSH&WC Code, 2020.
- (ii) The Technical Committee shall meet regularly on need basis and not less than once in a three month.

20. Resignation.

- a. A member of the Technical Committee, not being an ex officio member, may resign his office by a letter in writing addressed to the Central Government through the Chairperson of the Technical Committee.
- b. A Chairperson of the Technical Committee may resign his office by a letter in writing addressed to the Central Government through Secretary, Ministry of Labour and Employment.
- c. The seat of such a member or Chairperson as case may be shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted by the Central Government, or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter of resignation by Central Government whichever is earlier.

21. Cessation of membership.

If any member of the Technical Committee, not being an ex officio member, fails to attend two consecutive meetings of such Committee, without obtaining the permission of the Chairperson of such Committee for such absence he shall cease to be a member of such Committee:

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending two consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such member shall continue to be a member of such Committee.

22. Disqualification for membership.

- (i) A person shall be disqualified for being a member of the Technical Committee —
 - (a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
 - (b) if he is an undischarged insolvent; or
 - (c) if he has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude.
- (ii) Where a question arises as to whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the Central Government shall decide such question, should be treated as final.

23. Removal from membership.

The Central Government may remove any member or Chairperson of the Technical Committee, if in its opinion such member has ceased to represent the interest which he purports to represent on such Committee:

Provided that no such member shall be removed unless a reasonable opportunity is given to him of making a representation against the proposed action under this rule.

24. Collection of statistics and portal for inter-State migrant workers under sub-sections (1) and (2) of Section 21.-The employer shall submit the detail statistics of inter-state migrant workers and of their occupational safety and health and electronically on web portal designated for the purpose by the Central government or such member of workers as may be specified by general or special order under.

25. Safety Committee under Section 22. (1) Every establishment employing 500 or more workers except for the establishment prescribed under sub-section (1) of section 22 shall constitute a safety committee consisting of representatives of employers and workers.

(2) The tenure of the safety committee shall be for three years. The safety committee shall meet at least once in every quarter. In case of mines, the safety committee shall meet at least once in a month.

(3) Safety Committee shall have the right to be adequately and suitably informed of—

- (a) potential safety and health hazards to which the workers may be exposed at workplace;
- (b) data on accidents as well as data resulting from surveillance of the working environment and of the health of employees, conducted at such establishments.

(4) The owner, employer, occupier, agent or manager shall, within a period of 15 days from the date of receipt of the recommendations of the Safety Committee shall take action to implement the recommendations.

26. Composition of Safety Committee.- (1)The representatives of the management on Safety Committee, except in mine, shall consist of-

- (a) a senior official, who by his position in the organization can contribute effectively to the functioning of the Committee, shall be the Chairman;
- (b) a Safety Officer and Medical Officer wherever available and the safety officer in such a case shall be the Secretary of the Committee; and
- (c) A representative each from the production, maintenance and purchase departments.

(2) (i) the Safety Committee shall consist of equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed twenty;

(ii) the representatives of the employer in the Safety Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the establishment, preferably the heads of major departments of the establishment;

(iii) the representative of the workers in the Safety Committee shall be chosen in the following manner, namely: -

(a) where there is a sole negotiating union or negotiating union under sub-section (2) or sub-section(3) of section 14 or a negotiating council under sub-section(4) of that section 14 of the Industrial Relations Code,2020(35 of 2020) or negotiating union or under said sub section (3) negotiating council, as the case may be, shall nominate the worker's representatives on the Safety Committee and in the case of the negotiating council, the nomination shall be in the manner that every registered Trade Union representing in negotiating council shall be represented in the Safety Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;

(b) where there is no such sole negotiating union or negotiating union or negotiating council as referred to the clause (a), the workers of the industrial establishment shall choose amongst themselves the worker's representatives on the Safety Committee:

Provided that, the employer may, deploy an electronic process of conducting the process of choosing representative of workers over an information technology application, online platform or like other platform under:

Provided further that there shall be adequate representation of women workers on the Safety Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total number of workers employed in the industrial establishment:

Provided further that the tenure of the members of the Safety Committee shall be three years.

Provided also that in case there is no recognized both negotiating union or negotiating council and where any dispute arises regarding choosing of the worker's representative to the Safety Committee, the matter may be referred to the concerned Regional Labour Commissioner (Central), who shall after hearing the parties decide the matter and his decision shall be final.

(3) The minutes of the meeting of the Safety Committee referred to in sub-rule (1) shall be recorded.

(4) Function and duties of the Safety Committee in an establishment shall include –

- (a) assisting and cooperating with the management in achieving the aims and objectives outlined in the 'Safety and Health Policy of the establishment;
- (b) dealing with all matters concerning health, safety and environment and to arrive at practicable solutions to problems encountered;
- (c) creating safety awareness amongst all workers;
- (d) undertaking educational, training and promotional activities;
- (e) discussing reports on safety, environmental and occupational health surveys, safety audits, risk assessment, emergency and disaster management plans and implementation of the recommendations made in the reports;
- (f) looking into the matters likely to cause danger to the safety and health of the workers and suggest corrective measures; and
- (g) Reviewing the implementation of the recommendations made by it.

27. Composition of Safety Committee in case of mines. - The Safety Committee shall consist of equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed twenty;

(1) The representative of the employer on safety committee, in the mine shall be nominated by the employer and shall, as far as possible, be officials in direct touch with or associated with the workings of the mine, preferably the heads of major departments of the mine and will consists of ;

- (i) the manager referred to in section 67 of the Code shall be the Chairman;
- (ii) Five officials or competent persons of the mine nominated by the Chairman;
- (iii) The safety officer, or where there is no safety officer, the senior most mine official next to the manager, who shall act as Secretary to the Committee;

(2) The representative of the workers in the Safety Committee shall be chosen in the following manner, namely:-

- (i) where there is a sole negotiating union or negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14 or a negotiating council under sub-section(4) of that section14 of the Industrial Relations Code,2020 (35 of 2020) or negotiating union or under said sub section (3) negotiating council, as the case may be, shall nominate the worker's representatives on the Safety Committee and in the case of the negotiating council, the nomination shall be in the manner that every registered Trade Union representing in negotiating council shall be represented in the Safety Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;
- (ii) where there is no such sole negotiating union or negotiating union or negotiating council as referred to the clause (a), the workers of the industrial establishment shall choose amongst themselves the worker's representatives on the Safety Committee:

Provided that, the employer may, deploy an electronic process of conducting the process of choosing representative of workers over an information technology application, online platform or like other platform under:

Provided further that there shall be adequate representation of women workers on the Safety Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total number of workers employed in the industrial establishment:

Provided further that the tenure of the members of the Safety Committee shall be three years.

Provided also that in case there is no recognized both negotiating union or negotiating council and where any dispute arises regarding choosing of the worker's representative to the Safety Committee, the matter may be referred to the concerned Regional Labour Commissioner (Central), who shall after hearing the parties decide the matter and his decision shall be final.

Provided further that the workers representatives at least one each from mining, electrical and mechanical discipline shall be nominated/elected as the case may be.

28. Functions of Safety Committee.— The functions of the Committee shall be-

- (a) to discuss remedial measures against the unsafe conditions and practices in the mine as pointed out in there ports of worker's representative brought to the notice of the Committee and make appropriate recommendations;

- (b) to consider, before commencement of operations in any, new area of the mine or installations of oil mine or commissioning of new electrical or mechanical installation or introduction of new mining technique, the proposed Safety and health measures including related codes of practice and to make appropriate recommendations;
- (c) to discuss the report of inquiry into accident, dangerous occurrences etc., and make appropriate recommendations;
- (d) to formulate and implement appropriate Safety campaign based on analysis of accidents and dangerous occurrences;
- (e) to serve as a forum for communication on Safety and occupational health matters; and
- (f) to discuss the standard operating procedures (SOP) prepared for different plant, equipment, installations and methods at the mine and make appropriate recommendations.

29. Duties of Safety Officer.- (1) It shall be the duty of the Safety Officer in a mine to assist the manager in any other matter relating to safety in the mine; and

(2) ensure that an appropriate emergency plan as required under these regulations is put in place and the requirements of the same are implemented.

(3) Except in an emergency, no duties other than those specified in sub-rule (1) shall be assigned to the Safety officer.

(4) The safety officer shall maintain in a bound paged book a detailed record of the work performed by him.

30. Safety Officer for Dock Works and Building or Other Construction Works.- (1) In every establishment of dock work wherein 500 or more workers and building and other construction work wherein 250 or more workers are ordinarily employed, the employer shall employ Safety Officer as per the scale mentioned below:-

For Dock Work

(i) for dock work-

- a. up to 1000 Dock Workers - one Safety Officer;
- b. up to 2000 Dock Workers – two Safety Officers;
- c. up to 5000 Dock Workers – three Safety Officers;
- d. up to 10,000 Dock Workers –four Safety Officers;
- e. for every additional 5000 dock workers or part thereof- one Safety Officer.

(ii) For Building or Other Construction works

- a. Up to 500 Building Workers- one Safety Officer;
- b. up to 1000 building workers – two Safety Officers;
- c. up to 2000 building workers – three Safety Officers;
- d. up to 5,000 building workers –four Safety Officers;
- e. for every additional 2000 building workers or part thereof- one Safety Officer.

(2) A person shall not be eligible for appointment as a Safety Officer relating to dock work or building or other construction work unless he possesses –

- (i) a recognised degree in any branch of engineering or technology and has had practical experience of working in a supervisory capacity for a period of not less than 2 years; or
- (ii) a recognized degree in physics or chemistry and has had practical experience in a supervisory capacity for a period of not less than 5years; or
- (iii) a recognized diploma in any branch of engineering or technology and has had practical experience in a supervisory capacity for a period of not less than 5 years;

- (iv) possesses a degree or diploma in industrial safety recognised by the State Government in this behalf;
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (2), any person who –
- (i) possesses a recognised degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5 years in a department of the Central or State Government which deals with the administration of the Factories, Building or other Construction works and Dock works or
- (ii) possesses a recognised degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5 years, full time, on training, education, consultancy, or research in the field of accident prevention in industry or in any institution; shall also be eligible for appointment as a Safety Officer.

31. Duties of Safety Officers in case of dock work and building or other construction works.-The duties of a Safety Officer shall be to advise and assist in the fulfillment of its statutory obligations, concerning prevention of personal injuries and maintaining a safe working environment and such duties shall include the following, namely; –

- (i) to advise the concerned departments in planning and organizing measures necessary for the effective control of personal injuries;
- (ii) to advise on safety aspects in all job studies, and to carry out detailed job safety studies of selected jobs;
- (iii) to check and evaluate the effectiveness of the action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries;
- (iv) to provide advice on matters related to carrying out plant safety inspections;
- (v) to carry out plant safety inspections in order to observe the physical conditions of work and the work practices and procedures followed by workers and to render advice on measures to be adopted for removing the unsafe physical conditions and preventing unsafe actions by workers;
- (vi) to render advice on matters related to reporting and investigation of industrial accidents and diseases;
- (vii) to investigate selected accidents;
- (viii) to investigate the cases of notifiable diseases listed in the Third Schedule to the Code;
- (ix) to organise in association with the concerned departments, campaigns, competitions, contests and other activities which will develop and maintain the interest of the workers in establishing and maintaining safe conditions of work and procedures; and
- (x) to design and conduct either independently or in collaboration with the training department, suitable training and educational programme for the prevention of personal injuries.

32. Safety officer in case of mines.-At every mine, wherein 100 or more persons are ordinarily employed, Safety Officer shall be appointed on a scale of one upto a total manpower of 500 and additional one for every additional 500 manpower or part thereof, who shall hold following qualifications, namely :-

(a) in case of coal mine.-

- (i) for belowground mines, person holding First Class Manager's Certificate of Competency (Coal), granted by Directorate General of Mines Safety;
- (ii) for opencast mines, person holding First Class Manager's Certificate of Competency (Coal) or First Class Manager's Certificate of Competency (coal) restricted to mines having opencast workings only, granted by Directorate General of Mines Safety;

(b) In case of Metalliferous Mines-

- (i) for belowground mines, person holding Manager's Certificate of Competency (Metal), granted by Directorate General of Mines Safety;
- (ii) for opencast mines, person holding Manager's Certificate of Competency (Metal) or Manager's Certificate of Competency (Metal) restricted to mines having opencast workings only, granted by Directorate General of Mines Safety;

(c) in case of oil mines, a degree in engineering or in industrial safety of an educational institution recognised by the Central Government or post-graduate diploma in industrial safety from Central Labour Institute or Regional Labour Institutes and having experience in the management or supervision of operations in oil mines for a period of not less than five years.

33. Duties of safety officer in case of mines.—The duties of the safety officer in case of mines shall be—

- (a) to visit surface, aboveground, underground parts of mine, installations of oil mine, with a view to meet the employees on the spot, to talk to them on matters of safety and invite suggestions thereon;
- (b) to take charge of the newly recruited staff and show them around the mine pointing out the safe and unsafe acts during the course of their work in the mine;
- (c) to investigate all types of accidents and incidents in the mine including minor accidents and analyze the same with a view to pinpoint the nature and common causes of accidents in the mine;
- (d) to maintain detailed statistics about mine accidents and to analyze the same with a view to pinpoint the nature and common causes of the accidents in the mine;
- (e) to study and apprise the manager referred to in section 67 of the Code, of all possible sources of danger such as inundation, fire, coal dust, blowout in oil mines and others;
- (f) to hold safety classes and give safety talks and lectures to the members of the supervisory staff;
- (g) to organize safety weeks and other safety education and propaganda programme in mine;
- (h) to see that all concerned mine employees are fully conversant with various standing orders, codes of practices, support plan, and like other matters;
- (i) to provide assistance in the formulation of programme for training at the mine level, including vocational training, training in gas testing, fire-fighting and first aid, and like other matters;
- (j) to report to the manager referred to in section 67 of the Code as a result of his visits to the various parts of mine, as to whether the provisions of the code, and the rules and regulations made there under are being complied with in the mine;
- (k) to promote safe practices generally and to lend active support to all measures intended for furthering the cause of safety in the mine and follow up measures for compliance.

Chapter-V

Hours of Work and Annual Leave with Wages

34. Daily and weekly hours with intervals and spread over under clause (b) of sub-section (1) of Section 25.:

(1) No worker shall be required or allowed to work in an establishment for more than forty eight hours in any week.

(2) the period of work in each day under sub-rule (1), with intervals and spread overs, shall be as notified by the Central Government.

35. Interruption period allowed in running time under Explanation (a) of sub-section (1) of section 25.—

A maximum of fifteen minutes interruption shall be allowed any time during which the running of the transport vehicle is interrupted.

36. Working hours of working journalist under sub-section (2) of section 25.—(1) The provisions under this rule shall apply to working journalist but not apply to editors, or to correspondents, reporters or news photographers.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the following provisions shall apply to every correspondent, reporter or news photographer stationed at the place at which the newspaper establishment (in relation to which any such person is employed) is situated, namely:

- (a) subject to such agreement as may be arrived at either collectively or individually between the parties concerned, every such correspondent, reporter or news photographer shall, once he enters upon duty on any day, be deemed to be on duty throughout that day till he finishes all the work assigned to him during that day:

Provided that if such correspondent, reporter or news photographer has had at his disposal for rest any interval or intervals for a total period of two hours or less between any two or more assignments of work, he shall not be deemed to be on duty during such period:

Provided further that where the total period of such interval or intervals exceeds two hours, he shall be deemed to be on duty during the period which is in excess of the said period of two hours.

- (b) Any period of working in excess of thirty-six hours during any week, which shall be considered as a unit of work for the purposes of this sub-rule, shall be compensated by rest during the succeeding week and shall be given in one or more spells of not less than three hours each:

Provided that where the aggregate of the excess hours worked falls short of three hours, the duration of rest shall be limited only to such excess.

37. Normal working day for working journalist.- The number of hours which shall constitute a normal working day for a working journalist exclusive of the time for meals shall not exceed six hours per day in the case of a day shift and five and a half hours per day in the case of a night shift and no working journalist shall ordinarily be required or allowed to work for longer than the number of hours constituting a normal working day.

38. Interval for rest for working journalist.- Subject to such agreement as may be arrived at between a newspaper establishment and working journalists employed in that establishment, the periods of work for working journalist shall be so fixed that no working journalist shall work for more than four hours in the case of a day shift and three hours in the case of a night shift before he had an interval of rest, in the case of the day shift for one hour, and in the case of the night shift for half an hour.

39. Compensation for overtime work.- When a working journalist work for more than six hours on any day in the case of a day shift and more than five and a half-hours in the case of a night shift, he shall, in respect of that overtime work, be compensated in the form of hours of rest equal in number to the hours for which he has worked overtime or compensated by wages, which shall be twice the rate of wages.

40. Conditions governing in night shifts.- No working journalist shall be employed on a night shift continuously for more than one week at a time or for more than one week in any period of fourteen days.

41. Interval preceding change of shift.- In the case of change of shift from night to day shift or vice versa, there shall be an interval of not less than twenty-four consecutive hours between the two shifts and in the case of a change from one day shift to another day shift or from one night shift to another night shift there shall be interval of not less than twelve consecutive hours.

Provided that no such interval may be allowed if such interval either coincides with or falls within, the interval enjoyed by a working journalist under sub-section (2) of section 25.

42. Number of holidays in a year for sales promotion employee or working journalist.- A working journalist or sales promotion employee shall be entitled to ten holidays in a calendar year.

43. Compensatory holidays for sales promotion employee or working journalist.- If a working journalist or sales promotion employee is required to attend on a holiday, a compensatory holiday shall be given to him, within thirty days immediately following the holiday, on a day mutually agreed upon by him and his employer.

44. Wages for holidays. - A working journalist or Sales promotion employee shall be entitled to wages on all holidays as if he was on duty.

45. Wages for weekly day of rest. - **A working journalist and Sales promotion employee shall be entitled to wages for the weekly day of rest as if he was on duty.**

46. Competent officers. -Every establishment may designate one or more officers in that establishment as competent officers for the purposes of rules under this Chapter.

47. Procedure for availing leave by working journalist or sales promotion employee.- (1) A working journalist or sales promotion employee who desire to obtain leave shall apply in writing to the competent officer of the establishment.

(2) Application for leave under sub-rule (1), other than casual leave, leave on medical certificate and quarantine leave, shall be made not less than one month before the date of commencement of leave, except in urgent or unforeseen circumstances.

(3) If leave is refused or postponed, the competent officer of the establishment shall record the reasons for such refusal or postponement, as the case may be, and send a copy of the order to the working journalist or sales promotion employee as the case may be.

(4) Holidays, other than weekly days of rest, shall not be prefixed or suffixed to any leave without the prior sanction of the competent officer of the establishment.

(5) A holiday including a weekly rest day, intervening during any leave granted under this rule shall form part of the period of leave.

48. Recall a working journalist or sales promotion employee before expiry of leave.- (1) an establishment may recall a working journalist or sales promotion employee on leave, if that establishment considers it necessary to do so. In the event of such recall, such working journalist or sales promotion employee shall be entitled to traveling allowance, if at the time of recall he is spending his leave at a place other than his headquarters.

(2) The traveling allowance, which shall be paid to a working journalist or sales promotion employee under sub rule(1) shall be determined in accordance with the rules of the establishment governing traveling allowance for journeys undertaken by the working journalists or sales promotion employee in the course of their duties.

49. Production of medical certificate of fitness before resumption of duty. -A working journalist or sales promotion employee who has availed himself of leave for reasons of health may, before he resumes duty, be required by his employer to produce a medical certificate of fitness from the qualified medical practitioner or medical officer who issued the medical certificate.

50. Designation of medical officer.-Every establishment employing working journalist or sales promotion employee may designate one or more qualified medical practitioners in conformance with Section 42.

51. Earned leave. -(1) A working journalist or sales promotion employee shall be entitled to earned leave on full wages for a period not less than one month for every eleven months spent on duty.

Provided that he shall cease to earn further such leave when the earned leave due amounts to one hundred twenty days.

(2) The period spent on duty shall include the weekly holiday, holidays, casual leave and quarantine leave.

52. Wages during earned leave.- A working journalist or sales promotion employee on earned leave shall draw wages equal to his average monthly wages earned during the period of twelve complete months spent on duty, or if the period is less than twelve complete months, during the entire such period, immediately preceding the month in which the leave commences.

53. Cash compensation for earned leave not availed of.- (1) When a working journalist or sales

promotion employee voluntarily relinquishes his post or retires from service on reaching the age of superannuation, he shall be entitled to cash compensation for earned leave not availed of up to a maximum of one hundred and twenty days:

Provided that a working journalist or sales promotion employee who has been refused earned leave due to him shall be entitled to get cash compensation for the earned leave so refused:

Provided further that in the case of a working journalist or sales promotion employee who dies while in service and who has not availed himself of the earned leave due to him immediately preceding the date of his death, his heirs shall be entitled to cash compensation for the leave not so availed of.

- (2) When a working journalist's or sales promotion employee's services are terminated for any reason whatsoever, other than as punishment inflicted by way of disciplinary action, he shall be entitled to cash compensation for earned leave not availed of up to a maximum of one hundred and twenty days.
- (3) Such cash compensation shall not be less than the amount of wages due to a working journalist or sales promotion employee for the period of leave not availed of, the relevant wage being that which would have been payable to him had he actually proceeded on leave on the day immediately preceding the occurrence of any of the events specified in sub-rule (1) or (2), as the case may be.

54. Leave on medical certificate.-

- (1) A working journalist or sales promotion employee shall be entitled to leave on medical certificate on one-half of the wages at the rate of not less than one month for every eighteen months of service:

Provided that he shall cease to earn such leave when the leave on medical certificate amounts to ninety days.

- (2) Such medical certificate shall be from a medical officer:

Provided that when a working journalist has proceeded to a place other than his headquarters with the permission of his employer and falls ill, he may produce a medical certificate from any registered medical officer:

Provided further that the employer may, when the qualified medical practitioner is not in the service of the Government arrange at his own expense, the medical examination of the working journalist or sales promotion employee concerned by any medical officer.

- (3) Leave on medical certificate may be taken in continuation with earned leave but the total duration of earned leave and leave on medical certificate taken together shall not exceed a hundred and twenty days at any one time.

Provided that Medical Board may recommend for leave beyond one hundred twenty days.

- (4) A working journalist or sales promotion employee shall be entitled at his option to convert leave on medical certificate on one-half of the wages to half the amount of leave of full wages.
- (5) The ceiling laid down in the provision to sub-rule (1) and sub-rule (3) on the accumulation and total duration of leave may be relaxed by the competent officer in the cases of working journalists or sales promotion employees suffering from lingering illness such as tuberculosis.
- (6) Leave on medical certificate or converted leave on medical certificate referred to in sub-rules (1) and (4) may be granted to a working journalist or sales promotion employees at his request notwithstanding that earned leave is due to him.

55. Quarantine leave. -Quarantine leave on full wage shall be granted by the establishment on the certificate of the authorized medical practitioner designated as such under section 42, for a period not exceeding twenty-one days or, in exceptional circumstances, thirty-days. Any leave necessary for quarantine purposes in excess of that period shall be adjusted against any other leave that may be due to the working journalist or sales promotion employee.

56. Extraordinary leave.-A working journalist or sales promotion employee who has no leave to his credit may be granted extraordinary leave without wages at the discretion of the establishment in which

such working journalist or sales promotion employee is employed.

57. Leave not due.-A working journalist or sales promotion employee who has no leave to his credit may be granted leave at the discretion of the establishment in which such working journalist is employed.

58. Study leave. -A working journalist or sales promotion employee may be granted study leave with or without wages at the discretion of the establishment in which such working journalist or sales promotion employee is employed.

59. Casual leave.- (1) **A working journalist or sales promotion employee shall be eligible for casual leave at the discretion of the establishment for fifteen days in a calendar year:**

Provided that not more than five day's casual leaves shall be taken at any one time and such leaves shall not be combined with any other leave.

(2) Casual leave not availed of during a calendar year will not be carried forward to the following year.

60. Weekly holiday under sub-section (2) of section 26.- **For the purpose of section 26, there shall be posted up in a conspicuous place outside the office of every establishment a notice showing the weekly holiday. Where the weekly holiday is not the same day for all persons employed in the establishment, the notice shall show the holiday allowed to each relay, or set of persons or individual in Hindi, English and local language.**

61. Compensatory holidays.- (1) Except in the case of worker engaged in any work which for technical reasons must be carried on continuously throughout the day, the compensatory holidays to be allowed under sub-section (3) of section 26 shall be so spaced that not more than two compensatory holidays are given in one week.

(2) The manager of the establishment shall display, on or before the end of the month in which holidays are lost, a notice in respect of workers allowed compensatory holidays during the following month and of the dates thereof, at the place at which the notice of periods of works specified under section 26 is displayed. Any subsequent change in the notice in respect of any compensatory holiday shall be made not less than three days in advance of the date of that holiday.

(3) Any compensatory holiday or holidays to which a worker is entitled shall be given to him before he is discharged or dismissed and shall not be reckoned as part of any period of notice required to be given before discharge or dismissal.

62. Wages for overtime under section 27.- (1) where in an establishment, a worker works for more than eight hours in any day as daily wager, or for more than forty-eight hours in any week, as the case may be, he shall in respect of such overtime work be entitled to wages at the rate of twice his rate of wages and shall be paid at the end of each wage period.

(2) In calculating overtime on any day, a fraction of an hour between 15 to 30 minutes shall be counted as 30 minutes and in case of more than 30 minutes it shall be rounded and shall be counted as an hour on actual basis.

(3) In calculating the wages or earnings in the case of a worker paid by the month, the daily wages shall be 1/26th of his monthly wages; and in the case of any other worker it shall be the daily wages or earnings as the case may be.

(4) The spread over for the workers shall exceed period of work notified under sub-rule (2) of rule 9 in any one day under the following works and circumstances in respect of dock, mine and building or other construction work, namely;

- (a) urgent repairs;
- (b) work in the nature of preparatory or complimentary work;

- (c) work which is necessarily so intermittent that the intervals during which they do not work while on duty ordinarily amount to more than the intervals for rest;
 - (d) work which for technical reasons must be carried on continuously;
 - (e) engaged in making or supplying articles of prime necessity which must be made or supplied every day,
 - (f) engaged in a process which cannot be carried on except during fixed seasons;
 - (g) engaged in a process which cannot be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;
 - (h) engaged in an engine-rooms or boiler-houses or in attending to power-plant or transmission machinery;
 - (i) engaged in process on account of the break-down of machinery;
 - (j) engaged in the loading or unloading of railway wagons or lorries or trucks;
 - (k) exceptional press of work and
 - (l) engaged in any work, which is notified by the Central Government in the Official Gazette as a work of national importance;
- Provided that no worker shall be allowed to work overtime exceeding one hundred forty four hours in any quarter of a year.

Chapter-VI

Maintenance of Registers, Records and Returns

63. Notice of periods of work under sub-section (2) of section 31.-(1) The notice referred to in sub-section (2) of section 31 shall be displayed at conspicuous places on a notice board or electronic board of the establishment and maintained in **FORM-VII** and a copy of such notice shall be sent to Inspector-cum-Facilitator electronically or by registered post or speed post.

64. Maintenance and production of reports, registers and other records under Section 33.-**Every employer of establishment shall maintain:-**

Register of employees in **FORM VIII**

Register of attendance-cum-muster roll in **FORM VIII A**

Register of wages, over time and deduction in **FORM VIII B**.

Registers under this chapter shall be maintained electronically or otherwise.

Entries in the registers shall be made in English and Hindi or the language understood by a majority of persons employed.

Every employer shall produce records and registers, on demand before the Inspector cum-facilitator or any person authorized in that behalf of the Central Government.

All the registers and other records shall be preserved in original for a period of five calendar years from the date of last entry made therein.

1. Every employer shall issue wage slips, electronically or manually to the employees in **FORM VIII C** as prescribed under rule 52 of Code on wages (Central) Rules 2025 and Sub-section (3) of Section 50 of the Code on wages, 2019 before- one day of payment of wages to the employee.
2. In respect of establishment which are required to maintain register under the rules framed under the Code on

wages 2020, Social Security code, 2020 the following registers and wage slips required to be maintained by the employer of the establishment under those Codes and rules made thereunder shall be deemed to be maintained by the employer under these rules, namely:-

- (a) Register of employees
 - (b) Register of Attendance-cum-Muster Roll
 - (c) Register of Wages, over time and deductions
 - (d) Wage slip
3. All registers and other records required to be maintained under the Code and Rules made thereunder shall be maintained complete and up-to-date and unless otherwise provided for, shall be kept at an office or the nearest convenient building within the precincts of the work place or at a place within a radius of three kilometers.
4. Annual Returns –
- (a) The employer to which the provisions of this Code applies on or before the 28th or 29th day of February in each year, upload a unified annual return in FORM-IX and IXA prescribed under the Rules made in the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (No.37 of 2020) online on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year; provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation – For the purposes of this sub-rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

(b) If the employer to which the provisions of this Code applies sells, abandons or discontinues the working of the establishment, then he shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance as the case may be, upload online, on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, a further unified return in FORM-IX and IXA referred to in clause (a) in respect of the period between the end of the preceding year and the date of the sale, abandonment or discontinuance.

(c) in case of manual registers and other records, be legibly entered in ink in English and Hindi or the language understood by a majority of the persons employed;

(d) be preserved in original for a period of five years after the date of the last report or entry;

Provided that when the original record is lost or destroyed before the expiry of five years period, true copies thereof, if available, shall be preserved for the prescribed period;

(e) be produced, electronically or by registered post or speed post, on demand before the Chief Inspector-cum-Facilitator or an Inspector-cum-Facilitator or any person authorized in that behalf of the Central Government.

65. Display on notice board.- Every employer shall display or caused to be displayed at the conspicuous place of the workplace of the establishment under his control, notices owing the name and address of the establishment, hours of work, wage period, date of payment of such wages, details of accident and dangerous occurrence in the establishment for the last five years, name and address of the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction to such establishment and date of payment of unpaid wages to such workers in English, Hindi and in the Local Language understood by the majority of the workers.

66. Return.- Every employer of an establishment shall send annually a return relating to such establishment in **FORM-IX** related to category of employees, health & welfare facilities retrenchment/ layoffs, bonus, maternity benefits etc. to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction so as to reach him not later than 1st February following the end of each calendar year with a copy to Director General Labour Bureau electronically.

67. Register of accident and dangerous occurrences.- The registers of accident and dangerous occurrences required by sub-clause (v) of clause (a) of section 33 shall be maintained in **FORM-X**.

68. Register of leave with wages under clause (a) of section 33.- **(1) The owner, agent or manager of every establishment shall maintain in respect of every employee thereof a record of leave with wages electronically or manually in FORM-XI.**

(2) The register mentioned in sub-rule (1) shall be preserved for a period of five years after the last entry in them has been made and shall not be destroyed even after the expiry of that period unless it has been properly transferred to the new register.

Chapter-VII

Inspector-cum-Facilitator and Other Authority

69. Power to take samples of any articles or substances under clause (x) of sub-section (1) of section 35.- **(1) An Inspector-cum-Facilitator shall take samples or substances in an establishment as per the inspection scheme mandated under the Shram Suvidha Portal or designated Portal of the Ministry of Labour and Employment after informing the employer of the establishment, taken in the manner herein after provided a sufficient sample of any substance used or intended to be used in the establishment, such use being—**

- (a) in the belief of the Inspector-cum-Facilitator in contravention of any of the provisions of the code or the rules made there under, or
- (b) in the opinion of the Inspector-cum-Facilitator likely to cause bodily injury to, or injury to the health of employee in the establishment.

(2) Where the Inspector-cum-Facilitator takes a sample under sub-rule (1), he shall, in the presence of the person informed under that sub-section unless such person willfully absents himself, divide the sample into three portions and effectively seal and suitably mark them, and shall permit such person to add his own seal and mark thereto.

(3) The person informed as aforesaid shall, if the Inspector-cum-Facilitator requires, provide the appliance for dividing, sealing and marking the sample taken under this rule.

(4) The Inspector-cum-Facilitator shall-

- (a) forthwith give one portion of the sample to the person informed under sub-rule (1);
- (b) forth with send the second portion to a Government Analyst or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) for analysis and report thereon;
- (c) retain the third portion for production to the Court before which proceedings, if any, are instituted in respect of the substance.

(5) Any document purporting to be a report under the hand of any Government Analyst or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited laboratory upon any substance submitted to him for analysis and report under this section, may be used as evidence in any proceeding instituted in respect of the substance.

70. Powers and duties of Inspector-cum-Facilitator under clause (xiv) of sub-section (1) of Section 35.- **(1) Inspector-cum-Facilitator shall, after every inspection, as may be deemed necessary, issue prohibition or improvement notice in the FORM-XII pointing out the non-compliance of provisions of safety, health and working conditions under the Code, and rules and regulations made there under, to the employer or occupier or owner or master or officer-in-charge of the ship or their agent.**

(2) An Inspector-cum-Facilitator shall, at each inspection, ascertain to what extent any shortcomings notified at a previous inspection have been rectified and the notices previously issued have been complied with and his findings and any shortcomings which may come to light during the inspection, together with any order passed by him under the Code or the regulations made there under shall be recorded and maintained.

71. Appointment of Medical officer under sub-section (1) of section 42.-(1) The Medical Officer shall be a medical practitioner who possesses any recognised medical qualification as defined in the National Medical Commission Act, 2019(30 OF 2019) and who is enrolled on a Indian Medical Register as defined in clause (e) and on a State Medical Register as defined in clause (1) of section 35, section 36, section 37 and section 40 of the said Act.

(2) The Medical Officer shall be trained in Occupational Health course including International Labour Organisation (ILO) classification of chest Radiograph duly recognized by the central government.

72. Duties of medical officer under sub-section (2) of section 42.- (1) On receipt of a reference under clause (c) sub section (2) of section 42, the medical officer shall, after giving prior notice regarding date, time and place for medical examination and upon examining the worker sent for such examination, prepare the age and fitness certificate and deliver the same to the manager of the establishment and the worker concerned after retaining a copy thereof.

(2) The medical officer may seek opinion of specialists like radiologist, dentist and orthopedic surgeon as the case may be, for the purpose of determination of age.

(3) Medical Officer shall carry out such examination and furnish such report as Central Government may direct-

- (a) for examination and certification of workers in an establishment in such dangerous occupation or processes as specified in First Schedule to the Code;
- (b) for medical supervision of any establishment or class of establishment where cases of chronic occupational illness have occurred due to hazardous nature of any process carried on or hazardous condition of work;
- (c) in respect of any establishment or class of establishment or description of establishment in which operations involve any risk of injury to the health of any person or class of persons employed therein;
- (d) to undertake occupational health survey for any or class of an establishment, where cases of illness have occurred or there is prevalence of diseases as specified in Third Schedule to the Code.
- (e) To assess the age and issue fitness of adolescent for employment in an establishment or class of establishment.

73. Employment of Women in establishment under Section 43.-The following conditions shall be met for employment of women during night or before 6.00 a.m. and beyond 7.00 p.m in any day, namely:-

- a. the consent of woman employee shall be taken in writing;
- b. No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under the Social Security Code, 2020 (36 of 2020);
- c. adequate transportation facilities shall be provided to women employee to pick-up and drop such employee at her residence;
- d. the workplace including passage towards conveniences or facilities concerning toilet, washrooms, drinking water, entry and exit of women employee should be well-lit; the toilet, washroom and drinking facilities should be near the workplace where such women employee are employed and suitable

provisions of Closed-circuit television (CCTV) Surveillance on the way to these facilities shall be provided;

- e. Provide safe, secure and healthy working condition is provided so that no women employee is disadvantaged in connection with here employment;
- f. dedicated telephone numbers of the establishment shall be displayed at conspicuous places both at the establishment as well as inside the vehicles, so that any women employee can utilize them, in case of any exigency or emergency;
- g. in case of below ground mine not less than 3 women employees shall be on duty at any place; and
- h. the provisions of the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and

Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), as applicable to the establishments, shall be complied with.

74. Adequate safety of employment of women in dangerous operations under Section 44.-The Central Government may declare from time to time by notification, the class of establishments and the standard for safeguarding of women in hazardous and dangerous processes.

Chapter VIII Contract Labour

75. Qualification and Criteria of the Contractor, etc. under sub-section (1) and (2) of Section 47.- For the purposes of obtaining license, the contractor as an entity or as an individual shall not be an undischarged insolvent or be convicted at any time during the last two years, of an offence which is liable for punishment for more than three months of imprisonment.

76. Conditions of License under sub-section (3) of section 47.- (1)The contractor shall ensure that:

- i. the hours of work shall conform to these rules relating to Section 25;
- ii. the wages shall be paid in accordance with the Code on Wages, 2019 (29 of 2020).
- iii. if the contract labour of the contractor is working at the premises of the principal employer, then, it shall be the responsibility of the principal employer to provide the facilities or amenities such as toilet, washroom, drinking water, bathing facilities if required, changing room, first aid box, canteen and crèche; and
- iv. all other facilities and entitlements shall be provided by the contractor.

(2) In case the contractor fails to make payment of minimum wages to the contract labour, then, the Chief Labour Commissioner (Central) or his representative, shall cause such payment to be made to the contract labours who have not been paid, out of the security deposit referred to in rule 76 including by invoking the bank guarantee.

(3) The contractor shall intimate within fifteen days of the receipt of a contract work order about the details of the contract work order in the manner as specified in rule 84.

77. Form and manner of application for contractor license under of sub-section (1) of Section 48.- Every application by a contractor within a state for the grant of a license shall be made on-line electronically through Shram Suvidha Portal or designated Portal of the Ministry of Labour and Employment in **FORM-XII** to the authority referred to in section 119 (hereafter in the chapter referred to as authority).

78. Single Licence for Contractor in more than one States or for whole of India under sub-section (1) or sub-section (2) of section 47 or sub-section (1) of section 119.- (1) If a contractor desirous of obtaining licence for-

- (i) supplying or engaging contract labour or
- (ii) undertaking or executing the contract works under sub-section (1) or sub-section (2) of section 47 then, he shall apply electronically on the Shram Suvidha portal or designated Portal of Ministry of Labour and Employment in **Form-XII** to the licensing authority for more than one States or for the whole of India,

(2) Application for single licence under this rule shall be submitted electronically to the authority.

(3) The concerned State Government shall be consulted by the authority electronically. If no response is received within thirty days from the date of issue of such communication the consultation process is deemed to have been complied with.

(4) All applications under this rule shall be either approved or disapproved within a period of 45 days, from the date of application by the contractor, beyond which it shall be deemed that there are no objections and the license shall be auto-generated on the Portal referred to in sub-rule (1).

(5) Copy or copies of the licence so issued shall be sent to the State Government in whose jurisdiction, the contract work or works for which licence is issued, falls.

(6) License issued under this rule shall be valid for five years.

79. Forms, terms and conditions of license.-(1) Every license granted under this chapter shall be in **FORM-XIII**.

(2) Every license granted or renewed is subject to the following conditions, namely:—

- (i) the license shall be non-transferable;
- (ii) the number of contract labour employed by the contractor shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the license;
- (iii) save as provided in these rules, the fees paid for the grant, or as the case may be, for renewal of the license shall be non-refundable;
- (iv) the rates of wages payable to the contract labours by the contractor shall not be less than the rates fixed under the Code on Wages, 2019 and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, shall not be less than the rates so fixed.

80. Procedure for issue of license under sub-section (2) of section 48.-(1) Before a license is issued under this chapter, bank guarantee for an amount of security calculated at the rate of rupees 1000/- for each of the contract labours to be employed, in respect of which the application for license has been made, shall be deposited by the contractor with the authority for performance of the conditions of the license and compliance with the provisions of the Code and the rules made thereunder.

If contractor proposes to engage one lakh or more but less than one lakh fifty thousand contract labours an amount of security shall be Rs. 10 Crores, engages one lakh fifty thousand but less than two lakhs contract labour an amount of security shall be Rs. 15 Crores, engages two lakh or more contract labour an amount of security shall be Rs. 20 Crores

(2) Wherein the issued contract license had expired, based on the request of the applicant in FORM XIII, the authority may adjust the security deposit under sub-rule (1) in respect of his application for new license.

(3)The fees to be paid for the grant of a license shall be as specified in the table below, namely;

(a)	No license is required up to 49 contract labour	Nil.
(b)	50 and above but not exceeding 100 contract labour	Rs. 1000
(c)	101 and above but not exceeding 300 contract labour	Rs. 2000
(d)	301 and above but not exceeding 500 contract labour	Rs. 3000
(e)	501 and above but not exceeding 1000 contract labour	Rs. 5000
(f)	1001 and above but not exceeding 5000 contract labour	Rs. 10000
(g)	5001 and above but not exceeding 10000 contract labour	Rs. 20000
(h)	10001 and above but not exceeding 20000 contract labour	Rs. 30000
(i)	exceeding 20001 contract labour	Rs. 40000

81. Renewal of license under Section 48.-(1) Every contractor shall apply electronically on the Shram Suvidha portal or designated Portal of the Ministry of Labour and Employment to the licensing authority for renewal of the license.

(2) Every such application shall be submitted on the Portal referred to in sub-rule (1) at least 30 days prior to expiry of license period but not before 90days of such expiry of license.

(3) The fee chargeable for renewal of the license shall be the same as for the grant of license under rule 74.

Provided that if the application for renewal is not received within the time specified in sub-rule (2), an additional fee of twenty five per cent, shall be payable for such renewal.

(4) It shall be the responsibility of the authority concerned to renew license within 7 days electronically failing which the licence shall be deemed to be issued and auto generated and responsibility of such failure shall be on such authority.

82. Refund of security deposit.-(1) On expiry of the period of license the contractor may, if he does not intend to have his license renewed further, make an application electronically to the licensing authority for the refund of the security deposited by him (in form of bank guarantee) along with copy of licence so expired and notice of completion of work and bank details in which amount is required to be refunded.

(2) If the authority is satisfied that there is no breach of the conditions of license or there is no order for the forfeiture of security deposit or any portion thereof, he shall direct the refund of the security deposit to the applicant.

(3) If there is any order directing the forfeiture of any portion of contractor's security deposit, the amount to be forfeited shall be deducted from the security deposit, and balance, if any, shall be refunded to the contractor within 30 days from the making of application under sub-rule (1).

(4) Any application for refund shall, as far as possible, be disposed of within 30 days of the making of such application.

83. Responsibility of contractor under sub-section (4) of Section 48.-(1) The rates of wages payable to the workers by the contractor shall not be less than the rates fixed under the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates so fixed.

(2) In case where the contract labour employed by the contractor performs the same or similar kind of work as the worker directly employed by the principal employer of the establishment, the holidays, hours of work and other conditions of service of the contract labour of the contractor shall be the same as applicable to the workers directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work. In case of any dispute whether the work is of similar kind, the matter be referred to the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) whose decision shall be final.

(3) In other cases the wage rates, holidays, hours of work and conditions of service of the contract labour of the contractor shall be such as specified under the Code and rules made there under.

(4) All contract labour shall be made member of Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and Employees' State Insurance Corporation (ESIC) subject to applicability as under respective provisions of the Code on Social Security, (36 of 2020).

(5) The contractor shall notify any change in the number of contract labours or conditions of work to the Authority, electronically.-

84. Intimation of work order and time limit for intimation under section 50.-(1) Every contractor shall within fifteen days of the receipt of a contract work order shall intimate about the contract work order containing the details such as the name of the principal employer, address of the premises where work is being undertaken, date of commencement of the contract work, the number of contract labour employed under that work order, duration of work orders to the authority.

(2) the details of work order shall be sent under sub-rule (1) by the contractor or his authorized representative.

(3) The intimation under sub-rule (1) shall also be sent electronically on the Shram Suvidha portal or designated Portal or e-mail of the Chief Labour Commissioner (Central) or his representative as may be notified on the website of Chief Labour Commissioner (Central) .

85. Revocation or suspension of license under section 51.-(1) **If the authority is satisfied that the licence has been obtained by mis-representation or suppression of any material fact or if the contractor has failed to**

comply with the conditions subject to which licence was granted or the contractor has contravened any provision of Part-I of Chapter-XI of the Code or rules made there under, the Authority shall issue a show cause notice of 15 days to the contractor electronically. On receipt of the reply if any, from the contractor within 15 days of the receipt of the notice, the Licensing Authority shall examine the same and in case the licensing authority feels that the continuation of contract business by the contractor is going to lead to grave harm to the contract labours, he may pass a speaking order recording the reasons for revocation or suspension or otherwise and communicate the order to the contractor electronically or by registered post or speed post. A copy of the Order shall also be endorsed to the Chief Labour Commissioner (Central) (C), concerned Labour Enforcement Officer (C) and concerned State Authorities.

(2) If the contractor has complied with the concerned provisions of the Code and rules made there under within the stipulated time period, the Licensing Authority shall revoke the suspension giving a speaking order or else the suspension may be continued.

(3) If the contractor fails to comply with the order in sub-rule (1), the authority may forthwith pass an order of revocation of license, recording the reasons thereof and communicate to the contractor electronically or by registered post or speed post. The copy of the order shall be endorsed electronically to Chief Labour Commissioner (Central), concerned Labour Enforcement Officer (Central) and the concerned State Authority.

86. Appeal under sub-section (1) of section 52.-The appellate authority under sub-section (1) of section 52 shall be Chief Labour Commissioner (Central) .

87. Responsibility of Payment of wages under section 55.-(1) The contractor shall fix the wage periods in respect of which wages shall be payable and no wage period shall exceed one month.

(2) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor shall be paid before the expiry of seventh day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.

(3) The wages shall be disbursed through bank transfer or electronic mode only.

(4) The Wages of contract labours shall be paid without any deductions of any kind, except those specified by the Central Government by general or special order in this behalf or permissible under the Code on Wages 2019 (29 of 2019), by the contractors to the contract labour.

(5) A notice showing wage period and date and time of disbursement of wages of contract labour shall be displayed at the place of work and a copy sent by the contractor to the principle employer electronically or in person under acknowledgement.

(6) Every contractor (including the contractors employing less than 50 contract) shall send half-yearly return in FORM-IXA so as to reach the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) concerned not later than 30 days from the close of the half year, electronically, labour that is to say January to June, July to December.

(7) In case contractor fails to make payment of wages to the contract labour within 7 days of completion of wage period, then the principal employer shall take necessary action and make payment of wages in full or the unpaid balance dues, as the case may be, to the concerned contract labour employed by the contractor within 15 days and recover the amount so paid from the contractor either by deduction from any amount payable to the contractor under any contract or as debt payable by the contractor or from the Security deposit lying with the Principal Employer.

(8) Every principle employer of an establishment shall submit annual return in FORM-IX (Part-III) so as to reach the authority and concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) so as to reach him not later than 1st February following the end of each Calendar year electronically, except in cases of contract which undertakes to produce given result.

88. Making payment of wages from the security deposit amount under sub-section (4) of section 55.- **If the contractor or principal employer does not pay the wages to the contract labour employed by him, the concerned Chief Labour Commissioner (Central) or his representative or the competent officer as may be notified by the central government shall conduct or cause to conduct, an inquiry and after giving an opportunity to be heard to the contractor shall pass an order to make payment if any, of such wages from the amount deposited by the contractor as security deposit. The contractor shall re-furnish the security deposit as by such labour commissioner or representative or officer as the case may be within a period of**

fifteen days or else his license will be liable to be suspended.

89. Experience Certificate under section 56.- Every concerned contractor shall issue on demand, experience certificate in **FORM-XIV** to the contract labour giving details of the period, work performed, experience gained in various fields performed by such contract labour.

90. Prohibition of employment of contract labour under clause (b) of sub-section (2) of section 57.-**If a question arises as to whether any activity of an establishment is a core activity or otherwise, the aggrieved party may make an application, to the Joint Secretary, Government of India, Ministry of Labour and Employment from time to time giving reasons along with supporting documents and the Joint Secretary shall pass order after hearing the concerned parties.**

CHAPTER-IX

INTER-STATE MIGRANT WORKER

91. Journey allowance to inter-State migrant and worker under section 61.-The employer shall pay a lump sum amount on account of fare for to & fro journey to inter-state migrant worker by train (not less than II Class Sleeper) or by bus or any other mode of passenger transport from the place of employment to the place of residence in the home-state in the event; if he has worked for a period of not less than 180 days in the concerned establishments in preceding twelve months;

Provided that the journey allowance shall be given to an inter-state migrant worker once in twelve months. In the event of change of employer by the inter-State migrant worker during the middle of the employment period and he has not availed the journey allowance from his previous employer, then on the basis of a certificate to be given by inter-State migrant worker, the employer where the inter-State migrant worker is presently working and such worker has completed one hundred and eighty days in preceding twelve months including the period spent with the previous employer, then the present employer shall give journey allowance.

92. Setting up of a Toll Free helpline number to the inter-state migrant worker under Section 63.- A Toll-Free help-line number shall be provided by Director General Labour Welfare Organisation of the Ministry of Labour and Employment, to address queries and Safety of the inter-State migrant workers.

93. Study of inter-State migrant workers under section 64.-The Central Government may identify the studies to be carried out to promote safety, health and welfare of inter-State migrant workers. Wherever required the Central Government may also consult the State Government or expert organizations involved in the safety, health and welfare of inter-State migrant workers.

CHAPTER-X

AUDIO- VISUAL WORKER

94. Agreement for Audio-visual worker under clause (a) of sub-section (2) of section 66.- (1)The Form of agreement for the audio-visual workers with the producer is given in **FORM-XV**. The agreement shall be registered with the competent authority as may be notified by the Central Government.

95. Procedure for reference of disputes to a Conciliation Officer or a Tribunal under sub-section (1) section 66.-The procedure for reference of dispute to a conciliation officer or a tribunal shall be in conformity with the Industrial Relations, Code 2020 (35 of 2020) and Rules framed there under.

CHAPTER-XI

MINES

96. Qualification and appointment of manager under sub-section(1) of section67.-No mine shall be opened, re-opened or worked unless it has a duly appointed manager, who has the following qualifications specified in the table below, namely:-

Type of mine (1)	Average material handled or output or production of the mine (2)	Essential Qualification for the manager (3)
Underground coal mines	(a) Production in excess of 2,500 tonnes per month.	A First Class Manager's Certificate of competency (Coal).
	(b) Production not exceeding 2,500 tonnes per month	A First Class Manager's Certificate (Coal) or Second Class Manager's Certificate of competency (Coal).
Open cast Coal Mines:	(a) In excess of 20,000 cubic metre per month of material handled	A First Class Manager's Certificate of competency (Coal) or a First Class Manager's Certificate of competency restricted to mines having open cast workings only (Coal) .
	(b) Not exceeding 20,000 cubic metre material handled per month	A First Class Manager's Certificate of competency (Coal) or a First Class Manager's Certificate of competency restricted to mines having open cast workings only (Coal) or Second Class Manager's Certificate of competency (Coal) or Second Class Manager's Certificate of competency restricted to mines having opencast workings only (Coal).
Under ground metalliferous mines:	(a) Average output in excess of 1,250 tonnes	A First Class Manager's Certificate of competency (Metal).
	(b) Average output not exceeding 1,250 tonnes	A First Class Manager's Certificate of competency (Metal) or Second Class Manager's Certificate of competency (Metal).
Opencast metalliferous mines:	(a) Average monthly material handled in excess of 20,000 cubic meter	A First Class Manager's Certificate of competency (Metal) or a First Class Manager's Certificate of competency restricted to mines having open cast workings only (Metal).
	(b) Average monthly material handled not exceeding 20,000 cubic meter	A First Class Manager's Certificate of competency (Metal) or a First Class Manager's Certificate of competency restricted to mines having open cast workings only (Metal) or Second Class Manager's Certificate of competency (Metal) or Second Class Manager's

		Certificate of competency restricted to mines having open cast workings only (Metal).
Mine having both open cast and underground workings	All coal and metal mines	First Class Manager's Certificate of competency (Coal or Metal as the case may be)
Oil mines	All oil mines	A degree or diploma in engineering or post-graduation in physics or geophysics or geology or chemistry of an educational institution recognized by the Central Government and has experience in the management and supervision of operations in oil mines for a period of not less than fifteen years in case of diploma in engineering and ten years in other cases.

97. Code not to apply in certain mines under section 68.-The provision of the Code, except those contained in section 35,38, 40,41 and 44 shall not apply to –

- (i) any mine or part thereof in which excavation is being made for prospecting purposes only and not for the purpose of obtaining minerals for use and sale:

Provided that –

- (a) not more than twenty persons are employed on any one day in connection with any such excavation;
- (b) the depth of the excavation measured from its highest to its lowest point nowhere exceeds six meters or, in the cases of an excavation in coal, fifteen meters; and
- (c) no part of such excavation extends below superjacent ground; or

(ii) any mine engaged in the extraction of kankar, murrum, laterite, boulder, gravel, shingle, ordinary sand (excluding moulding sand, glass and other mineral sands), ordinary clay (excluding kaolin, china clay, white clay or fire clay), building stone, slate, road metal, earth, fullers earth, marl, chalk and limestone:

Provided that-

- (a) the working do not extend below superjacent ground; or
- (b) where it is an opencast workings-
- (i) the depth of the excavation measured from its highest to its lowest point nowhere exceeds six meters;
- (ii) the number of persons employed on any one day does not exceed fifty; and
- (iii) Explosives are not used in connection with the excavation.

(2) As soon as an establishment becomes a mine, the employer of the mine shall give notice electronically, to the Inspector cum Facilitator within seven days from the date it becomes a mine.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the Central Government may by an order in writing require that all provisions of the Code shall be applicable, in such mine or part thereof subject to such conditions as may specify therein.

98. Initial and periodical medical examinations under sub-section (3) of section 70.- (1) the owner, agent or

manager of every mine shall make arrangements for –

- (a) Initial medical examination of every person seeking employment in a mine.
 - (b) Periodical medical examination of every person employed in a mine annually.
- (2) The periodical medical examination or the X- Ray examination or both, shall be conducted at more frequent intervals if the medical examining authority deems it necessary to confirm a suspected case of a dust related disease.

99. Examining authorities.- **(1) The medical examination referred to in rule 92 shall be carried out by a qualified medical practitioner in the employment of the owner of the mine or duly assigned for this purpose by the owners of group of mines, or by any Government medical officer.**

(2) The examining authority shall be trained in Occupational Health course including International Labour Organisation (ILO) Classification of chest Radiograph duly recognized by the Central Government.

100. Notice of medical examination.- (1) In respect of initial medical examination the owner, agent or manager shall give at least seven days' prior notice in writing to the person to be examined, in Form to be notified by the Chief Inspector cum Facilitator (Central). A copy of every such notice issued shall be sent by the owner, agent or manager to the examining authority.

(2) In respect of periodical medical examination the manager shall give at least twenty days prior notice in writing to the person to be examined, in Form to be notified by the Chief Inspector cum Facilitator. A copy of every such notice issued shall be sent by the owner, agent or manager to the examining authority along with previous medical certificates issued, pertaining to the persons concerned.

(3) A person, who for any reasonable cause, fails to submit himself for the medical examination in accordance with the notice issued to him, shall be given a second notice of a minimum period of ten days in Form to be notified by the Chief cum Facilitator, by the manager and a copy of every such notice shall be sent by the manager to the examining authority.

(4) The examining authority shall inform the manager whether the person concerned has appeared for medical examination or not within one week from the date fixed for medical examination in the second notice.

101. Failure to undergo medical examination.- A person who without reasonable cause, fails to submit himself for medical examination in accordance with the notice issued to him shall be liable to be discharged from service:

Provided that a person who renders himself so liable to be discharged for failure to submit himself for medical examination shall be required to show cause why he could not comply with the notice within the time specified therein. If his explanation is found satisfactory by the management; he shall be given another chance to appear for medical examination. In case his explanation is not found satisfactory by the management, his service shall be terminated by the management.

102. Standard and report of medical examination.- (1) The examining authority holding initial medical examination shall examine a person according to the standards laid down in **Form –VA**.

(2) The examining authority holding periodical medical examination shall examine a person according to the standard laid down in **Form-VA**.

(3) As soon as may be, after examinations, copy of the medical certificate in **Form** to be notified by the Chief Inspector cum Facilitator, shall be issued by the examining authority to the person concerned electronically or by Registered post or delivered under receipt and another copy be sent to the owner, agent or manager of the mine concerned electronically or by registered post or delivered under receipt.

(4) The examining authority shall retain the third copy of the medical certificate in physical and in electronic format.

(5) In the case of periodical medical examination of person, the examining authority shall also send the copy of previous medical certificates of the person concerned, back to the manager of the mine concerned.

103. Retention and transfer of medical certificates.-(1) All medical certificates including all medical examination records with medical history and job details to depict the occupational dust exposure profile of persons employed or to be employed in a mine shall be retained in the possession of the manager of the mine so long as the person is employed in the mine and for a period of five years thereafter:

Provided that the manager of a mine where such person is or was employed shall, if so requested by the manager of any other mine where the person is to be employed, send to him all medical certificates with respect to such person.

(2) If the examining authority who conducts medical examination of persons employed or to be employed in any mine is relieved of his duties regarding medical examination, such examining authority shall transfer all records of medical examination in his possession to the manager of the mine concerned.

104. Identity of candidates.-The examining authority, shall record the Aadhar number and signature of every candidate appearing before it for medical examination on the copies of the medical certificate.

105. Medical Examination of women.-A woman employee shall preferably be examined by a female medical practitioner. In case a female qualified medical practitioner is not available, the woman employee shall be medically examined by a male qualified medical practitioner only in the presence of another woman.

106. Appeal for re-examination.- (1) Where as a result of an initial medical examination, or of periodical medical examination, a person has been declared unfit for employment in mines or in particular category of mines or in any specified operations in mine, he may, within thirty days of the receipt by him of a copy of the certificate, file an appeal with the owner, agent or manager in case of initial medical examination and the manager of the mine in case of periodical medical examination, against the declaration aforesaid, and request for a medical re-examination by an appellate medical board constituted under rule 100.

(2) (a) the owner, agent or manager in case of initial medical examination and manager of the mine in case of periodical medical examination shall forward the appeal to the convener of the appellate medical board within fifteen days of the receipt of the appeal.

(b) the convener of the appellate medical board shall if the appellant is declared fit for re-medical examination give at least fifteen days prior notice to the owner, agent or manager and also the appellant, of the medical re-examination.

(c) a person, who for any reasonable cause, fails to submit himself for a medical re-examination shall be given another notice at least seven days in advance.

(3) In respect of every medical re-examination by the appellate medical board, the appellant shall pay such fees and the medical examination shall be conducted in such manner as may be determined by the appellate medical board. In case the appellate medical board finds him fit for employment in mines, the fees shall be reimbursed in full to the appellant by the owner of the mine where he is employed.

107. Constitution of appellate medical board.- For the purpose of medical re-examination on appeal, the appellate medical board shall be constituted by the central government in the following manner, namely;

(a) An inspector cum Facilitator (Occupational Health), who shall also act as the Convener of the Board.

(b) Two Qualified medical practitioners duly qualified in allopathic system of medicine and in the employment of the State or Central Government or in a Government Undertaking, as nominated by the Chief Inspector cum Facilitator (Central):

Provided that, the convener can co-opt any specialist doctor if the appellate medical board is of the opinion that such specialist is required to be consulted for specific issues.

108. Standard and report of medical re-examination by the appellate medical board.- (1) The Appellate Medical Board shall medically examine the appellant -

(i) in accordance with the standard laid down in the **FORM-VA** for initial medical examination;

- (ii) in accordance with the standard laid down in the **FORM-VA** for periodical medical examination.
- (2) The certificate of medical re-examination in the **FORM**, shall be issued to -
- (a) the manager of the mine, in case of periodical medical examination;
 - (b) the owner, agent or manager in case of initial medical examination;
 - (c) the appellant;
- (3) A copy of the medical certificate shall be retained with the convenor;

109. Unfit persons not to be employed.-(1) Where, as a result of an initial medical examination or a periodical medical examination, a person has been declared unfit for employment in mines or in a particular category of mines or in any specified operations in mine, the person, shall not be employed or continue to be employed in mine or in the category of mines or on the operations specified, after the expiry of thirty days from the date of his medical examination unless he has filed an appeal against the declaration.

(2) Where the person concerned has filed an appeal, but has been declared by the appellate medical board, after a medical re-examination, to be unfit for employment in mines or in a particular category of mines or on any specified operations in mines, he shall not be employed or continue to be employed in mine or in the category of mines or on the operations specified, after the expiry of thirty days from the date of his medical re-examination by the appellate medical board:

Provided that, if the qualified medical practitioner carrying out the initial medical examination, or the periodical medical examination, or the appellate medical board carrying out the medical re-examination of persons already in employment is of the opinion that the disability of the person examined is of such a nature and degree that it will not seriously affect or interfere with the normal discharge of his duties, it may recommend his continuation in employment in the mine for a period not exceeding six months, during which such person may get his disability cured or controlled and submit himself for another medical examination and be declared fit.

110. Cost of medical examination.-The full cost of every medical examination under these rules, shall be borne by the owner of the mine concerned except in case the person is declared unfit for employment in mines after re-examination by appellate medical board.

111. Exemptions from hours and limitation of employment under Section 71.- (1) For the purpose of Section 71 of the Code, the following persons shall be exempted from the provisions of sub-section (1) of section 25, sub-section (1) of section 26, section 30 and sub-section (1) of section 31 in respect of the following, namely:-

- (a) person holding position of supervision or management or like other position, employed in a confidential capacity;
- (b) manager, deputy manager, installation manager, fire officer, under manager, underground manager, assistant manager, ventilation officer, safety officer, information technology, instrumentation and communication officials;
- (c) mining, electrical and mechanical engineer;
- (d) overman, foreman, sirdar, mate and supervisor in oil mines;
- (e) mechanical and electrical foreman and electrical supervisor;
- (f) surveyor and assistant surveyor;
- (g) qualified medical practitioner, dresser, compounder, chemist, assayer, metallurgist and welfare or personnel officer; and
- (h) any other person who in the opinion of the Chief Inspector cum Facilitator (Central) holds a position of supervision or management.

112. Establishment and location of rescue station under section 72.- (1) The Chief Inspector cum Facilitator (Central) may permit or require the owner of a below ground mine or a group of below ground mines to establish and maintain rescue station, stations with such designs and specifications and at; such place or places as may be considered necessary in consultation with the owner:

Provided that where there are below ground mines belonging to more than one owner, the Chief

Inspector cum Facilitator (Central) may permit or require two or more owners to jointly establish a common rescue station: Provided further that all the existing rescue stations as on the date of; coming into force of these rule, shall continue to function for a period of three years from that date.

(2) At every rescue station, there shall be appointed one superintendent and at least two instructors and also, there shall be maintained a rescue brigade of not less than eighteen rescue trained persons.

(3) In case where the absence of the superintendent at a rescue station exceeds 60 days, the owner shall appoint another superintendent.

(4) The owner shall, on the same day of assumption or relinquishment of charge by the Superintendent, inform the Chief Inspector cum Facilitator (Central) and the Inspector cum Facilitator of the region where the mine is situated.

113. Functions of rescue stations.- The functions of rescue station shall include:-

- (i) imparting initial training in rescue and recovery work;
- (ii) imparting refresher training to rescue trained persons;
- (iii) providing support by its own rescue teams and equipment in case of major accidents or long lasting rescue and recovery operations; and
- (iv) carrying out the functions of rescue room in respect of these below ground mines where there is no rescue room.

114. Establishment and location of rescue rooms.-(1) At every below ground mine where, more than 100 persons are ordinarily employed below ground and there is no rescue station within its radius of 35 kms, the owner, shall establish and maintain on surface close to mine entrance, a rescue room:

Provided that it may be sufficient to provide one rescue room for a number of mines

belonging to the same owner where-

- (a) the total number of persons ordinarily employed in below ground workings of all such mines does not exceed 5000; and
- (b) the mines are situated within radius of 35 kms from and connected by road with the rescue room :

Provided further that the Chief Inspector cum Facilitator (Central) may permit the owner of a group of mines having the total number of persons ordinarily employed below ground in excess of 5000, to use the rescue room as a rescue station excepting the functions of imparting initial training in rescue work, if such rescue room is .-

- (i) equipped with requisite additional rescue apparatus including at least 15 extra sets of two hour self-contained breathing apparatus; and
 - (ii) placed under the charge of a person holding the qualifications, experience and like other requirements, of Instructors and minimum of five rescue trained persons of whom at least one shall hold the Qualifications, experience and like other requirements of rescue room in-charge are posted thereat.
- (2) At each rescue room, there shall be appointed such number of rescue trained persons as may be necessary and one of them possessing the Qualifications, experience etc. of rescue room in-charge who shall be made in-charge of the rescue room. At least one rescue trained person shall always be in attendance at the rescue room.

115. Functions of rescue room.-A rescue room shall provide facilities for the storage, assembly, testing and adjustments of breathing apparatus and other rescue equipment and apparatus and for their speedy transport to mines.

116. Qualifications, experience etc. of Superintendent.-No person shall be appointed as superintendent unless he-

- (i) is a rescue trained person ;
- (ii) has 5 years practical experience of below ground work in mines; and

(iii) holds a First Class Manager's Certificate of a type not restricted to open cast workings.

117. Qualifications, experience etc., of instructors.- After; the coming into force of these rules, no person shall be appointed as instructor unless he:-

- (i) is a rescue trained person;
- (ii) has 3 years practical experience of below ground work in mines; and
- (iii) holds a manager's certificate of a type not restricted to open cast workings.

118. Selection of rescue trained persons for posting at rescue stations.- (1) After coming into force of these rules the rescue trained persons for posting at a rescue station shall be selected, from amongst the rescue trained persons employed in mine served by the rescue station, by the superintendent in consultation with the managers of such mine.

(2) A person selected under sub-rule(1) shall be posted for not less than one year and not more than five years at a rescue station at any one time.

119. Qualifications, experience etc. of rescue room in-charge.- No person shall be appointed as rescue room in-charge unless he-

- (i) is a rescue trained person;
- (ii) has 3 years practical experience of below ground work in mines ; and
- (iii) holds a Manager's, Overman's or Foreman's Certificate of a type not restricted to open cast workings.

120. Equipment.-(1) At every rescue station, there shall be provided and maintained for immediate use, apparatus and equipment as specified as may be notified by the Central Government.

(2) At every rescue room there shall be provided and maintained for immediate use, apparatus and equipment as may be notified by the Central Government.

(3) A below ground mine, where no rescue room is located, there shall be apparatus and equipment as may be notified and shall be maintained at the entrance of such mine.

(4) Self- contained breathing apparatus shall be provided at a rescue station and that at rescue rooms under it shall be of the same type and make.

(5) The following apparatus and equipment's provided in pursuance of sub-rules (1),(2) and (3), shall be of a type or standard approved by the Chief Inspector cum Facilitator (Central), namely:-

- (a) breathing apparatus;
- (b) smoke helmets and apparatus serving the same purpose;
- (c) reviving apparatus;
- (d) electric safety lamps and flame safety lamps;
- (e) gas detector; and
- (f) self-rescuers.

(6) All breathing apparatus and every flow meter shall be adjusted and tested and the purity of oxygen for use in breathing apparatus shall be tested in such manners as may be notified by the Central Government.

(7) In case of an accident in a below ground mine arising out of the use of any rescue apparatus, a written report thereof shall be sent, within 24 hours of such accident, by the manager of the mine to the Chief Inspector cum Facilitator (Central) and Inspector cum Facilitator in the form, as may be notified by the Central Government.

(8) In case of an accident in a rescue station or rescue room arising out of the use of any rescue apparatus a written report thereof shall be sent electronically, within 24 hours of such accident, by the Superintendent to the Chief Inspector cum Facilitator (Central) and Inspector Cum Facilitator in the form, as may be notified.

(9) No absorbent charges, chemicals, self-rescuer and gas detector tubes shall be kept at any rescue station, rescue room or below ground mine for use beyond the expiry date, which shall be legibly marked on the boxes thereof.

121. Duties and responsibilities of Superintendent.- (1) The superintendent shall be in overall control of the rescue station and the rescue rooms served by such rescue station.

(2) The superintendent shall ensure that all the rescue equipment and apparatus kept at the rescue station, rescue rooms and at the entrance of the below ground mine under his control are-

(a) maintained in perfect working order;

(b) inspected by instructors at specified intervals; and

(c) tested and adjustments are made accordingly.

(3) The superintendent shall ensure that adequate stock of spare parts and supplies are kept for maintaining rescue equipment and apparatus in perfect working order.

(4) The superintendent shall countersign the records maintained.

(5) The superintendent shall ensure that persons selected for initial training and those undergoing refresher training receive the course of instructions and practices as may be approved by the Central Government and are issued the certificates for the same.

(6) The superintendent shall make periodical inspection of rescue rooms and the apparatus and equipment under his control.

(7) In the event of an emergency at a below ground mine, superintendent shall perform such rescue and recovery work as may be assigned to him by the manager or in his absence by the principal official present at the surface. He shall send a daily report and a complete report within twenty four hours after completion of the rescue or recovery work to the Inspector cum Facilitator or the Chief Inspector cum Facilitator (Central).

(8) The superintendent shall maintain in a bound paged book a diary and shall record therein the results of each of his inspections and also the action taken by him to rectify the defects observed during inspection.

122. Duties of Instructors.- (1) Under the direction of superintendent, the instructor shall-

(a) impart course of instructions and practices to persons selected for training in rescue and recovery work as well as to rescue trained persons and maintain a record thereof; and

(b) make inspection, test and adjustment of rescue equipment and apparatus and maintain a record thereof.

(2) In the event of an emergency at a below ground mine, instructor shall perform such rescue and recovery work as may be assigned to him by the manager or in his absence by the principal official present at the surface.

(3) Instructor shall not leave the rescue station without prior permission of the superintendent.

(4) In the absence of the superintendent, the instructor shall be in-charge of the rescue station.

123. Duties and responsibilities of rescue room in-charge.- Every rescue room in-charge shall-

(a) display prominently a list of mines served by his rescue room;

(b) maintain the equipment and apparatus kept at the rescue room in perfect order;

(c) maintain a proper record of all rescue equipment and apparatus kept at the rescue room and inspection thereof; and

(d) not allow any unauthorised person; to enter into, or permit any unauthorised person to take out any apparatus or equipment from the rescue room.

124. Duties of rescue trained persons posted at rescue station.- The rescue trained person shall-

- (a) obey order of the superintendent and instructor and assist them in discharge of their functions;
- (b) attend to messages, telephone calls and wireless and maintain record thereof;
- (c) maintain the rescue station in neat and tidy condition;
- (d) maintain the equipment and apparatus kept at the rescue station in perfect order;
- (e) perform rescue and recovery work in mine; and
- (f) not leave rescue station without obtaining permission from the superintendent.

125. Duties of rescue room attendant .- Every rescue room attendant shall-

- (a) not leave the rescue room until relieved by a substitute;
- (b) not allow any unauthorised person to enter in or to take out any apparatus or equipment from the rescue room;
- (c) attend to telephone calls and maintain a record thereof;
- (d) maintain the rescue room in neat and tidy condition; and
- (e) obey orders of the rescue room in charge and assist him in discharge of his functions.

126. Telephone Communication.- Every mine shall be connected telephonically with the rescue room and rescue station serving the mine. Wherever practicable wireless communication shall also be provided:

Provided that where there is no telephonic communication system, the Chief Inspector cum Facilitator (Central) may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, approve any other means of communication.

127. Rescue tracings.-There shall be kept at a below ground mine, more than three legible tracings of the working of the mine upto a date not before three preceding months. The tracing shall show the system of ventilation in the mine, and in particulars, the general direction of air-current, every point where the quantity of air is measured, every air-crossing, ventilation-door stopping, booster fan and any other principal device for regulation and distribution of air, fire-dams, preparatory stoppings, every fire-fighting equipment, every water-dam with dimensions and other particulars of construction, every pumping, telephone and ambulance station, every room used for storing inflammable material, reserve stations and every haulage and travelling roadway.

128. Appointment of rescue trained persons in mines, their disposition and accommodation. (1)

The manager of a below ground mine, where more than 100 persons are ordinarily employed, shall ensure that at least 5 rescue trained persons are readily available at surface at any time.

(2) The manager of a below ground mine, where more than 500 persons are ordinarily employed, shall also ensure that persons on a scale of one man for every 100 persons or part thereof are rescue trained persons.

(3) It shall be the responsibility of the owner to provide suitable accommodation-

- (i) close to the rescue station to the Superintendent, Instructors and members of rescue brigade;
- (ii) close to rescue room to rescue room in-charge rescue trained persons and attendants attached to it; and
- (iii) close to below ground mine entrance to rescue trained persons other than those specified in clauses (i) and (ii).

(4) There shall be provide data below ground mine effective bell or the arrangements, as may be approved by the Inspector cum Facilitator, for immediate summoning of rescue trained persons.

129. Selection of persons for training in rescue work.- No person shall be selected for training in

rescue work, unless-

- (i) he is between 21 and 40 years of age and holds a valid First-aid certificate of the standard of the Saint John Ambulance Association (India);
- (ii) he is certified by the Manager that he has sufficient underground experience for the purpose of rescue work;
- (iii) he is certified by a qualified medical practitioner, as may be designated by the Manager after examination in accordance with the standard as may be notified by the Central Government, to be free from any organic disease or weakness and to be fit for undertaking rescue work; and
- (iv) he is considered by the superintendent of rescue station, after such examination and interview as he considers necessary, to be suitable for rescue work with breathing apparatus.

130. Instructions and practices etc.-(1) Every person selected for training in rescue work shall undergo the course of instructions and practices as set out in the schedule as may be notified by the Central Government, until he has passed and has; been certified as efficient by the superintendent .

(2) Rescue trained person shall undergo practices and receive instructions as set out in the schedule may be notified by the Central Government.

(3) A record shall be kept at every rescue station of all persons undergoing practices and receiving instructions. Such record shall contain:-

- (i) the date and the character of each practice;
- (ii) the medical condition of each person after the practice, and if anything abnormal was observed in his condition, whether it was due to a defect of the apparatus or to that person ; and
- (iii) any other relevant information.

131. Medical examination etc. of rescue trained person.- Every rescue trained person shall be re-examined once at least in every twelve months by a qualified medical practitioner as may be designated by the manager in accordance with the standard as specified in FORM VA and in case he is declared medically unfit, he shall cease to be a rescue trained person with effect from the date he has been so declared.

132. Suspension of rescue trained persons.-If in the opinion of the owner, agent, manager or an Inspector cum Facilitator, a rescue trained person is incompetent or is guilty of negligence or misconduct in the performance of his duties, the owner, agent, manager or Inspector cum Facilitator, as the case may be, may after giving such person an opportunity to give a written explanation, suspend him from or debar him for, undertaking any rescue and recovery work.

133. Duties of Manager etc. in emergency.- (1) On receiving information of any emergency likely to require the services of a rescue team, the manager, or in his absence the principal official present at the surface, shall immediately-

- (a) inform the rescue room or the rescue stations serving the mine for necessary assistance;
- (b) summon rescue trained person employed in the mine;
- (c) inform the owner, agent or manager of nearby mines to make available the services of rescue trained persons employed therein: if so required;
- (d) inform the rescue station about the nature of the occurrence; stating whether assistance would be needed from the rescue station;
- (e) summon medical assistance; and
- (f) send information of the occurrence to the Inspector cum Facilitator.

(2) All rescue and recovery work at a below ground mine shall be conducted under the control, direction and supervision of the manager of the mine or in his absence the principal official present at the surface.

Provided that in the event of a major emergency, such as ignition, explosion, big underground fire

or an accident involving a number of persons, the manager or the principal official shall, in taking decisions regarding rescue and recovery operations, take guidance from a group consisting of a senior official of the management, a representative each from the Director General of Mines Safety, concerned rescue station and the recognised Union of the Workers, so however that he must take necessary decisions and direct the operations as the situation warrants, without waiting for the constitution or deliberations of the said group.

134. Accommodation at the below ground mine for persons engaged in rescue work.- Whenever rescue trained persons are engaged in rescue or recovery work at a below ground mine, there shall be provided at such mine suitable accommodation for storage and charging of apparatus required for that work. Such accommodation shall be situated at a convenient place near the entrance in use, and shall be properly ventilated and lighted. Adequate quantity of cool and wholesome drinking water and food shall be provided for the rescue workers.

135. Entry into below ground mines for rescue or recovery work.- (1) No person shall be allowed to enter a below ground mine or part thereof which is unsafe for the purpose of engaging in rescue or recovery work, unless authorised by the manager or in his absence by the principal official of the mine present at the surface. Only rescue trained persons shall be permitted to enter the mine for the purpose of using self-contained breathing apparatus.

(2) During the course of rescue or recovery work, person or persons shall be stationed at the entrance to the below ground mine and shall keep a written record of all persons entering and leaving such mine, and the time thereof.

136. Fresh air bases.-(1) As soon as possible, base or bases shall be established in fresh air, as near to the irrespirable zone or zones as safety permits, every such base shall, if possible be connected by telephone:

(i) if the base is below ground to the surface ; or

(ii) if the base is on the surface, to the shaft bottom.

(2) Except in cases where the delay involved may result in danger to life, rescue trained persons shall not proceed beyond any place where a base is to be established until there have been provided at such base:-

(a) two persons, of whom one shall be a qualified medical practitioner if practicable, and other shall be a rescue trained person;

(b) a spare team; with rescue apparatus, ready for immediate service;

(c) one or more reviving apparatus, oxygen revivers and like other apparatus,

(d) first aid box and stretcher,

(e) means of testing for carbon monoxide;

(f) a hygrometer; and

(g) two flame safety lamp.

(3) Whenever men are already at work beyond the fresh air base, there shall be provided at the base as soon as possible the persons, apparatus and equipment.

137. Leader.- Every rescue team engaged in work with breathing apparatus in a mine shall be under a leader who shall be appointed by the superintendent.

138. Instructions to leader.- Prior to sending a rescue team underground, the superintendent or a person authorized by him shall give clear instructions to the leader of the team as to where it shall go and what it shall attempt.

139. Test of apparatus.- Before proceeding below ground the leader shall test or witness the testing of

self-contained breathing apparatus of the team for leakage. No such apparatus shall be used unless it is found safe. He shall check the equipment of his party and immediately before entering irrespirable atmosphere shall make sure that all breathing apparatus are working properly.

140. Duties of leader below ground.- (1) The leader shall not be engage in manual work. He shall give his attention solely to directing the team and to maintaining its safety. He shall examine the roof and supports during the journey, and if there is any likelihood of fall at any place along the roadway, then, he shall not proceed further until the team has made the place secure.

(2) The leader shall keep the team together and shall not allow any member of the team to stray.

(3) If the atmosphere is clear, the leader shall, when passing the junction of two or more roadways, clearly indicate the route by means of arrow marks in chalk. If the atmosphere is obscure, the leader shall see that a life line is laid in from the fresh air base, and shall not allow any member of the team to move out of reach of that line; or, if that course is impracticable, he shall not proceed until every roadway branching of from the route is fenced across the whole opening.

(4) When using rescue apparatus, the leader shall carry a watch, shall record the pressure of the compressed oxygen at every intervals of 20 minutes, and shall commence the return journey in ample time. During travelling he shall adopt the pace of slowest member and if any member of the team is in distress, shall immediately return to the fresh air base with the whole team.

(5) The leader shall not permit any member of the team using breathing apparatus in a mine to remain at work at any one time for a period longer than one and half hours or such other period as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator in respect of the breathing apparatus being used.

141. Rescue team members and their duties.-(1) The number of persons in any rescue team using breathing apparatus in a mine shall not be less than five and not more than six, including the leader.

(2) In case there is no provision in any of the breathing apparatus carried by the rescue team for extension for supply of oxygen to another person in an emergency; the team shall carry a self-rescuer.

(3) Members of rescue team shall in general, use the signals as may be notified by the Central Government, in communicating to one another.

(4) In travelling with rescue apparatus on, every member of the team shall keep the place given to him when numbering off. If the pace is too quick or if distress is felt, the member shall at once call attention to the fact.

(5) Every member of a rescue team engaged in work with breathing apparatus in mine shall obey the order of the leader of the team.

142. Restriction of second spell of works.- No person shall commence a second or subsequent spell of work in irrespirable atmosphere without being examined and found fit by a qualified medical practitioner.

143. Obligation of owner, agent and manager in certain situations.- Whenever emergency arises at a below ground mine, whether served by a rescue room or rescue station or not, the owner, agent or manager may seek assistance or additional assistance as the case may be from the nearest rescue room or rescue station and in such an event:-

(a) all possible assistance shall be promptly rendered by the rescue room or rescue station; and

- (b) the owner of the mine shall pay to the owner of the rescue station or rescue room, rendering such assistance, the full cost of rescue services and facilities borrowed.

144. General management.- It shall be the responsibility of the owner to establish, maintain and ensure proper functioning of rescue room or rescue station as required under these rules, to appoint Superintendent, instructors, rescue room in-charge, rescue trained persons, and to provide necessary rescue equipment and apparatus as may be necessary for compliance with the provisions of these rules.

145. Power to relax.-Where in the opinion of the Chief Inspector-cum-Facilitator, the conditions pertaining to a mine or rescue station or rescue room are such as to render compliance with any provisions contained in these rules, unnecessary or impracticable, he may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein grant exemption from the said provisions.

146. Vocational Training under Section 72.- If any question or dispute arises as to whether a particular person or class or category of persons is required by these rules to undergo training or not, the same shall be referred to the Chief Inspector-cum-Facilitator for decision.

147. Training Scheme.- (1) The Owner of every mine shall ensure that a training scheme comprising of theory and practical, based on the guidelines on the scheme of training, notified by the Chief Inspector-cum-Facilitator from time to time, is prepared and submitted to the Chief Inspector-cum-Facilitator and Inspector-cum-Facilitator for persons employed or to be employed in the mine.

Provided that the agent of the mine may submit the training scheme approved by the owner in writing.

(2) The Chief Inspector-cum-Facilitator or Inspector-cum-Facilitator may by an order in writing, require such modification in the training scheme as he may specify therein.

(3) The scheme referred to in sub-rule (1) shall include, but not limited to, the following provisions, namely:-

- (i) initial training for the persons to be employed in the mines;
- (ii) refresher training for the persons already employed;
- (iii) training in case of introduction of new technology, equipment or change in work procedure;
- (iv) assessing current competencies of a person employed in the mine and prior learning, in establishing the person's training needs;
- (v) assessing the training needs of persons working in mines for the safe performance of the mining operations;
- (vi) appointing persons who are competent to give training and assess employees' competencies;
- (vii) keeping and auditing records of assessment undertaken and training imparted;
- (viii) the relevant standards, modules or any other guidelines issued in this behalf by the Chief Inspector-cum-Facilitator from time to time; and
- (ix) course material on various topics for different categories of persons for delivering lectures in vocational training centre.

148. Constitution and disposal of business of the board of vocational training.-

(1) The board of vocational training shall consist of –

- (a) the Chief Inspector-cum-Facilitator, who shall be its chairperson, ex-officio;
- (b) three members possessing technical qualifications in mining or petroleum engineering and having at least twenty years practical experience one each in coal mines, metal mines, and oil mines to represent each sector appointed by central Government;
- (c) two members possessing technical qualifications in electrical engineering or mechanical engineering or allied engineering and having at least twenty years of practical experience in mines, appointed by Central Government; and

- (d) two members serving in an institution imparting education in human resource management at graduation, post-graduation or equivalent level and having fifteen years of experience, appointed by central Government.

(2) Every member (other than the chairperson) of the board of vocational training shall hold office for a period of three years from the date of the notification appointing him a member of the board of vocational training or until his successor is appointed and takes charge, whichever is later :

Provided that –

- (i) a member may at any time resign his office;
 - (ii) a member appointed under clause (d) of sub-rule (1) shall cease to hold office upon his ceasing to serve in any such institution, as is referred to in that clause;
 - (iii) a person appointed to fill a vacancy caused by reason of the death, resignation of a member, or by reason of ceasing of office under sub-clause (ii), shall hold office for the remaining period for which such member would have, but for such reason, continued as member.
- (3) a person who holds, or who has held, office as member of the board of vocational training shall, subject to the other provisions of this rule, be eligible for re-appointment to that office not more than two terms.
- (4) a member of the board of vocational training (other than the chairperson) shall receive such remunerations as the central government may fix.
- (5) an Inspector-cum-Facilitator nominated in this behalf by the chief Inspector-cum-Facilitator shall act as secretary to the board of vocational training, hereinafter referred to in this rules as the secretary.
- (6) notwithstanding anything contained in this rule, the central government may, if satisfied that it is necessary so to do in the public interest, re-constitute the board of vocational training even though the term of office of all or any of the members thereof has not come to an end.
- (7) meetings of the board of vocational training shall be held as and when the chairperson considers them necessary and at least once in six months at a place decided by the chairperson.
- (8) (a) for every meeting of the board of vocational training, the chairperson or secretary shall give to every member who is not absent from India, a prior notice of not less than ten clear days, intimating the time and place of the proposed meeting.
- (b) the notice shall be sent by e mail or delivered at, or posted to the usual place of residence of the member, and each such notice shall be accompanied by a list of items of business to be disposed of at that meeting.
- (c) notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b), in case of urgency the chairperson may call at any time, an emergent meeting by intimating the members, only two days in advance, of the time and date of such meeting and the subject matter for discussion at such meeting;
- Provided that if at any meeting there is no quorum as specified in Sub-rule (10), the meeting shall stand adjourned to a date which is seven days later or if that day is a public holiday to the next working day. The time, place and agenda for the adjourned meeting shall remain unchanged.
- (d) where the meeting stands adjourned for lack of quorum, it shall be lawful to dispose of the business at such meeting irrespective of the number of members attending.
- (9) (a) the chairperson shall preside at every meeting of the board of vocational training.
- (b) if the chairperson is absent for any reason, the chairperson shall authorize a member to preside over the meeting, and the members so authorised shall, for the purposes of that meeting, have all power of the chairperson.
- (10) no business shall be transacted at a meeting of the board of vocational training unless at least four members, including the chairperson, are present.
- (11) (a) every matter which the board of vocational training is required to consider shall be considered at its meeting, or, if the chairperson so decides, by circulation of the papers, to every member who is not absent from India.

- (b) when any matter is referred to by circulation as aforesaid, any member may request that it should be considered at a meeting of the board of vocational training and the chairperson may direct that it shall be so considered but when two or more members so request, the chairperson shall direct that it shall be so considered at a meeting to be held.
- (12) (a) the secretary shall place before the board of vocational training, a list of business to be transacted at the meeting.
 (b) no business which is not included in such list shall be considered unless the chairperson permits.
- (13) (a) every matter at a meeting shall be decided by the majority of votes of the members present at such meeting.
 (b) every matter referred to the members by circulation under sub-rule (11) shall be decided by the majority opinion of the members to whom the papers were circulated, unless the chairperson reserves it for consideration at a regular meeting to be held later.
 (c) in case of equal division of votes or opinions of the members, the chairperson shall have a casting vote or opinion.
- (14) (a) the secretary shall record the minutes of each meeting in a bound-paged book kept for the purpose and he shall circulate to all members present in India the copies of such minutes of the meeting.
 (b) the minutes so recorded shall be confirmed at the next meeting of the board of vocational training and signed by the chairperson in token thereof.
- (15) (a) the chairperson in addition to any other powers and functions conferred upon him under these rules, shall:-
 (i) present all important papers and matters to the board of vocational training at least ten days before the meeting;
 provided that in case of urgency, the subject matter may be placed before the board of vocational training two days before the meeting.
 (ii) issue orders for carrying out the decisions of the board of vocational training;
 (iii) have power to refer, in his discretion, any matter to the central government for its orders; and
 (iv) have powers generally to take such action or pass such orders necessary to implement the decisions of the board of vocational training.
 (b) the chairperson may, during his temporary absence by reason of leave or otherwise, authorize any member of the board of vocational training to perform all or any of the functions of the chairperson during such absence.

149. Functions of the Board of Vocational training.— The board of vocational training may-(a) constitute advisory committees to address any matter put before it and for specifying criteria for the mandatory establishment of independent vocational training centre by the owner of amine, standard of training to the persons working in mines to maintain uniform standards.

- (b) specify the manner of ascertaining, by examination or otherwise, the quality of training to the persons, granting certificates by a system of assessment and evaluation.
- (c) specify the manner of ascertaining, by examination or otherwise, the competency of training officers, instructors, trainers and persons acting under them and specifying qualification and experience of training officers, instructors, trainers and persons acting under them.
- (d) specify the scale of appointment and manner of training of instructors and trainers.
- (e) specify the system and standard of training centres, criteria for approval and suspension or cancellation of training centre and auditing and monitoring of all aspects of such training centers.
- (f) specifying the manner of assessing training requirement of trainees and their post-training evaluation process.
- (g) specify criteria for establishment of common training centre.
- (h) prescribe fees required to be paid along with the application for approval of vocational training centre under these rules.

- (i) prescribe remuneration or allowances to be paid to an instructor, trainer and like other matters. under these rules.
- (j) make provisions for any other matter concerning training of persons employed in mines, referred to the board of vocational training by the Chief Labour Commissioner (Central).

150. Scope and Standard for Vocational Training.-The owner or agent of every mine shall ensure that every person to be employed in a mine shall, before he is employed, be imparted training as per the training scheme under these rule for such employment:

Provided that in case of a person who is already in employment in other mine, the owner shall ensure that such person is imparted training covering such additional course of training as specified under these rules.

151. Scope and standard for Refresher Training.- Every person in employment in a mine shall undergo the refresher training at least once in four years, as per training scheme.

Provided that the Chief Inspector-cum-Facilitator may by order in writing and subject to such conditions as he may specify there in increase or decrease the interval of Refresher training at a mine.

152. Arrangement for refresher training.-The refresher training shall be so arranged that the persons shall undergo training during normal working hours on full day release system:

Provided that the Chief Inspector-cum-Facilitator may by general or special order in writing subject to conditions as may be specified may exempt any mine from the provisions the of this rule.

153. Special Training.- (1) In case new technology, equipment and system of work is introduced in the mine, the owner or agent or manager shall prepare and submit the training module, at least sixty days before such introduction, to the Chief Inspector-cum-Facilitator, who may at any time, by an order in writing, require such modification in the training module as he may specify therein.

(2) Persons to be employed in aforesaid technology, equipment and system of work shall undergo training as per the training scheme specified under these rules, based on the aforesaid training module.

154. Training of persons after long absence or after an accident or change of job.-Wherever a person returns to employment in amine, after an absence from work for a period exceeding one year or returns to work after being involved in a serious accident or in a dangerous occurrence which could have resulted in threat to life and safety, or is re-employed on a job which is different from what he had been performing earlier he shall undergo training before employment as per the training scheme specified under these rules.

155. Training Centre.—(1) The owner of every mine shall provide and maintain a training centre which shall be adequate for the purpose of imparting the training required to be undergone by the persons who are employed or to be employed in the mine:

Provided that the Chief Inspector-cum-Facilitator may, by an order and for the reasons to be recorded in writing and subject to such conditions as he may specify therein, authorize that a common training Centre may be provided and maintained in respect of two or more mines belonging to the same owner:

(2) The Chief Inspector-cum-Facilitator may permit in writing, subject to such conditions as he may specify therein, a common training Centre owned and maintained by a group of owners for imparting training in more than one mine.

Provided that where a common training centre is established and maintained by a group of owner, the owners of those mines shall nominate one among them to assume the responsibility of owner of the common training centre for management, supervision, direction and control thereat and the nominated owner shall submit notice in writing to the Chief Inspector-cum-Facilitator and the Inspector-cum-Facilitator.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and sub-rule (2), the Chief Inspector-cum-Facilitator may approve in writing, subject to such conditions as he may specify therein, a training Centre established under any other law for the time being in force subject to having such infrastructure and facilities as notified

by the Chief Inspector-cum-Facilitator for imparting training under these rules.

(4) Every application for approval under sub rule (3) shall be made in a proforma and accompanied by a fee prescribed by the board of vocational training and notified by the Chief Inspector-cum-Facilitator .

156. Arrangements for the training centre.—Every training centre shall have such staff, equipment and other facilities as notified by the Chief Inspector-cum-Facilitator.

157. Training Officer.—

(1) Every training centre shall be placed under the charge of a whole time training officer, possessing qualification and experience, as specified by the board of vocational training and notified by the Chief Inspector-cum-Facilitator from time to time.

(2) It shall be the responsibility of the owner or agent of the mine or the owner of common vocational training centre, as the case may be, to appoint the training officer specified under sub-rule(1).

Provided that in case of an training Centre, the person responsible for the management, control, supervision or direction of the training centre approved by the Chief inspector-cum-Facilitator (hereinafter referred to as owner of approved training centre), shall appoint the training officer.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where the training officer is unable to perform his duties by reason of temporary absence, illness or other cause, the owner, agent or manager, as the case may be, shall authorize in writing any other person having similar qualifications to act in his place.

Provided that no such authorisation shall have effect for a period exceeding thirty days, except with the previous consent in writing of the Chief Inspector-cum-Facilitator and subject to such conditions as he may specify therein;

(4) A written notice of every appointment, discharge, dismissal, resignation or termination of service of a Training officer and of the date thereof shall be sent by the owner or agent to the Chief Inspector-cum-Facilitator and the inspector-cum-Facilitator within seven days from the date of such appointment, authorization, discharge, dismissal, resignation or termination of service as the case may be.

158. Duties of Training Officer.—(1) It shall be the duty of the training officer:

- i. to organise and supervise the training of every person undergoing training under him in pursuance of these rules;
- j. to recognize current competency and prior learning in establishing for the training needs;
- k. to ensure training as per the modules or curriculum prepared under the concerned training scheme framed under these rules for different categories of persons and ensure that the instructors deliver lectures on standard course material;
- l. to maintain records of the training given to every person and to furnish monthly reports to the mine manager on the progress of the persons undergoing training;
- m. to maintain records of the supervision in respect of the practical training on actual operations; and
- n. to discharge such other duties as may be necessary for the proper compliance of these rules.

(2) Every training officer shall keep a record of his work and shall, at the end of every year, forward to the Chief Inspector-cum-Facilitator or Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction over the training centre, through the owner, agent or manager of the mine or the owner of a common or approved training centre as the case may be, a summary of the report of his work during the year.

159. Instructors. — The owner or agent of a mine or the owner of a common or approved training centre as the case may be, shall appoint sufficient number of instructors having qualification and experience to impart training in vocational training centre.

Provided that, in special circumstances, officials may be called for from the mines, to deliver lectures and for demonstrations at the training centre.

160. Trainers.—For the purpose of the practical training referred to in these rules, every person to be employed in a mine shall be placed under the direct supervision of an experienced person of an appropriate category, employed on operations and authorized by manager hereinafter referred to as trainer.

161. Qualification of instructors and trainers.- (1) No person shall function as an instructor or trainer unless he possesses qualification, training and experience as specified by the Board of Vocational training and notified by the Chief Inspector-cum-Facilitator from time to time.

(2) Instructors and Trainers shall be skilled and experienced having aptitude required for training job.

162. Duties of Instructor.— The instructor shall:-

- (i) assess employees competency and deliver lectures on standard course material;
- (ii) Maintain records of training given to every person and to furnish weekly report to the training officer on the progress of the persons undergoing training.

163. Duties of trainer and persons undergoing training.- (1) **The trainers shall be responsible for the safety of the persons undergoing training under him.**

(2) The trainer shall see that the persons put under his charge for training, pick up work, understand the dangers inherent in the job and develop habits, which would ensure safety in mines.

(3) The trainer shall see that the persons undergoing training move within the mine along with him.

(4) Every trainer shall see that the persons undergoing training under him, is aware of escape route from the sections where he is likely to work and other emergency response applicable to the trainee.

(5) Every person undergoing training shall, whilst under training, comply with the directions of the trainer under whom he is put in charge.

164. Training allowance.- (1) **Every trainer shall, in addition to his normal wages, be paid by the owner, agent or manager of a mine, a training allowance for everyday a trainee has worked under his supervision as prescribed by the board of vocational training and notified by the Chief Inspector-cum-Facilitator .**

(2) Every Instructor, other than the instructor under regular appointment at the training centre shall, in addition to his normal wages, be paid by the owner, agent or manager a training allowance for every day he has imparted training in Vocational Training Centre, as prescribed by the Board of Vocational training and notified by the Chief Inspector-cum-Facilitator.

165. Certificate of training.-(1) **Every person who undergoes a course of training specified in these rules shall, on completion of the training be assessed and subject to acceptable performance of the trainee, he shall be granted a certificate duly signed by the training officer, in form to be notified by the Chief Inspector-cum-Facilitator .**

(2) Where the training officer is not satisfied with the progress or performance of any trainee, he shall report the same to the manager of the Mine, who may arrange to give him, further training.

(3) The Manager of every mine shall counter sign and specify date on the certificate after being satisfied of the successful completion of training.

166. Certificate to be delivered to the management.- (1) Every person employed in a mine shall –

- (i) if he has obtained training certificates prior to such employment; and
- (ii) if he has obtained certificates during the course of employment, within such time as may be specified by the manager of the mine, deliver the certificate issued to him under these rules, to the manager of the mine who shall keep the certificate in safe custody and issue a receipt for the same.

(2) On the termination of employment, certificate deposited under sub-rule (1) shall be returned to the employee.

167. Inspection of vocational training centre.—The Chief Inspector-cum-Facilitator or other Inspector-cum-Facilitator, authorised by him in his behalf or the Inspector-cum-Facilitator may enter, inspect and examine any training centre or any part thereof and make such examination or inquiry as he thinks fit in order to ascertain whether the provisions of these rules and of any orders made there under are being complied with.

168. Notice of closure or discontinuance of Vocational Training Centre.— When it is intended to close a training centre established under these rules or to discontinue the working thereof for a period exceeding sixty days, the owner, agent or manager of a mine or the owner of a common vocational training centre as the case may be, shall give a notice in the manner and form as may be notified by the Chief Inspector-cum-Facilitator for the purpose, to the Chief Inspector-cum-Facilitator and the Inspector-cum-Facilitator stating the reasons for such closure or discontinuance, not less than thirty days prior to such closure or discontinuance:

Provided that the owner or the agent or the manager of the mines shall give notice forthwith when on account of unforeseen circumstances a training centre is closed or discontinued before the said notice has been given or without previous intention the discontinuance extends a period of sixty days.

169. Onus as to age under section 117.— The medical authority referred to in sub-section (2) of 117 shall be a medical practitioner as referred, who possesses any recognised medical qualification as defined in The National Medical Commission Act, 2019 (30 OF 2019) and who is enrolled on a Indian Medical Register as defined in clause (e) and on a State Medical Register as defined in clause (1) of section 35, 36, 37 and 40 of the Code.

170. Procedure of inquiry and other related matters under sub-section (4) of section 121.— **(1) Wherein any workplace an accident causing death or serious bodily injury takes place or there is an occurrence of any dangerous occurrence or cases of any occupational disease as specified in the Third Schedule to the code has been reported or is suspected to have been contracted, the Central Government, as the case may be, appoint one or more persons possessing legal or special knowledge to act as assessors or competent persons in such inquiry in order to inquire into the causes of the accident or occupational disease.**

(2) The competent person appointed under sub-rule (1) shall carry out the inquiry into the causes of the accident or dangerous occurrence along with identification of the hazardous condition for which he has reasonable evidence to conclude and to be recorded in writing in the inquiry report, has caused the accident or the dangerous occurrence and also identify the persons which he believes, based on his findings, to be responsible for such accident or occurrence, as the case may be,

(3) The inquiry report shall contain conclusive findings of the inquiry along with the recommendations for prevention of such accidents or dangerous occurrences of occupational diseases containing suggestions for implementation to prevent re-occurrence.

(4) In case of dock work, any competent person appointed by the Central Government for the purposes of inquiring into the causes of any accident, dangerous occurrence or occupational diseases connected with the dock work under the provision of section 121 of the Code shall make the inquiry in the following manner, namely:—

(a) date, time and place of holding the inquiry shall be fixed and may be varied, notice of which shall be given not less than 30 days in writing of such date, time and place to every person entitled to appear at the inquiry whose name and address are known to the competent person:

Provided that,—

- (i) with the consent of such persons, the competent person may give such lesser period of notice as shall be agreed to with those persons; and
- (ii) where it becomes necessary or advisable to vary the time or place fixed for the inquiry, the competent person shall give such notice of the variation as may appear to it to be reasonable in the circumstances.

(b) the notice given under clause (a) of this rule shall state the name of the competent person and the names of assessors, if any, appointed to assist the competent person in the inquiry.

(c) without prejudice to the foregoing provisions of this sub-rule, the competent person shall also for the purpose of notifying to the persons who may in any way be concerned with the subject-matter of the inquiry, take one or more of the following steps, namely:—

- (i) publish notice of the inquiry in one or more newspapers, including where appropriate, newspapers circulating in the locality or area in which the subject-matter of the inquiry arose; and
- (ii) give such other notice of the inquiry as appears to the competent person to be appropriate; and the requirements as to the period of notice contained in clause (a) of this rule shall not apply to any such notices.

171. Persons to appear at inquiry.- (1) **The person entitled to appear at the inquiry shall be—**

- (a) any competent person defined in clause (l) of sub-section (1) of 2;
- (b) any enforcing authority concerned;
- (c) any employers' association or Trade Union of employees;
- (d) any person who was injured or suffered damage as a result of the accident, occurrence, situation, disease or other matter which is the subject of the inquiry, or his representative;
- (e) the owner of any premises in which the accident, occurrence, situation or other matter occurred or arose;
- (f) any person carrying on work giving rise to the accident, occurrence, situation or other matter which is the subject of the inquiry; and
- (g) any other person at the discretion of the appointed competent person making inquiry.

(2) The following shall represent at the inquiry, namely:—

- (a) a corporate body may be represented by its secretary or by any other officer appointed for the purpose, or by counsel or solicitor;
- (b) a Government department, an employers' association or a Trade Union may be represented by a counsel or a solicitor;
- (c) where there are two or more persons having a similar interest in the matter under inquiry, the competent person may allow one or more persons to appear for the benefit of some or all persons so interested.

(2) The competent person appointed by the Central Government under section 121 of the Code, may, either of his own motion or on the application of any person entitled or permitted to appear, cause to be served on any person appearing to him to be likely to be able to give material evidence or to produce any document likely to be material evidence, a notice requiring that person to attend at the inquiry at the time and place specified in the notice to give evidence or produce the document.

(3) A person on whom a notice is served under sub-rule (3) may apply to the competent person either at or before the inquiry to vary or set aside the requirement, and where he does so before the inquiry, he shall give notice of his application to the person, if any, who applied for the notice under sub-rule (3) to be served.

(4) Except as otherwise provided in these rules, the procedure at and in connection with an inquiry shall be at the discretion of the competent person and contrary to the principles of natural justice who shall state at the commencement of the hearing the procedure which, subject to consideration of any submission by the persons appearing at the inquiry, he proposed to adopt and shall inform those persons what he proposes as regards any site inspection arising out of the hearing.

(5) In case of mines, the persons appointed to hold inquiry under section 121 shall hold the inquiry in public in such manner and under such conditions as the Competent person thinks most effectual for ascertaining the causes and circumstances of the accident or other occurrences and for enabling the Competent person to make the report.

(6) If a court of inquiry finds that the accident was due to any carelessness or negligence on the part of the management, the Competent person may direct the recovery of the expenses of such Competent person including any expenses incurred with the previous sanction of the Competent person and any other expenses connected with the enquiry which the court may direct as recoverable from the owner of the mine concerned, in such manner and within such time as the Competent person may specify.

(7) The amount directed to be recovered under sub rule (7) may, on application by the Chief Inspector-cum-Facilitator or an Inspector-cum-Facilitator to the concerned authority, be recovered from the owner or employer or occupier.

(8) An Inspector-cum-Facilitator nominated in this behalf by the central government, shall act as the Secretary to the competent person.

(9) The inquiry or the survey, as the case may be, shall be completed and submitted to the central government, within a period of three months from the date of the order through which it is constituted.

172. Procedure of survey and other related matters under sub-section (4) of section 121.- **(1) The Central Government may direct Directorate General Occupational Safety and Health (DGOSH) or Directorate General Mines Safety (DGMS) or any other institution under the control of the central Government, to appoint a committee to undertake a survey on the situation relating to safety and health at work at any workplace or class of workplaces or into the effect of work activity on the health of the employees and other persons within and in the vicinity of the workplace in the following manner, namely:-**

- (a) a committee to be constituted by Directorate General Occupational Safety and Health or the institution under the chairmanship of Directorate General Occupational Safety and Health for carrying out the survey.
- (b) The committee shall carry out the survey with a view to finding out the status of safety and health at work the workplace and its effect on the workers.

The report of the committee to be submitted to the Central government shall be of status of an inspection report and contain conclusive findings of the survey along with the recommendations for improving the status of occupational safety and health for prevention of accidents or dangerous occurrences or occupational diseases as the case may be, and containing suggestions for implementation thereof for compliance which shall be ensured by the Inspector-cum-Facilitator, as the case may be.

CHAPTER XII OFFENCES AND PENALTIES

173. Manner of compounding of offences by the authorized officer specified under sub-section (1) of section 114.-(1) The officer notified by the Central Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 114 shall issue electronically a compounding notice to the concerned alleged accused person for the offence for which is compoundable under section sub-section (1) of section 114.

- (2) The person so noticed under sub-rule (1) may apply to the officer electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.
- (3) The Officer referred to in sub-rule (1) shall issue a composition certificate within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.
- (4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the one month before the institution of prosecution, the prosecution shall be proceeded with in the competent Court.
- (5) No prosecution shall be instituted without giving an opportunity to the employer to comply with such provisions subjected to proviso of sub-section (1) of section 110 and compounding as under Section 114.

Chapter-XIII

Miscellaneous**174. Grievance redressal mechanism for contract labour.-**

1. The contract labour may submit his grievance(s) relating to health, working conditions and wages, at the level of principal employer, who shall look into the matter and redress grievance(s) if any.
2. A committee may be constituted consisting of a chairman, who shall be the authorized representative of the principal employer. The committee shall have representatives of principal employer and contractors. The aforesaid committee shall hear and dispose off the grievance(s) of the contract labour within a period of one month.
3. In case, the grievance(s) is not redressed within one month of raising of such grievance(s), the principal employer shall forward the grievance(s) to the concerned Inspector-cum-facilitator electronically or through registered post or speed post.

175. Annual increment of regular worker of a contractor.- A worker who is regularly employed by the contractor for any activity and his employment is governed by mutually accepted standards of the condition of employment shall be such that he gets an annual increment of not less than 2% two percent of his wages.

FORM-I**(See rule-3)****Application for Registration for existing establishments/New establishment/Amendment to certificate of Registration****A. Establishment Details.**

1. Retrieve details of Establishment through LIN:
2. Name of Establishment:
3. Location and Address of the Establishment:
- 3a. PAN:
4. Others details of Establishment:
 - a. Total Number of employees engaged directly in the establishment:
 - b. Total Number of the contract employees engaged:
 - c. Total Number of Inter-State Migrant workers employed:

5 (a) For factories:

Details of the manufacturing process	Full postal address and situation of the factory along with plan approval details	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day
1	2	3	4

5 (b) For mines:

Name of Mineral(s)	Lease extent of the mine (in Acres)	Name and address of the owner	Average Monthly output, targeted (Tonne)	Maximum number of persons to be employed on any day
1	2	3	4	5

5 (c) For Dock work:

Name of dock Work/Major Port	Types of Dock Works	Name of the Cargo handled and stored along with quantity	Name of the chemicals handled and stored along with quantity	Name of the hazardous Chemicals handled and stored along with quantity
1	2	3	4	5

5 (d) For building and other construction work:

Type of Construction work	Probable period of commencement of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
1	2	3	4

6. Ownership Type/Sector:

7. Activity as per National Industrial Classification:

8. Details of Selected NIC Code:

9. Identification of the establishment e-sign/ digital sign of employer/ representative:

B. Details of Employer:-

1. Name & Address of Employer / Occupier / Owner/Agent/ Chief Executive/ port authority etc. :
2. Designation :
3. Father's/ Husband's Name of the Employer :
4. Email Address, Telephone& Mobile No. :

C. Manager/ Agent Details

1. Full name & Address of Manager/ Agent or person responsible for supervision and control of the Establishment
2. Address of Manager/ Agent:
3. Email Address, Telephone& Mobile No. :

D. Contractor Details

Name and Address Contractor	Email address & Mobile of Contractor	Name of Work	Maximum No. of Contract labour engaged	Date of Commencement /Probable date of Completion of work
1	2	3	4	5

E. Others Details:-

Dated:-
Place:-

Signature/ E-sign/digital sign of employer

FORM-II
(See rule-3(1))
Certificate of Registration of Establishment

Registration No.

Date

A Certificate of registration containing the following particulars is hereby granted under sub section (2) of section 3 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020(...37.of 2020) to..... (Name of the establishment)

1. Nature of work carried on in the establishment (Please tick mark) 2.

- | | |
|---|--|
| (a) Factory | (b) Mining |
| (c) Dock work | (d) Contract Work |
| (e) Building and Other Construction Works | (f) any other work (not covered above) |

2. Details of the establishment:

- a. Total Number of employees engaged directly in the establishment:
- b. Total Number of the employees engaged through contractor
- c. Total Number of Contractors and their details:
- c. Number of inter-state migrant workers engaged:

3 (a) For factories

Details of the manufacturing process	Full postal address and situation of the factory along with plan Approval details	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day
1	2	3	4

3 (b) For mines

Name of Mineral(s)	Lease extent of the mine (in Acres)	Name and address of the owner	Average Monthly output, targeted (Tonne)	Maximum number of persons to be employed on any day
1	2	3	4	5

3 (c) For Dock work

Name of Dock Work / Major Port	Types of Dock Works	Name of the Cargo handled and stored along with quantity	Name of the chemicals handled and stored along with quantity	Name of the hazardous Chemicals handled and stored along with quantity
1	2	3	4	5

3 (d) For building and other construction work

Type of Construction work	Probable period of commencement of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
1	2	3	4

4. Remarks of registering officers

Place:

Date:

/Signature E -Sign/DSC of Registering Officer
along with designation

Conditions of Registration

- (1) Every certificate of registration issued under rule 4 shall be subject to the following conditions, namely:
- (a) the certificate of registration shall be non-transferable;
 - (b) The number of workers employees employed in an establishment directly and contract employees shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the certificate of registration; and
 - (c) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of registration certificate shall be non-refundable.
- (2) The employer shall intimate the change, if any, in the number of workers employees or the conditions of work to the registering officer within 30 days.
- (3) The employer shall, within thirty days of the commencement and completion of any work, intimate to the Inspector-cum-Facilitator, having jurisdiction in the area where the proposed establishment or as the case may be work is to be executed, intimating the actual date of the commencement or, as the case may be, completion of establishment such work in Form IV annexed to these rules electronically.
- (4) A copy of the certificate of registration shall be displayed at the conspicuous places at the premises where the work is being carried on.

FORM-III
(See rule-3(8))
Register of Establishment

Sl.No.	Nature of work	Registration No. and Date	Name and Address, location of the establishment registered	Name, Address and Contact Details of Employer	Total number of Workers and Total Horsepower (if any)	Total number of Contract Workers	Remarks
1	2	2	3	4	5	6	
	(a) Factories (b) Mines (c) Dock Work (d) Building and other Construction work (e) Contract work (f) Interstate Migrant Work (g) Any other work(not covered above)						

FORM-IV**(See rule-3(9) and rule- 5)****A-Notice of Commencement / completion of work /cessation of Establishment:**

1. Registration No:
2. Name and Address of Establishment:-
3. Name and Designation of employer/ Port authority (who has ultimate control over the affairs of the establishment :-
4. Full address to which communication relating to the establishment to be sent :-
5. Nature of work of the establishment :-
6. In case of the notice is for commencement of work the approximate duration of work:-
7. in case of completion of work/cessation of establishment, the date of completion /cessation:

I/We here by intimate that the work of establishment having registration No.dated
 is likely to commence/cessation is likely to be completed with effect from
 (Date)/ On..... (Date)

In case of cessation of work:

I/we hereby certify that the payment of all dues to the workers employed in the establishment has been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

Signature of the Employer

To,

The Inspector-cum-Facilitator

FORM-V
(rule-6)
HEALTH EXAMINATION
(Except mine employees)

PART –A (Sl.No.1-11) : To be filled by the Employee:

1. Name of employee.....2. Sex..... 3. Age (with DOB).....
4. Company..... 5.Designation.....5a. UAN:.....
6. In-charge Employer / Executive Contacts.....
7. Complete personal /plant Address
8. Mobile /Phone 9.Email.....
10. Medical illness (Current) and under treatment & medication, If any.....
-
11. Nature of Job (furnish more details, if hazardous and work-related viz. Physical, Chemical, Biological, Ergonomic etc)
.....

Date:

Signature of Employee

PART-B:

12. Medical Test Carried out & Reports to be Attached as Annex . Medical Officer's interpretation/ Opinion of the Tests below (To indicate only if abnormal , referring the attached Test reports) :

- a. Ht. Wt. Chest, Waist Circumference, Body Mass Index:
- b. Vision (Ophthalmologist tests):
 - i. Visual Acuity both Right & left eyes
 - ii. Colour Vision.....
- c. Blood Pressure
- d. Complete Blood Count:
- e. Blood Sugar (Fasting/PPBS/HbAC1).....
- f. SpO₂.....
- g. Blood Urea Nitrogen (BUN).....
- h. SGOT/SGPT.....
- i. Lipid profile.....
- j. ESR.....
- k. Thyroid profile.....
- l. X-ray Chest etc.....
- m. ECG.....
- n. Others if any.....

 13. Final Diagnosis/ Opinion / Treatment if any, advise by qualified medical practitioner

14. Does the person has seizure (s) related disorders or difficulties working at Height ? If yes, explain the works to be avoided:
 Yes/No/ NA (Not applicable)

Date:

Signature of the qualified medical practitioner

SEAL

NOTE: All the above information is highly confidential between the Applicant and the Examining Physician. Sharing of the above with Employer or any other agency/persons is permitted only on obtaining Consent from the Applicant/Employee.

Report of the examining authority

(to be filled in for every medical examination whether initial or periodical or re-examination or after cure/control of disability).

Annexure to Certificate No.....as result of medical examination on

Identification Mark.....

Left thumb impression and Signature of The candidate

1. General development- Good/Fair/Poor

2. Height.....Cms.

3. Weight.....kg.

4. Eyes :

- (i) Visual acuity-Distant vision (with or without glasses): Right eye.....Left eye.....
- (ii) any organic disease of eyes
- (iv) night blindness
- (iv) Color blindness (to be tested in IME)
- (v) Squint

5. Ears :

- (i) Hearing: right ear.....Left ear
- (ii) Any organic diseases.
- (iii) Audiometry Findings :

Conduction Type	Left Ear	Right Ear
Ear Conduction	Normal/Abnormal	Normal/Abnormal
Bone Conduction	Normal/Abnormal	Normal/Abnormal

Enclosed Audiometry Report.

6. Respiratory system.

Auscultatory Finding:

Chest measurement :

- (i) after full inspirationcms.
 (ii) after full expiration.....cms.

Result of Lung Function Test (Spirometry)

Parameters	Predicted Value	Performed Value	% of Predicted
Forced Vital Capacity (FEV)			
Forced Vital Capacity 1 FEV1			
FEV1/FVC			
Peak Expiratory Flow			

Enclose Spirometry Report

7. Circulatory system:

Blood Pressure

Pulse

Cardiological Assessment

Auscultation	S1	
	S2	
	Additional Sound	
Electrocardiograph (12 leads) findings :		Normal/Abnormal
Echocardiography finding (to be tested in IME)		Normal/Abnormal

Enclose ECG

Enclose Echocardiography report

8. Abdomen :

Tenderness.

Liver.

Spleen.

Tumour.

Ultrasonography of Whole Abdomen (to be tested in IME)
(Enclose Ultrasonography report)

9. Nervous system:

History of fits or epilepsy

Paralysis.

Mental health.

Neurological Assessment

Findings	Normal/Abnormal
Superficial Reflexes	
Deep Reflexes	
Peripheral Circulation	
Vibrational Syndromes	

Special Tests for Manganese exposure

Behavioral Disturbances		Present/Not Present
	Speech Defect	Present/Not Present
Neurological Disturbances	Tremor	Present/Not Present
	Adiadocokinesia	Present/Not Present
	Emotional Changes	Present/Not Present

10. Locomotory system

11. Skin.

12. Hydrocele.

13. Hernia.

14. Teeth

15. Speech

16. Pathological Investigations:

S.No.	Tests	Findings
1	Blood-Tc,Dc,Hb,ESR, Platelets	WNL/Abnormal

2	Blood Sugar- Fasting & PP	WNL/Abnormal
3	HbA1c(to be tested in IME and for diabetic person during PME)	WNL/Abnormal
4	Lipid profile	WNL/Abnormal
5	Blood Urea, Creatinine	WNL/Abnormal
6	Urine (Reaction, Albumin, Sugar)	WNL/Abnormal
7	Stool Routine	WNL/Abnormal
8	Sputum test for AFB(For Food handling employee)	
9.	Hemoglobin Electrophoresis for sickle cell disease /trait (to be tested in IME)	WNL/Abnormal
10.	Bilirubin	WNL/Abnormal
11.	SGOT	WNL/Abnormal
12.	SGPT	WNL/Abnormal
13.	delta aminolevulinic acid in urine (for person exposed to Lead)	WNL/Abnormal

Enclose all Investigation Reports.

17. Skiagram of chest.

ILO Classification of Chest Radiograph :

Profusion of Pneumoconiotic opacities	Grades	Types
Present/Absent		

Enclose Chest Radiograph

18.Any other abnormality.

19. Any other test considered necessary by the examining authority.

20. Any opinion of specialist considered necessary.

Place:

Signature & name of the examining authority
With date and seal

Medical Standard of Fitness for Persons to be employed in Mines (Initial Medical Examination).

1. The person should be in good physical and mental health and free from any physical defect, likely to interfere with efficient employment in mines.
2. Speech must be without serious impediment.
3. Teeth are in good order and if he/she is provided with dentures, where necessary, for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound). Gums should be in healthy condition.
4. Skin: - There should be no evidence of extensive and chronic skin disease or ulceration. In case of infective type of skin disease, the candidate could be made fit after he has undergone a treatment.
5. Hearing in each ear should be good and that there is no sign of disease in the ear. Audiometric examination should be normal & free from deafness in each ear.
6. Distant vision of eye with or without glass should not be less than following standard :
 - a) For underground workers

Better eye	6/6
Worse eye	6/9
 - b) For surface/opencast workers

Better eye	6/9
Worse eye	6/12
 - c) Intra-ocular lens implant: In the case of a person who has undergone intraocular lens implant, if the visual activity with intra-ocular lens is according to the standards laid down, the person concerned may be considered fit

- d) Fundus examination: In myopia -2Diopter or more, Fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present, which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he shall be declared unfit.
 - e) Color vision: - The testing of color vision is compulsory and the results should be normal. The Ishihara's Plates shall be used for testing color vision.
 - f) There should be no night blindness for persons employed below ground and for persons employed in open cast working in shifts other than in morning's shifts.
 - g) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered a disqualification.
 - h) Squint:-Presence of binocular vision is essential, squint even if the visual acuity is of prescribed standard, should be considered a disqualification.
 - i) One eyed person - Presence of binocular vision is essential, one functional eye should be considered a disqualification.
 - j) There shall be no Nystagmus.
7. Respiratory system: Chest must be well formed .Respiratory system should be sound and free from any chronic laryngeal, bronchial pulmonary disease. Tuberculosis of lungs if not active should not be a disqualification.
- a) A full sized postero-anterior chest radiograph (not less than 11 inch. X 14 inch.) enough to include thoracic inlet and both costophrenic angles obtained by an X-ray machine (analog /digital) of atleast 300 Milli-Ampere strength shall be classified as per ILO international Classification of Radiographs of Pneumoconiosis by Medical Officer trained in such ILO classification. X-ray shall be classified using LED view box accommodating at least four chest radiographs of 14 inch. X 17inch size.
 - b) Lung function tests (spirometry) to record forced vital capacity (FVC) and forced expiratory volume in one second (FEV1) shall be made. Findings of spirometry shall be within normal limit.

8. Circulatory system: - There should be no evidence of cardiac or vascular disease which may interfere with his efficient employment in a mine. The Blood pressure shall not be more than 130/80 mm Hg. Detailed cardiovascular assessment of employees should be done. This should include 12 leads electrocardiogram, echocardiography and complete lipid profile.
9. Locomotor System: The limbs, hands, fingers, feet and toes should be well formed and developed & without any deformity, and function of all limbs should be within normal limits.
10. There should not be any evidence of disease of abdominal organs which is likely to affect his efficient discharge of duty in a mine. Ultrasonography (whole abdomen) report shall be normal.
11. In case the candidate has hernia, he may be declared fit after he has been successfully operated for the same.
12. Hydrocele if present should not be large enough to impede the normal activities of the person. If it is large enough he may be declared fit after being successfully operated.
13. The nervous system should be sound. Persons with history of epilepsy or any other type of organic or historical fits should not be declared fit for employment in a mine. Detailed neurological examinations including testing of all major superficial and deep reflexes shall be done.
14. Fasting, Post- prandial Blood sugar and Glycoslated Hb level (HbA1c) shall be tested .GlycoslatedHb level (HbA1c) by a medical specialist as Diabetes Mellitus is known to damage of target organs. GlycoslatedHb level (HbA1c) shall not be more than 6.0. Only such cases of well controlled Diabetes Mellitus with no associated complications may be considered for appointment.
15. Serum Urea and Creatinine shall be within normal limit.
16. Bilirubin, SGOT and SGPT shall be within normal limit.
17. Routine Stool shall be within normal limit.

18. The medical examination should include examination of urine. Mere presence of albumin and sugar in the urine without any gross organic disease producing signs and symptoms should not be a disability.

19. There should not be sickle cell disease /trait. Hemoglobin Electrophoresis test shall be done.

Medical Standard of Fitness for Persons Employed (Periodical Medical Examination)

1. The person should be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with his efficient employment in a mine.
2. Speech must be without serious impediment.
3. Teeth are in good order and if he/she is provided with dentures, where necessary, for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound). Gums should be in healthy condition.
4. Locomotor System: The limbs should be well formed and developed, and the function of all the limbs should be within normal limits. Any deformity should be recorded. There should be no deformity or paralysis which may interfere with his efficient employment in a mine.
5. Skin: - There should be no evidence of extensive and chronic skin disease or ulceration. In case of infective type of skin disease, the candidate could be made fit after he has undergone a treatment. All occupational skin diseases should be noted.
6. Eye :
 - (a) Vision with or without glass should not be less than the following standard:

i. Better eye	6/9
ii. Worse eye	6/12
 - (b) There should be no night blindness for persons employed below ground and for persons employed in open cast working in shifts other than in morning's shifts.

- (c) A person having only one eye which functions normally should not be employed below ground, For employment on surface the vision of such a person in the other eye should be 6/9 with or without glasses.
7. Hearing should be good, any progressive disease affecting hearing/or occupational deafness should be recorded. Audiometric examination shall be conducted in every case.
8. Respiratory System: Respiratory system should be sound and free from any chronic laryngeal, bronchial pulmonary disease. Tuberculosis of lungs if not active should not be a disqualification.
- a) A full sized postero-anterior chest radiograph (not less than 14 inch. X11 inch.) enough to include thoracic inlet and both costophrenic angles obtained by an X-ray machine (analog /digital) of at least 300 mA Milli-Ampere strength shall be classified as per ILO international Classification of Radiographs of Pneumoconiosis by Radiologist / Medical Officer trained in such ILO classification.
- b) Lung function tests (spirometry) to record forced vital capacity (FVC) and forced expiratory volume in one second (FEV1) shall be made. Findings of spirometry shall be within normal limit.
9. Circulatory system – There should be no evidence of any heart or vascular disease which may interfere with his efficient employment in a mine. Detailed cardiovascular assessment of employees should be done. This should include 12 leads electrocardiogram and complete lipid profile. The Blood pressure shall not be more than 140/90 mm Hg.
10. There should not be any evidence of disease of abdominal organs which is likely to affect his efficient discharge of duty in a mine.
11. The nervous system should be sound. Persons with history of epilepsy or any other type of organic or historical fits should not be declared fit detailed neurological examinations including testing of all major superficial and deep reflexes shall be done.
12. Persons exposed to manganese, In addition to the basic neurological examination, special emphasis should be given to behavioral and neurological disturbances such as speech defect, tremor, impairment of equilibrium, adiadochokinesia and emotional changes.
13. Persons exposed to lead; PME should include delta aminolevulinic acid in urine.

14. Persons engaged in food handling and preparation and handling of stemming material activities should undergo routine sputum for Acid Fast Bacilli (AFB).
15. Fasting & Post- prandial Blood sugar shall be tested. Diabetes shall be under controlled. Target organ shall not be affected by diabetes.
16. Serum Urea and Creatinine shall be within normal limit.
17. Bilirubin, SGOT and SGPT shall be within normal limit.
18. Routine Stool shall be within normal limit.
19. In case the candidate has hernia he may be declared fit after he has been successfully operated for the same.
20. Hydrocele if present should not be large enough to impede the normal activities off the candidate. In such cases he may be declared fit after being successfully operated.

The medical examination should include examination of urine and of other system for evidence of disease. Mere presence of albumin and sugar in the urine without any gross organic disease producing signs and symptoms should not be considered as a disability.

FORM-VI
(See rule-8)
NOTICE OF ACCIDENT OR DANGEROUS OCCURRENCE

E.S.I.C. Employer's Code number:

E.S.I.C. Insurance

Number of the injured person :

1. Name of employer :

2. Address of
works / premises
where the
accident or
dangerous

Occurrence took place :

3. Nature
of industry
and LIN of
the
establishm
ent:

4. Branch or department and
Exact place where the
accident or dangerous
occurrence took place :

5. Name and address of the injured person:

6. (a) Sex :

(b) Age (at the last birthday) :

(c) Occupation of the injured
person :

7. Local E.S.I.C. Office to which the
injured person is attached :

8. Date, shift and hour of accident
or dangerous occurrence :

9. (a) Hour at which
the injured person
started work on the
day of
accident or dangerous occurrence :

(b) whether wages
in full or part are
payable to him for the
day of the accident or
dangerous occurrence
:

10. (a) Cause or nature of accident
or dangerous occurrence :

(b) If caused by machinery-

(i) Give the
name of
machine and
the part
causing the

accident or
dangerous
occurrence :

- (ii) State
whether it
was moved
by
mechanical
power at the
time of
accident or
dangerous
occurrence :

(c) State exactly what
the injured person was
doing at the time of
accident or dangerous
occurrence :

(d) In your opinion,
was the injured person
at the time of accident
or dangerous
occurrence -

- (i) acting in
contravention of
provisions of any
law applicable to
him; or
(ii) acting in
contravention of

any orders given by
or on behalf of his
employer; or

(iii) acting without
instructions from
his employer?

(e) In case reply to (d)
(i), (ii) or (iii) is in the
affirmative, state
whether the act was
done for the purpose
of and in connection
with the employer's
trade or business.

:

11. In case the
accident or
dangerous
occurrence took
place while travelling
in the employer's
transport, state
whether-

(a) the
injured
person
was
travelling

g as a
passeng
er to or
from his
place of
of works; :

(b)the injured person
was travelling
with the express
or implied
permission of his
employer; :

(c)the transport is being operated
by or on behalf of
the employer or
some other person
by whom it is
provided in
pursuance of
arrangements
made with
the employer; and :

(d)the vehicle is
being/not
being
operated in
the ordinary
course

of public transport service :

12. In case the
accident or
dangerous
occurrence took place
while meeting
emergency, state-

(a) its nature; and

(b) whether the injured
person at the time of
accident or dangerous
occurrence was
Employed for the
purpose of his
employer's trade or
business in or about
the premises at which
the accident or
dangerous occurrence
took place. :

13. Describe briefly how the accident or
dangerous occurrence took place :

14. Names and addresses of
witnesses : (1)
(2)

15. (a) Nature and
extent of
injury(e.g. fatal,

loss of finger,
fracture of leg,
scald, scratch
followed by sepsis, etc.) :

(b) Location of injury
(e.g. right leg, left hand,
left eye, etc.)

16. (a) If the accident or dangerous

Occurrence was
not fatal, state
whether the
injured person
was disabled for
more than 48
hours :

(b) date and hour of return of work :

17. (a) Physician, dispensary
or hospital from whom or
which the injured person
received or is receiving treatment :

(b) Name of dispensary/panel doctor
elected by the injured person :

18. (a) Has the injured person died ? :

(b) If so, date of death :

I certify that to the best of my knowledge and belief the above particulars are correct in every respect.

Signature and Name and Designation of owner/ employer /manager/agent

Date of
dispatch of
report :
Place:

FORM-VII
[See rule-63]
NOTICE OF PERIODS OF WORK

Name of the Establishment.....Place.....District.....

Periods of work Groups, Relays	Men				Women								Description of Groups, Nature of work	Remarks								
	Total no. of men employed				Total no. of women employed																	
	A	B	C	D	E	F	G	H														
	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3												

On working days

From ..

To ..

From ..

To ..

From ..

To ..

On partial

Working

days From ..

To ..

From ..

To ..

Date on which this notice is first exhibited :

Signature of manager or agent :

Date :

FORM-VIII
[(See rule 64)]
EMPLOYEE REGISTER

(The register can also be maintained in electronically capturing, inter-alia the following details)

Name of Establishment:		
Name of the Employer/owner:		
Labour Identification Number (LIN)/Registration Number of Establishment		
To be maintained for all employees of the establishments		
1.	Employee Code	
2.	Name	
3.	Surname	
4.	Gender	
5.	Father's/Spouse's Name	
6.	Date of Birth	
7.	Place of Birth	
8.	Nationality	
9.	Education level	
10.	Date of Joining	
11.	Designation	
12.	Category (unskilled, semi-skilled, skilled or highly skilled)	
13.	Type of employees / worker	
14.	Mobile Number	
15.	Universal Account Number (UAN)	
16.	PAN	
17.	PPF No.	
18.	Nominee	

19.	EPS/NPS	
20.	Details of Family	
21.	Details of Posting	
22.	Scale of Pay	
23.	Promotion	
24.	ESIC Insurance No.	
25.	Aadhaar number	
26.	Bank A/c No.	
27.	Bank	
28.	Branch(IFSC)	
29.	Present address	
30.	Permanent address	
31.	Service Book No.	
32.	Date of Exit	
33.	Reason for Exit	
34.	Mark of Identification	
35.	Photo	
36.	Specimen Signature/Thumb Impression	
37.	Remarks	

FORM-VIII (A)

[(See rule 64)]

ATTENDANCE REGISTER-CUM-MUSTER ROLL

(The attendance register-cum-muster roll can also be maintained in electronically capturing, inter-alia the following details)

																For the Month of, year 20.....		
Name of Establishment:																		
Name of the Employer/owner:																		
Labour Identification Number (LIN)/Registration Number of Establishment																		
1.	Serial Number																	
2.	Employee Code																	
3.	Name																	
4.	Designation																	
5.	Shift or relay																	
6.	Place of work/department/section																	
7.	Date and timings of In and Out																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
8.	Total number of days worked																	
9.	Total number of extra hours worked																	
10.	In case of tour or assignments outside the work																	

	place suitable entries may be made	
11.	Signature of Register keeper	

FORM – VIII (B)*[(See Rule 64)]***REGISTER FOR WAGES, OVERTIME AND DEDUCTIONS****(The register can also be maintained in electronically capturing, inter-alia the following details)**

Name of Establishment:		
Name of the Employer/owner:		
Labour Identification Number (LIN)/Registration Number of Establishment		
Wage Period from dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy (Monthly/Fortnightly/Weekly/Daily/Piece Rated)		
1.	Serial Number	
2.	Employee Code Number	
3.	Name	
4.	Designation	
5.	Rate of Wage	
	a)Basic	
	b)DA	
	c)Other allowance	
	d)Total	

6.	No. of days worked	
7.	Overtime hours worked	
8.	Amount of Wages Earned	
	a)Basic	
	b)DA	
	c)Other allowance	
	d)Payment of overtime	
	e)Total wages earned	
9.	Deductions	
	a)EPF	
	b)ESIC	
	c)Society	
	d)Income Tax	
	e)Insurance	
	f)Others	
	g)Recovery of Fine	
	h)Recovery of Damaged/Losses	
	Total Deductions	
10.	Net Payment	
11.	Receipt by Employees/Bank Transaction ID	
12.	Date of Payment	
13.	Initials of Employer/Representative	
14.	Remarks	

FORM – VIII (C)
Wage slip
[(See rule 64)]

Name of the Establishment				
Address:.....			Period:.....	
1.	Name of the Employee:			
2.	Father's/Spouse's Name:			
3.	Designation:			
4.	UAN:			
5.	Bank Account Number:			
6.	Wage period:			
7.	Rate of wages payable	a) Basic	b) D.A.	c) other allowances
8.	Total attendance/unit of work done:			
9.	Overtime wages			
10.	Gross wages payable			
11.	Total deductions	a) PF	b) ESI	c) Others
12.	Net wages paid			

FORM-IX
(See Rule-66)
ANNUAL RETURN

FOR THE YEARENDING 31st December.

Single Annual Integrated Return to be filed On-line under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, the Code on Industrial Relations, 2020, the Code on Social Security, 2020, and the Code on Wages, 2019 and the rules made there under.

Instructions to fill up the Annual Return

- (1) This return is to be filled-up and furnished on or before 1st February every year.
- (2) The return has two parts i.e. Part-I to be filled up by all establishments.
- (3) Part-II to be filled-up by the establishments who are a Mine only in addition to Part-I.
- (4) The terms Establishment and Mines shall have the same meaning as under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.
- (5) This return is to be filled-up in case of Contractor or manpower supplier who have engaged more than 50 workers and in case of Mines even if there is one worker employed in the relevant period.

Applicable to All Establishments - Part-I

A. General Information:

Sl. No.	Instructions for filling the column		
1.	Labour Identification Number		EPFO, ESIC, MCA, MoLE (LIN)
2.	Period of the Return	From - To-	Period should be calendar year
3.	Name of the Establishment		
4.	Email ID (employer)		
5.	Telephone No. (employer)		
6.	Mobile number (employer)		
7.	Premise name		
8.	Sub-locality		
9.	District		
10.	State		
11.	Pin code		

12.	Geo Co-ordinates									
B(a).	Hours of Work in a day									
B(b).	Number of Shifts Number of hours in a shift									
C. Details of Manpower Deployed										
Details		Directly employed			Employed through Contractor				Grand Total	
Skill Category		Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled	Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled	
(i) Maximum No. of employees employed in the establishment in any day during the year		M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	
(ii) Average No. of employees employed in the establishment during the year		No. to be indicated	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	
(iii) Maximum number of Migrant Worker during the year (Section 59 of OSH Code)		M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	
(iv) Number of fixed term employee engaged		M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T					
D. Details of contractors engaged in the Establishment:										
Sl. No.	Name with LIN of the Contractor			No. of Contract Labour Engaged						
E. Details of various Health and Welfare Amenities provided.										
Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided			Statutory (specify the statute)			Instructions for filling			

1.	Whether facility of Canteen provided (as per section 24(v) of OSH Code, 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to all establishments wherein hundred or more worker including contract labour were ordinarily employed
2.	Crèches(as per section 67of Code on Social Security Code, 2020 and Section 24 of the OSH Code 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to all establishments where fifty or more workers are employed
2a	If 2 above is not given than whether Crèches allowance under Rule.. of Social Security Code given.	Tick yes or no in the box and not applicable	Reference rule.. on Social Security
3.	Ambulance Room(as per section 24(2)(i) of OSH Code, 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to mine, building and other construction work wherein more than five hundred workers are ordinarily employed
4.	Safety Committee (as per Section 22(1) of OSH Code, 2020.	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to establishments and factories employing 500 workers or more, factory carrying on hazardous process and BoCW employing 250workers or more, and mines employing 100 or more workers.
5.	Safety Officer(as per Section 22(2) of OSH Code, 2020)	No. of safety officers appointed	In case of mine 100 or more workers and in case of BoCW 250 or more workers are ordinarily employed.
6.	Qualified Medical Practitioner(as per Section 12 (2) of OSH Code 2020.	No. of Qualified Medical Practitioner appointed.	There is no specification for minimum number of Qualified Medical Practitioner employed in establishment. However, this detail is required to have data on occupational health.

F. The Industrial Relations:			Instructions for filling
1.	Is the Works Committee has been functioning.(Section 3 of IR Code, 2020)	Yes/No and not applicable	Industrial establishment in which 100 or more workers are employed
(a)	Date of its constitution.		
2.	Whether the Safety Redressal Committee constituted (Section 4 of IR Code, 2020)	Yes/No and not applicable	Industrial establishment employing 20 or more workers
3.	Number of registered Unions in the establishments.		

4.	Whether any negotiation union exist(Section14 of IR Code,2020)				Yes/No	
5.	Whether any negotiating council is constituted (Section 14 of IR Code, 2020)				Yes/No	
6.	Number of workers discharged/dismissed, retrenched or whose services were terminated during the year:					
		Dismissed	Retrenched	Discharged /Terminated or Removed	Grand Total	
7.	Man-days lost during the year on account of					
Sl. No.	Reasons		Period /Date	No. of man-days lost		
(a)	Strike					
(b)	Lockout					
8.	Details of retrenchment / lay off					
Sl. No.	No. of persons retrenched during the period	Details of payment paid to retrenched employees	No. of workers laid off during the period	No. of man-days lost due to lay-off	Applies on industrial establishment employing 300 or more workers	

G. Details pertaining to maternity benefit:

No. of female employees	No. of female employees availed maternity leave	No. of female employees paid medical bonus	No. of deduction of wages, if any made from female employees	

H. Details of payment of bonus:				
Sl. No.	No. of employees covered under the Bonus provision	Total amount of bonus actually paid	Date on which the Bonus paid	
I. Details of accidents, dangerous occurrence and notifiable diseases:				
Sl. No.	Total number of accidents by which a person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more as per Section 10 of the OSH Code, 2020.	Total number of fatal accidents and names of the deceased as per Section 10 of the OSH Code, 2020.	Total number of Dangerous Occurrences as defined under Section 11 of the OSH Code, 2020	Total number of cases of Notifiable Diseases specified in Third Schedule of the OSH Code, 2020 along with the details of affected persons
J. Mandays and Production Lost due to accidents / dangerous occurrence				
Sl. No.	Accident/Dangerous Occurrence	Man days lost	Production Lost	

FORM-IX
(See rule-66)

Part II (For Mines)

A. General information		
1.	Establishment Name	
2.	Name of Company/ Name of Owner	
3.	Type of organization (drop down)	PSU Central/ PSU State/ Private/
4.	Type of ownership (drop down)	Firm/Association/Individual/Partnership/Company
5.	Type of Mineral (drop down)	Coal/Metal/Oil
6.	Name of Mineral	
7.	Type of Mine (drop down)	Belowground/ Opencast/ Aboveground/Mixed/OffShore/OnShore
8.	Date of opening	To be filled for first time
9.	Mine Code	To be filled for first time
10.	Date of closing (if any)	NA/ Calendar to be given
11.	Date of reopening (if any)	NA/ Calendar to be given
12.	Depth of working in mts.	Maximum Depth: Minimum Depth:

B. Statutory personnel employed in the mine (as on 31st December)

Sl. No.	Designation as per Code	Number of Statutory Persons required	Number of Statutory Persons employed
1.			

C. Method of Working vis-a-vis Safety Parameters

1	Name of Method (Specify the name) (as per drop down menu)		
---	---	--	--

2	Quantity of mineral Produced in Cu.m./Tonne		
3	Quantity of Waste/overburden removed in Cu.m./Tonne		
4	Stage of Working (as per drop down menu)	Development/Extraction/Mixed	
5	Permissible Void in Cu.m.		For extraction stage
6	Actual Void in Cu.m.		For extraction stage
7	Area of overhang		For extraction stage
8	Maximum Inflammable gas released in Cu. Meter per ton of coal produced		For Development stage
9	Overall Pit slope		For Opencast mines
	Individual entry for each Pit		
10	Overall dump slope		For Opencast mines
	Individual entry for each Dump		
11	Area of fire in Sq. m.		
12	Length of embankment required to be provided against the water body		
13	Length of embankment provided against the water body		
14	Length of fencing required/provided as per statute		
15	No. of opening required to be sealed in case of abandoned mines:		
16	No. of Openings sealed in case of abandoned mines:		
17	Number of Mock drills conducted and date of same with coverage of employees		

18	No. of Oil/Gas wells: under drilling/ under production/ under work over (as per drop down menu)		For Oil and gas mines
19	No. of wells where production discontinued		For Oil and gas mines
20	If Yes to pt. 19 above, Action taken		
21	Action Taken in respect of Wells where production has been discontinued		For Oil and gas mines
22	Maximum Quantity of explosive used in any day (in Kgs.)		For all types of mine
23	Whether Building or Structures not belonging to owner lies within danger zone?	Yes/No/NA	For Coal & Metalliferous Mines
24	Aggregate HP/KW of machineries installed/deployed in the mine for the year		For all types of mine

D. Medical examinations - Initial/Periodical (IME/PME):

During the year, total number of persons including contractual workers:

Particulars	Total No. of Persons
Undergone IME	
Undergone PME	
Declared medically Temporary unfit	
Given alternate Employment due to Medical unfitness	
Terminated on account of being medically unfit	

E. Details of Vocational training imparted:

During the year, total number of persons including contractual workers:

Particulars	Total No. of Persons
Imparted Basic Vocational Training	
Imparted Refresher Training	
Imparted special Training	

F. Details of Accident, Dangerous Occurrence and Occupational Diseases :

(1) Details of Accidents and Dangerous Occurrences:

Sl. No.	Date of Accidents/Dangerous Occurrences	No. of persons killed	No. of persons received Serious Bodily Injury	Number of persons injured (Excluding Serious Bodily Injury) and thereby prevented from working for a period of 48 hours or more	Nature of Occurrence	Mandays lost
1.						

(2) Details of Occupational diseases:

Sl. No	Notified Disease	No. of cases
1		

G. Details of Safety Management Plan:

- (a) Safety Management Plan Prepared: (Yes/No/NA)
 (b) Date of Submission : Date
 (c) Last date of review of Safety Management Plan: Date
 (d) Principal Hazards Identified:

Sl. no.	List of Principal hazards identified	Principal hazard Mitigation date	Principal hazard not mitigated till 31 st December	Reasons for failure to mitigate the same
1.				

H. Mines Rescue Station: (For Belowground Mines Only)**A. For Mine: (To be filled by Mine Owner)**

- (i) Address of the Rescue Station with Geo-coordinates serving the Mines;
 (ii) Distance of the Rescue Station from Mine Opening; -----(in KM)
 (iii) Whether Mine Rescue Station has been established by the mine or not? (Yes/No)

**Mines Rescue Station: (For Belowground Mines Only)
 (For Rescue Station)**

For Mine Rescue Station (To be filled by the Superintendent, Rescue Station)

- (i) Name of the Owner of Mine where MRS stationed:
 (ii) Address of MRS:
 (iii) Name of the Superintendent :
 (iv) Details of the mine served by the Rescue Station:

Sl. No.	Name of the Mines	Distance of the Mine from MRS (in Kms)

(v) Details of Personnel Deployed at Rescue Station;

Sl. No.	Designation as per Code	Number of statutory persons required	Number of statutory persons employed

(vi) Details of Equipment/Apparatus :

Sl. No.	Type of Equipment/Apparatus required	Numbers of Equipment/Apparatus available

(vi) Particulars of Emergency Attended:

Sl.No.	Name of the Mine	Nature of Emergency	Response Time (time taken by rescue services to attend the emergency)	Time taken for Rescue & Recovery	Action Taken

(vii) Additional Information :

- (a) Number of Rescue Rooms :
- (b) Number of Rescue Trained Persons Required :
- (c) Number of Rescue Trained Person available :
- (d) Whether Canteen facility exist or not? (Yes/No):

Certified that the tables are duly filled in and information and figures given in all the tables are correct to the best of my knowledge.

Signature of employer/occupier/Owner/Agent/Manager

Place:

Dated:

PART III
(See rule 87)

ANNUAL RETURN period ending 31st December
(to be submitted by the principal employer on Shram Suvidha Portal)

1. Name of the principal employer:
2. Name of the establishment:
3. Registration number (LIN) of the establishment:
4. Details of the Contractors, wages paid, etc.:

Sl.	Month	Name and address of the contractors	LIN of the contractor	Name of the work	Maximum number of contract worker employed	Amount paid against wage bill (if applicable) to the contractor (including EPF, ESIC, Bonus etc.)	Date of payment of wage bill (if applicable)	Amount of the wages paid directly to the contract labour by Principal Employer (in case the contractor fails to pay)	Date of payment of wages paid directly to the contract labour by Principal Employer (in case the contractor fails to pay)	Remarks

Signature of the principal employer

Date:

FORM IXA
(See rule 87)

(Half Yearly Return (January to June / July to December) to be submitted by Contractor to be filed electronically to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) concerned under Rule 81)

1. Name and address of the contractor:
2. Name and address of the principal employer and LIN:
3. LIN of the contractor:
4. License number of the contractor (if applicable):
5. Name of the contract work with location/station:
5. Details of the number of Contract Workers, Wages Paid etc.:

Sl. No.	Months	Number of Contract Labour employed	Total amount of wages paid in a month	Overtime	Bonus	Date and amount of Wage bill received by contractor from Principal Employer	ECR number of ESIC	ECR number of EPF	Wages paid by 7 th of the month or due date as applicable Yes/No	remark
	January									
	February									
	March									
	April									
	May									
	June									

Signature of the contractor:

Date:

FORM-X
(See rule-67)
REGISTER OF ACCIDENTS AND DANGEROUS OCCURRENCES

Name of Injured/deceased person (if any)	Date of Accident or dangerous occurrence	Date of report to Inspector-cum-Facilitator	Nature of accident or dangerous occurrence	Date of return of injured Person to work	Number of days the injured Person was absent from work
1	2	3	4	5	6

FORM-XI
[See rule-68]
REGISTER FOR LEAVE WITH WAGES

Part I - Adults

Part II - Adolescents

Establishment:

Name of worker :

Department :

Father's Name:

Sl. No	Sl.no. in the register of workers	Date of entry into service	Interruptions					Lea ve due with effect from	Wheth er leave not desired during the next 12 months	Date from which the worke r is allowe d leave	Wages for Leave Paid in	Discharged worker		Remarks
			Sickness and accidents	Aut horized Leav e	Lock Out or Legal Strike	Involu ntary unem ployment	Oth ers					Date of Discharg e	Date and amount of payment made in lieu of leave due	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Note: - Separate page shall be allotted to each worker

FORM-XII
(See rule-77 and 78)
APPLICATION FOR LICENSE

On Line Application for License/ Renewal of License/Amendment of License (including Common/single license)	
Government of India, Ministry of Labour and Employment	
ESTABLISHMENT PROFILE:	
Labour Identification Number	Date
Acknowledgement Number: Date of Application:	
I. Particulars of Establishment for which licence required:	
1. Name of Establishment:	
2. Address of establishment	
(a) Head Office address along with email Id :	
(b) Corporate office address along with email Id:	
3. Telephone Number :	
4. Activity as per National Industrial Classification : (Select all applicable activities given)	
5. Details of selected NIC Code:	
6. Nature of work carried on in main establishment :	
7. Identifier of the Establishment : (Select) : e-sign/digital sign	
II. Details of Employer:	
1. Full Name of Employer:relationship with establishment.	
2. Full Address of Employer:	
3. Email Id of employer:	
4. Mobile No. of employer:	
III. Particulars of the Contract Labour to be employed / is employed (If licence is required work wise)	

Locations of worksites	Name of works	Activity as per national industrial classification	Date of commencement	Date of completion	Name of Establishments in which contract labour is/proposed to be employed	Name Address, email id of the Site Incharge
1	2		3	4	5	6

5. Maximum number of workmen proposed to be employed on the Establishment on any date: **24**

6. Amount of Licence Fee: **INR** (Transaction Id :)

7. Amount of Security Deposit: **INR** (Transaction Id :)

IV. DETAILS OF ESTABLISHMENTS FOR WHICH COMMON LICENCE REQUIRED , (IF APPLYING FOR)

Type of Establishments	Name & Address of establishment	(i)Nature of work carried out in the establishment (ii) Activity as per National Ind'l classification	Date of commencement	Permanent establishment or probable date of completion	Maximum number of employees employed/proposed to be employed	Maximum number of employees employed/proposed to be employed
1	2	3	4	5	6	7

V. DETAILS OF ESTABLISHMENTS FOR WHICH SINGLE LICENCE IS REQUIRED (IF APPLYING FOR)

Name of States in which the establishments are situated	Name of each work	Maximum number of labour will be/is employed	Date of commencement	Permanent establishment or probable date of completion	Maximum number of employees employed/ proposed to be employed	Registration number, if obtained, then details thereof
1	2	3	4	5	6	7

Signature of Contractor

(e-Sign/DSC)

Note: This is an online application summary applied on Shram Suvidha Portal or designated Portal.

APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE

1. Licence No.

Date :

2. LIN & PAN

3. Name and address of the establishment:

4. Date of expiry of previous licence :

5. Whether the licence of the employer/contractor was suspended or revoked:

6. Details of Fees paid : (Enclose e-payment receipt): Amount date of payment :

E-sign /digital sign of the employer/contractor date:

APPLICATION FOR AMENDMENT OF LICENCE :

1. Licence No	Date:
2. LIN & PAN	
3. Name and address of the establishment:	
4.Details for which amendment is sought :	
(a). Maximum number of worker presently employed : (If there is increase in the maximum number of workers to be employed, then additional fees/security deposit as per law needs to be deposited:	
(b). Details of fees paid through e payment date on which made :	
(c). Other details requiring amendment in the licence issued (Necessary documents may be uploaded in support of change required)	

E-sign /digital sign of the employer/contractor

date of application.

Date

place

FORM-XIII
(Under-See rule-79)
PROFORMA OF LICENSE

Licence No. ----- Reg. No. ----- Date of Reg. -----

Licence is hereby granted to -----

for the premises known as -----

situated at -----

nature of work _____

for use as a establishment within the limits stated herein after, subject to provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, and the rules made there under.

The ----- 20..

Issuing Authority

Sl.No.	Period of issue	Valid For	Fee	Date of Payment	Excess fee for late payment	Date of payment	Signature of the Issuing Authority
		Maximum number of Contract labour /workers on any one day					

AMENDMENTS:

Year when Amended	Maximum number of Contract labour /workers on any one day	Date of payment of amendment fee	Date of Payment	Signature of the Issuing Authority

E-sign /digital sign of the designated authority

FORM-XIV
(See rule-89)
EXPERIENCE CERTIFICATE OF CONTRACT EMPLOYEE

To whom so ever concerned

1. Name of contractor/employer*:

2. LIN/PAN No. of the contractor/employer *:

3. Email Id of the contractor /employer *:

4. Mobile No. of the contractor/employer *:

5. Nature and location of work:

6. Name of Principal Employer*:

7. LIN/PAN No. of the Principal Employer .*

8. Email Id of the Principal Employer : *

9. Mobile No. of the Principal Employer :*

10. Name of the worker*:

11. UAN / Aadhaar No.:

12. Mobile No. :

13. Serial Number in the Employee Register :

14. Registration number, date and name of the Board if the building and other construction worker is registered as a beneficiary:

15. Period of Employment:

16. Designation:

Seal and Signature of Contractor

*Please strike off whichever is not applicable.

FORM-XV
(See rule-94)

Agreement between Producer and Audio-visual worker

This agreement is made on this day monthyear..... between Messers..... having office at(hereinafter referred to as the “Producer”) on the first part and Shri/Smt/Kumson/daughter/wife of Shri residing at (herein after referred to as the “audio-visual worker”) on the second part. The terms ‘Producer’ and ‘audio-visual worker’ shall include their heirs, successors, administrators and legal representatives:

Now, therefore this agreement is made as follows:

1. That both the parties agree that the duration of this agreement shall be from the date hereof till the completion of the audio-visual and this period shall not exceed consecutive months.
2. That the audio-visual worker agrees to attend studio, location or work place, as the case may be, subject to the requirement of his previous engagement and on his confirmation, to his respective job punctually as and when he shall be required by a written intimation by the Producer or the person duly authorised by him in writing.
3. That in consideration of the audio-visual worker services, as aforesaid, the Producer agrees to pay and the audio-visual worker agrees to receive a sum of Rs.(Rupees) payable as advance on signing of this agreement and the balance of Rs.payable in equal installments.
4. That in the event of the audio-visual production being not complete within the stipulated period and the Producer still needing the services of the audio-visual worker to complete the audio-visual production, the producer agrees to pay and the audio-visual worker agrees to receive additional remuneration on pro-rata basis, payable in the same manner as stated in Clause 3 above, till the completion of the production.

5. That in case the assignment of the audio-visual worker is completed earlier than the period stipulated in Clauses 1 and 4 above, the producer shall settle the account of the audio-visual worker and pay the remaining balance of the agreement amount in full before the commencement of re-recording work/censor of the production, whichever is earlier.
6. That the audio-visual worker shall, if so required,
- (a) attend the studios, location or work-place, as the case may be, earlier than the a scheduled time of the shift, for preparatory work, and in that case, he/she shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs.per hour or part thereof for such early attendance.
- (b) continue to work beyond the working day, with one hour break and in that case, he/she shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs..... for the work during the extended hours and refreshments, and transport facilities.
7. That the Producer shall provide transport and food or pay traveling allowances to and fro to report to duty and food allowance while on duty as are customary or fixed by bilateral arrangements between the Producer's and audio-visual worker's representative organizations.
8. That the Producer shall also pay for all travelling and accommodation expenses, fares, cost of food and such other allowances as are customary when the audio-visual worker is required to work on location outdoors.
9. That the Producer shall get the audio-visual worker insured for any injury or damage to his/her person including death caused by accident arising out of or in the course of his/her employment and/or during the period of his/her assignment under this agreement.
10. That where the Producer is prevented from proceeding with the production of the audio-visual by reason of fire, riot, natural calamity, order of the public authority or any other reason beyond his control :-
- (a) he shall be entitled to suspend the operation of this agreement during the period of suspension of production in case the production is suspended. The producer shall serve notice in writing of such suspension on the audio-visual worker and shall pay all his/her dues up to the date of service of such notice. Upon resumption of work on the film, this agreement shall revive and shall remain valid for the period stipulated in Clause I excluding the period of suspension there from ; or
- (b) he shall be entitled to terminate this agreement as from the cessation of production, in case the production ceases completely. The producer shall serve a notice in writing of such cessation on the audio-visual worker and make payment of all the amount due to the audio-visual worker at the time of termination.

11. That in case if the Producer desires to terminate this agreement before the expiry of its term for reasons other than misconduct in relation to performance of the audio-visual worker's duties or of his/her unwillingness to perform the services required under this agreement, the producer shall be entitled to do so only upon payment of the balance of the stipulated amount of the agreement. Only after such payment to the audio-visual worker, the Producer shall be titled to employ another audio-visual worker in his/her place.
12. That the Producer shall have the right to terminate this agreement on ground of misconduct on the part of the audio-visual worker in relation to performance of his/her duties or his/her unwillingness to perform the service required under the agreement, upon payment to the audio-visual worker of the amount due at the time of termination, calculated taking into consideration the audio-visual worker's total work in the audio-visual and the work he/she has completed till the date of termination of this agreement. Termination under this clause shall not be made unless the charges of the Producer against the audio-visual worker are proved before a forum comprising equal number of representatives of the Producers' Organisation and the audio-visual worker's Organisation to which the Producer and the audio-visual worker respectively may belong. The decision of the forum shall be binding on both the parties. The producer can engage another audio-visual worker for the job towards this agreement only after the forum has given a decision in favour of such termination and the audio-visual worker has been paid all his dues.
13. That in case of premature termination of this agreement, it shall be the option of the Producer whether or not to retain the work of the audio-visual worker in the audio-visual and at the same time, it shall be option of the audio-visual worker whether or not to allow his/her name to go on the credit titles of the film.
14. That the Producer shall have the right to decide the manner of representing the audio-visual worker's personality on the screen, his/her clothes, make-up and hair-style and the audio-visual worker shall fully and willingly comply with the direction of the Producer in this regard, provided that the requirements of the Producer in this respect have been notified to the audio-visual worker and accepted by him/her.
15. That the audio-visual worker agrees that he/she shall render his/her services to the best of his/her ability in such manner as the Producer or, at his instance, the Director of the audio-visual may direct and shall comply with all reasonable instructions that he may give for the production of the film.
16. That the Producer shall also pay for all traveling and accommodation expenses, fares, cost of food and such other allowances as are customary when the audio-visual worker is required to work on location outdoors.

17. That the Producer shall get the audio-visual worker insured for any injury or damage to his/her person including death caused by accident arising out of or in the course of his/her employment and/or during the period of his/her assignment under this agreement.

18. That where the Producer is prevented from proceeding with the production of the audio-visual by reason of fire, riot, natural calamity, order of the public authority or any other reason beyond his control :-

(a) he shall be entitled to suspend the operation of this agreement during the period of suspension of production in case the production is suspended. The producer shall serve notice in writing of such suspension on the audio-visual worker and shall pay all his/her dues up to the date of service of such notice. Upon resumption of work on the film, this agreement shall revive and shall remain valid for the period stipulated in Clause I excluding the period of suspension there from ; or

(b) he shall be entitled to terminate this agreement as from the cessation of production, in case the production ceases completely. The producer shall serve a notice in writing of such cessation on the audio-visual worker and make payment of all the amount due to the audio-visual worker at the time of termination.

19. That in case if the Producer desires to terminate this agreement before the expiry of its term for reasons other than misconduct in relation to performance of the audio-visual worker's duties or of his/her unwillingness to perform the services required under this agreement the producer shall be entitled to do so only upon payment of the balance of the stipulated amount of the agreement. Only after such payment to the audio-visual worker, the Producer shall be entitled to employ another audio-visual worker in his/her place.

20. That the Producer shall have the right to terminate this agreement on ground of misconduct on the part of the audio-visual worker in relation to performance of his/her duties or his/her unwillingness to perform the service required under the agreement, upon payment to the audio-visual worker of the amount due at the time of termination, calculated taking into consideration the audio-visual worker's total work in the audio-visual and the work he/she has completed till the date of termination of this agreement. Termination under this clause shall not be made unless the charges of the Producer against the audio-visual worker are provided before a forum comprising equal number of representatives of the Producers' Organisation and the audio-visual worker's Organisation to which the Producer and the audio-visual worker respectively may belong. The decision of the forum shall be binding on both the parties. The producer can engage another audio-visual worker for the job towards this agreement only after the forum has given a decision in favor of such termination and the audio-visual worker has been paid all his dues.

21. That in case of premature termination of this agreement, it shall be the option of the Producer whether or not to retain the work of the audio-visual worker in the audio-visual and at the same time, it shall be option of the audio-visual workers whether or not to allow his/her name to go on the credit titles of the film.

22. That the Producer shall have the right to decide the manner of representing the audio-visual worker's personality on the screen, his/her clothes, make-up and hair-style and the audio-visual worker shall fully and willingly comply with the direction of the Producer in this regard, provided that the requirements of the Producer in this respect have been notified to the audio-visual worker and accepted by him/her.

23. That the audio-visual worker agrees that he/she shall render his/her services to the best of his/her ability in such manner as the Producer or, at his instance, the Director of the audio-visual may direct and shall comply with all reasonable instructions that he may give for the production of the film.

24. That the audio-visual worker shall comply with all the regulations of the studio, location or work place as the case may be.

25. That the Producer shall not without the consent in writing of the audio-visual worker, assign or transfer the benefit of this agreement to any other person.

26. That the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 shall be applicable to this agreement.

27. That the Producer shall not utilise the work of the audio-visual worker in any film, other than the audio-visual under this agreement, without prior permission of the audio-visual worker.

The parties have put their hands to this agreement on the date, month and year said above in the presence of each other and in the presence of the witnesses.

1. Witness	Producer	Name Address
2. Witness	audio-visual worker	Name Address

[F. No. S-65025/01/2021-ISH.II]
ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Advisor